नगर लखनऊ मंगलवार 24 जून, 2025, रु. 6.00 (18+6 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com

फोर्दो पर फिर हमला, ईरान को मिला पुतिन का साथ

तेहरान की एविन जेल पर भी निशाना, ईरान ने पलटवार में मिसाइलें दागीं

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

अमेरिका के फोर्दो परमाणु केंद्र पर हमले के एक दिन बाद इजराइल ने मंगलवार को फिर से इस केंद्र को निशाना बनाया। इजराइली सेना ने पुष्टि की कि उसने ईरान के फोर्दो संवर्धन प्रतिष्ठान तक पहुंच को बाधित करने के लिए उसके आसपास की सड़कों पर हमला किया है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेहरान पर किए गए हमलों में वहां की कुख्यात एविन जेल और अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया गया। दूसरी ओर, ईरान को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ मिला है। पुतिन ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची से मुलाकात की और उन्हें हर मदद करने का आश्वासन दिया।

उधर, ईरान ने भी इजराइल पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। ईरान ने इजराइल के हाइफा, तेल अवीव व यरूशलम पर मिसाइलें दागीं व ड्रोन से हमले किए।

दूसरी ओर इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि तेहरान पर किए गए हमलों में वहां की कुख्यात एविन जेल और अर्धसैनिक बल रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के सुरक्षा मुख्यालय को निशाना बनाया गया। मंत्रालय ने कहा, 'इजराइली घरेलू मोर्चे पर हमला करने के लिए ईरानी तानाशाह को पूरी ताकत से दंडित किया जाएगा।' उसने कहा कि हमलों में तेहरान के फिलीस्तीन स्क्वायर और ईरानी शासन से संबंधित अन्य 'सैन्य कमान केंद्रों' को भी निशाना बनाया गया। एक इजराइली अधिकारी के अनुसार, ईरानी बाकी पेज 8 पर

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची।

ट्रंप ने दिया ईरान में तख्तापलट की संभावना का संकेत

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद अब तेहरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना के बारे में भी विचार कर रहे हैं।

-पूरी खबर पेज 17 पर

ईरान ने मोसाद का जासूस होने के शक में व्यक्ति को फांसी दी

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद से ईरान ने मोसाद के जासूस होने के आरोप में एक और व्यक्ति को सोमवार को फांसी पर लटका दिया।

-पूरी खबर पेज 17 पर

ईरान की चेतावनी, हमारी सेना बदले का वक्त तय करेगी

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके कूटनीति के रास्ते बंद करने का फैसला किया, अब हमारी सेना हमले का वक्त तय करेगी।

-पूरी खबर पेज 17 पर

चार राज्यों की पांच विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे

पंजाब में आप, बंगाल में तृणमूल की जीत; गुजरात में मिलाजुला परिणाम

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

देश के चार राज्यों की पांच विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम में भारतीय जनता पार्टी का खाता केवल एक सीट पर खुला है जबकि पंजाब और गुजरात की दो सीट पर आम आदमी पार्टी (आप) और केरल में नीलांबुर सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत दर्ज की है।

केरल में कांग्रेस पार्टी ने वाममोर्चा से यह सीट छीनी है। गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने कडी सीट बरकरार रखी, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की कालीगंज विधानसभा सीट पर फिर से जीत बाकी पेज 8 पर

लुधियाना पश्चिम उपचुनाव में जीत के बाद आप उम्मीदवार संजीव अरोड़ा।

सिरमौर में चौबीस छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

शिमला, 23 जून (ब्यूरो)।

हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले के एक सरकारी स्कूल में 24 छात्राओं का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आठवीं से दसवीं कक्षा की छात्राओं ने स्कूल के प्रधानाचार्य से उत्पीड़न की शिकायत की थी जिसके बाद स्कूल प्रशासन ने पुलिस को सूचना दी और शिक्षक को गिरफ्तार किया गया।

स्कूल प्रशासन ने बताया कि शुक्रवार को 24 छात्राओं ने प्रधानाचार्य को लिखित शिकायत दी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि शिक्षक ने उन्हें गलत तरीके से छुआ है। शिकायत को स्कूल की यौन उत्पीड़न रोधी समिति को भेज दिया गया था।

अदालत ने आरोपी शिक्षक को तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है।

शनिवार को छात्राओं के अभिभावकों को बैठक के लिए बुलाया गया और पाया गया कि उनमें से अधिकतर को अपनी बच्ची के उत्पीड़न के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने बताया कि शिक्षक को गिरफ्तार कर बाकी पेज 8 पर

एकीकृत पेंशन योजना

विकल्प चुनने की समयसीमा सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 'एकीकृत पेंशन योजना' के तहत सरकारी कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समयसीमा को तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।

अभी तक मौजूदा सरकारी, सेवानिवृत्त व मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी सहित पात्र कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 30 जून, 2025 तक अपना विकल्प चुनना था।

-पूरी खबर पेज 16 पर

सपा के तीन बागी विधायक पार्टी से निकाले गए

मनोज पांडेय, अभय सिंह व राकेश प्रताप सिंह।

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

समाजवादी पार्टी (सपा) ने तीन बागी विधायकों अभय सिंह, राकेश प्रताप सिंह और मनोज कुमार पांडेय को सोमवार को निष्कासित कर दिया। गोसाईगंज से विधायक अभय सिंह, गौरीगंज से विधायक राकेश प्रताप सिंह और ऊंचाहार से विधायक मनोज कुमार पांडेय पर खुले तौर पर सत्तारूढ़ भाजपा के समर्थन में आने का आरोप है। निष्कासित विधायकों ने अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी के फैसले की कड़ी आलोचना की तथा इसके आंतरिक नेतृत्व व वैचारिक भटकाव पर सवाल उठाए।

सपा ने इन तीनों विधायकों के निष्कासन का एलान करते हुए सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि समाजवादी सौहार्दपूर्ण सकारात्मक विचारधारा की राजनीति के विपरीत सांप्रदायिक विभाजनकारी नकारात्मकता तथा किसान, महिला, युवा, कारोबारी, नौकरीपेशा और 'पीडीए विरोधी' विचारधारा का साथ देने के कारण तीनों विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया गया है। पार्टी ने कहा कि इन लोगों को हृदय परिवर्तन के लिए दी गई 'अनुग्रह-अवधि' की समय-सीमा अब पूर्ण हुई।

दिल्ली और हरियाणा में आज दस्तक दे सकता है मानसून

तीन दिनों के लिए मध्यम बारिश की चेतावनी जारी

जनसत्ता टीम
नई दिल्ली, 23 जून।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में मंगलवार को मानसून दस्तक दे सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आइएमडी) ने कहा है कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थितियां अनुकूल हैं। विभाग ने कहा कि वर्तमान में मानसून की उत्तरी सीमा (एनएलएम) हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों से गुजर रही है।

राजधानी दिल्ली में मेघगर्जन व आंधी, तूफान के साथ मंगलवार को मानसून के प्रवेश संभावना है। यही वजह है कि आइएमडी ने पहले ही 23-25 जून के लिए 'पीली चेतावनी' जारी कर दी थी। इस दौरान हवाओं की सामान्य रफ्तार 30-40 और अधिकतम गति 50 किलोमीटर प्रतिघंटा तक भी जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं, दिल्ली में सोमवार को कई इलाकों में बारिश हुई जोकि सुबह साढ़े आठ बजे से शाम साढे पांच बजे के बीच 04.1 मिमी दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार मंगलवार और बुधवार को हरियाणा में मानसून की बारिश हो सकती है। अधिकतर जिलों में बादल छाए हुए हैं। पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून आगे बढ़ गया है और अगले एक-दो दिनों में चंडीगढ़ सहित हरियाणा के कुछ हिस्सों में इसके आगे बढ़ने बाकी पेज 8 पर

'तेजी से गर्म हो रहा है एशिया महाद्वीप'

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप और विश्व की 60 फीसद आबादी का निवास स्थान एशिया वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रहा है। विश्व मौसमविज्ञान संगठन (डब्लूएमओ) द्वारा सोमवार को जारी एक रपट में यह कहा गया है।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन की '2024 में एशिया में जलवायु की स्थिति' रपट में कहा गया है कि एशिया में समुद्री सतह भी पिछले दशकों में वैश्विक औसत से लगभग दोगुनी गति से गर्म हो रही है। रपट के मुताबिक,'दो सबसे हालिया उप-अवधियों (1961-1990 और 1991-2024) में आर्कटिक तक फैला सबसे बड़ा भूभाग वाला महाद्वीप एशिया वैश्विक भूमि बाकी पेज 8 पर

जीपीएस में खामी | राष्ट्रीय राजधानी से श्रीनगर जा रहा था विमान

जम्मू में सिग्नल की दिक्कत, दिल्ली लौटी उड़ान

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली से जम्मू के रास्ते श्रीनगर जाने वाली एअर इंडिया एक्सप्रेस उड़ान सोमवार दोपहर जम्मू हवाई अड्डे पर उतरे बिना ही दिल्ली लौट गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

एअरलाइन के एक प्रवक्ता ने कहा कि 'जीपीएस व्यवधान' की आशंका के चलते एहतियातन यह फैसला लिया गया और यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए बाद में एक वैकल्पिक विमान उपलब्ध कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि विमान संख्या आइएक्स-2564 को दोपहर में जम्मू में उतरना था, जिसके बाद उसे श्रीनगर रवाना होना था। लेकिन विमान के पायलट ने कुछ समय तक जम्मू हवाई अड्डे के ऊपर मंडराने के बाद उतरने के बजाय दिल्ली लौटने का फैसला किया। उन्होंने बताया कि मौसम और रनवे दोनों ही पूरी तरह साफ थे, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि पायलट विमान को उतारने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं खोज सका, जिसके कारण वापसी का निर्णय लिया गया।

फाइल फोटो।

विमानन कंपनी ने असुविधा के लिए खेद जताया और कहा कि यात्रियों को जम्मू पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई।

एअर इंडिया एक्सप्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि हमारी दिल्ली-जम्मू उड़ान ने जीपीएस व्यवधान की आशंका के चलते एहतियातन दिल्ली लौटने का निर्णय लिया। बाद में यात्रियों को जम्मू पहुंचाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई। प्रवक्ता ने कहा कि हमें असुविधा के लिए खेद है। कुछ संवेदनशील क्षेत्रों के ऊपर उड़ान के दौरान जीपीएस सिग्नल में व्यवधान की समस्याएं संचालकों द्वारा पहले भी रपट की गई हैं।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

I, Iram Tanvir W/o Md Irfan R/o Nirmana, Muzaffarnagar, UP have changed my name to Iram Chaudhary. 0070974511-1

I, Arvinder Singh S/o M S Saluja R/o 46, National Park, Lajpat Nagar-4, Delhi-24 have changed my name to Arvinder Singh Saluja 0070974555-1

I, Amit Kumar Tyagi S/o Shiv Kumar Tyagi R/o RZ-219-220, X-Block, New Roshanpura Extn, Najafgarh, New Delhi-110043 declare that name of mine and my father has been wrongly written as Amit Kumar and Shiv Kumar in my education certificate and other documents. The actual name of mine and my father are Amit Kumar Tyagi and Shiv Kumar Tyagi respectively. which may be amended accordingly. 0040796210-1

I Shyodan Singh S/o Girendra R/o House No. B-208, Sector-11, Pratap Vihar Vijay Nagar, Krisent Apartment, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201009, have changed my name to Sunil Yadav 0070974537-1

I Anjali Vashist S/o Swatantra Singh R/o RZ-41-A, Baba Haridas Enclave, Jharoda Kalan, New Delhi-110072, have changed my name from ANJALI to ANJALI VASHIST for all future purposes. 0040796245-1

I,HITHERTO KNOWN,AS SHOBHA,W/O-JUGENDRA SINGH, R/O-HOUSE.NO-489/3,KOTHI SADAK ALI,POST & DIST-HAPUR,UP-245101,HAVE, CHANGED,MY NAME,AND, SHALL HEREAFTER,BE KNOWN,AS BABITA.IT IS,CERTIFIED THAT I,HAVE COMPLIED-WITH OTHER,LEGAL REQUIREMENTS,IN THE,CONNECTION. 0040796270-5

It is for general information that I,Prathmesh,S/o-Rajveer residing at-1/10731 KH.No. 61,Plot No.53,Subhash-Park, Shahdara, Delhi-110032, declare that name of mine and my minor son name has been wrongly-written as Prathmesh Pandey and Divye in my minor son namely Divye Pandey aged-17years in his School Record.The actual name of mine and my minor son are Prathmesh and Divye Pandey respectively, which may be amended accordingly. 0040796252-7

It is for general information that I MAHENDER KUMAR SAINI S/O LATE B L SAINI R/O D-188 H, FREEDOM FIGHTER ENCLAVE, NEB SARAI, NEW DELHI-110068 declare that name of mine has been wrongly written as MAHINDER KUMAR SAINI in my minor daughter namely MUSKAN SAINI aged 17 years in her 10th class educational documents. The actual name of mine MAHENDER KUMAR SAINI is which may be amended accordingly. 0040796225-1

I,HITHERTO KNOWN,AS BIRENDAR SINGH DANGWAL,S/O-RAM SINGH DANGWAL,R/O-409,G-2,SHALIMAR-GARDEN EXT-1,SAHIBABAD, GHAZIABAD,PASWADA,HAPUR, UP-201005,HAVE CHANGED, MY NAME AND,SHALL HEREAFTER,BE KNOWN AS, BACHE SINGH.IT IS CERTIFIED,THAT I,HAVE COMPLIED-WITH OTHER,LEGAL REQUIREMENTS,IN THE,CONNECTION. 0040796270-4

IT,IS FOR,GENERAL INFORMATION,THAT I,SURAJ KUMAR PANDEY,S/O-RADHEY SHYAM PANDEY,R/O-LAHSARI GORAKHPUR, UTTAR-PRADESH -273016,THAT NAME, OF MY, MINOR DAUGHTER HAS,BEEN WRONGLY-WRITTEN,AS DACHHA PANDEY AGED-10, YEARS IN,HER AADHAR-CARD.THE ACTUAL,NAME OF,MY MINOR DAUGHTER,IS DAKSHA PANDEY RESPECTIVELY-WHICH MAY,BE AMENDED-ACCORDINGLY.IT IS,CERTIFIED,THAT I,HAVE COMPLIED-WITH OTHER-LEGAL REQUIREMENTS,IN THIS,CONNECTION 0040796270-3

I SHUBHAM KUMAR JAIN s/o MUKESH JAIN r/o A-88, Bhatia Chowk, Kamla Nagar Delhi-110007 have changed the name of my minor daughter KIARA JAIN, aged 12 years and she shall hereafter be known as KEYARRA JAIIN. 0040796149-1

I SHUBHAM KUMAR JAIN s/o MUKESH JAIN r/o A-88, Bhatia Chowk, Kamla Nagar Delhi-110007 have changed the name of my minor daughter TREIKSHA JAAINN, aged 3 years and she shall hereafter be known as TREIKSHA JAIIN. 0040796149-2

I,Vinod Kumar Chopra,s/o Late. Inder Lal Chopra,H-8,Mukh Ram Garden,Tilak-Nagar,New Delhi-110018,have changed my name to Vinod Chopra,permanently 0040796256-4

I, Kavita Kaushik w/o Bijender Vats r/o F-93, Karampura, Delhi-110015 have changed my name to KAVITA permanently. 0040796148-2

I, Vishal Singhal S/o Rajinder R/o KA-22, First Floor, Kaushmabi, Ghaziabad, have changed my name to Vishal Gupta. 0040796278-1

व्यक्तिगत

I,Vikek Ralli,S/O.Virendra Kumar Ralli, R/O.802A, Gulmohar Garden, Plot.No.D-8,Sector-44,Noida, Gautam Budh-Nagar,Uttar Pradesh-201301,have changed my name to Vivek Ralli. 0040796254-1

I,Vedanta Shukla s/o Sagar Shukla R/o T7-1A,The Ozone Park Apartments,Sector-86,Faridabad-121002,Haryana have changed my name to Vedant Shukla permanently. 0040796284-2

I,Tayyab Hussain,s/o Kallu,R/o Majara,Hujara,Gadhaner, Bharatpur-321204,Rajasthan have changed my name to Taiyyab permanently. 0040796255-5

I,Surendra Kumar Pandey,S/o Ram Sabad Pandey Residing at 102,Pratap Khand,Vishwa Karma Nagar,Jhilmil Colony, Shahdara Delhi-110095,have changed the name of my minor son Chaksu Pandey Age-14years and he shall hereafter be known as Chakshu Pandey. 0040796252-6

I,Sunit Sehgal,S/o Moti Lal Sehgal R/o,H.No.-7,Road.No.-13,Punjabi Bagh-Extension, Delhi,have changed my name to Suneet Sehgal,for all,Purposes. 0040796254-4

I,Sheetal Chaudhary,W/o Pradeep Kumar,R/o-366-A, Shakti Khand,Indrapuram, Ghaziabad,UP have changed my name,from Sheetal Chaudhary to Sheetal Devi,for all,future purposes. 0040796256-7

I,Sharmishta Mandal,W/o-Rakesh Biswas,D/o-Govind Mandal,R/o-F216,UGF,Gali No.83,Mahavir Enclave,Part-3,Uttam-Nagar Delhi,have changed my name to Sharmishta Biswas,for all purpose 0040796256-9

I,Saziya Rehman,D/o Furkan R/o C-270,Block-C,Mulla Colony,Ghoroli Extension, Delhi inform tha Saziya Rehman & Sazia both,are one,& the same,person. 0040796270-1

I,Sarbjeet Kaur,W/O-Dilraj Singh R/O,A3/204,Olive County,Sector-5,Vasundhara Ghaziabad UP,Have Changed, My Name To Sarvjit Kaur. 0040796254-5

I,Sanjay Kumar,S/o-Ganga Bishan,R/o,H.No.S-2,West Jyoti-Nagar,Saba Pur,Delhi-110094,have changed my name to Sanjay Bansal. 0040796255-2

I,SANJEEV,S/O-NAKSHATRA BALEE,R/o.HOUSE.NO-1105 SECTOR-5 RK PURAM NEW DELHI-110022,HAVE CHANGED MY NAME FROM SANJEEV TO SANJEEV CHAUDHARY FOR ALL PURPOSES 0040796252-3

I,SANJEEV KUMAR JAIN,S/O VIJAY KUMAR JAIN R/O 1074, 2ND FLOOR MUKHERJEE NAGAR,DELHI-110009,HAVE CHANGED MY NAME TO SANJIV KUMAR JAIN. 0040796278-4

I,SAJILA D/O,RAFIQ,R/o 5859/5860,3rd Floor,Plot.Number 40 Basti Harphool Singh SADAR BAZAR,DELHI-110006,have changed my name to SAJELA D/O RAFIQ,for all,future Purposes. 0040796254-8

I,Rajpal S/o-Late Om Prakash, R/o-H.No.92,Nai Basti, Lampur,Narela, Delhi-110040, have changed my name from Rajpal Singh,to Rajpal,for all,future purposes. 0040796256-8

I,RINKU KUMAR,S/O YADRAM, R/O,RZ-57-F,Back-Side, Gali. No.07, Tughlakabad Extension, VTC:Alaknanda, PO: Kalkaji,Sub-District: Kalkaji, District:South-Delhi, State:Delhi-110019,have changed the name of my-minor son SHAURYA aged-13-year and he shall hereafter be known as SHAURYAVEER KUMAR. 0040796252-10

I,Pulkit Pal,S/o Raj Kumar Pal,R/o-G-221 Dutta, Regidency Street. No.14, Vishwas Park,Akash Hospital Uttam-Nagar D K Mohan-Garden,Delhi-110059,have changed my name to PULKITH PAL 0040796278-7

I,Pradeep Kumar Sharma,S/o (late) Sh.G C Upadhayaya,R/o, J-55, K.P.1,Sector-133,Noida, near J.P.Max hospital,U.P.,-201304,have changed my name,from P K Sharma to Pradeep Kumar Sharma. Henceforth I would be known by the name of Pradeep Kumar Sharma,for all,future purposes. 0040796252-4

I,Pradeep Chaudhary,S/o Khachedu Singh,R/o-366-A, Shakti Khand,Indrapuram, Ghaziabad,UP,have changed my name,from Pradeep Chaudhary to Pradeep Kumar,for all,future purposes. 0040796256-6

I,Parveer Kumar,S/O-Ram chander,R/O,House no.1,Janti kalan(52),Po-Janti kalan, Sonipat -131028,Have Change My Name Parveer Kumar To Parveen Kumar Permanently. 0040796254-2

I, Radhika Chaudhary Daughter of JC-773225X Sub Adesh Kumar at Unit 6602 Maint Flight c/o 56 APO PIN-926602, Vill- Kakripur Distt-Baghpat Uttar Pradesh Pin-250623 have changed my name from Radhika to Radhika Chaudhary 0040796151-1

I, Pardeep kumar goyal s/o Jagdish Chand goyal r/o c-94 upper ground floor Block c-3 Phase-2 Ashok vihar delhi-110052,have changed my name daughter name from vernika to vernika goyal 0070974502-1

I,Manju Rani Arora,W/o-Ajay Kumar,R/o 4/61,Subhash Nagar, Delhi-110027,have changed my name to Manju Arora. 0040796252-1

I,Mahavir Prashad,S/o-Ram Kumar Khemka,R/o,E-10 Rajan Babu Road,Adarsh-Nagar, Delhi-110033,changed my name to Mahabir Prasad Khemka. 0040796256-1

I,Mahavir Prashad,S/o Ram Kumar Khemka,R/o,E-10,Rajan Babu-Road,Adarsh-Nagar, Delhi-110033,changed my name to Mahabir Prasad Khemka. 0040796256-2

I,MOHD SAJID,S/O-MOHD FAROOQ,R/o-3545,GALI SANG-TARASH BARA HINDU RAO, DELHI-110006,have changed my name to MOHAMMAD SAJID,S/O-MOHD FAROOQ,for all,future Purposes. 0040796254-7

I,MAHIN MEHTAB, R/o.H.No.41, RASHIDA COTTAGE,J.N, OKHLA.New DELHI-110025, have changed my name to MAHIN AHMED.D/o. MUKHTAR AHMED. 0040796254-3

I,Kusum Sharma W/o Kuldeep Sharma R/o Manpura, Manpura Jhunjhunu, Rajasthan-333025,Declare that I have changed my name Kusum to "Kusum Sharma" for all future purposes. 0040796251-1

I,Junaid,S/o-Abdul Mustaq,R/o E-6,Street.No.1,Main Jeet Market 5th Pusta,Soniya Vihar,Karawal Nagar,Delhi-110094 have changed my name to Junaid Saifi. 0040796255-1

I,Hitherto Known as GADORI alias GADORI DEVI,D/o-RAM SINGH CHAUDHARY,W/O-Bhawani Singh Negi,R/O,RZ-19A,PALAM-VIHAR SECTOR-6 DWARKA,South West-Delhi, Delhi-110075,Have Changed My Name and shall Hereafter be Known as GADORI DEVI. 0040796252-9

I,Hitherto Known as BHAWANI SINGH NEGI alias BHAWANI SINGH,S/O-GOPAL SINGH NEGI, R/O RZ-19A,PALAM-VIHAR SECTOR-6,DWARKA, South-West Delhi,Delhi-110075,Have Changed My Name and shall Hereafter be Known as BHAWANI SINGH NEGI. 0040796252-8

I,Yogesh Kumar Garg,S/O Tek Chand,R/O-AO/03 Amrit Steel Compound SSGT-Road Ghaziabad UP,Have Changed, My Name,To Yogesh Kumar. 0040796254-6

I,Gayati,w/o.Shwain Giri,R/o. Subhasnagar, Jhitkipota, Nadia, West Bengal-741102, have changed my name to GAYATRI GIRI permanently. 0040796252-2

I,Diwakar,S/o-Pulin Mohan, R/o-A-479,Nehru-Vihar,Civil-Lines,Delhi-110054,declare that name of mine has been wrongly written as Diwakar Kumar in my Caste Certificate No.SC/01/11/2206/13/5/2005/10599/2022.Correct-name is Diwakar. 0040796254-10

I,Deepak Kumar Vedhvan,s/o,Nepal Singh Vedhvan,R/o,D-730/71,Gali.No-13,Ashok-Nagar, Shahdara, Mandoli,Saboli,Delhi-110093, have changed my name to Deepak Vedhvan, permanently. 0040796255-3

I,DHEERAJ SHARMA,S/O LATE SH. KALI RAM,R/O WZ-1454-B, RANI BAGH,DELHI-110034,have changed my name to MAHANT SHIV KUMAR. 0040796278-6

I,Beena Garg,w/o-Brijesh Kumar Garg,R/o,H No-539, Street.No-7, Block-A,Near-Dipti Nursing Home, East Gokul Pur,Delhi-110094,have changed my name to Veena Garg permanently. 0040796255-4

I,Arun Kumar,S/o-Shri Anoop Sharma,R/o-H.No.355 Ward No.4,Mehrauli New.Delhi-110030,inform that,in my,children education-record,and Aadhar,my name wrongly-mentioned as Arun Sharma instead,of Arun Kumar.My, correct name,is Arun Kumar. Both the,name Arun Kumar and Arun Sharma are,same and one,person. 0040796270-2

I,Amar s/o-Vijay Kumar Patil, R/O MCF-2708,Gali No.24,Sec-23, Sanjay-Colony,Faridabad-121005,have changed my name to Amar Patil permanently. 0040796256-3

I,Akansha w/o,Surya Prakash Singh,WZ-1234,KH 32/22,1st Floor,Front-Side,Palam Extn.,Sec-6, Dwarka,Delhi-110075,have changed my name to Akansha Kumari, permanently. 0040796256-5

I,Ajay Kumar,S/o Shri.Prem Chand,R/o 33/179, Block.No.33,Trilok Puri, Delhi-110091,have changed my name from Kishan Kumar Yadav to Sagar Yadav,for all future purpose. 0040796278-8

I, PRATHAM, S/o Satish Kumar, R/o H.No.684/20, Gandhi Colony, Panipat, Haryana-132103, have changed my name to PRATHAM KUMAR, for all future purposes. 0040796278-3

I, Nasim Siddiki S/o Yasin Sheikh R/o Amin Tola, Ward No-7, Bahurar, Dadri, Sitamarhi, Bihar-843333 have changed my name to Nasim Sheikh 0070974554-1

I, Mohammad Furqan S/o-Babu Khan R/o-R-168, First Floor, Flat No.103, Mannat Apartment, Gali No.6, Joga Bai Extension, Jamia Nagar, New Delhi-110025 have changed my name to Mohd Furqan for all purposes. 0040796160-1

व्यक्तिगत

I,Adeeb Atiq S/o-Mr. Mohd Atiq,R/o,1457,Rahat Manzil, Farash Khana,Delhi-110006, inform that in,my old passport.no A7166355, my name, has wrongly-written,as Adeeb son of Mr. Mohammad Atiq instead,of Adeeb Atiq,S/o-Mr. Mohd Atiq. 0040796284-1

I,AVNI D/o Suresh Kumar Pal R/o-H.No.317 Village Haider pur Shalimar Bagh Delhi-110088,have changed my name to AVNI SINGH PAL 0040796278-5

I,ASHA W/O-SHYAM SUNDER R/O-147,GROUND FLOOR, BHAI PARMANAND COLONY, DR. MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009,HAVE MY NAME TO ASHA CHUGH. 0040796278-2

I,ABHISHEK KUMAR F/O AVIKA R/O-2102 TOWER-1 M3M ESCALA SEC-70A, PALRA(164) GURGAON HARYANA-122101, HAVE CHANGED MY MINOR DAUGHTER NAME TO AVIKA SHARMA 0040796252-5

I, Sunil Arneja S/o M.S Arneja R/o H.No.340, Mandakini Enclave, Alaknanda, New Delhi-110019. My nickname in my house is Banti Arneja and my official name is Sunil Arenja. Both Banti Arneja & Sunil Arneja the same person 0040796155-1

I, Vimlesh Kumar Singh S/o Sh. Ram Nihora Singh R/o 2/17, Moulsiri Road, Shipra Sun City, Indirapuram, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201014 have changed the name of my minor daughter SUBHANGI SINGH aged 14 Years and she shall hereafter be known as SHUBHANGI SINGH. 0040796183-1

I, Varsha D/o Narender Kumar Chauhan R/o Plot No. 71, 1st Floor, Sector-1, Vaishali, Ghaziabad, UP-201010 have changed my name to VARSHA CHAUHAN for all future purposes. 0070974510-1

I, Swati goyel alias swati goel alias sonia alias sonia gupta w/oPardeep kumar goyal r/o c-94 upper ground floor Block c-3 Phase-2 Ashok vihar delhi-110052,have changed my name to swati goyal 0070974509-1

I, Surinder Kumar S/o Madan Lal Aggarwal R/o A-2649, Green Fields Colony, NHPC Colony, Faridabad-121010 have changed my name to Surender Kumar 0070974551-1

I, Shivkumari Jaysawal W/o Santram Jaysawal R/o 19/152, Sarai Rohilla, Old Rohtak Road, Delhi -110035 have changed my name to Shivkumari Jaiswal. 0040796164-1

I, Ritu Rani Jindal S/o Surender Kumar R/o A-2649, Green Fields Colony, NHPC Colony, Faridabad-121010 have changed my name to Ritu Jindal 0070974553-1

I, Rajat Verma S/o Narinder Bhushan R/o WZ110A, Lajwanti Garden, South West Delhi have changed my name to Rajathh Verma. 0070974516-1

I, Pardeep kumar goyal s/o Jagdish Chand goyal r/o c-94 upper ground floor Block c-3 Phase-2 Ashok vihar delhi-110052,have changed my name daughter name from paridhi to paridhi goyal 0070974503-1

I, Pardeep goyal alias pradeep goel s/o Jagdish Chand goyal r/o c-94 upper ground floor Block c-3 Phase-2 Ashok vihar delhi-110052,have changed my name to pardeep kumar goyal 0070974508-1

खोया+पाया

ORIGINAL 3 SALE DEED OF H.NO.146, F.F & SF PKT-17,SEC-24,ROHINI,DELHI-110085 AND H.NO.278,GF, PKT-7,SEC-24,ROHINI, DELHI-110085,has been Lost.Finder,Contact DEEPTI BHATIA at,above address/9871424973. 0040796278-9

PUBLIC NOTICE

My clientess Santosh Kataria W/o Late Sh. Kishan Lal Kataria R/o H.No. 37, A-2 Block, Gali No.10, West Sant Nagar, Burari, Delhi -110084, severed all her social relations with their son Bhanu Pratap S/o Sh. Late Kishan Lal Kataria, and daughter in law Smt. Anita Kataria, W/o Bhanu Pratap, due to their illegal, cruel behavior and disobedient. My clientess disowned them from her all movable and immovable properties. My clientess shall not be responsible for any act and conduct done by them. If anybody deals with her said son and daughter in law, they will do the same at their own risk and consequences.

VICKY KUMAR (ADVOCATE)
C-12/12, 1st Floor, MIG Flats, Sec-03, Rohini, Delhi-110085

सार्वजनिक सूचना

मेरी मुव्वकिला लक्ष्मी देवी उम्र 67 वर्ष पत्नी स्व० मूल चन्द निवासी एफ-9 गौतम नगर, एन्ड्रयुजगंज नई दिल्ली-110049 ने अपनी मर्जी से व सोच विचार करके अपने पुत्र अमित कुमार गौतम उम्र 41 वर्ष व पुत्रवधू मनीषा उम्र 33 वर्ष से सदैव के लिए सम्बन्ध विच्छेद कर लिये है। मेरी मुवकिला ने सम्बन्ध विच्छेद के साथ साथ उपरोक्त पुत्र अमित कुमार गौतम व पुत्रवधू मनीषा को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से सदैव के लिए बेदखल कर दिया है और अब मेरी मुव्वकिला उपरोक्त पुत्र व पुत्रवधू के किसी भी अच्छे बूरे कार्य के लिये भविष्य में जिम्मेदार नहीं होगी।

हस्ता/-
(तरुण लाल) एडवोकेट
चेम्बर नं 314,
पटियाला हाउस कोटर्स नई दिल्ली

PUBLIC NOTICE

Be it known to all public that my client **Mr. Dharam Singh** S/o Late Sh. Pillo Singh & **Mrs. Shashi** W/o Dharam Singh R/o A/19C Pul Prahladpur, New Delhi-110044 has disowned /debarred their Son namely **Ritik** from all their movable and immovable properties/assets and severed all relations due to his disobedience and bad behavior. My client's shall not be responsible for his any acts and deeds in any manner whatsoever.

Sd/-
SHASHI DHASMANA
Advocate
Ch. No.: 714, Lawyers Block, Saket Court Complex, New Delhi-110017

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को विदित हो कि मेरी मुव्वकिला अफरोज पत्नी स्व. अली हसन, निवासी गली नं. 4, कंचन पार्क, लोनी, लोनी देहात, गाजियाबाद, उ.प्र., ने अपने पुत्र शाहिद एवं इसकी पत्नी गुलफशा उर्फ गुड्डी व उनके बच्चों को अपनी हर चल व अचल संपत्ति से बेदखल कर दिया है और अपने समस्त रिश्ते नाते समाप्त कर लिये है क्योंकि वे मेरी मुव्वकिला के आज्ञाकारी नहीं रहे है और उनका व्यवहार मेरी मुव्वकिला एवं उसके परिवार के प्रति ठीक नहीं है, उनसे मेरी मुव्वकिला को खतरा है । अतः भविष्य में वे अपने समस्त कार्यों व लेन-देन के लिए स्वयं जिम्मेवार होंगे, मेरी मुव्वकिला व उसके अन्य परिवारजनों का कोई लेना-देना नहीं होगा!

जी० एल० गोस्वामी बी० के० यादव
एडवोकेट

सार्वजनिक सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है। कि मेरे मुवक्किल श्री रवि शंकर पिता श्री राम खिलाडी निवासी. आई 1/54, टॉप फ्लोर, बुध बिहार, फेस-1, दिल्ली-86 ने अपनी पत्नि नीतू व अपने पुत्र आर्यन व पुत्री सौरया उर्फ जिया को उनके गलत चाल चलन व अनुचित व्यवहार, अवज्ञाकारी होने तथा नियत्रंण से बाहर होने के कारण अपनी चल और अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है और भविष्य में उनके द्वारा किसी प्रकार के लेन देन एवम दीवानी फौजदारी मुकदमे आदि के लिये मेरे मुवक्किल और उनके परिवारजन जिम्मेदार नहीं होंगे।

हस्ता./-
विमल त्रिपाठी
एडवोकेट

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती आभा जोशी पत्नी श्री नागेन्द्र मोहन जोशी निवासी सी-55, वसंत विहार, दिल्ली रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, विक्रय विलेख पंजी. संख्या 16526, दिनांक 14.07.2011 के नाम से स्थित संपत्ति को दीमक ने काट लिया है तथा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया है और यदि किसी का कोई हित या दावा है तो वह इस नोटिस के जारी होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर नीचे हस्ताक्षरकर्ता को सूचित करें।

संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर 1109, 11वी मंजिल (छत के अधिकार के बिना), "अंतरिक्ष ग्रीन्स", प्लॉट नंबर GH-248, कौशाम्बी, गाजियाबाद, माप 120.77 वर्ग मीटर, जिसमें 75.90 वर्ग मीटर.

हस्ता./-
सुभाष गुप्ता एडवोकेट
Mobile No. 9910464710
mail ID:- sgupta1114@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

आम जनता को सूचित किया जाता है की मेरी मुवक्किल **श्रीमति सुमन देवी** पत्नी श्री प्रेम कुमार निवासी डी-284, इंदर एन्क्लेव-1, किराड़ी सुलेमान नगर, उत्तर पश्चिमी दिल्ली, दिल्ली-110086, ने अपने पुत्र **अमित कुमार** को उसकी पत्नी **अंजलि देवी** सहित उनके द्वारा किए गये दुराचरण, दुर्व्यवहार के कारण अपनी सभी चल-अचल संपत्ति से बेदखल कर सभी पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए हैं, और आज के बाद अमित कुमार और उसकी पत्नी का मेरी मुवक्किल तथा उनके परिवार के साथ कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा तथा अमित कुमार और उसके परिवार पर हुये लेन देन, पुलिस केस, मुकदमेबाजी आदि की जवाब देही मेरी मुवक्किल तथा उनके परिवार की नहीं होगी तथा इसके लिये भविष्य में वह स्वयं ही जिम्मेदार होंगे । **मनोज कुमार** (अधिवक्ता) चैंबर-1ई121 तीस हजारी कोर्ट, दिल्ली।

PUBLIC NOTICE

Know All Men that my clients - **Mrs Raksha Devi** W/o Ram Kumar R/O 167-A, Pocket A, Mayur Vihar Phase II, Delhi-91 And **Ram Kumar** S/O Late Tara Mani R/O Vpo: Bhatoli Phakorian, Distt. Kangra, Himachal Pradesh-26 - due to recent inappropriate/disrespectful/ungrateful behaviour, extreme greed and highly Self-Centred approach of their Son **Vikas Kumar** & his wife **Pooja Panwar;** have severed all relations with them and hereby Disown/Disentitle **Vikas Kumar** from all their Movable/Immovable Properties. My Clients shall henceforth not be liable for any Acts, Deeds and Things done by their above-said Son and Daughter-in-Law.

Sd/-
V.K. DAWAR,
Advocate
71-A, POCKET A, MAYUR VIHAR PHASE II, DELHI-110091
(MOBILE: 9811033609)

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client **Sh. Sanjiv Nanda** S/O Sh. Basant Nanda R/O D-2/75, Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi 110059, has disowned and debarred his son **Sh. Dikshant Nanda** and daughter in law **Smt Sanjana Nanda,** from all rights and interest in his movable and immovable property and also has severed all connections with them from today, as they are no longer residing with my client and have no concern. In case anybody dealing with them, will do that at his own risk, cost and consequence. My client shall not be responsible in any manner for any deed, act and conduct done by the abovesaid persons..

Sd/-
PIYUSH GOEL
Advocate
Enrl. No. D/4026/2018
Off.: F-611, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my clients Nanak Chand and Santosh Devi Both R/o H.No.22, Gali No.9, Block-B, West Karawal Nagar, Saba Pur, Delhi-110094, have severed all their relations with their son Deepak Kumar and his wife Gargi Arya have disowned/debarred him (Deepak Kumar) and his wife (Gargi Arya), from their all movable and immovable property & assets forever. Henceforth my clients shall not be responsible for any of their acts, deeds and deals. In case any body deals with them in any matter shall do so at their own risks and responsibility.

Sd/-
SANDEEP SHARMA
Ch. No.505, Patiala House Court, New Delhi-110002.

PUBLIC NOTICE

For & on behalf of my client ANJANI KUMARI W/o Anil Kumar Pandey & ANIL KUMAR PANDEY S/o Mohan Gopal Pandey R/o Plot No.-213, Second Floor, Back Side Block-R, Mohan Garden, Uttam Nagar, New Delhi 110059, I served Public Notice that my client severed their relation from their son PIYUSH RAJ and dewar him from their properties both movable & immovable for all intents and purposes. My client will not be responsible for his acts. Any one dealing with him shall do at his own risks.

Shivam Priyadarshi (Advocate)
B-5, Besment, Suneja Tower-1 District Center, Janakpuri New Delhi-59, Mob-9810721980

PUBLIC NOTICE

Public At large hereby informed that my clients Sh. Kanshi Ram S/o Lt. Sh. Bhola Ram, and his wife Smt. Satto Devi both R/o House No.-208/5, Ambedkar colony, Haiderpur, North-West, Delhi-110088, has debarred and disowned their younger son namely Sh. Prem Prakash (UID No.- 537011492424), aged 38 years and his wife namely Ms Sakshi (UID No.- 506625372840), from all their moveable and immoveable properties due to their adamant, arrogant and disrespectful behaviour and also severed all their relations with them, If anybody deals with them in any manner, he/she shall do so at his/her own risk, costs and consequences. My above said clients shall not in any manner be liable and responsible for the same.

Deepak Kumar (Advocate)
Off: Residence: H.No. 202/3, Ambedkar Colony, Haiderpur, Delhi-110088

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public at large that my client Smt. Poonam Nanda W/O Sh. Sanjiv Nanda R/O D-2/75, Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi 110059, has disowned and debarred his son Sh. Dikshant Nanda and daughter in law Smt Sanjana Nanda, from all rights and interest in his movable and immovable property. My client has also severed all connections with them, as they are no longer residing with my client and have no concern or association from today.

Also my client firm namely Tuscan Elevator Services & Trading, registered at D-2/75, Jeewan Park, Uttam Nagar, Delhi 110059, is entirely independent and has no connection, association, or relationship whatsoever with Tuscan Elevator Systems. It is further clarified that both the firms are separately owned and operated by different proprietors. As such, Tuscan Elevator Services & Trading shall not be held liable for any obligations, representations, liabilities, or debts incurred by any individual or business misusing its name or falsely claiming association.

Sd/-
PIYUSH GOEL
Advocate
Enrl. No. D/4026/2018
Off.: F-611, Sector-7, Dwarka, New Delhi-110045

सार्वजनिक सूचना

संपूर्ण जनता को सूचित किया जाता है कि श्री सुरिंदर पाहुजा, पुत्र स्वर्गीय श्री नारायण दास पाहुजा, ने यह अभ्यावेदन किया है कि वे सम्पूर्ण प्रथम तल (छत के अधिकारों के बिना), साथ ही स्टिल्ट पार्किंग में एक कार पार्किंग स्थल तथा संपत्ति संख्या बी-27, फ्रेंड्स कॉलोनी (पश्चिम), नई दिल्ली नीचे की भूमि में 18% स्वामित्व अधिकारों सहित, के पूर्ण स्वामी हैं, एवं उक्त संपत्ति को श्री नागेश, पुत्र श्री साधु शरण, को विक्रय करने का इरादा रखते हैं, जिन्होंने इसे भारतीय स्टेट बैंक के पास गिरवी रखने का प्रस्ताव दिया है। यह कि हस्तांतरण विलेख दिनांक 15.09.2011 कांता सेठी, सुधीर सेठी, नवीना सेठी, मास्टर प्रथम सेठी और सुश्री काव्या सेठी के पक्ष में, बिक्री विलेख दिनांक 15.10.2011 श्री अजय शर्मा और श्रीमती शालिनी शर्मा के पक्ष में और बिक्री विलेख दिनांक 19.06.2012 श्री अजय शर्मा और श्रीमती शालिनी शर्मा के पक्ष में, सत्यापन हेतु अनुपलब्ध (अप्राप्य) माने जा रहे हैं। यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त दस्तावेजों के बारे में कोई जानकारी हो अथवा उक्त संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति या स्वार्थ हो, तो वह इस प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेजों सहित अपनी आपत्तियाँ नीचे हस्ताक्षरकर्ता को ईमेल द्वारा (sbi.63802@sbi.co.in) या दूरभाष संख्या +91-9717215434 पर प्रस्तुत कर सकता है।

SHALABH GUPTA, ADVOCATE
ENRL. NO. D/600/2013

PUBLIC NOTICE

Public In General, is hereby informed that my client Dr. Sh. Praveen Arora, S/o Late Sh. B.D. Arora, R/o KD-15A, Ashok Vihar, Phase-1, Delhi-110052 is the owner of the **Shop No. AD-5, LSC, DDA Market, Shalimar Bagh, Delhi** vide registered will dated 10.01.2019 which was registered before the Sub Registrar VI A, Delhi having registration no. 145, Book No.3, Volume No. 588, Page No. 110 to 113. One Civil suit bearing CS No.98/2023 having title as **"Dr. Praveen Arora versus Pradeep Arora & Anr."** is also pending in the Rohini Court and vide order dated 14.03.2023, the Hon'ble Court has directed no third party interest in the title of the suit property be created. The suit **property also include the property i.e. Shop No. AD-5, LSC, DDA Market, Shalimar Bagh, Delhi.** Hence, General public is informed not to deal with Pradeep Arora or any other person claiming about the property **Shop No. AD-5, LSC, DDA Market, Shalimar Bagh, Delhi.** Any person dealing with them shall do the same at his/her own risk, peril and consequences and my client will not be responsible for his/their acts and deeds in any manner whatsoever.

Sd/-
VIKAS SHARMA
Advocate
Ch. No. B-94-95, B.G.S. Block, Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

Mr. Rajesh Rustagi has approached the ICICI Bank Ltd., Mohan Co-operative, New Delhi (Bank) to avail a Loan for purchase of First Floor of Property No. E-29, adm 200 sq. yds., Greater Kailash Enclave-I, New Delhi from Mrs. Gurdip Kaur who has represented that she is the absolute owner of the said property by virtue of Relinquishment Deed dated 16.02.2024 (Document No. 2024/7/I/1241). If anybody, person, body corporate has any right, lien or claim whatsoever on the said Property, then he/she/it may contact the undersigned with documentary proof of claim within 15 days of publication of this notice, otherwise it shall be deemed that either there are no claims or the same have been waived off. No claim or objection shall be entertained thereafter and Bank shall proceed to advance the loan on mortgaging of the said property.

Amit Kumar, Advocate
GNA & Associates
D-28, Jangpura Extension, New Delhi-110014.

सार्वजनिक सूचना

एतद्द्वारा बड़े पैमाने पर जनता को सूचित किया जाता है कि फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या 1/134, कीर्ति नगर, नई दिल्ली, वर्तमान में श्री संदीप चढ़ियोक और श्री संजीव चढ़ियोक के स्वामित्व और कब्जे में है, और त्याग विलेख के आधार पर पंजीकरण संख्या संख्या 2025/22/1/4177, दिनांक 03.04.2025 के तहत विधिवत पंजीकृत है, और इसे भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आर.ए.सी.पी.सी., नारायणा, नई दिल्ली में सुरक्षा के रूप में पेश करने का प्रस्ताव है और वर्तमान मालिक के संस्करण के अनुसार उक्त संपत्ति सभी प्रकार के भार से मुक्त है। (1) मूल बिक्री विलेख दिनांक 19.06.1964 पुनर्वास आवास निगम लिमिटेड द्वारा श्री जीवन सिंह के पक्ष में निष्पादित, पंजीकृत संख्या 7961, दिनांक 25.06.1964 (केवल पंजीकरण पृष्ठ खो गया है, बाकी बिक्री विलेख मूल रूप में उपलब्ध है) (2) मूल बिक्री विलेख दिनांक 20.06.1966 श्री शंकर दास द्वारा श्रीमती कौशल्या रानी के पक्ष में, रजिस्टर्ड संख्या 10196, दिनांक 25.06.1966 के तहत विधिवत पंजीकृत है, के खो जाने की सूचना एल.आर. संख्या 2940972/2025, दिनांक 23.06.2025 के अनुसार अपराध शाखा, दिल्ली पुलिस के साथ दी गई है।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति और/या बैंक, वित्तीय संस्थान का कोई भी दावा करने वाला लाभार्थी, किसी भी आरोप, ब्याज या ग्रहणाधिकार या दावे और/या उस पर आपत्ति है, तो वह इस सार्वजनिक नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी सबूत/अदालत के फैसले के साथ अधोहस्ताक्षरी को इसकी सूचना दे सकता है। ऐसा न करने पर किसी भी आगे/भविष्य के दावे आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और और मेरा ग्राहक एसबीआई के साथ न्यायसंगत / पंजीकृत बंधक बनाने के लिए स्वतंत्र है।

सत्येंद्र यादव (अधिवक्ता)
चैंबर नंबर 561, 5वी मंजिल, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली, मोबाइल 9711212421
ई-मेल: satender175@gmail.com

सार्वजनिक सूचना

बड़े पैमाने पर आम जनता को सूचित किया जाता है कि पूरी संपूर्ण तृतीय तल छत के अधिकारों सहित, फ्रीहोल्ड संपत्ति संख्या 76, पॉकेट 1, क्षेत्रफल 250.14 वर्ग मीटर, जसोला, नई दिल्ली, वर्तमान विक्रेता के स्वामित्व में है और बिक्री विलेख के आधार पर कब्जे में है, जो पंजीकृत संख्या 2024/10/1/6825, दिनांक 30.09.2010 के तहत विधिवत पंजीकृत है और इसे भारतीय स्टेट बैंक, शाखा आर.ए.सी.पी.सी., साउथ एक्सटेंशन-1, नई दिल्ली के पास सुरक्षा के रूप में बंधक रखने का प्रस्ताव है और वर्तमान मालिक(ओं) के बयान के अनुसार उक्त मंजिल की संपत्ति सभी प्रकार के भार से मुक्त है सिवाय इसके कि वर्तमान में फ्लोर संपत्ति बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पास बंधक है।। वर्तमान खरीददार ने उल्लेख किया है कि (1) मूल डिमांड नोटिस (सफल बोलीदाता पत्र) दिनांक 03.09.2002 डी.डी.ए. द्वारा श्री धीरज मक्कड़ के पक्ष में जारी (2) मूल पत्र कब्जा सौंपने/लेने का दिनांक 10.02.2004 डी.डी.ए. द्वारा श्री धीरज मक्कड़ के पक्ष में जारी को (3) मूल सतत लीज दिनांक 26.03.2004 डी.डी.ए. द्वारा श्री धीरज मक्कड़ के पक्ष में निष्पादित संख्या 11571, दिनांक 28.03.2004 (4) मूल बिक्री विलेख दिनांक 09.02.2010 श्री धीरज मक्कड़ अपने अटॉर्नी द्वारा श्री जगदीश चंद्र के माध्यम से श्रीमती मनप्रीत कौर और श्री जगदीश चंद्र के नाम निष्पादित, पंजीकृत संख्या 1973, दिनांक 09.02.2010 के खो जाने की सूचना एल.आर. संख्या 2941602/2025, दिनांक 23.06.2025 को पी.एस. क्राइम ब्रांच, दिल्ली के साथ दी गई है।

एतद्द्वारा यह अधिसूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति और/या बैंक, वित्तीय संस्थान, वसीयत/वसीयत के लाभार्थी (यों) का कोई दावा, कोई प्रभार, ब्याज या ग्रहणाधिकार या दावा और/या आपत्ति है, तो वह/वे इस सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर दस्तावेजी सबूत/न्यायालय के फैसले के साथ नीचे हस्ताक्षरकर्ता को इसे दर्ज/अधिसूचित कर सकते हैं, अन्यथा कोई भी आगे का/भविष्य का दावा/आपत्ति अस्वीकार कर दी जाएगी और और मेरा ग्राहक एस.बी.आई. के साथ न्यायसंगत/पंजीकृत बंधक बनाने के लिए स्वतंत्र है।

सत्येंद्र यादव (अधिवक्ता)
चैंबर नंबर 561, 5वी मंजिल, साकेत कोर्ट, नई दिल्ली, मोबाइल 9711212421
ई-मेल: sbi.16683@sbi.co.in

PUBLIC NOTICE

Sale of Residential LIG Flat Bearing No. 45-B, Pocket A, First Floor situated at Rampura, New Delhi (Herein after referred as the "said property").

Notice is hereby given to the General Public that my client(s) intends to purchase the above said property from Shalini Singhal. In the chain of property papers, Ajay Kumar Sehgal inherited the property after the demise of his father Late Tilak Raj Sehgal. Surviving Members certificate & Relinquishment deed in favour of Ajay Kumar Sehgal found to be missing.

That my client(s) is/are availing the loan to purchase the said property from **HDFC Bank Ltd.** and the said property would be the security to the loan availed by them. If any person including banks, financial institutions or any other person, relative, organization, company, firm or government authority having any claim, right, title or any interest of any nature whatsoever into or upon the above-referred property, is hereby called upon to make the same known, in writing with documentary evidence by registered AD Post to the undersigned at the address mentioned herein below to the undersigned failing which the same shall be deemed to have been waived and/or abandoned. In the event of no response being received to this notice, the purchase and further mortgage of this property shall be completed by our client and its client without any reference to and without in any manner being affected by any such right title, interest or claim whatsoever.

MANISHA CHAUDHARY, ADVOCATE
JUS LEGALIZ
210, VARDHMAN STAR CITY MALL (NEAR RAMPHAL CHOWK) SECT-7 DWARKA NEW DELHI-75, 011-45606363, 9899006723

PUBLIC NOTICE

It is hereby informed to the General Public that (1) Sh. Krishan Avtar Gupta (2) Sh. Rajeev Aggarwal (3) Sh. Ganesh Dutt Sharma (4) Sh. Naresh Kumar Kathuria have purchased Flat No. C-15-F, Delhi Police Apartments, Mayur Vihar Phase-1, Delhi-110091 from Ms. Mamta Tyagi, W/o Sh. Mastram & D/o Sh. Jitendra on 20th January, 2025, by virtue of Sale Deed duly Regd. in the Sub-Registrar concern.

That the aforesaid Ms. Mamta Tyagi alias Mamta was the owner of the aforesaid Flat virtue of Regd. Will Deed executed on 27.05.2023, (duly Regd.) executed by Mr. Vinod Tyagi, and Mr. Vinod Tyagi has expired on 04/12/2024.

In this regard if anyone have any objection, then file his/her claim within 15 days from the issue of this Publication.

Inder Kumar Kathuria, Advocate
Delhi High Court
Mobile: 9871966844
Enrl. No. D-2030/99

PUBLIC NOTICE

The General Public is hereby informed that the property No. 12/74, 3rd Floor, Geeta Colony, Delhi-110031 measuring 100 square yards ("the said property") is belonging to the undersigned.

Based on some forged and fabricated documents (1) Deepak Kumar son of Late Shri Raj Kumar, resident of 9/3187, Gali No. 5, Dharampura, Gandhi Nagar, Delhi-110031 (2) Smt. Sunita Gupta wife of Shri Pawan Kumar and (3) Shri Rahul son of Shri Pawan Kumar (Tenants over the said property) are trying to grab / create third party interest / sale the said property. In this regard complaint vide Diary No. G27/SHO/GC dated 19/06/2025 is already given to the Police Station Geeta Colony, Delhi.

Notice is hereby given to the public in general not to deal with the said property in any manner whatsoever with anyone except the undersigned.

Sd/-Gaurav Kumar son of Shri S.P. Ram resident of B-3/40, Vinay Khand, Gomati Nagar, Lucknow, Uttar Pradesh-226010 through his Special Power of Attorney Shri Vinod Kumar Chawla son of Shri Amar Nath Chawla, R/o 12/191, Geeta Colony, Delhi-110031.

Sd/-
Pallavi Daem
Advocate
12/48, Geeta Colony, Delhi-31

'विपक्ष को महत्त्व नहीं देना जनता बर्दाश्त नहीं करेगी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सर्वदलीय बैठकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शामिल नहीं होने को लेकर सोमवार को उन पर विपक्ष को महत्त्व नहीं देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यदि प्रधानमंत्री विपक्ष को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, तो जनता इसे सहन नहीं करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार को ईरान और इजरायल संघर्ष रुकवाने का प्रयास करना चाहिए था।

खरगे कर्नाटक के रायचूर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज देश कठिन दौर से गुजर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जहां पूरे देश और सशस्त्र बलों ने देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम किया, वहीं कुछ लोगों ने व्यक्तिगत श्रेय लेने की कोशिश की। खरगे ने सीधे तौर पर किसी का नाम लिए बिना कहा कि अगर उन्होंने कैप्टन, कर्नल या लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में सेना में काम किया होता, तो हमने अच्छा काम करने और देश की खातिर लड़ने के लिए उनकी सराहना की होती लेकिन ऐसा नहीं है।

उन्होंने इस कार्यक्रम में कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी और रायचूर विश्वविद्यालय के नामकरण समारोह की अध्यक्षता की। खरगे ने कहा कि कांग्रेस पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक की मांग करने वाली पहली पार्टी थी। उन्होंने कहा कि बैठकें दो बार बुलाई गईं, लेकिन प्रधानमंत्री दोनों अवसरों पर भाग लेने में विफल रहे। उन्होंने सवाल किया कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वह उसमें शामिल क्यों नहीं हुए। उन्होंने कहा कि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के नेताओं ने बैठक में शामिल होने के लिए महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम छोड़ दिए, फिर भी प्रधानमंत्री ने देश में होने के बावजूद इसमें शामिल नहीं होने का फैसला किया।

आमदनी ठहरी, महंगाई बेलगाम है : राहुल गांधी

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि रोजगार ठप्प है, आमदनी ठहरी है और महंगाई बेलगाम है। घर और गाड़ी बना दूर का ख्वाब, ऊपर से घर चलाने का आर्थिक दबाव है। यह बयान राहुल गांधी ने अपने वीडियो चैनल पर जारी किया। उन्होंने कहा कि 'नए भारत' में आम लोग नए घर नहीं खरीद पा रहे - यह सिर्फ चिंता नहीं, चेतावनी भी है। राहुल गांधी ने एक रपट के हवाले से कहा कि दुपहिया बिक्री में 17 फीसद और कार बिक्री में 8.6 फीसद की गिरावट के बाद अब घरों की बिक्री भी गंभीर रूप से गिर रही है।

वर्ष 2021 की तीसरी तिमाही के बाद पहली बार देश के नौ प्रमुख शहरों में आवास ब्रिकी एक लाख यूनिट से नीचे गिर गई हैं । यह गिरावट पिछले साल के मुकाबले घरों की बिक्री में 19 फीसद की गिरावट आई और नई आपूर्ति में 30 फीसद से ज्यादा गिरावट हुई। उन्होंने सवाल किया कि बाजार सूने हैं - तो विकास किसके लिए हुआ? जवाब साफ है देश से विश्वासघात है। केंद्र सरकार आपकी जेबें खाली कर खुद के प्रचार की दुकान चमका रही है। सच्चाई आप खुद बेहतर समझते हैं क्योंकि आंकड़ों से ज्यादा सच आपके अनुभव बयां करते हैं।

वहीं, राहुल गांधी ने सोमवार देर रात ओड़ीशा घटना के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की । राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा कि ओड़ीशा में दो दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं, बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। राहुल गांधी ने मांग की कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये घटना उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। दलितों की गरिमा को रौंदने वाली हर घटना, बाबा साहेब के संविधान पर हमला है - बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही हैं।

Why Pay Lacs in fee when you can have much better Classes in just ₹20K*

INSIGHT IAS
Announces New Batches of
GS FOUNDATION COURSE
Pre-Cum-Mains Test Series
Essay Test Series
Learn from India's Best Faculties

S. BALIYAN (History & Ethics) | ABHAY THAKUR (Polity & IR) | RAMESH SINGH (Economy) | PRINCE VERMA (Geography)
PAVAN KUMAR (Gov. & Ethics) | SOMASHEKHAR (Art & Culture) | DR. NIRANJAN (Science & Tech.) | S. RISHIKESH (Ecology & Envt.)

Compare GS Team & Fee of INSIGHT IAS with Other Institutes before Joining Anywhere
First Batch - Admission Closed
SECOND BATCH COMMENCES 6 JULY, 2025
HISTORY Optional
Under the Personal Guidance of
S. BALIYAN SIR
OFFLINE & ONLINE MODES
INSIGHT DELHI
73, Old Rajinder Nagar, New Delhi - 110060
Ph.: 011-45090051, 9818333201, 9871216382
WEBSITE : INSIGHTDELHI.COM

खबर कोना

वंदे भारत ट्रेन में हुए विवाद के मामले में भाजपा विधायक को नोटिस जारी किया गया

लखनऊ, 23 जून (भाषा)।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की उत्तर प्रदेश इकाई ने नई दिल्ली-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच हुए विवाद के सिलसिले में झांसी जिले के बबीना से भाजपा विधायक राजीव सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। 22 जून को जारी नोटिस में प्रदेश भाजपा महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला ने कहा कि सोशल मीडिया और मीडिया से ट्रेन में आपके व्यवहार के बारे में जानकारी मिली है। आपके व्यवहार से पार्टी की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के निर्देशानुसार आपको कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आप सात दिन के भीतर भाजपा प्रदेश कार्यालय में अपना स्पष्टीकरण दे सकते हैं। स्पष्टीकरण मिलने में देरी होने और संतोषजनक जवाब न मिलने की स्थिति में पार्टी कड़ी कार्रवाई करेगी। अधिकारियों ने शुक्रवार को बताया कि नई दिल्ली-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों के बीच हुए विवाद के सिलसिले में भाजपा विधायक राजीव सिंह ने यहां एक असंज्ञेय रपट दर्ज कराई है।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी को सौंपा ज्ञापन

वाराणसी, 23 जून (जनसत्ता)।

काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों ने सोमवार को शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के वाराणसी आगमन पर उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। जिसमें विश्वविद्यालय से जुड़े प्रशासनिक, शैक्षणिक और चिकित्सा से जुड़े मुद्दों को उठाया गया। छात्रों ने बीएचयू में स्थायी कुलपति की नियुक्ति, चौधरी चरण सिंह के आर्थिक विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करने और सर सुंदरलाल अस्पताल व ट्रामा सेंटर में व्याप्त भ्रष्टाचार और प्रशासनिक अराजकता से उन्हें अवगत कराया। जयंत चौधरी ने कहा कि बीएचयू के कुछ लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, उन्होंने बीएचयू में सुधार की कुछ मांग की है, हम मंत्रालय की ओर से उन समस्याओं को दिखवाएंगे। बता दें कि पिछले पांच महीनों से बीएचयू में कार्यवाहक कुलपति कार्यभार संभाल रहे हैं। छात्रों ने जल्द से जल्द स्थायी कुलपति की नियुक्ति की मांग की। साथ ही भ्रष्टाचार की जांच रपट सार्वजनिक करने की भी मांग की गई।

बच्ची ने मुख्यमंत्री से लगाई स्कूल में प्रवेश की गुहार, हुआ दाखिला

लखनऊ, 23 जून (भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' में सोमवार सुबह एक बच्ची ने उनसे स्कूल में प्रवेश दिलाने का अनुरोध किया और दोपहर तक उसका दाखिला हो गया। 'जनता दर्शन' में मुरादाबाद की एक बच्ची ने मुख्यमंत्री से कहा कि मैं स्कूल जाना चाहती हूं और आप स्कूल में मेरा दाखिला करा दीजिए। मुख्यमंत्री ने उसके अनुरोध पर ध्यान दिया और दोपहर ही उसका प्रवेश मुरादाबाद के सीएल गुप्ता वर्ल्ड स्कूल में हो गया। विद्यालय प्रशासन ने तत्काल इसकी जानकारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भी दे दी। एक बयान के अनुसार सोमवार को योगी आदित्यनाथ के सरकारी आवास पर 'जनता दर्शन' के दौरान मुरादाबाद की वाची (05) उनके पास पहुंची। हर एक फरियादी के पास पहुंच रहे मुख्यमंत्री जब इस बच्ची के पास पहुंचे तो उसे देख सबसे पहले हालचाल पूछा, फिर उसका प्रार्थना पत्र लिया और पढ़ा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पूछा कि तूम स्कूल नहीं जाना चाहती हो। इस पर बच्ची बोली कि मैं स्कूल जाना चाहती हूं।

मेरठ मेडिकल कालेज में किशोरी से बलात्कार, आरोपी गिरफ्तार

मेरठ, 23 जून (जनसत्ता)।

लाला लाजपत राय मेडिकल कालेज के हड्डी रोग वार्ड में पैर के आपरेशन के लिए भर्ती एक किशोरी से एक अन्य मरीज के तीमारदार ने बलात्कार किया। पुलिस ने 15 वर्षीय पीड़िता की मां की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को रविवार रात गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि घटना को मेडिकल कालेज प्रशासन छिपाए रहा।

जानकारी के अनुसार, पीड़िता को 20 जून को पैर की सर्जरी के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया था। इसी वार्ड में उत्तराखंड के काशीपुर निवासी मोहित नामक युवक भी भर्ती था। पीड़िता की मां के मुताबिक घटना की रात किशोरी शौचालय गई थी, जहां मोहित के भाई रोहित ने उससे दुष्कर्म किया और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। किशोरी ने डर के चलते दो दिन तक कुछ नहीं बताया लेकिन उसने रविवार शाम अपनी मां को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मेडिकल थाने में तहरीर दी गई।

मेडिकल थाना प्रभारी शीलेश कुमार यादव ने बताया कि आरोपी रोहित (20) को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, किशोरी की मां ने बताया कि पुलिस ने मौके पर आकर जांच की और किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कर घर भेज दिया। घटना को मेडिकल कालेज प्रशासन छिपाए रहा। शाम को पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। अपर पुलिस अधीक्षक (नगर) आयुष विक्रम सिंह ने बताया कि मामले में ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों की भूमिका की जांच की जा रही है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी मुठभेड़ में पकड़ा गया

बरेली, 23 जून (जनसत्ता)। थाना इज्जतनगर पुलिस ने किशोरी से छेड़छाड़ और उसे जान से मारने की धमकी देने के आरोपी को मुठभेड़ में जख्मी करके गिरफ्तार किया है। क्षेत्राधिकारी तृतीय पंकज श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए आरोपी का उपचार कराने के बाद सोमवार को जेल भेजा गया है। पुलिस के मुताबिक कोचिंग आते-जाते समय एक शोहदा नाबालिग छात्रा का पीछा करके उसे परेशान करता था। विरोध करने पर वह छात्रा को जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की थी। कोचिंग संस्थान के आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगालकर आरोपी की पहचान मुसब्बिर के रूप में की गई। पुलिस कार्रवाई की भनक लगने पर आरोपी मोटरसाइकिल से शहर से बाहर भागने लगा। मुखबिरों की सूचना पर पुलिस ने कर्मचारीनगर की कशमीर कोठी के पास आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से एक तमंचा, दो कारतूस और बिना नंबर प्लेट की मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

इटावा में दो कथावाचकों से की अभद्रता, चार आरोपी पकड़े गए

इटावा, 23 जून (जनसत्ता)।

बकेवर क्षेत्र के दादरपुर गांव में कथावाचक मुकुट मणि ओर संत कुमार के साथ अभद्रता का मामला सामने आया है। आरोप है कि कथा वाचक की जाति यादव होने के कारण उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं, समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक और अन्य पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर मामले में कठोर कार्रवाई करने की मांग की है।

कथावाचक मुकुट मणि ओर संत कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दादरपुर गांव में अपनी मंडली के साथ भागवत कथा कहने गए थे। कथा के दरम्यान संस्कृत के श्लोक अटकने के दौरान आयोजक मंडल में शामिल लोगों ने जाति पूछी। उसके बाद यह कहना शुरू कर दिया कि यादव कैसे कथा वाचन कर सकता है। यह कहते हुए उनके साथ मारपीट की गई और सिर के बाल भी काट डाले गए।

संत कुमार ने बताया कि आरापियों ने उनके साथ मारपीट तो की ही है उनके गहने और पैसे भी लूट लिए। साथ ही उनके वाद्य यंत्र आदि तोड़ दिए। मामले में कई वीडियो सोशल मीडिया में प्रसारित हो रहे हैं। सोमवार दोपहर बाद पीड़ित मुकुट मणि और संत कुमार समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव गोपाल यादव, सांसद जितेंद्र दोहरे, भरथना विधायक राघवेंद्र गौतम, सपा जिला अध्यक्ष प्रदीप शाक्य व यादव महासभा से जुडे हुए प्रतिनिधियों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव से मिले और उन्हें घटना से अवगत कराया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मामले में आशीष तिवारी, उत्तम अवस्थी, प्रथम दुबे, निक्की अवस्थी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मामले की जांच अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्रीचंद को सौंपी गई है।

> ***कथावाचक*** मुकुट मणि ओर संत कुमार ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि वह दादरपुर गांव में अपनी मंडली के साथ भागवत कथा कहने गए थे। ***कथा*** के दरम्यान संस्कृत के श्लोक अटकने के दौरान आयोजक मंडल में शामिल लोगों ने जाति पूछी। उसके बाद यह कहना शुरू कर दिया कि यादव कैसे कथा वाचन कर सकता है।

दौरा वाराणसी आगमन पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य।

'दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्र-निर्माता थे श्यामा प्रसाद'

लखनऊ, 23 जून (भाषा)।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सोमवार को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने मुखर्जी को 'भारत माता का महान सपूत', एक दूरदर्शी नेता और एक ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी बताया जिसने अखंड भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया। योगी आदित्यनाथ ने संघ के विचारक मुखर्जी के 'बलिदान दिवस' पर लखनऊ में आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में भाग लिया। उनके साथ भाजपा प्रदेश इकाई के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, वरिष्ठ नेता दिनेश शर्मा और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष और भारत माता के महान सपूत डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि है। वर्ष 1953 में आज ही के दिन उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी।मुख्यमंत्री ने मुखर्जी को दूरदर्शी स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद् और राष्ट्र निर्माता बताते हुए स्वतंत्र भारत में कैबिनेट मंत्री के रूप में देश के औद्योगिक और खाद्य नीति को आकार देने में उनकी भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि मुखर्जी ने खासकर कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रीय अखंडता से समझौता करने के प्रयासों का विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुखर्जी ने उस समय जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 और परमिट प्रणाली का कड़ा विरोध किया था। उन्होंने कहा कि जब 1950 में संविधान लागू हुआ और 1952 के चुनावों के बाद अनुच्छेद 370 लागू किया गया तो मुखर्जी ने अपनी आवाज बुलंद की और 'एक राष्ट्र, एक नेता, एक कानून' की बात की।

मुखर्जी को बिना परमिट के कश्मीर में प्रवेश करते समय गिरफ्तार किया गया और 23 जून 1953 को हिरासत में उनकी मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री ने कहा, 'एकीकृत भारत के उनके सपने को साकार करने में 65-66 साल लग गए। आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनुच्छेद 370 को पांच अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया। जम्मू-कश्मीर अब भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ जुड़ गया है और एक भारत, श्रेष्ठ भारत के दृष्टिकोण को साकार कर रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म छह जुलाई 1901 को हुआ था। वह बैरिस्टर और शिक्षाविद् थे। वह 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने। उन्होंने कुछ समय के लिए बंगाल के वित्त मंत्री और बाद में नेहरू मंत्रिमंडल में उद्योग और आपूर्ति मंत्री के रूप में कार्य किया, 1950 में दिल्ली समझौते के कारण उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा।

> ***मुख्यमंत्री*** ने मुखर्जी को 'भारत माता का महान सपूत', एक दूरदर्शी नेता और एक ऐसा कट्टर राष्ट्रवादी बताया जिसने अखंड भारत के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक के लिए अमित शाह पहुंचे वाराणसी

वाराणसी, 23 जून (जनसत्ता)।

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार शाम दो दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। यहां लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाह का स्वागत किया। शाह वाराणसी में अपने दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन मंगलवार को मध्य क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। सोमवार शाम सभी अतिथि काशी कोतवाल काल भैरव और बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक 24 जून को पूर्वाह्न करीब 11 बजे से दो बजे तक ताज होटल में प्रस्तावित है। पुलिस उपायुक्त (अपराध) सरवनन टी ने बताया कि बैठक के लिए सुरक्षा के व्यापक और कड़े प्रबंध किए गए है। बैठक स्थल और उसके आसपास विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, शहर और बैठक स्थल तक जाने वाली सड़कों पर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। काशी विश्वनाथ मंदिर क्षेत्र के आसपास निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएसी की भी तैनाती की गई है। वहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक स्थल पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की और मंडलायुक्त एस राजलिंगम से व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। साथ ही सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बैठक में सुरक्षा और विकास समेत कई महत्त्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी। बैठक में चारों राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव समेत नीति आयोग के साथ अंतरराज्यीय परिषद के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

पीएम् श्री केन्द्रीय विद्यालय
सैनिक विहार, दिल्ली

विभिन्न सामग्री की आपूर्ति एवं सेवाओं हेतु फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन

वित्तीय वर्ष 2025-26 में विद्यालय में विभिन्न सामग्री की आपूर्ति एवं सेवाओं हेतु सेवाप्रदाताओं एवं वाणिज्यिक फ़र्मों के रजिस्ट्रेशन दिनांक 25/06/2025 से 05/07/2025 तक किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैनिक विहार, दिल्ली की वेबसाइट https://sainikvihar.kvs.ac.in/ के अनाउंसमेंट / डाउनलोड सेक्शन से अथवा पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय सैनिक विहार, दिल्ली कार्यालय से निशुल्क प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्यदिवसों में प्राप्त किए जा सकते हैं। पूर्णतः भरे हुए रजिस्ट्रेशन फॉर्म एवं उल्लेखित आवश्यक दस्तावेजों के साथ दिनांक 05/07/2025 तक विद्यालय कार्यालय में प्रातः 10:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक कार्यदिवसों पर व्यक्तिगत या डाक द्वारा जमा करवाकर एवं जमा की पावती प्राप्त कर अपनी फ़र्म का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित कराएं ।

प्राचार्य

इन्द्रप्रस्थ गैस लिमिटेड
(गेल (इंडिया) लिमिटेड, बीपीसीएल और एनसीटी दिल्ली सरकार का एक संयुक्त उद्यम)
सीआईएन : एल23201डीएल1998पीएलसी097614

डाक मतपत्र और रिमोट ई-वोटिंग की सूचना

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ('कंपनी') के सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 108 और 110 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और नियम 22 तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के विनियम 44 और अधिनियम, नियमों, परिपत्रों एवं उसके तहत जारी अधिसूचनाओं (समय-समय पर संशोधित किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के अन्य लागू प्रावधानों के अनुसार यह सूचना दी जाती है कि डाक मतपत्र सूचना में निर्धारित संकल्पों को डाक मतपत्र/इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के माध्यम से पारित करने के लिए कंपनी के सदस्यों द्वारा विचार हेतु प्रस्तावित किया जाता है। प्रस्तावों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों और ई-वोटिंग के लिए निर्देशों को दर्शाने वाला विस्तृत व्याख्यात्मक विवरण डाक मतपत्र सूचना/ई-वोटिंग ('सूचना') के साथ संलग्न है।

व्याख्यात्मक विवरण और रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देशों सहित डाक मतपत्र सूचना कंपनी के उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से भेजा गया है, जिनकी ई-मेल आईडी केवल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) या आरएंडटीए के साथ पंजीकृत है। इसे कंपनी की वेबसाइट (www.iglonline.net), स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों अर्थात् बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com और रिमोट ई-वोटिंग एजेंसी अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की वेबसाइट www.evoting.kfintech.com पर भी प्रकाशित किया गया है।

कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (KFin) की सेवाएँ ली हैं। रिमोट ई-वोटिंग अवधि गुरुवार, 26 जून, 2025 (09:00 बजे आईएसटी) से शुरू होगी और शुक्रवार, 25 जुलाई, 2025 (17:30 बजे आईएसटी) को समाप्त होगी। इसके बाद केफिन द्वारा वोटिंग के लिए रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को निष्क्रिय कर दिया जाएगा और उक्त तिथि और समय के बाद इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि के दौरान, कट-ऑफ तिथि यानी शुक्रवार, 13 जून, 2025 को भौतिक रूप में या डीमैटरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले कंपनी के सदस्य ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे। जिन सदस्यों ने अपना ई-मेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी में अपना ई-मेल पता पंजीकृत कराएं तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कंपनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड को ई-मेल einward.ris@kfintech.com पर अथवा डाक द्वारा सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500032 पर लिखकर दर्ज कराएं।

श्री सचिन अग्रवाल, एफसीएस संख्या 5774, मेसर्स अग्रवाल एस. एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-वोटिंग के माध्यम से डाक मतपत्र प्रक्रिया की जांच करने के लिए जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है।

किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य https://evoting.kfintech.com/public/Downloads.aspx (केफिनटेक वेबसाइट) के डाउनलोड अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध शेयरधारकों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग उपयोगकर्ता पुस्तिका देख सकते हैं या निम्नलिखित से संपर्क कर सकते हैं:

(क) केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के श्री शंकर गोकवरपु (यूनिट: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड), सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद-500 032 या evoting@kfintech.com पर या केफिन के टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर कॉल करें;

(ख) कंपनी सचिव, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, आईजीएल भवन, प्लॉट नंबर 4, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर-9, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022, ईमेल: investors@igl.co.in, टेलीफोन नं.: 011-46074607. प्रश्न/शिकायतें ईमेल-आईडी: investors@igl.co.in पर भी भेजी जा सकती हैं.

डाक मतपत्र के परिणाम मंगलवार, 29 जुलाई, 2025 को शाम 5:30 बजे या उससे पहले कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में घोषित किए जाएंगे। यह परिणाम, जांचकर्ता की रिपोर्ट के साथ, कंपनी की वेबसाइट www.iglonline.net पर 'निवेशक संबंध' अनुभाग के अंतर्गत उपलब्ध होंगे और उन्हें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) को भेजा जाएगा। केफिन इन परिणामों को अपनी ई-वोटिंग वेबसाइट पर भी प्रदर्शित करेगा।

इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के लिए
हस्ता./-
(विवेक सहाय)
कंपनी सचिव

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 23.06.2025

हर एक काम देश के नाम

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड
CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD.
कॉनकॉर CONCOR
भारत सरकार का एक नवरत्न उपक्रम
(A Govt. of India Navratna Undertaking)

पंजीकृत कार्यालय एवं निवेशक सम्पर्क केन्द्र:
कॉनकॉर भवन, सी-3, मथुरा रोड, अपोलो अस्पताल के सामने, नई दिल्ली-110076
सीआईएन: L63011DL1988GOI030915,
ई-मेल: investorrelations@concorindia.com,
फोन: 41673093-96, **फैक्स:** 41222500/600/700
वेबसाइट: http://www.concorindia.co.in

बोनस शेयरों के लिए रिकॉर्ड तिथि की सूचना

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ), विनियम, 2015 के विनियम 42 और अन्य लागू कानूनों के अनुसार तथा शेयरधारकों की स्वीकृति के अधीन, बोनस शेयरों (अर्थात प्रत्येक चार मौजूदा इक्विटी शेयरों के लिए एक बोनस इक्विटी शेयर) के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के उद्देश्य से रिकॉर्ड तिथि के रूप में 04 जुलाई, 2025 (शुक्रवार) को तय किया गया है।

बोनस शेयर कंपनी के उन इक्विटी शेयरधारकों को आवंटित किए जाएँगे, जिनके नाम रिकॉर्ड तिथि पर कंपनी के सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी के रिकॉर्ड में लाभकारी स्वामी के रूप में दर्ज होंगे।

बोनस शेयर एक बार आवंटित होने के बाद सभी मामलों में मौजूदा इक्विटी शेयरों के समान होंगे तथा वे किसी भी लाभांश एवं अन्य कॉर्पोरेट कार्रवाई, यदि कोई हो, में पूर्ण रूप से भाग लेने के हकदार होंगे, जिसके लिए घोषणा की तिथि और रिकॉर्ड तिथि दोनों ही इन बोनस शेयरों के आवंटन की तिथि के बाद होगी।

इसके अतिरिक्त, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी निर्गम और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2018 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं), विनियम, 2015 के अनुसार, बोनस निर्गम में शेयरों का आवंटन केवल डीमैट रूप में किया जाएगा। इस प्रकार, डीमैट रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस इक्विटी शेयर उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ सदस्यों के संबंधित लाभार्थी खातों में जमा किए जाएंगे और भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले सदस्यों के मामले में, बोनस इक्विटी शेयरों को इस संबंध में खोले गए सस्पेंस खाते में, कानून और संबंधित अधिकारियों द्वारा निर्धारित समय के भीतर, इस संबंध में सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अधीन स्थानांतरित किया जाएगा।

उपरोक्त विवरण कंपनी की वेबसाइट (www.concorindia.co.in) और उन स्टॉक एक्सचेंजों,जहाँ कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं की वेबसाइटों जैसे बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

कृते कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
(हरीश चंद्रा)
पीईडी (वित्त) एवं कंपनी सचिव और मुख्य वित्तीय अधिकारी

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक : 23.06.2025

150 करोड़ से बनी सड़क में 11 जगह गड्ढे

हापुड़, 23 जून (जनसत्ता)।

जनपद मुख्यालय स्थित बुलंदशहर रोड निर्माण कार्य होने के साथ ही नीचे बैठने लगी है। जबकि चौराहे से 8.30 किलोमीटर सड़क चौड़ीकरण पर 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मार्ग को फोर लेन करने का कार्य पीडब्लूडी विभाग द्वारा कराया गया है। साथ ही सड़क के नीचे सीवर कार्य अमृत योजना के अंतर्गत 100 करोड़ रुपया खर्च कर कराया गया है।

यानी 150 करोड़ की रकम खर्च करने के बावजूद भी 11 स्थानों पर सड़क दो से तीन फुट तक जगह-जगह धंस गई है। हादसों की शिकायत पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडेय ने सड़क की जांच करने के आदेश जल निगम, नगर पालिका, जलकल विभाग, पीडब्लूडी के साथ निर्मता कंपनी जुनेजा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड को दिए। कई स्थानों पर बुलडोजर से खोदकर पिछले सप्ताह हुई जांच में पाया गया कि सभी स्थानों पर लगभग तीन फुट नीचे पानी भरा हुआ है। गुणवत्ता को लेकर उठे सवालों को कंपनी व पीडब्लूडी ने नकार दिया। जल निगम ने बताया कि सड़क के 32 फुट नीचे बिछी सीवर लाइन का पानी आना असंभव है।

वहीं जलकल विभाग ने बताया कि संबधित क्षेत्र में पेयजल पाइप लाइन ही नहीं है। पानी आने का कोई कारण पता ना चलने पर बराबर से निकल रही पेयजल सप्लाई को भी बंद कर दिया गया है। अधिशासी अभियंता शैलेंद्र सिंह पीडब्लूडी ने सोमवार को बताया अभी पानी आने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जिलाधिकारी ने फिर से जांच कराने को आदेशित किया है।

> ***अधिशासी*** अभियंता ने बताया अभी पानी आने के कारणों का पता नहीं चल सका है। जिलाधिकारी ने जांच कराने को आदेशित किया है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक
होम लोन सेन्टर-1, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर

पट्टा (लीज) पर परिसर की आवश्यकता

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) एसबीआई होम लोन डॉक्यूमेंटेशन सेंटर के लिए वाणिज्यिक/कार्यालय उपयोग की अनुमति वाले परिसर के मालिकों/पावर ऑफ अटॉर्नी धारकों से लीज-रेंटल आधार पर प्रस्ताव आमंत्रित करता है।

शाखा का नाम	स्थान की स्थिति	कार्यालय का वांछित स्थान	कॉर्पेट एरिया	निर्मित स्थान (लगभग)	निविदा आईडी
एसबीआई होम लोन डॉक्यूमेंटेशन एवं सुविधा केन्द्र	स्थानांतरण	मयूर विहार फेज I/II/III	2500-3000 वर्ग फीट	3000-3500 वर्ग फीट	एचएलसी/14702/1/2025-26

2. परिसर कब्जे/व्यवसाय के लिए तैयार होना चाहिए अथवा प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 2 महीने के भीतर तैयार होने की संभावना होनी चाहिए। सरकारी विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों/बैंकों के स्वामित्व वाले परिसरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

3. तकनीकी बोली प्रस्तुत करने का प्रारूप जिसमें विस्तृत पैरामीटर, नियम और शर्तें और मूल्य बोली शामिल है, जिसे भारतीय स्टेट बैंक की वेबसाइट www.sbi.co.in अथवा www.bank.sbi, एसबीआई इन द न्यूज - प्रोक्योरमेंट न्यूज" से **10.07.2025** को **दोपहर 3.00 बजे** तक डाउनलोड किया जा सकता है।

4. प्रस्ताव पूर्ण सीलबंद लिफाफे में दिनांक **10.07.2025** को **शाम 5.00 बजे** या उससे पहले, कार्यालय समय के दौरान "सहायक महाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, हाउस लोन सेंटर-1, सी-03बी, सेक्टर-55, नोएडा, गौतमबुद्ध नगर" में जमा किया जाना चाहिए।

सहायक महाप्रबंधक

नियुक्तियां

जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज
(दिल्ली विश्वविद्यालय)
जेएन मार्ग, नई दिल्ली - 02 (टेलीफोन : 23232218)

विज्ञापन संख्या ZHDC/01/2025

सहायक प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन

कॉलेज में शैक्षणिक वेतन स्तर 10 में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवारों से http://rec.uod.ac.in पर उपलब्ध निर्धारित आवेदन प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से दो सप्ताह के भीतर है। विस्तृत जानकारी के लिए कृपया कॉलेज की वेबसाइट www.zakirhusaindelhicollege.ac.in और डी.यू. की वेबसाइट www.du.ac.in देखें। कोई भी परिशिष्ट/शुद्धिपत्र केवल कॉलेज और डी.यू. की वेबसाइट पर ही पोस्ट किया जाएगा।

प्राचार्य

तालाब में बच्चा डूबा, 30 घंटे बाद भी नहीं लगा सुराग, किया हंगामा

मुजफ्फरनगर, 23 जून (जनसत्ता)।

थाना नई मंडी क्षेत्र के जानसठ रोड स्थित गांव शेरनगर में बारिश के दौरान तालाब में डूबे तीन वर्षीय अवी का 30 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं लगा है। शव बरामद न होने पर गामीणो ने गांव के बाहर जाम लगाकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझा-बुझाकर मामला शांत कराया।

जानकारी के मुताबिक, गांव निवासी राहुल का तीन वर्षीय बेटा अवी बरसात में जलभराव के कारण नाले के पानी मे बहते हुए गांव के तालाब मे डूब गया। हादसे से परिजनों मे कोहराम मच गया। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देशन मे तालाब मे डूबे बालक की तलाश जारी है। वहीं, मुजफ्फरनगर पहुंचे राज्यमंत्री मंत्री कपिलदेव अग्रवाल ने बालक के परिजनों तथा ग्रामीणों से मुलाकात की।

किशोर को नदी में खींच ले गया मगरमच्छ

गोंडा के उमरी बेगमगंज क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर गांव की घटना, कोई सुराग नहीं मिला

गोंडा, 23 जून (भाषा)।

उमरी बेगमगंज थाना क्षेत्र के सोनौली मोहम्मदपुर गांव में रविवार शाम घाघरा नदी के किनारे भैंस नहला रहे एक किशोर को मगरमच्छ ने नदी में खींच लिया। घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई।

थाना प्रभारी नरेंद्र प्रताप राय ने बताया कि गांव निवासी कुंवर बहादुर यादव का पुत्र राजा बाबू उर्फ नान यादव (13) नदी के किनारे भैंस नहला रहा था। तभी एक मगरमच्छ अचानक पानी से बाहर आया और उसे अपने जबड़े में दबोच कर नदी में खींच ले गया। राय ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। लगभग पांच घंटे तक तलाश अभियान चलाया गया लेकिन बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। सोमवार सुबह फिर से तलाश अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक मगरमच्छ ने पहले बच्चे के पैर को जबड़े में लिया और उसे गिराने के बाद गर्दन पकड़कर पानी में खींच ले गया। यह सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि बच्चा संभल भी नहीं पाया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर मदद करने की कोशिश की लेकिन कोई भी पानी में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें मगरमच्छ बच्चे को दबोचे हुए पानी में ले जाता दिखाई दे रहा है।

वीडियो में कुछ सेकंड के लिए बच्चे का सिर पानी के ऊपर आता है, फिर मगरमच्छ उसे नीचे खींच लेता है और कुछ देर बाद दोनों नदी में पूरी तरह गायब हो जाते हैं। यह क्षेत्र घाघरा नदी के किनारे स्थित है और स्थानीय लोगों के अनुसार नदी में पानी बढ़ने के साथ मगरमच्छों की आवाजाही गांव के आसपास बढ़ जाती है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि इस क्षेत्र में मगरमच्छ अक्सर दिखाई देते हैं और यह एक महीने में दूसरी ऐसी घटना है, जिससे गांव में दहशत का माहौल है।

बहराइच में बरामदे में सो रहे बुजुर्ग पर तेंदुए ने किया हमला

बहराइच, 23 जून (जनसत्ता)। कतर्नियाघाट वन्य जीव प्रभाग में तेंदुए के हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। सोमवार सुबह सुजौली रेंज स्थित ग्राम पंचायत रमपुरवा में घर के बरामदे में सो रहे एक बुजुर्ग पर तेंदुए ने हमला कर दिया। चीख-पुकार सुनकर जागे परिजनों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल की ओर भाग गया, जिससे बुजुर्ग की जान बच गई। घटना से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। रामपुर बनकटी गांव में सोमवार सुबह घर में सो रहे बलदेव सिंह (70) पर अचानक तेंदुए ने हमला कर दिया। चीख सुनकर जागे परिजन और ग्रामीणों के शोर मचाने पर तेंदुआ जंगल में भाग गया। हमले में बुजुर्ग के हाथ में चोट आई है। घटना की जानकारी पर वन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और घायल को एंबुलेंस की मदद से इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया।

उमंग

आगरा में सोमवार को ताजमहल के सामने बारिश का आनंद लेतीं युवतियां।

सपा के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन गोस्वामियों से मिले

मथुरा, 23 जून (जनसत्ता)।

वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी गलियारा के विरोध में चल रहे गोस्वामियों के विरोध को कांग्रेस के बाद अब सपा ने भी अपना समर्थन दिया है। पार्टी का संदेश और समर्थन लेकर सोमवार को सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन वृंदावन पहुंचे और गोस्वामियों से मुलाकात की। कांग्रेस पहले ही गलियारे का विरोध कर चुकी है। 29 जून से कांग्रेस ने आंदोलन को तेज करने का एलान किया है।

सपा के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को वृंदावन पहुंचे और उन्होंने बांके बिहारी मंदिर पहुंचकर मंदिर गोसाइयों की महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन में शामिल होकर अपना समर्थन दिया। रामजीलाल सुमन ने प्रदर्शन कर रहीं महिलाओं की समस्याओं को सुना और कहा कि अखिलेश यादव के निर्देश पर वह अपना समर्थन देने आए हैं।

उन्होंने कहा कि अगर यह गलियारा बनेगा तो वृंदावन का मूल स्वरूप समाप्त हो जाएगा। वहीं, बांके बिहारी मंदिर के गोसाई सेवायतों के साथ भी अन्याय होगा। उन्होंने कहा कि न्यास में सिर्फ दो गोस्वामी को रखा है जो कि अनुचित है। सरकार को सभी के हितों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब कुंज गलियां नष्ट हो जाएगी तो ब्रज की प्रतिष्ठा और गरिमा समाप्त हो जाएगी।

ट्रेन में मिला लावारिस शिशु, अस्पताल में भर्ती कराया गया

मुरादाबाद, 23 जून (भाषा)।

पटना-चंडीगढ़ समर स्पेशल ट्रेन के एसी द्वितीय श्रेणी के डिब्बे में एक बैग में एक लावारिस नवजात शिशु पाया गया। राजकीय रेलवे पुलिस के निरीक्षक मुस्तकीम अली ने बताया कि शनिवार देर रात डिब्बे में यात्रियों ने एक बैग में कुछ हलचल देखी जिसके बाद संदेह होने पर उन्होंने रेलवे अधिकारियों को सूचित किया। जब बैग के अंदर देखा गया तो उसमें एक नवजात शिशु मिला।

उन्होंने कहा कि अलर्ट मिलने पर रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और चाइल्डलाइन के कर्मी हरकत में आए और मुरादाबाद रेलवे स्टेशन पहुंचने पर शिशु को ट्रेन से उतारा गया और उसे स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल रोग विशेषज्ञ उसकी गहन देखभाल कर रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक निर्मला पाठक ने बताया कि शिशु को लंबे समय तक बैग में बंद रहने के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सा सहायता मिलने के बाद उसकी परेशानी दूर होने लगी।

शिशु को बैग में बंद रहने के कारण सांस लेने में कठिनाई हो रही थी।

नवजात से जुड़ी गर्भनाल को देखने से जाहिर होता है कि शिशु को जन्म के तुरंत बाद छोड़ दिया गया था। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि वे ट्रेन के मार्ग के साथ-साथ स्टेशनों के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रहे हैं ताकि शिशु को छोड़ने के जिम्मेदार व्यक्ति की पहचान की जा सके।

बेटे की मौत पर घर आ रहे पिता ने हादसे में तोड़ा दम

उन्नाव, 23 जून (जनसत्ता)।

कस्बा रसूलाबाद में सोमवार सुबह करीब 10 बजे घर में खेल रहे पांच वर्षीय अयांश की करंट लगने से मौत हो गई। शराब ठेके पर नौकरी करने वाले पिता विष्णु जायसवाल को जब बेटे की मौत की खबर मिली, तो वह मोटरसाइकिल से घर की ओर निकले लेकिन रास्ते में माखी-रसूलाबाद रोड पर एक अज्ञात वाहन ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। जिससे विष्णु की मौके पर ही मौत हो गई।

एक ही दिन पिता-पुत्र की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। मां शिवानी जायसवाल का रो-रोकर बुरा हाल है। वह कभी बेटे के शव को देखती हैं, तो कभी पति को देखकर बेहोश हो जा रही थीं। परिजनों ने बताया कि विष्णु और शिवानी की शादी 2015 में हुई थी। बड़ा बेटा वेदांश तीसरी कक्षा में और छोटा अयांश रसूलाबाद में में पढ़ता था।

सड़क निर्माण के दौरान रोलर की चपेट में आए मासूम की मौत

उन्नाव, 23 जून (जनसत्ता)। सदर कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले में सोमवार को सड़क निर्माण के दौरान लोक निर्माण विभाग के रोलर की चपेट में आने से एक वर्षीय मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बच्चा घर के बाहर खेल रहा था। इसी दौरान सड़क पर काम कर रहा रोलर मासूम को कुचलता हुआ निकल गया। घटना की सूचना पर सदर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।

सड़क हादसे में वाहन चालक की गई जान एक घायल

मिर्जापुर, 23 जून (जनसत्ता)। चुनार थाना क्षेत्र के भौरही गांव के पास सोमवार सुबह पहले से खड़े एक ट्रक में पीछे से एक ट्रेलर के टकरा जाने से ट्रेलर चालक लालगंज थाना क्षेत्र के परसिया गोकुल निवासी रामबली (50) की मौत हो गई, जबकि खलासी भोलानाथ गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार, मिर्जापुर-वाराणसी राजमार्ग पर भौरही गांव के पास एक ट्रक खड़ा था। सोमवार सुबह आठ बजे मिर्जापुर की ओर आ रहा एक ट्रेलर असंतुलित हो कर ट्रक से जा टकराया।

प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने खुदकुशी की

कन्नौज, 23 जून (भाषा)।

सौरिख क्षेत्र में एक युवक ने सोमवार तड़के अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से अपनी प्रेमिका की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में उसने भी आत्महत्या कर ली। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

जानकारी के अनुसार, सौरिख थाना क्षेत्र के कुठला गांव निवासी देवांशु (22) का पड़ोस के गांव सुल्तानपुर की रहने वाली दीप्ति से प्रेम-प्रसंग था। करीब 15 दिन पहले दीप्ति के परिजनों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी, जिससे देवांशु नाराज था। शादी तय होने के बाद दीप्ति ने देवांशु से बात करना बंद कर दिया था जिससे वह आक्रोशित था। देवांशु सोमवार तड़के करीब तीन बजे अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक लेकर दीप्ति के घर पहुंचा।

देवांशु ने घर में सो रही दीप्ति के सीने में गोली मार दी और कुछ दूर जाकर खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौत हो गई। गोली चलने की आवाज सुनकर ग्रामीण घरों से बाहर आए तो देवांशु का खून से लथपथ शव देखा और पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस सभी बिंदुओं पर बारीकी से तफ्तीश कर रही है।

ईंट से कूंचकर की युवक को मार डाला

बहराइच, 23 जून (जनसत्ता)। बंगलुरु से मां के साथ मामा की शादी में शामिल होने आए युवक की ईंट से कूंचकर हत्या कर दी गई। युवक का क्षत-विक्षत शव गांव से लगभग 600 मीटर दूर अमरूद के बाग में बने खंडहर में पड़ा मिला। सूचना पर मौके पर पहुंचे देहात कोतवाली प्रभारी व फोरेंसिक टीम ने छानबीन की। गांव के ही दो किशोरों पर हत्या का आरोप है। कोतवाली देहात के ग्राम पंचायत नगरौर निवासी शादाब (19) आठ साल से परिवार के साथ बंगलुरु में रहता था। 16 जून को उनके मामा मुन्ना का निकाह था, जिसमें शामिल होने के लिए बीते दिनों वह मां रेशमा के साथ गांव आया था। निकाह के बाद शादाब मां रेशमा के साथ वापस लौटने ही वाला था कि 20 जून को लापता हो गया। रेशमा ने कोतवाली देहात में तहरीर देकर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी। इस दौरान शादाब का शव एक अमरूद के बाग में क्षत-विक्षत अवस्था में मिला। देहात कोतवाली प्रभारी ने बताया कि परिजनों ने दो किशोरों पर हत्या का आरोप लगाया है।

शाहजहांपुर : जाली नोटों का भंडाफोड़, तीन शातिर पकड़े

शाहजहांपुर, 23 जून (भाषा)।

कोतवाली पुलिस ने जाली नोटों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 500 से लेकर 20 रुपए तक के चार लाख 61हजार के जाली नोट बरामद किए हैं ।

पुलिस अधीक्षक (एसपी) राजेश द्विवेदी ने सोमवार को बताया कि कोतवाली थाना क्षेत्र निवासी निखिल मिश्रा मुरादाबाद से जाली नोट लाकर उन्हें यहां छोटे दुकानदारों के यहां खपाता था। जब इसका धंधा चल पड़ा तो इसने अपने साथी नफीस से ज्यादा जाली नोटों की मांग की, इसके बाद वह नोट बनाने की प्रिंटर आदि मशीन लेकर शाहजहांपुर में ही आ गया। निखिल मिश्रा ने यहां नकली नोट का उद्योग लगाने के लिए नफीस को एक मकान भी किराए पर लेकर दिया। नफीस ने पुलिस को बताया कि जब कोरोना काल में उसके पास कोई व्यवसाय नहीं था, तब उसके गुरु जाकिर रामपुर ने उसे नकली नोट छापने में पारंगत बना दिया , हालांकि उसके गुरु की कोरोना कल में ही मौत हो गई थी।

पुलिस अधीक्षक के अनुसार आरोपियों के पास से कंप्यूटर व नकली नोट छापने में प्रयुक्त होने वाली मशीन भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी नफीस अहमद (मुरादाबाद), पंकज गंगवार (उत्तराखंड), निखिल मिश्रा मिश्रा (शाहजहांपुर) को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

जनसत्ता क्लासीफाइड

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया किया जाता है कि एक किता गाटा सं० 192 मि0, पैमाइश रकबा 170.1 वर्गमीटर स्थित मौजा – गलिबपुर परगना व तहसील सदर जनपद मऊ को बयाक हेतु एल.आई.सी.एच.एफ. एल. एरिया ऑफिस शाखा मऊ के समक्ष प्रस्ताव लंबित है, जो कि उपरोक्त सपत्ति उपनिबंधक कार्यालय सदर, जनपद मऊ के यहाँ बही सं० 1, जिल्द सं० 3384, पेज सं० 257/270, क्रमांक 4439, दिनांक 21.08.2014 को पंजीकृत है, उपरोक्त बैनामा गुलाब चंद शर्मा पुत्र स्व० बालेश्वर प्रसाद सा० गलिबपुर परगना व तहसील सदर जनपद मऊ के द्वारा श्री शैलेन्द्र किशोर शर्मा पुत्र गुलाब चंद शर्मा सा० गलिबपुर परगना व तहसील सदर जनपद मऊ के पक्ष में निष्पादित किया गया था, जिसकी मूल पंजीकृत प्रति कही खो गई है, उपरोक्त मूल दस्तावेज किसी व्यक्ति, बैंक या वित्तीय संस्थान में बन्धक है, तो उसकी सूचना एल. आई.सी. एच.एफ.एल. एरिया ऑफिस शाखा मऊ, दूरभाष सं0 7060009559 एवं संजय कुमार सिंह एडवोकेट, मो0 9919972269, को तत्काल दिया जावे । उक्त सम्पत्ति के बाबत कोई भी वाद, दावा 15 दिन के अन्दर पेश नही की जाती है तो उपरोक्त सम्पत्ति पाक, साफ समझी जायेगी, इसके उपरान्त अगर कोई दावा, वाद पेश कि जाती है, तो वह निराधार वह शून्य माना जायेगा।

संदिग्ध परिस्थिति में होटल के कमरे में मृत मिला व्यापारी

मथुरा, 23 जून (जनसत्ता)।

वृंदावन के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में एक कारोबारी का शव पड़ा मिला। जिस समय पुलिस होटल पहुंची होटल का कमरा खुला हुआ था और शव फंदे पर लटका हुआ था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर के 46 वर्षीय विनोद कुमार राय रविवार को गोवर्धन की परिक्रमा करने के बाद रात में वृंदावन पहुंचे। वे यहां रुक्मणी विहार स्थित मानसिंह का सेवा सदन में ठहरे हुए थे।

सेवा सदन के मैनेजर अमित ने बताया कि विनोद कुमार राय ने अपनी आइडी जमा करवाकर कमरा किराए पर लिया था। सोमवार सुबह चेकआउट के समय जब वे कमरे से बाहर नहीं आए तो स्टाफ वहां पहुंचा। स्टाफ द्वारा दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला, तो दूसरी चाबी से कमरा खोला गया। अंदर विनोद का शव फंदे से झूलता मिला। तत्काल पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

योजना इटावा में टाइगर सफारी बनाए जाने के लिए स्थान का किया गया चयन

जल्द टाइगर सफारी का आनंद ले सकेंगे पर्यटक

इटावा, , 23 जून (जनसत्ता)।

एशियाई शेरों के सबसे बड़े आशियाने के रूप में देश दुनिया में लोकप्रिय इटावा सफारी पार्क में पर्यटक जल्द ही बाघ का भी दीदार कर सकेंगे। इटावा सफारी पार्क के निदेशक डा अनिल कुमार पटेल ने सोमवार को बताया कि यहां टाइगर सफारी बनाए जाने का प्रस्ताव है। आने वाले समय में सफारी में आने वाले पर्यटकों बाघ का भी दीदार कर सकेंगे।

इटावा सफारी पार्क में शेर तथा चीता के दीदार तो हो रहे हैं लेकिन अभी टाइगर सफारी नहीं बनाई गई है। इटावा के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर जो सफारी हैं, उनमें टाइगर सफारी भी है लेकिन यहां अभी टाइगर सफारी नहीं बनी है। अब इटावा सफारी पार्क प्रशासन ने 50 हेक्टेयर क्षेत्र में टाइगर सफारी बनाने का प्रस्ताव दिया है। संभावना है कि जल्द ही सफारी पार्क में टाइगर सफारी बन जाएगी।

शासन से स्वीकृती मिलने के बाद टाइगर सफारी का काम शुरू होने की संभावना है। ऐसा हुआ तो पर्यटकों के लिए सफारी का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा और तब वे शेरों के साथ ही बाघ को भी भगते दौड़ते देख सकेंगे।

तब यहां आने वाले पर्यटकों को शेरों के साथ ही बाघ के भी दीदार होने लगेंगे। इटावा सफारी पार्क में टाइगर सफारी बनाए जाने के लिए स्थान का भी चयन कर लिया गया है। इसे लेकर वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा भी हो चुका है। शासन से स्वीकृती मिलने के बाद टाइगर सफारी का काम शुरू होने की संभावना है। ऐसा हुआ तो पर्यटकों के लिए सफारी का आकर्षण और भी बढ़ जाएगा और तब वे शेरों के साथ ही बाघ को भी भगते दौड़ते देख सकेंगे।

खबर कोना

बंदी के मेडिकल कालेज से फरार होने के मामले में चार पुलिसकर्मी निलंबित

सहारनपुर, 23 जून (जनसत्ता)।

लूट और हत्या के मामले में बंदी मुशाहिद के मेरठ मेडिकल कालेज से फरार हो जाने के मामले में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सजवान ने उपनिरीक्षक राजकुमार, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी आदित्य और आरक्षी देवेंद्र को निलंबित कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 19 जून की सुबह उपनिरीक्षक राजकुमार ने उस कमरे की जांच की, जहां मुशाहिद भर्ती था तो पाया कि मुशाहिद गायब है। पुलिस लाइन में तैनात उपनिरीक्षक नवीन कुमार की ओर से आरोपी मुशाहिद, उपनिरीक्षक राजकुमार, मुख्य आरक्षी विनोद कुमार, आरक्षी आदित्य कुमार, देवेंद्र कुमार और जिला कारागार के आरक्षी नितिन कुमार के खिलाफ थाना मेडिकल कालेज मेरठ में मुकदमा दर्ज कराया है। अभी तक फरार बंदी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। पुलिस के मुताबिक मुशाहिद हत्या और लूट के मामले में सहारनपुर जिला कारागार में बंद था।

फाइनेंस कंपनी के कर्मी से हुई लूट का पर्दाफाश, चार लुटेरे गिरफ्तार किए गए

चंदौली, 23 जून (जनसत्ता)।

कंदवा थाना क्षेत्र के बरहनी के पास फाइनेंस कंपनी के कर्मी प्रतीक सिंह के साथ हुए लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले से पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 70 हजार रुपए नकद, टैबलेट एवं लूटी गई मोटरसाइकिल बरामद की है। पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे ने बताया कि सोमवार को कंदवा थाना पुलिस एवं सर्विलांस टीम बरहनी के पास जांच कर रही थी। इस दौरान घटना में शामिल लुटेरों के अमड़ा तिराहे के पास मौजूद होने की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल वहां पहुंची और चारों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम मोनू यादव निवासी शिवराजपुर मिर्जापुर, आकाश यादव, निवासी रामपुर थाना अदलहाट मिर्जापुर, बहादुर यादव निवासी जगन्नाथपुर थाना चुनार मिर्जापुर और अरविंद पटेल, निवासी नैपुरवा थाना चुनार मिर्जापुर का रहने वाला है।

पत्नी के प्रेमी संग फरार होने पर पति ने की आत्महत्या

मोदीनगर, 23 जून (जनसत्ता)।

कोतवाली क्षेत्र की विश्वकर्मा बस्ती कालोनी में पत्नी के प्रेमी संग फरार होने से परेशान पति ने फंदे पर लटककर आत्महत्या कर ली। मामले में कोई शिकायत पुलिस को नहीं मिली है। जानकारी के मुताबिक मूलरूप से बिहार निवासी प्रमोद (32) कामगार था। वह विश्वकर्मा बस्ती में किराए के मकान में रहता था। उसकी पत्नी का किसी युवक से प्रेम-प्रसंग था। जिसके चलते घर में विवाद चल रहा था। करीब आठ दिन पहले पत्नी अपने प्रेमी के साथ चली गई। पति से कहा कि अब वह उसी के साथ रहेगी। अपने दो बच्चों को भी प्रमोद के पास ही छोड़ दिया। इससे प्रमोद आहत हो गया और ड्यूटी पर जाना बंद कर दिया। सोमवार सुबह जब 11 बजे तक वह बाहर नहीं आया तो मकान मालिक को शक हुआ। उन्होंने खिड़की से देखा तो प्रमोद का शव पंखे पर फंदे से लटक रहा था। सहायक पुलिस आयुक्त ने बताया कि शव पोस्टमार्टम को भेजा गया है।

नहर में मिला युवक का शव, हत्या की आशंका

कुशीनगर, 23 जून (जनसत्ता)।

हाटा कोतवाली थाना क्षेत्र के बालेश्वर चौराहे के पास नहर में सोमवार को एक युवक का शव मिला। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाटा कोतवाली प्रभारी राम सहाय चौहान ने बताया कि शव की शिनाख्त शुभम मोदनवाल (19) के रूप में की हुई। शुभम की बड़ी बहन अंजलि मोदनवाल ने बताया कि उसका भाई शनिवार दोपहर दो लड़कों के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकला था लेकिन देर शाम तक नहीं लौटने पर उसकी तलाश शुरू की गई और उसके दोस्तों से भी पूछा गया लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंजलि ने बताया कि इसके बाद रविवार सुबह कप्तानगंज थाने में इसकी गुमशुदगी की सूचना दी गई। राम सहाय चौहान ने बताया कि परिजनों ने शुभम की हत्या किये जाने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

मोदी ने पीएमएमएल सोसायटी की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय (पीएमएमएल) सोसायटी की वार्षिक आम बैठक बैठक की अध्यक्षता की। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल हुए। सोसायटी की 47वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) तीन मूर्ति भवन में हुई।

सरकार ने इस वर्ष की शुरुआत में पीएमएमएल सोसायटी का पुनर्गठन किया था, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और प्रसिद्ध फिल्म निर्माता शेखर कपूर को भी जगह दी गई है। प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष के रूप में पीएमएमएल के प्रमुख निर्णय लेने वाले निकाय का नेतृत्व करते हैं जबकि रक्षा मंत्री इसके उपाध्यक्ष होते हैं। सिंह के अलावा बैठक में स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, गजेंद्र सिंह शेखावत और अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। संस्कृति मंत्रालय के 13 जनवरी के आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा को संगठन के अध्यक्ष के रूप में पांच वर्ष का एक और कार्यकाल मिला है। प्रतिष्ठित संस्थान की सोसायटी में कई नए लोग शामिल हुए हैं, जिनमें स्मृति ईरानी, कपूर, नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार, सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी सैयद अता हसनैन और संस्कार भारती के वासुदेव कामथ शामिल हैं। पीएमएमएल तीन मूर्ति भवन में स्थित है, जहां पर प्रधानमंत्री संग्रहालय भी अवस्थित है।

खान और भूविज्ञान विभाग की उपनिदेशक निलंबित

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कर्नाटक सरकार ने कथित रिश्वतखोरी के सिलसिले में दक्षिण कन्नड़ के खान और भूविज्ञान विभाग की उपनिदेशक कृष्णवेणी को निलंबित कर दिया है। कृष्णवेणी को 28 मई, 2025 को लोकायुक्त पुलिस ने कथित रूप से 50,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था।

वाणिज्य और उद्योग विभाग के अवर सचिव (खान–2), एचएम मंजुनाथ ने 21 जून को जारी आदेश में कहा कि कृष्णवेणी को विभागीय जांच लंबित रहने तक निलंबित किया गया है और यह आदेश 28 मई से प्रभावी होगा।

इस मामले में लोकायुक्त पुलिस ने बताया था कि कृष्णवेणी को विभाग के चालक मधु के माध्यम से 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह रिश्वत उल्लाल तालुक के इरा गांव में 1.39 एकड़ भूमि में से 0.35 एकड़ भूमि को समतल करने की अनुमति देने से संबंधित थी। कृष्णवेणी ने कथित रूप से अपने कार्यालय के प्रथम श्रेणी सहायक आर प्रदीप कुमार को आवेदक से फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए 50,000 रुपए लेने के लिए कहा था।

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given that the share certificate no. **244975** for **450 shares** bearing distinctive no (s) **2831721** to **2832170**, Regd. Folio no. **02130522** standing in the name of **SWARAJ KUMARI MOGHA** in the books of **M/s GE Vernova T&D India Limited**, has/have been lost/misplaced/destroyed and the advertiser has/have applied to the company for issue of duplicate share certificate (s) in lieu thereof. Any person(s) who has /have claim(s) on the said share should lodge such claim(s) with the company's registrars and transfer agents viz C.B. Management Services (P) Limited, Rasoi Court, 5th Floor, 20, Sir R.N.Mukherjee Road, Kolkatta - 700001 within 15 days from the date of this notice failing which the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) in respect of the said shares.

Date : 24.06.2025 — Name of shareholder(s)/claimant
Place : Delhi — Rakesh Chand Mogha

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES NOR IS IT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. **NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA.** INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE BSE LIMITED (**BSE**) AND NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (**NSE**, AND TOGETHER WITH **BSE**, THE **STOCK EXCHANGES**) IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (**SEBI ICDR REGULATIONS**)

(Please scan this QR code to view the Draft Red Herring Prospectus)

PUBLIC ANNOUNCEMENT

OMNITECH®

OMNITECH ENGINEERING LIMITED

Our Company was initially formed as a partnership firm under the Indian Partnership Act, 1932, pursuant to a partnership deed between Paghadal Kishorbhai Vashrambhai, Hadiya Kirtibhai Mangalbhai, Udaykumar Arunkumar Parekh and Jadeja Gajendrasinh Ranjitsinh dated September 1, 2006, under the name 'M/s. Omnitech Engineering' and was registered with the Registrar of Firms of Rajkot Division, Rajkot, Gujarat on January 5, 2009. Subsequently, the partnership firm was converted into a private limited company with the name 'Omnitech Engineering Private Limited' under the provisions of the Companies Act, 2013, pursuant to a supplementary partnership deed dated June 12, 2021 executed between Udaykumar Arunkumar Parekh and Kinnariben Udaybhai Parekh and received a certificate of incorporation issued by the Ministry of Corporate Affairs through Registrar of Companies, Central Registration Centre, on August 9, 2021. Thereafter, our Company was converted into a public limited company pursuant to a special resolution passed by the Shareholders of our Company on September 2, 2024, and the name of our Company was changed to its present name, 'Omnitech Engineering Limited', pursuant to a fresh certificate of incorporation issued by the Ministry of Corporate Affairs through Registrar of Companies, Central Processing Centre, Gurgaon, Haryana dated October 24, 2024. For further details in relation to the change in our name and our registered and corporate office, see *'History and Certain Corporate Matters'* on page 280 of the Draft Red Herring Prospectus dated June 23, 2025 (**DRHP**).

Corporate Identity Number: U29306GJ2021PLC124801
Registered and Corporate Office: Plot No. 2500, Kranti Gate Main Road, GIDC Lodhika Ind Estate, Kalawadd Rd, Metoda, Rajkot – 360021, Gujarat, India
Contact Person: Bhoomi Manharbhai Vadhavana, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** +91 2827-287637;
E-mail: compliance@omnitecheng.com; **Website:** www.omnitecheng.com

OUR PROMOTERS: UDAYKUMAR ARUNKUMAR PAREKH AND DHARMI A PAREKH

INITIAL PUBLIC OFFERING OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (EQUITY SHARES) OF OMNITECH ENGINEERING LIMITED (COMPANY OR ISSUER) FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [•] PER EQUITY SHARE) (OFFER PRICE) AGGREGATING UP TO ₹ 8,500.00 MILLION (OFFER) COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 5,200.00 MILLION BY OUR COMPANY (FRESH ISSUE) AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH AGGREGATING UP TO ₹ 3,300.00 MILLION, BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDER (OFFER FOR SALE).

THIS OFFER INCLUDES A RESERVATION OF UP TO [•] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH, AGGREGATING UP TO ₹ [•] MILLION (CONSTITUTING UP TO 5 % OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL) FOR SUBSCRIPTION BY ELIGIBLE EMPLOYEES (EMPLOYEE RESERVATION PORTION). OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BOOK RUNNING LEAD MANAGERS (BRLMS), MAY OFFER A DISCOUNT OF ₹ [•] TO THE OFFER PRICE TO ELIGIBLE EMPLOYEES BIDDING IN THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION (EMPLOYEE DISCOUNT). THE OFFER LESS THE EMPLOYEE RESERVATION PORTION IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WOULD CONSTITUTE [•]% AND [•]%, RESPECTIVELY, OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS, MAY CONSIDER A PRE-IPO PLACEMENT OF SPECIFIED SECURITIES, AS MAY BE PERMITTED UNDER APPLICABLE LAW, AGGREGATING UP TO ₹1,040.00 MILLION, AT ITS DISCRETION, PRIOR TO FILING OF THE RED HERRING PROSPECTUS (RHP) WITH THE ROC. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, WILL BE AT A PRICE TO BE DECIDED BY OUR COMPANY, IN CONSULTATION WITH THE BRLMS. IF THE PRE-IPO PLACEMENT IS COMPLETED, THE AMOUNT RAISED PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT WILL BE REDUCED FROM THE FRESH ISSUE, SUBJECT TO COMPLIANCE WITH RULE 19(2)(B) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957. THE PRE-IPO PLACEMENT, IF UNDERTAKEN, SHALL NOT EXCEED 20% OF THE SIZE OF THE FRESH ISSUE. PRIOR TO THE COMPLETION OF THE OFFER, OUR COMPANY SHALL APPROPRIATELY INTIMATE THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT, PRIOR TO ALLOTMENT PURSUANT TO THE PRE-IPO PLACEMENT, THAT THERE IS NO GUARANTEE THAT OUR COMPANY MAY PROCEED WITH THE OFFER OR THE OFFER MAY BE SUCCESSFUL AND WILL RESULT INTO LISTING OF THE EQUITY SHARES ON THE STOCK EXCHANGES. FURTHER, RELEVANT DISCLOSURES IN RELATION TO SUCH INTIMATION TO THE SUBSCRIBERS TO THE PRE-IPO PLACEMENT (IF UNDERTAKEN) SHALL BE APPROPRIATELY MADE IN THE RELEVANT SECTIONS OF THE RHP AND THE PROSPECTUS

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 5 EACH. THE OFFER PRICE IS [•] TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES. THE PRICE BAND AND THE MINIMUM BID LOT SIZE AND EMPLOYEE DISCOUNT (IF ANY) WILL BE DECIDED BY OUR COMPANY IN CONSULTATION WITH THE BRLMS AND WILL BE ADVERTISED IN ALL EDITIONS OF [•], A WIDELY CIRCULATED ENGLISH NATIONAL DAILY NEWSPAPER, ALL EDITIONS OF [•], A WIDELY CIRCULATED HINDI NATIONAL DAILY NEWSPAPER , AND [•] EDITION OF [•], A WIDELY CIRCULATED GUJARATI DAILY NEWSPAPER (GUJARATI BEING THE REGIONAL LANGUAGE OF RAJKOT, GUJARAT WHERE OUR REGISTERED AND CORPORATE OFFICE IS LOCATED), AT LEAST 2 WORKING DAYS PRIOR TO THE BID/OFFER OPENING DATE AND SHALL BE MADE AVAILABLE TO THE BSE LIMITED (BSE) AND THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED (NSE, AND TOGETHER WITH THE BSE, THE STOCK EXCHANGES) FOR THE PURPOSE OF UPLOADING ON THEIR RESPECTIVE WEBSITES, IN ACCORDANCE WITH THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED (SEBI ICDR REGULATIONS).

In case of any revision in the Price Band, the Bid/Offer Period will be extended by at least 3 additional Working Days after such revision in the Price Band, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. In cases of *force majeure*, banking strike or similar unforeseen circumstances, our Company in consultation with the BRLMs, for reasons to be recorded in writing, may extend the Bid/Offer Period for a minimum of 1 Working Day, subject to the Bid/Offer Period not exceeding 10 Working Days. Any revision in the Price Band and the revised Bid/Offer Period, if applicable, shall be widely disseminated by notification to the Stock Exchanges, by issuing a press release, and also by indicating the change on the website of the BRLMs and at the terminals of the other members of the Syndicate and by intimation to the Designated Intermediaries and the Sponsor Bank(s), as applicable.

The Offer is being made through Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contacts (Regulation) Rules, 1957 (**SCRR**), read with Regulation 31 of the SEBI ICDR Regulations. The Offer is being made in accordance with Regulation 6(1) of the SEBI ICDR Regulations, through the Book Building Process wherein not more than 50% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers (**QIBs**) (such portion referred to as **QIB Portion**), provided that our Company, in consultation with the BRLMs may allocate up to 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations (**Anchor Investor Portion**), out of which one-third shall be reserved for domestic Mutual Funds only, subject to valid Bids being received from domestic Mutual Funds at or above the price at which Equity Shares are allocated to Anchor Investors (**Anchor Investor Allocation Price**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations. In the event of under-subscription or non-allocation in the Anchor Investor Portion, the balance Equity Shares shall be added to the QIB Portion (other than Anchor Investor Portion) (**Net QIB Portion**). Further, 5% of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion shall be available for allocation on a proportionate basis to all QIBs (other than Anchor Investors), including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion will be added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to all QIBs. Further, not less than 15% of the Net Offer shall be available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors (**NIIs**) (**Non-Institutional Category**) out of which (a) one-third of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹ 0.2 million and up to ₹ 1.00 million; and (b) two-thirds of the Non-Institutional Category shall be available for allocation to Bidders with a Bid size of more than ₹ 1.00 million, and under-subscription in either of these two sub-categories of the Non-Institutional Category may be allocated to Bidders in the other sub-category of the Non-Institutional Category in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Offer Price. Further, not less than 35% of the Net Offer shall be available for allocation to Retail Individual Investors (**RIIs**) (**Retail Category**), in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received at or above the Offer Price. Further, Equity Shares will be allocated on a proportionate basis to Eligible Employees applying under the Employee Reservation Portion, subject to valid Bids received from them at or above the Offer Price. All Bidders (except Anchor Investors) shall mandatorily participate in this Offer only through the Application Supported by Blocked Amount (**ASBA**) process and shall provide details of their respective bank account (including UPI ID (defined hereinafter) in case of UPI Bidders (defined hereinafter)), in which the corresponding Bid Amounts will be blocked by the Self Certified Syndicate Banks or by the Sponsor Bank(s), as the case may be. Anchor Investors are not permitted to participate in the Offer through the ASBA process. For further details, see *'Offer Procedure'* on page 451 of the DRHP.

This public announcement is being made in compliance with the provisions of Regulation 26(2) of the SEBI ICDR Regulations to inform the public that our Company is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares pursuant to the Offer and has filed the DRHP dated June 23, 2025, with the Securities and Exchange Board of India (**SEBI**) and with the Stock Exchanges. Pursuant to Regulation 26(1) of the SEBI ICDR Regulations, the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges has been made public for comments, if any, for a period of at least 21 days from the date of publication of this public announcement by hosting it on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, websites of the Stock Exchanges at, www.bseindia.com and www.nseindia.com, on the website of the Company at www.omnitecheng.com; and on the websites of the Book Running Lead Managers (**BRLMs**), i.e. Equirus Capital Private Limited and ICICI Securities Limited at www.equirus.com and www.icicisecurities.com, respectively. Our Company invites the public to give their comments on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the DRHP. The members of the public are requested to send a copy of the comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs at their respective addresses mentioned herein. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLMs in relation to the Offer on or before 5.00 p.m. on the 21st day from the aforesaid date of publication of this public announcement.

Investments in equity and equity-related securities involve a degree of risk and investors should not invest any funds in the Offer unless they can afford to take the risk of losing their entire investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in the Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved. The Equity Shares in the Offer have not been recommended or approved by the SEBI, nor does SEBI guarantee the accuracy or adequacy of the contents of the Draft Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *'Risk Factors'* on page 33 of the DRHP.

Any decision to invest in the Equity Shares described in the DRHP may only be taken after a Red Herring Prospectus (**RHP**) has been filed with the RoC and must be made solely on the basis of such RHP as there may be material changes in RHP from DRHP. The Equity Shares, when offered through the RHP, are proposed to be listed on the Stock Exchanges.

For details of the share capital and capital structure and the names of the signatories to the memorandum and the number of shares subscribed by them of our Company, please see the section titled *"Capital Structure"* on page 100 of the DRHP. The liability of the members of our Company is limited. For details of the main objects of our Company as contained in the Memorandum of Association, please see the section titled *"History and Certain Corporate Matters,"* on pages 280 of the DRHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS		REGISTRAR TO THE OFFER
equirus	ICICI Securities	MUFG (MUFG Intime)
Equirus Capital Private Limited 12th Floor, C Wing, Marathon Futurex, N M Joshi Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013 Maharashtra, India. **Tel:** +91 22 4332 0734 **E-mail:** omnitech@equirus.com **Investor grievance e-mail:** investorsgrievance@equirus.com **Website:** www.equirus.com **Contact Person:** Rahul Wadekar **SEBI Registration Number:** INM000011286	**ICICI Securities Limited** ICICI Venture House, Appasaheb Marathe Marg, Prabhadevi, Mumbai - 400025, Maharashtra, India **Tel:** +91 22 6807 7100 **E-mail:** omnitech.ipo@icicisecurities.com **Investor grievance e-mail:** customercare@icicisecurities.com **Website:** www.icicisecurities.com **Contact Person:** Wincy Nadar / Rahul Sharma **SEBI Registration Number:** INM000011179	**MUFG Intime India Private Limited** *(formerly Link intime India Private Limited)* C-101, 1st Floor, 247 Park, Lal Bahadur Shastri Marg, Vikhroli (West), Mumbai, Maharashtra - 400 083, India **Tel:** +91 810 811 4949 **E-mail:** omnitechengineering.ipo@in.mpms.mufg.com **Website:** https://in.mpms.mufg.com/ **Investor grievance e-mail:** omnitechengineering.ipo@in.mpms.mufg.com **Contact Person:** Shanti Gopalkrishnan **SEBI Registration Number:** INR000004058

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the DRHP.

For **OMNITECH ENGINEERING LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Bhoomi Manharbhai Vadhavana
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Rajkot, Gujarat
Date: June 23, 2025

OMNITECH ENGINEERING LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the DRHP dated June 23, 2025, with SEBI and the Stock Exchanges on June 23, 2025. The DRHP is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, as well as on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.omnitecheng.com; and on the websites of the Book Running Lead Managers (**BRLMs**), i.e. Equirus Capital Private Limited and ICICI Securities Limited at www.equirus.com and www.icicisecurities.com, respectively. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see *"Risk Factors"* on page 33 of the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges. Potential Bidders should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision and should instead rely on the RHP, for making investment decision.

This announcement does not constitute an offer of securities for sale in any jurisdiction, including the United States, and any securities described in this announcement may not be offered or sold in the United States absent registration under the U.S. Securities Act or an exemption from such registration. Accordingly, the Equity Shares are only being offered and sold outside the United States in *"offshore transactions"* as defined in and in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where those offers and sales occur. Any public offering of securities to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the issuer or the selling security holder and that will contain detailed information about the company and management, as well as financial statements. No offering or sale of securities in the United States is contemplated.

Adfactors 206/25

एनटीपीसी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)

(सीआईएनः L40101DL1975GOI007966)
पंजीकृत कार्यालयः एनटीपीसी भवन, लोदी रोड, स्कोप कॉम्प्लेक्स, 7, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली, दिल्ली, 110003
ई–मेलः ntpccc@ntpc.co.in, वेबसाइटः www.ntpc.co.in
फोन नंबर 011–24360959

पोस्टल बैलट की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 (इसमें "अधिनियम" कहा गया है) के साथ पठित **19 सितंबर 2024** के सामान्य परिपत्र संख्या 09/2024 और कॉर्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए अन्य प्रासंगिक परिपत्रों (इसमें आगे **"एमसीए परिपत्र"** कहे गए हैं), भारतीय कम्पनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानकों (**"एसएस–2"**), भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 44 और अन्य लागू कानूनों, नियमों और विनियमों (किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित, जो इस समय लागू हैं) के अनुसरण में, कम्पनी ने रिमोट ई–वोटिंग के माध्यम से नीचे सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु कम्पनी के सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए दिनांक **23 जून 2025** को पोस्टल बैलट नोटिस (इसमें आगे "नोटिस" कहा गया है) भेजा है:

क्र. सं.	प्रस्तावों का विवरण
1.	**निजी प्लेसमेंट के आधार पर गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी'ज/बॉन्ड) के निर्गम के माध्यम से रू. 18,000 करोड़ तक की राशि जुटाना।**

एमसीए परिपत्रों के अनुसरण में, कम्पनी ने **सोमवार, 23 जून, 2025** को इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से उन सदस्यों को व्याख्यात्मक विवरण के साथ नोटिस भेजने का काम पूरा कर लिया है, जिनके ईमेल पते **शुक्रवार, 20 जून, 2025** ("कट–ऑफ तिथि") को कम्पनी/डिपॉजिटरी प्रतिभागी (प्रतिभागियों) के पास पंजीकृत हैं।

उक्त नोटिस कंपनी की वेबसाइट **https://ntpc.co.in/investor-updates/postal-ballot** पर उपलब्ध है और साथ ही बीएसई लिमिटेड (बीएसई) की वेबसाइट **www.bseindia.com** और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) की वेबसाइटः **www.nseindia.com** और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइटः **www.evotingindia.com** पर भी उपलब्ध है।

एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुसार, सदस्य केवल रिमोट ई–वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही मतदान कर सकते हैं। सदस्यों के मतदान अधिकारों की गणना कट–ऑफ तिथि पर उनके द्वारा धारित कम्पनी के इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। कोई भी व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि को कम्पनी का शेयरधारक नहीं है, उसको यह नोटिस केवल सूचना के निमित्त समझना चाहिए।

कम्पनी ने अपने सभी सदस्यों को ई–वोटिंग सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सीडीएसएल की सेवाएं अनुबंधित की हैं। रिमोट ई–वोटिंग सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगीः

मतदान के लिए पात्रता की कट–ऑफ तिथि	शुक्रवार, 20 जून 2025
ई–वोटिंग अवधि का आरंभन	मंगलवार, 24 जून 2025 (सुबह 9:00 बजे आईएसटी)
ई–वोटिंग अवधि का समापन	बुधवार, 23 जुलाई 2025 (शाम 5:00 बजे आईएसटी)

सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई–वोटिंग सुविधा **बुधवार, 23 जुलाई 2025 को अप. 5.00 बजे** के तत्काल पश्चात बंद कर दी जाएगी।

जिन सदस्यों ने अपना ई–मेल पता अपडेट नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के माध्यम से डिपॉजिटरी में इसे पंजीकृत करवाएं तथा भौतिक रूप में रखे गए शेयरों के संबंध में कम्पनी या कम्पनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, बीटल फाइनेंशियल एंड कंप्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को **ntpc@beetalfinancial.com** पर ईमेल द्वारा लिखकर पंजीकृत करवाएं।

कम्पनी ने पोस्टल बैलट प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संचालित करने के लिए मैसर्स ए कौशल एंड एसोसिएट्स, कम्पनी सेक्रेटरीज, नई दिल्ली के श्री अमित कौशल अथवा उनकी अनुपस्थिति में श्री आलोक कुमार त्रिपाठी को संवीक्षक नियुक्त किया है।

संवीक्षक अपनी रिपोर्ट कम्पनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक ("अध्यक्ष") या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत करेगा और उक्त परिणाम कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय में प्रदर्शित किए जाएंगे, जिसकी सूचना नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") और बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") को दी जाएगी, जहां कम्पनी के शेयर सूचीबद्ध हैं। इसके अतिरिक्त, परिणाम कम्पनी की वेबसाइट **https://ntpc.co.in/investor-updates/postal-ballot** पर भी अपलोड किए जाएंगे।

यदि आपको सीडीएसएल द्वारा प्रदान की जा रही रिमोट ई–वोटिंग के बारे में कोई समस्या या प्रश्न है, तो आप **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई–मेल लिख सकते हैं या टोल फ्री नंबर **1800 21 09911** पर संपर्क कर सकते हैं।

कृते एनटीपीसी लिमिटेड
हस्ता./–
ऋतु अरोड़ा
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 23.06.2025

विद्युत क्षेत्र में अग्रणी

R R KABEL LIMITED

(CIN: L28997MH1995PLC085294)
Regd. Off.: Ram Ratna House, Victoria Mill Compound (Utopia City), Pandurang Budhakar Marg, Worli, Mumbai - 400013. Tel: +91 - 22 - 2494 9009/ 2492 4144
Website: www.rrkabel.com Email: investorrelations.rrkl@rrglobal.com

INFORMATION REGARDING 31st (THIRTY-FIRST) ANNUAL GENERAL MEETING, RECORD DATE FOR DIVIDEND AND E-VOTING

Notice is hereby given that the 31st (thirty-first) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of R R Kabel Limited (the "Company") will be held on **Monday, 21 July 2025 at 11:00 A.M.** through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the AGM.

The Ministry of Corporate Affairs ("MCA") has, vide General Circular No. 09/2024 dated September 19, 2024, read with the circulars issued earlier in this regard (collectively referred to as "MCA Circulars"), permitted holding of AGM through VC/OAVM without the physical presence of Members. Further, the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), vide its circular dated October 3, 2024, read with the circulars issued earlier in this regard (collectively referred to as "SEBI Circulars"), has granted relaxations in respect of sending physical copies of Annual Report to the Members. Accordingly, in compliance with the MCA Circulars, SEBI Circulars and relevant provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Members of the Company will be held through VC/OAVM.

In compliance with the above mentioned MCA Circulars and SEBI Circulars, the Notice of the AGM and Annual Report for FY 2024-25 will be sent electronically by the Company to those Members who have registered their e-mail address with the Company / Depository Participants and / or MUFG Intime India Private Limited (formerly known as Link Intime India Private Limited), the Company's Registrar and Transfer Agent ("RTA"), and the same will also be available at the websites of the Company **(www.rrkabel.com)**, BSE Limited **(www.bseindia.com)**, the National Stock Exchange of India Limited **(www.nseindia.com)** and National Securities Depository Limited **(www.evoting.nsdl.com)**. A detailed procedure for attending the AGM is provided in the Notice of AGM.

A letter containing the web-link for accessing the Annual Report for FY 2024-25 will be sent to those Members who have not registered their e-mail address with the Company / DPs / RTA.

In case any member is desirous of obtaining a physical copy of Notice of AGM and Annual Report, they may send a request to the Company by writing an email to **investorrelations.rrkl@rrglobal.com.**

Manner of voting at the AGM:

The Company is providing a remote e-voting facility to all its Members to cast their votes on all resolutions which are set out in the Notice of the AGM. Members have the option to cast their votes on any of the resolutions using the remote e-voting facility prior to the AGM or e-voting during the AGM. A detailed procedure for remote e-voting/e-voting at the AGM is provided in the Notice of the AGM.

Dividend and Record date:

Members may note that the Board of Directors of the Company have recommended a final dividend of INR 3.50/- per equity share having a face value of INR 5/- for FY 2024-25, subject to the approval of the Members at the ensuing AGM. The Company has fixed **Monday, 14 July 2025, as the 'Record Date'** for determining the entitlement of Members for payment of Dividend.

Tax on Dividend:

As Members may be aware, as per the Income Tax Act, 1961 ("IT Act"), as amended by the Finance Act, 2020, dividend income is taxable in the hands of the Members and the Company is required to deduct tax at source (TDS) at the prescribed rates. Members are requested to complete and/or update their Residential Status, Permanent Account Number, and Category as per the IT Act with their Depository Participant or in case shares are held in physical form, with the Company/RTA and submit their requisite documents/declarations to the RTA at email: rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com by **Saturday, 12 July 2025** for claiming any applicable beneficial tax rate. The detailed process and formats of requisite declarations are available on the website of the Company at https://www.rrkabel.com/announcements/ - Documents tab.

Registration of E-mail address and updating of Bank account:

The Members of the Company who have not registered their e-mail address and/or updated their bank account mandate for receipt of dividends are requested to follow the instructions below:

1. The Members holding shares in physical form may register /update their details with the Company's RTA by submitting the prescribed form ISR-1 along with a copy of the cancelled cheque leaf at e-mail **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.**
2. The Members holding shares in Demat kindly register/update their details with your Depository Participant. Alternatively, Members may also temporarily register their e-mail address with the RTA by writing an e-mail to **rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com** by providing details such as Name, DPID, Client ID, PAN, mobile no. and e-mail ID to receive the Notice of the AGM along with the Annual Report of the Company for FY 2024-25.

In case of any query, a shareholder may send an e-mail to RTA at rnt.helpdesk@in.mpms.mufg.com.

For R R Kabel Limited
Sd/-
Anup Vaibhav C. Khanna
Company Secretary & Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: 24 June 2025

केनरा बैंक Canara Bank
भारत सरकार का उपक्रम — A Government of India Undertaking
सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

वसूली विभाग, दक्षिण दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय
प्रथम तल, डीडीए बिल्डिंग, वर्धमान टॉवर (पारस सिनेमा के पास)
नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 **rosdelrec@canarabank.com**

ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को और विशेष रूप से ऋणी(यों) व गारंटरों को सूचित किया जाता है, कि प्रतिभूति ऋणदाताओं को बंधक/दृष्टिबंधक/प्रभारित नीचे वर्णित चल/अचल सम्पत्ति, जिस पर केनरा बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा कब्जा लिया गया है, को "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और जैसी भी है" के आधार पर नीचे वर्णित दिनांकों को बंधक सम्पत्ति की बिक्री आयोजित की जाएगी। **प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 6(2) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन धारा अधिनियम 2002 के अधीन बिक्री के** विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया **https://baanknet.com/** (मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड),, (सम्पर्क नं. **8291220220**, ईमेलः **Support.BAANKNET@psballiance.com** या केनरा बैंक की वेबसाइट **www.canarabank.com** में दिए गए लिंक "ई–नीलामी" को देखें। आरक्षित मूल्य की **10%** ईएमडी राशि मैसर्स पीएसबी एलायंस प्राइवेट लिमिटेड **https://baanknet.com/** पोर्टल के ई–वॉलेट में सीधे जमा की जानी है या चालान बनाकर उक्त चालान में उल्लिखित खाता विवरण में आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से ईएमडी जमा करना है।

क्र. सं.	शाखा का नाम / कर्जदार/गारंटर्स/बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल/अचल संपत्ति का विवरण और कब्जे की स्थिति	कुल बकाया राशि	a. आरक्षित मूल्य (रु.) b. धरोहर राशि (रु.) c. बोली वृद्धि (रु.) d. बिक्री सूचना की तिथि	ई–नीलामी की तिथि एवं समय (प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ) / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व अपॉइंटमेंट लेकर सम्पत्ति का निरीक्षण किया जा सकता है और सम्पर्क व्यक्ति का नाम
1	कैनरा बैंक जैतपुर शाखा प्रवीण शर्मा बी 109 गली नं. 2, गाजीपुर गांव, नई दिल्ली–110096	**वाहन का नामः मारूति डिजायर** **पंजीकरण संख्याः DL3CCQ3650** **इंजन सं. K12MN2295498** **चेसिस संख्याः MA3CZF63SJL461620**	**रु.3,49,847.44** (रुपये तीन लाख उनचास हजार आठ सौ सैंतालीस और चौवालीस पैसे मात्र) दिनांक 31.07.2024 तक और खर्चे, अन्य शुल्क आदि के साथ लागू दर पर अतिरिक्त ब्याज।	a. 1,55,000/- b. 15,500/- c. 5,000/- d. 20.06.2025	**24.07.2025** अपराह्न 12.30 बजे से अपराह्न 01.30 बजे के बीच **23.07.2025** अपराह्न 05.00 बजे तक	किसी भी कार्य दिवस पर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच श्री कृष्ण कुमार जे (प्राधिकृत अधिकारी), मोबाइल नं. 9448925643 सहायक महाप्रबंधक और श्री विनीत एबी अब्राहम, मोबाइल नं. – 9819049577

दिनांकः 20.06.2025, स्थान : नई दिल्ली
प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

कल्पमेधा

जो व्यक्ति काम करने के तरीके या उसका सिद्धांत समझे बिना अभ्यास करने लगता है, उसकी स्थिति ऐसे नाविक की तरह होती है, जिसे मालूम नहीं होता कि जाना किस दिशा में है।
– लिओनार्दो दा विंची

युद्ध का हासिल

इजराइल-ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के कूदने से दुनिया के सामने विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं। ईरान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि अगर अमेरिका ने इस जंग में दखल दिया, तो न केवल उसको, बल्कि पूरी दुनिया को इसके खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ेंगे। यमन के हूती विद्रोहियों ने भी कह दिया था कि वे लाल सागर में हमले तेज कर देंगे। शुरू में अमेरिका की कोशिश थी कि किसी तरह यह युद्ध रुक जाए, पर अब उसने खुद इजराइल की तरफ से ईरान पर हमला कर दिया है। उसने अपने बंकरभेदी बमवर्षकों से ईरान के तीन परमाणु ठिकानों पर बम बरसाए। इससे ईरान ने जवाबी कार्रवाइयां करनी शुरू कर दी हैं। यह युद्ध क्या शक्ल अख्तियार करेगा, यह देखने की बात है। पर ईरान ने तत्काल होर्मुज जलडमरुमध्य को बंद करने का फैसला किया है, उसी से दुनिया के अनेक देशों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इस जलडमरुमध्य के रास्ते दुनिया के करीब तीस फीसद कच्चे तेल का आयात होता है। जाहिर है, यह रास्ता बंद हो जाने से तेल के जहाजों को दूसरे लंबे रास्तों से होकर गुजरना पड़ेगा, जिसका असर कच्चे तेल की कीमत पर पड़ेगा। इससे महंगाई और बढ़ जाएगी।

ईरान के इस फैसले से भारत की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है कि यह अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब सत्तर फीसद तेल आयात करता है। इसके अलावा, होर्मुज जलडमरुमध्य के रास्ते पश्चिम एशियाई देशों के साथ बड़ी मात्रा में इसका आयात-निर्यात होता है। इन देशों के साथ भारत का निर्यात कुल 8.6 अरब डालर का और आयात 33.1 अरब डालर का होता है। इस रास्ते के बंद होने से इस व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। लाल सागर में हूती विद्रोहियों के हमले के चलते भारतीय व्यापारियों को पहले ही आयात-निर्यात में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, अमेरिकी हमले के विरोध में हूती हमलों में तेजी आई, तो यह संकट और गहरा हो जाएगा। भारत पहले ही अपना निर्यात बढ़ाने को लेकर चिंतित है। तमाम कोशिशों के बावजूद महंगाई पर काबू पाना चुनौती है। विनिर्माण क्षेत्र और देश के आठ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र मंदी की मार झेल रहे हैं। ऐसे में अगर कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और मध्य पश्चिमी देशों के साथ व्यापार में अवरोध पैदा होता है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बड़ी चोट पहुंच सकती है।

अमेरिकी हमले के बाद अभी दुनिया दम साधे इंतजार कर रही है कि ईरान इसका जवाब किस रूप में देता है। ईरान किसी भी रूप में झुकने को तैयार नहीं है। रूस सहित दुनिया के कई देशों ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। खुद अमेरिका में इसे लेकर विरोध शुरू हो गया है, इसलिए कि राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हमले में तय प्रक्रिया और नियम-कायदों का पालन नहीं किया। फिर यह भी कि अमेरिका या इजराइल के पास इस बात के पुख्ता सबूत नहीं हैं कि ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की तैयारी में था। अमेरिका की खुफिया एजंसी ने भी साफ कह दिया था कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। इस स्थिति में अगर कुछ देश ईरान के समर्थन में खुले रूप में आगे आते हैं, तो युद्ध और विकराल रूप ले सकता है। वैसी स्थिति में दुनिया के सामने खड़ी होने वाली आर्थिक चुनौतियों का अंदाजा लगाया जा सकता है।

जानलेवा सफाई

यह एक बड़ी विडंबना है कि आज जब हम अर्थव्यवस्था की ऊंचाइयों को हासिल करने के दावे कर रहे हैं, उसमें आए दिन सीवर की सफाई करते लोगों की मौत की खबरें आती हैं। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में सीवर की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत ने फिर यही दर्शाया है कि आर्थिक विकास के आंकड़ों की चकाचौंध में समाज के सबसे कमजोर तबकों की फिक्र करना जरूरी नहीं समझा जाता है। शनिवार को एक ठेकेदार के कहने पर सीवर की सफाई के लिए उसमें उतरे दो मजदूरों की जहरीली गैस की चपेट में आकर मौत हो गई। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रशासन की ओर से इस संबंध में मामला दर्ज किए जाने और मुआवजा देने के आश्वासन जैसी औपचारिकताएं पूरी की गईं। मगर यह समझना मुश्किल है कि इस तरह सीवर की सफाई कराने पर रोक के बावजूद संबंधित सरकारी महकमे आखिर किन वजहों से पारंपरिक तरीकों से सीवर की सफाई और उसमें मरने वालों की त्रासदी की लगातार अनदेखी करते रहे हैं!

आखिर क्या वजह है कि सीवर में सफाई करने उतरे मजदूरों की जोखिम भरी जिंदगी और इस काम में उनके अस्तित्व और गरिमा के सवाल पर सोचना हमें जरूरी नहीं लगता? इस मसले पर शीर्ष अदालत के स्पष्ट निर्देश और तीखी टिप्पणियों के बावजूद सरकारों ने शायद ही कभी निजी ठेकेदारों के खिलाफ सख्ती बरतने, किसी की जिम्मेदारी तय करने और सीवर में जोखिम भरे हालात में किसी इंसान को उतारने पर रोक को लेकर गंभीरता दिखाई हो। नतीजा यही है कि आजादी के सात दशक बाद आज भी अक्सर सीवर की सफाई के लिए उसमें उतरे मजदूर अपनी जान गंवा रहे हैं। विचित्र है कि एक ओर विज्ञान और तकनीक की उपलब्धियों की बदौलत कृत्रिम मेधा से सभी काम आसान होने और अंतरिक्ष तक में अनुसंधान की नई ऊंचाई छूने के दावे किए जा रहे हैं, दूसरी ओर अमानवीय हालात में कुछ लोगों को अपनी जान जोखिम में डाल कर सीवर में घुस कर उसकी सफाई करनी पड़ रही है। क्या ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि इस समस्या के पीड़ित आमतौर पर समाज के सबसे कमजोर तबके से आते हैं?

आर्थिक चुनौतियों से जूझते छोटे उद्यम

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29 फीसद से अधिक का योगदान करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी इनका योगदान 33 फीसद है। ये कुल निर्यात में 45 फीसद से अधिक का योगदान करते हैं।

अजय जोशी

भारत की अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई अत्यंत उपयोगी है। यह क्षेत्र रोजगार सृजन, उत्पादन वृद्धि और निर्यात में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। इससे देश के आर्थिक विकास में तेजी आती है। अप्रैल 2025 से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम का जो वर्गीकरण किया गया है, उसके अनुसार सूक्ष्म उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 2.5 करोड़ रुपए और कारोबार दस करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। लघु उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 25 करोड़ रुपए और कारोबार 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है। मध्यम उद्यम वह है, जहां संयंत्र और मशीनरी या उपकरण में निवेश 125 करोड़ रुपए और कारोबार 500 करोड़ रुपए से अधिक नहीं है।

उद्यम पोर्टल पर सात अप्रैल 2025 तक देश में पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की संख्या 6.23 करोड़ है। इन्होंने 26.66 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। एमएसएमई क्षेत्र ने भारत के कुल निर्यात में 45 फीसद से अधिक योगदान किया है। यह क्षेत्र देश के आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाता है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग की सूची में विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के कई प्रकार के व्यवसाय शामिल हैं। सूक्ष्म उद्यम में कंघी, छाते के फ्रेम और प्लास्टिक खिलौने आदि जैसे हजारों उत्पाद सम्मिलित हैं। लघु उद्यम में विनिर्माण क्षेत्र में इंजीनियरिंग जैसे स्टील अलमारी, वाल्व, वायर कटर आदि हैं। सेवा क्षेत्र में आइटी समाधान जैसे सर्वर बैंक बनाना, 'एप्लिकेशन' सेवा प्रदाता, स्मार्ट कार्ड अनुकूलन आदि सम्मिलित हैं। मध्यम उद्यमों में विनिर्माण क्षेत्र में सिरेमिक और कांच उत्पाद जैसे छत की टाइलें, कांच की फर्श टाइलें, ग्रेनाइट और सेवा क्षेत्र में प्लेसमेंट सेवाएं, प्राकृतिक सुगंध, फोटोकापी केंद्र आदि सेवाएं सम्मिलित हैं।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम देश के सकल घरेलू उत्पाद में 29 फीसद से अधिक का योगदान करते हैं। विनिर्माण क्षेत्र में भी इनका योगदान 33 फीसद है। यह क्षेत्र कुल निर्यात में 45 फीसद से अधिक का योगदान करते हैं। भारत सरकार ने एमएसएमई के विकास के लिए कई योजनाओं और कार्यक्रमों की शुरुआत की है। इन उद्यमों के लिए संघ भी हैं जो इनके विकास में सहायता करते हैं। इनके लिए राष्ट्रीय पोर्टल पर कई उपयोगी लिंक और संसाधन उपलब्ध हैं, जिनके माध्यम से इन क्षेत्रों में कार्यरत उद्यमियों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और पहलों को लागू किया है, इनमें सरकारी 'ई-मार्केटप्लेस' (जीईएम) और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और विश्वकर्मा योजना आदि सम्मिलित है। सरकार ने एमएसएमई में निवेश, वित्तीय सहायता, छोटे और मध्यम आकार के व्यवसायों को सहायता करने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष, आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना भी बनाई हुई है। ये योजनाएं परिचालन लागत को पूरा करने और अपनी क्षमताओं का विस्तार करने या नई परियोजनाओं को शुरू करने में सहायता करती हैं। सरकार ने इन उद्यमों से अन्य बड़े उद्योगों द्वारा ली गई सेवाओं और क्रय किए गए उत्पादों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कानूनी प्रावधान

किए हैं। इनके अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से क्रय किए उत्पादों और प्राप्त सेवाओं के लिए 45 दिन के भीतर हो, यह व्यवस्था की गई है।

भुगतान में 45 दिनों से अधिक की देरी होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम आपूर्तिकर्ता सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अधिनियम के तहत गठित

> **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कर अनुपालन और श्रम कानून में बदलाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयासों के बावजूद, विनियमों और कर पंजीकरण का अनुपालन मुश्किल बना हुआ है, जिससे पूंजी मिलने में कठिनाई होती है और ये उपक्रम बंद हो रहे हैं। एमएसएमई के लिए अच्छी विपणन व्यवस्था भी बड़ी समस्या है। इसके लिए पर्याप्त विज्ञापन और समुचित वितरण व्यवस्था का होना भी जरूरी है। असंगत और छिटपुट विपणन प्रयासों से कोई परिणाम नहीं मिलता।**

सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद से संपर्क कर सकते हैं। एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 16 के तहत, आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान में देरी होने पर रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित बैंक दर के तीन गुना मासिक चक्रवृद्धि ब्याज के साथ भुगतान करना होता है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय मौजूदा उद्यमों को सहयोग और नए उद्यम शुरू करने के प्रयासों को प्रोत्साहन देकर संबंधित मंत्रालयों, विभागों, राज्य सरकारों और इससे जुड़े अन्य पक्षों के सहयोग से इस क्षेत्र के विकास और विस्तार में सहायता करता है।

इन सभी सेवाओं और सुविधाओं के बावजूद इस क्षेत्र की समस्याएं भी कम नहीं हुई हैं। इस क्षेत्र के लिए जितनी बुनियादी ढांचे की जरूरत है उतना उपलब्ध नही है। हालांकि सरकार ने इस क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता की कई योजनाएं बनाई है। फिर भी जमीनी स्तर पर उन योजनाओं के मध्यम से ऋण और गारंटी प्राप्त करना आसान नहीं है। विशेष रूप से छोटे और नए व्यवसायों के लिए वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना कठिन होता है। बड़े व्यवसायों द्वारा समय पर भुगतान के प्रावधानों के बावजूद कई तकनीकी बाधाएं उपस्थित कर समय पर भुगतान नहीं किया जाता, जिससे उनकी वित्तीय स्थिरता प्रभावित होती है।

एमएसएमई को सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं के लिए अक्सर बैंक से लिए गए ऋण पर उच्च ब्याज दरें चुकानी पड़ती हैं, जिससे उनकी लागत बढ़ जाती और प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है। इस क्षेत्र की प्राकृतिक संसाधन और परिवहन की पर्याप्त सुविधाओं तक पहुंच नहीं होती है या ये सुविधाएं उनको अधिक लागत पर उपलब्ध होती हैं, जिससे उनकी परिचालन लागत बढ़ जाती है।

दूरदराज के क्षेत्रों में बहुत से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को बिजली और पानी की अपर्याप्त आपूर्ति और कमजोर संचार सुविधाएं मिल पाती हैं, जिससे उनकी उत्पादन लागत प्रभावित होती है। एमएसएमई को घरेलू और वैश्विक बाजार में बड़े उपक्रम के उत्पादों और सेवाओं के मामले में मूल्य और गुणवत्ता में कड़ी प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है। बड़े व्यवसायों की तुलना में एमएसएमई के पास अक्सर सीमित संसाधन होते हैं। इस कारण भी वे बड़े उद्योगों से पिछड़ जाते हैं। एमएसएमई में प्रौद्योगिकी और कौशल की कमी भी दृष्टिगत होती है। वित्तीय कमजोरी के कारण उनके लिए कई बार तकनीक अपनाने में कठिनाई होती है, जिससे वे अपनी उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार नहीं कर पाते हैं। कुछ एमएसएमई में श्रमिकों के पास आवश्यक कौशल की कमी होती है, जिससे उनकी उत्पादन की गति और गुणवत्ता प्रभावित होती है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को कर अनुपालन और श्रम कानून में बदलाव की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनको बहुत-सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के प्रयासों के बावजूद, विनियमों और कर पंजीकरण का अनुपालन मुश्किल बना हुआ है, जिससे पूंजी मिलने में कठिनाई होती है और ये उपक्रम बंद हो रहे हैं। एमएसएमई के लिए ही अच्छी विपणन व्यवस्था भी बड़ी समस्या है। इसके लिए पर्याप्त विज्ञापन और समुचित वितरण व्यवस्था का होना भी जरूरी है। असंगत और छिटपुट विपणन प्रयासों से कोई परिणाम नहीं मिलता।

इन सभी समस्याओं और चुनौतियों के बावजूद, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारत की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। सरकार और संबंधित पक्षकारों द्वारा यदि मिल-जुल कर इनके विकास और विस्तार के लिए और अधिक प्रयास किए जाएं, तो ये उपक्रम बेरोजगारी दूर करने, निर्यात को बढ़ावा देने और सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पढ़ाई की भाषा

बुलाकी शर्मा

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने जुलाई से शुरू होने वाले शैक्षिक वर्ष 2025-26 से बच्चों की शुरुआती शिक्षा उनकी मातृभाषा में कराने का निर्णय लिया है। प्रारंभिक शिक्षा को बुनियादी चरण माना गया है, जिसमें दूसरी कक्षा तक के बच्चे शामिल हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के लागू होने के पश्चात इस बुनियादी चरण की शुरुआत हुई है। इससे पहले की शिक्षा नीति में केंद्रीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को कक्षा एक से पढ़ाना शुरू होता था, किंतु अब उनका सीधे पहली कक्षा में नामांकन नहीं होता। इससे पहले बच्चों को तीन वर्ष 'प्री-प्राइमरी' यानी पूर्व-प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाई कराई जाती है। उसके बाद पहली कक्षा में प्रवेश मिलता है। इस तरह पांच वर्ष बुनियाद बनाने में लगते हैं, जिसमें प्री-प्राइमरी स्कूल के तीन वर्ष तथा कक्षा एक और दो के दो वर्ष। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 5 जमा 3 जमा 3 जमा 4 का प्रारूप शामिल किया गया है। दूसरी कक्षा तक पहला चरण पांच वर्ष का, तीसरी कक्षा से पांचवीं तक तीन वर्ष का दूसरा, कक्षा छह से आठ तक तीन वर्ष का तीसरा और नौवीं से बारहवीं कक्षा तक चार वर्ष का चौथा चरण है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से पहले शिक्षा नीति-1986 लागू थी। उसमें 10 जमा 2 जमा 3 का प्रारूप था। पहली कक्षा में सीधे प्रवेश दिए जाने का उसमें प्रावधान था। तब प्री- प्राइमरी का चरण नहीं था। जबसे विद्यालयों में इस नए चरण की शुरुआत हुई है, तब से लगभग तीन वर्ष के बच्चे भी पढ़ने के लिए विद्यालय जाने लगे हैं।

हम जानते हैं कि ऐसे सुकोमल, मासूम और अबोध नन्हे बच्चे-बच्चियों का मन पढ़ाई में जल्दी से नहीं लगता। उनका मन घर में धमा-चौकड़ी मचाने, खेलने-कूदने, मौज-मस्ती करने में ज्यादा रमता है। कंधे पर बस्ता लटकाए विद्यालय जाते हुए उनके मन में घबराहट बनी रहती है। जब वे कक्षा में पढ़ना शुरू करते हैं और उन्हें शिक्षक उनकी मातृभाषा की जगह अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाते हैं, तब वे परेशान हो जाते हैं। जो पढ़ाया जाता है, उसे वे समझ नहीं पाते। जब उन्हें समझ ही नहीं आएगा, तो वे नया सीखेंगे भी कैसे। ऐसे में बच्चों की मनोस्थिति, उनकी सोचने-समझने व ग्रहण करने की सामर्थ्य और सीमाओं का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूरा ध्यान रखा गया है। उनकी पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी की जगह उनकी मातृभाषा रखने का व्यावहारिक और सराहनीय निर्णय लिया गया है।

वर्तमान में पूरे देश में तीस हजार से अधिक विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध हैं और इनमें से अधिकांश में पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी है। नन्हे बच्चों को सबसे मुश्किल अंकगणित लगता है, लेकिन जब वे अंकों की पहचान, उनकी गिनती, जोड़ना, घटाना आदि अपनी मातृभाषा में सीखेंगे-पढ़ेंगे, तब उनके मन से गणित का भय दूर हो जाएगा और उनमें गणित सीखने की रुचि जागृत होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों को आठवीं कक्षा तक पढ़ाई मातृभाषा, क्षेत्रीय या राज्य भाषा में कराने पर जोर दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि बारहवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़ाई का विकल्प होना चाहिए, ताकि वे अंग्रेजी भाषा के दबाव से मुक्त रह कर अपनी रुचि से पढ़ सकें।

विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, वे मातृभाषा भी हैं। मां की बराबरी मां के अलावा कोई नहीं कर सकता, वैसे ही मातृभाषा की बराबरी भी कोई दूसरी भाषा नहीं कर सकती। केंद्रीय विद्यालयों में आरंभिक पढ़ाई मातृभाषा में कराए जाने का निर्णय निश्चित रूप से विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए लाभकारी तथा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देने वाला है। मगर अंग्रेजी मोह में डूबे अभिभावक रुकावट डाल सकते हैं, इसलिए उन्हें समझाना जरूरी है। नगरों-महानगरों से लेकर गांव-ढाणियों तक अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल फैल गए हैं। अधिकतर अभिभावकों की यह मानसिकता बनी हुई है कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में पढ़ा कर ही वे अपने अधूरे सपने बच्चों के माध्यम से पूरे कर सकेंगे। हिंदी या मातृभाषा के माध्यम से पढ़ेंगे तो वे पिछड़ जाएंगे।

अभिभावकों को समझना होगा कि आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से बच्चे सहजता से सीख लेंगे। पढ़ते, लिखते और सीखते उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, मानसिक परेशानी नहीं। दरअसल, अंग्रेजी उनके लिए पराई भाषा है, मातृभाषा अपनी भाषा। यह ठीक है कि बच्चों को अंग्रेजी ही क्यों, अन्य भाषाएं भी सीखने के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जितनी भाषाओं से उनका सरोकार बनेगा, उतने ही वे मानसिक और शैक्षणिक स्तर पर समृद्ध होंगे। पर, मातृभाषा में आरंभिक पढ़ाई कराने का तात्पर्य अंग्रेजी भाषा की उपेक्षा करना नहीं, वरन बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि पैदा करना है। अभिभावकों को मातृभाषा में पढ़ाई के महत्त्व को लेकर जागरूक करने के साथ ही अंग्रेजी माध्यम के निजी विद्यालयों में आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा करने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। तभी बच्चे शुरुआती पढ़ाई अपनी मातृभाषा में कर सकेंगे और आगे चलकर अपने भविष्य को संवार सकेंगे।

दुनिया मेरे आगे

> **अभिभावकों को समझना होगा कि आरंभिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होने से बच्चे सहजता से सीख पाएंगे। पढ़ते, लिखते और सीखते उन्हें आनंद की अनुभूति होगी, मानसिक परेशानी नहीं। दरअसल, अंग्रेजी उनके लिए पराई भाषा है, मातृभाषा अपनी भाषा।**

चौपाल

भरोसा और सावधानी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रहित की बात कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा संदेश दिया कि पश्चिमी देश भी सकते में आ गए। आतंकवाद को लेकर अमेरिका अब बेनकाब हो चुका है। दो देशों को लड़ा कर अपने को मसीहा साबित करने वाले अमेरिका की सच्चाई सामने आ चुकी है। सवाल है कि अमेरिका क्या वास्तव में पाकिस्तान का हमदर्द है? अगर नहीं तो बार-बार वह पाकिस्तान के प्रति क्यों नरमी का रुख अपनाता है? 'आपरेशन सिंदूर' के दौरान युद्ध विराम कराने का तमगा लेने के लिए बेचैन ट्रंप बार-बार क्यों यह निराधार बात बोल रहे थे कि दोनों देशों के बीच उन्होंने ही मध्यस्थता कराई? इसका खंडन भारत हमेशा करता रहा है। ये सभी आरोप अमेरिका पर इसलिए सही लगते हैं कि पाकिस्तान और भारत के बीच शांति के बाद अमेरिका ने पाक सेना प्रमुख को वाइट हाउस में बुला कर ऐसी खातिरदारी की गई कि पाकिस्तान सरकार गदगद है। अमेरिका पर आंख मूंद कर भरोसा करना बेमानी होगा। भारत को अब यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए।

– युगल किशोर राही, छपरा, बिहार

पर्यावरण की फिक्र

सड़कों, मेट्रो और अन्य निर्माण कार्यों के लिए पेड़ों को काटा जाता है। इससे पर्यावरण पर विपरीत असर हो रहा है। जिस गति से पेड़ों की कटाई हो रही है, उस अनुपात में पौधरोपण नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है, तो पौधों को वृक्ष बनने में समय लगता है। न्यायालयों ने भी निर्माण के नाम पर पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने पर अपनी नाराजगी कई बार जताई है। इसके विकल्प के रूप में सरकार को 'वृक्ष बैंकों' की स्थापना करनी चाहिए। जिन वृक्षों को सड़क निर्माण में बाधा बनने के कारण काटा जाना है, उन्हें काटने के बजाय किसी खाली भूमि पर स्थानांतरित कर देना चाहिए तथा निर्माण पूरा होने के बाद दोबारा सड़कों के किनारे पुनर्स्थापित कर देना चाहिए। इससे सड़क निर्माण के लिए पेडों की कटाई से पर्यावरण का नुकसान नहीं होगा और वृक्ष फिर से उसी अवस्था में आ जाएंगे। सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए। नए पौधे तैयार कर उन्हें बड़े करने में होने वाले व्यय से तो यह सस्ता ही होगा।

– यशवंत गोरे, भोपाल

योग से सेहत

योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। योगाभ्यास दिमाग और शरीर की एकता का प्रतीक है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य है। योग से कई असाध्य बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के प्रयास से प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों में योग के प्रति जागरूकता पैदा करना है, क्योंकि योग इंसान को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है। आज पूरी दुनिया में योग की लोकप्रियता बढ़ रही है, लेकिन अपने देश के युवाओं में योग के स्थान पर जिम जाने का फैशन बढ़ गया है। जिम में तेजी से अधिक पसीना निकलने की वजह से लोगों में हृदय रोग बढ़ रहा है। योग ने विश्व को एक सूत्र में बांधा है। यह शांति और प्रेम का संदेश फैला रहा है। हमारी बदलती जीवन-शैली एवं जलवायु परिवर्तन से निपटने में यह मददगार साबित होता है। योगासन को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए।

– हिमांशु शेखर, गया

आत्मनिर्भरता की राह

भारत आर्थिक प्रगति के लिए आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। आत्मनिर्भर का अर्थ है कि देश अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा करे, विदेशी आयात पर निर्भरता कम करे और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दे। आत्मनिर्भरता की आवश्यकता महामारी के दौरान स्पष्ट हुई, जब आपूर्ति शृंखला बाधित हुई और भारत को अपनी चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं के लिए स्वयं पर निर्भर रहना पड़ा। सरकार ने इस दिशा में 'आत्मनिर्भर भारत अभियान' शुरू किया, जिसमें कई कार्यक्रम शामिल हैं। इसका उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना, रोजगार सृजन करना और नवाचार को प्रोत्साहित करना है। भारत अब भी ऊर्जा, इलेक्ट्रानिक्स और कच्चे माल के लिए आयात पर निर्भर है। स्वदेशी उत्पादन बढ़ाने से न केवल विदेशी मुद्रा बचेगी, बल्कि ग्रामीण और छोटे उद्यमियों को भी सशक्त बनाया जा सकेगा।

– चंदन कुमार नाथ, बरपेटा, असम

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

वन्यजीव

राजस्थान के अजमेर जिले में मोंडा के बाहरी इलाके में अपने घोंसले के पास एक पक्षी।

बोल

हर पड़ोसी देश को समझना चाहिए कि भारत के साथ मिलकर चलने से फायदा और दूरी बनाने से नुकसान है। हालांकि, पाकिस्तान एक अपवाद है, वहां की सेना की सोच भारत विरोधी है और वही वहां देश चलाती है। – एस जयशंकर, विदेश मंत्री

बोल

इजराइल-ईरान के बीच संघर्ष को शांति के रास्ते पर लाने के लिए हम किसी मध्यस्थता के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल, हम दोनों देशों से यही उम्मीद करते हैं कि वे जल्द से जल्द युद्ध को समाप्त करेंगे। – दिमित्री पेस्कोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता

सम-सामयिक

जी-7 : आतंकवाद के खिलाफ दुनिया को भारत का कड़ा संदेश

जनसत्ता संवाद

वैश्विक मंच जी-7 पर भारत ने अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कर दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। तमाम राष्ट्राध्यक्षों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद पर दोहरी नीति अपनाने वाले देशों को कठघरे में खड़ा कर एक बार फिर भारत के नैतिक नेतृत्व का उद्घोष किया है। भारत ने आतंकवाद को लेकर पश्चिमी देशों की चुप्पी, वैश्विक संस्थाओं की पक्षपातपूर्ण नीति और पाकिस्तान जैसे आतंक के संरक्षकों को दिए जा रहे आर्थिक पुरस्कारों पर सख्त लहजे में सवाल उठाए। जी-7 के मंच से दिया गया भारत का संदेश सीधे-सीधे आतंकवाद पर दोहरी अंतरराष्ट्रीय नीति में एक नैतिक हस्तक्षेप है, जिसे अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

अब दुनिया के सामने यह प्रत्यक्ष रूप से बड़ा सवाल है कि क्या वैश्विक संस्थाएं आतंकवाद से लड़ने के नाम पर केवल दिखावा तो नहीं कर रही हैं? क्या आतंकवादियों को पालने वाले देशों को खुलेआम आर्थिक सहूलियतें देकर हम पूरी मानवता के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे? इन सवालों के बाद आइएमएफ, विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को यह सोचना होगा कि क्या वे वास्तव में वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं या फिर केवल राजनीतिक समीकरणों के हिसाब से निर्णय लेने वाली एजंसियां बनकर रह गई हैं? भारत ने हमेशा की तरह एक बार फिर अपना फर्ज निभाते हुए आतंक पर मौन रहने वाले देशों को नैतिक आईना दिखाया है, जिसमें उन्हें अपना ढुलमुल रवैया और आत्मघाती चुप्पी साफ दिखाई देनी चाहिए। भारत ने दृढ़ता से यह संदेश दिया है कि वह अब केवल एक आमंत्रित राष्ट्र नहीं, बल्कि नैतिक नेतृत्व का वाहक बनकर खड़ा हुआ है।

विश्व के शीर्ष नेताओं के बीच भारत ने सीधे-सीधे यह सवाल उठाया कि एक तरफ तो हम अपनी पसंद के हिसाब से हर तरह के प्रतिबंध लगाने में तत्पर रहते हैं तो दूसरी तरफ, आतंकवाद का खुलकर समर्थन करने वाले देशों को पुरस्कृत किया जाता है। इससे सवाल उठता है कि क्या वैश्विक संस्थाएं वास्तव में आतंकवाद के विरुद्ध गंभीर हैं? भारत ने दुनिया के सामने एक असहज लेकिन बेहद जरूरी प्रश्न रखा, क्या हम आतंकवाद को लेकर वाकई ईमानदार हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि एक ओर विश्व बैंक जैसे वैश्विक संस्थान पाकिस्तान जैसे देश को वित्तीय सहायता देते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। दूसरी ओर इन संस्थानों से अपेक्षा की जाती है कि वे वैश्विक शांति सुनिश्चित करें। यह सीधा विरोधाभास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ पूछा कि क्या आतंक फैलाने वालों और आतंक से पीड़ितों को एक ही तराजू में तौला जाएगा? प्रधानमंत्री ने अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका और पश्चिमी देशों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने बिना लाग-लपेट के कहा कि कुछ देश अपने हितों के अनुरूप प्रतिबंध लगाते हैं, लेकिन जब बात उन देशों की आती है जो आतंकवाद के खुले समर्थक हैं तब या तो चुप्पी साध लेते हैं या उन्हें आर्थिक मदद देकर पुरस्कृत करते हैं।

आतंक का साथ देना मानवता से विश्वासघात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जी-7 सम्मेलन में अपने भाषण के दौरान कहा, आतंक या आतंकियों का साथ देना, पूरी मानवता के साथ विश्वासघात है। यह बयान एक स्पष्ट संदेश देता है कि भारत अब केवल अपने लिए नहीं, बल्कि समूची मानवता के लिए आतंकवाद के विरुद्ध आवाज उठाने को तैयार है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमने आज निर्णायक कदम नहीं उठाए तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। यह न सिर्फ एक चेतावनी है, बल्कि एक वैश्विक आह्वान है, आतंकवाद के विरुद्ध तटस्थ रहना अब विकल्प नहीं है।

शोध

विटामिन डी चुस्त-दुरुस्त बनाए रखने में मददगार

जनसत्ता संवाद

द अमेरिकन जर्नल आफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में टेलोमेरेस पर गौर किया गया है, यह गुणसूत्रों के सिरों पर छोटे सुरक्षात्मक ढक्कन की तरह होता है। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये सिरे घिसते जाते हैं, जो दिल की समस्याओं, कैंसर और उम्र से संबंधित बीमारियों का करण बनता है। टेलोमेरेस जितने छोटे होंगे, कोशिकाएं उतनी ही घिसी हुई होंगी।

विटामिन डी सिर्फ आपकी हड्डियों को ही दुरुस्त नहीं रखती, बल्कि कोशिकाओं को जवान रखने में भी मदद करती है। इस बात का खुलासा हार्वर्ड से जुड़े मास जनरल ब्रिघम और मेडिकल कालेज आफ जार्जिया के शोधकर्ताओं के एक नए अध्ययन में किया गया है, जिसमें कहा गया है कि विटामिन डी की खुराक वास्तव में जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती है।

द अमेरिकन जर्नल आफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में टेलोमेरेस पर गौर किया गया है, यह गुणसूत्रों के सिरों पर छोटे सुरक्षात्मक ढक्कन की तरह होते हैं। जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ये सिरे घिसते जाते हैं, जो दिल की समस्याओं, कैंसर और उम्र से संबंधित बीमारियों का कारण बनता है। टेलोमेरेस जितने छोटे होंगे, कोशिकाएं उतनी ही घिसी हुई होंगी।

शोध में उन आंकड़ों पर गौर किया गया, जो एक लंबे समय के नैदानिक परीक्षण जिसमें प्रतिभागियों को अनियमित ढंग से या तो विटामिन डी-3, ओमेगा-3 फैटी एसिड (1 ग्राम प्रति दिन), या एक प्लेसबो दिया गया था। टेलोमेर सहयोगी अध्ययन में 1,000 से अधिक लोगों, जिनमें 55 साल से अधिक उम्र की महिलाओं और 50 साल से अधिक पुरुषों पर चार साल तक प्रयोग किया गया। परिणामों से पता चलता है कि विटामिन डी लेने वालों में प्लेसबो लेने वालों की तुलना में टेलोमेर की कमी काफी कम थी। वास्तव में विटामिन डी ने कोशिकाओं की उम्र बढ़ने की दर को लगभग तीन वर्ष के बराबर धीमा कर दिया। यानी इससे कोशिकाओं के युवा बने रहने में मदद मिली, जो वास्तव में अहम पहलू है। दूसरी ओर, ओमेगा-3एस से इस मामले में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, कम से कम टेलोमेर की लंबाई के लिए तो नहीं। यह अध्ययन इस बात के बढ़ते प्रमाण को जोड़ता है कि विटामिन डी केवल आपकी हड्डियों और प्रतिरक्षा को सहारा देने से कहीं ज्यादा काम करता है। यह शरीर की कोशिकाओं को लंबे समय तक जवान बनाए रखने के लिए पर्दे के पीछे चुपचाप काम कर सकती है।

(फाइल फोटो)

शोध पत्र में शोधकर्ताओं के हवाले से कहा गया है कि निष्कर्षों से पता चलता है कि विटामिन डी जैविक उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का मुकाबला करने के लिए एक आशाजनक रणनीति हो सकती है। हालांकि, इसमें आगे और शोध करने की जरूरत है। विटामिन डी उन पोषक तत्वों में से एक है, जो चुपचाप शरीर में बहुत सारे महत्त्वपूर्ण काम करता है। हम में से अधिकांश को यह एहसास भी नहीं होता कि हमारे शरीर में इसकी कमी हो रही है। इसे 'सनशाइन विटामिन' का नाम भी दिया गया है, क्योंकि धूप से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। शरीर में विटामिन डी की कमी होने पर चिकित्सक भी कुछ समय के लिए धूप में रहने की सलाह देते हैं।

विश्व परिक्रमा

पुतिन ने यूक्रेन को रूस का हिस्सा करार दिया

जनसत्ता संवाद

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल ही में कहा कि पूरा यूक्रेन हमारा है। इसके अलावा उन्होंने यूक्रेनी शहर सुमी पर बफर जोन बनाने के लिए कब्जा करने की चेतावनी भी दी है। पुतिन ने सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनामिक फोरम में कहा कि रूसी और यूक्रेनी लोग एक ही हैं और इस लिहाज से पूरा यूक्रेन रूस का है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह यूक्रेन की आजादी पर सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन यूक्रेन को रूस के कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना होगा।

वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की इस बात को खारिज किया कि रूसी और यूक्रेनी एक ही लोग हैं। रूस अभी यूक्रेन के लगभग 20 फीसद हिस्से पर कब्जा किए हुए है, जिसमें क्रीमिया, लुहांस्क क्षेत्र का 99 फीसद से अधिक, दोनेत्सक, जापोरीज्जिया और खेरसान क्षेत्रों का 70 फीसद से अधिक तथा खार्किव और सुमी क्षेत्रों के कुछ हिस्से शामिल हैं। पुतिन ने हाल ही में यूक्रेन की सीमा से लगे सूमी क्षेत्र में एक बफर जोन बनाने की बात कही थी। इसका मकसद रूस के सीमा वाले इलाकों (जैसे कुर्स्क, ब्रायंस्क, और बेलगोरोद) को यूक्रेनी ड्रोन और तोपखाने के हमलों से बचाना है।

रूसी सेना ने सूमी के चार गांवों (नोवेंके, बासिवका, वेसलिवका, और जुरावका) पर कब्जा किया है, जो अब 'ग्रे जोन' में हैं। रूस का दावा है कि सूमी शहर (सीमा से 25 किमी दूर) को बफर जोन में शामिल करने से यूक्रेन की हमले की क्षमता कम होगी। रूस और यूक्रेन ने पिछले सप्ताह कैदियों की अदला-बदली का एक और दौर पूरा कर लिया। दोनों देशों के अधिकारियों ने बताया कि यह कैदियों और मृत सैनिकों के शवों की अदला-बदली के लिए 14 मई को इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता समझौते का हिस्सा है। इससे पहले रूस और यूक्रेन ने 23-25 मई को एक-दूसरे के एक-एक हजार कैदियों की अदला-बदली की थी।

जानें-समझें

ईरान पर अमेरिकी हमला

भारत और अरब देशों का क्या होगा रुख

जनसत्ता संवाद

ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष न केवल मध्य पूर्व को, बल्कि पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। इस टकराव का असर वैश्विक ऊर्जा बाजारों, व्यापारिक मार्गों और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति तक महसूस किया जा रहा है। भारत के लिए यह स्थिति और भी जटिल है। एक ओर वह इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी को मजबूती दे रहा है, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ उसके गहरे रणनीतिक और आर्थिक हित जुड़े हैं। इस बीच, दो देशों के बीच में जारी इस युद्ध में अमेरिका भी कूद गया, जिससे भारत और अरब देशों में चिंता बढ़ गई है। इस बीच, रूस और चीन भी क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे हैं। वे मध्यस्थता की पेशकश तो कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनका ध्यान इस क्षेत्र में अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देने पर केंद्रित है। इन परिस्थितियों में कई अहम सवाल उठते हैं, क्या इजराइल अपने सैन्य अभियानों के जरिए संघर्ष को और बढ़ा रहा है? भारत और अरब देश कैसे इजराइल व ईरान के साथ रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आज के समय में इसके क्या असर हो सकते हैं?

भारत तनाव कम करने के पक्ष में

जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया, तो एक ध्रुवीकृत वैश्विक माहौल में भारत के लिए किसी एक पक्ष का समर्थन करना आसान नहीं था। हालांकि, करीब एक महीने पहले जब भारत ने पाकिस्तान के कुछ इलाकों में सैन्य कार्रवाई की थी, तब इजराइल ने भारत का खुलकर समर्थन किया था। यह इजराइल के लिए एक सहज निर्णय था, क्योंकि पाकिस्तान अब तक इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता नहीं देता है। वहीं दूसरी ओर, भारत और ईरान के बीच लंबे समय से मजबूत और सभ्यतागत स्तर के संबंध रहे हैं। दोनों देशों के बीच रणनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जुड़ाव गहरे हैं। ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह बिना अपने दीर्घकालिक हितों को नुकसान पहुंचाए इस संघर्ष में किसके साथ खुलकर खड़ा हो सकता है। ग्रेटर वेस्ट एशिया फोरम की चेयरपर्सन डाक्टर मीना राय ने कहा कि भारत के मध्य एशिया में कई अहम हित जुड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमारे लिए तेल का आयात, खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंध और सबसे बड़ी बात वहां रह रहे 90 लाख से ज्यादा भारतीय बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर युद्ध बढ़ता है, तो इस पूरे क्षेत्र को इससे अलग नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान के परमाणु ठिकानों को जो निशाना बनाया जा रहा है, अगर कहीं जरा सी भी चूक हुई और रेडिएशन हवा में फैल गया, तो उसका असर बहुत भयावह हो सकता है। राय ने कहा, भारत के लिए इजराइल और ईरान दोनों के साथ संबंध महत्वपूर्ण हैं और भारत नहीं चाहेगा कि तनाव और बढ़े क्योंकि उसका असर सभी पर पड़ेगा।

इस्लामिक देशों की नीति

कतर, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य-पूर्व के कई देशों ने इजराइल की ओर से ईरान पर किए गए हालिया हमलों की कड़ी निंदा की है। कतर ने चेतावनी दी कि इजराइल की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। वहीं, सऊदी अरब ने इन हमलों को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया। इन देशों का मानना है कि अगर इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष और बढ़ा, तो इसका असर केवल क्षेत्रीय सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी है कि अमेरिका के ईरान पर हमलों के बाद इस्लामिक देशों का रुख क्या होगा। इस पर मीना राय ने कहा कि अरब देशों के हालिया बयानों से यह स्पष्ट है कि वे इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष को बढ़ते नहीं देखना चाहते। उन्होंने कहा, वे नहीं चाहते कि इस लड़ाई में अमेरिका आए और यह लड़ाई हद तक बढ़ जाए। जब पहले ईरान-इराक युद्ध हुआ था, तब कोई भी ईरान के साथ खड़ा नहीं था। आज भी वह अकेला ही लड़ रहा है, लेकिन इस बार अरब देशों, विशेषकर सऊदी अरब की ओर से सबसे पहले बयान सामने आया है।

(फाइल फोटो)

भारत के मध्य एशिया में कई अहम हित जुड़े हुए हैं। हमारे लिए तेल का आयात, खाड़ी देशों के साथ व्यापारिक संबंध और सबसे बड़ी बात वहां रह रहे 90 लाख से ज्यादा भारतीय अहम पहलू हैं। अगर युद्ध बढ़ता है, तो इस पूरे क्षेत्र को इससे अलग नहीं किया जा सकता। भारत के साथ-साथ अरब देशों पर भी इस युद्ध का प्रभाव पड़ेगा।

- डाक्टर मीना सिंह राय, ग्रेटर वेस्ट एशिया सेंटर की चेयरपर्सन

अमेरिकी विदेश नीति का एक मुख्य उद्देश्य इजराइल की सुरक्षा है, इसलिए अमेरिका का मौजूदा रुख कोई नया नहीं है। इजराइल चाहता है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर ऐसा हमला किया जाए जिससे वह अगले दस वर्ष तक फिर से खड़ा न हो सके। ऐसा हमला करने के लिए जिन विशेष बमों की जरूरत है, वो सिर्फ अमेरिका के पास हैं। *- कबीर तनेजा, आब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्ट्रैटेजिक स्टडीज के डिप्टी डायरेक्टर*

रूस और चीन किसके साथ

जब इजराइल ने ईरान पर हवाई हमला किया, तो चीन की पहली प्रतिक्रिया कड़ी थी। चीन ने कहा कि इजराइल ने 'लाल रेखा' पार कर ली है, जो यह संकेत देती है कि वह इजराइली कार्रवाई को गंभीरता से ले रहा है। दूसरी ओर, रूस ने अब तक इजराइल-ईरान संघर्ष में अपेक्षाकृत संतुलित और सतर्क रुख अपनाया है। रूस, इजराइल के हमलों की आलोचना तो कर रहा है, लेकिन अब तक उसने ईरान को कोई प्रत्यक्ष सैन्य सहायता नहीं दी है और न ही इजराइल के खिलाफ कोई कदम उठाया है।

इजराइल के लोग क्या चाहते हैं

अधिकांश इसराइली मानते हैं कि ईरान को किसी भी सूरत में परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि वह इजराइल के लिए अस्तित्व का संकट होगा। ईरान के मिसाइल हमलों के बावजूद ज्यादातर लोग मानते हैं कि इजराइल की यह जंग पूरी तरह जायज है।

व्यक्तित्व

दिव्या देशमुख : पांच वर्ष की उम्र से कड़े अभ्यास ने दिलाई कामयाबी

जनसत्ता संवाद

एक 18 साल की शतरंज खिलाड़ी इनदिनों रातों-रात सुर्खियों में आ गई हैं। दरअसल, भारत की दिव्या देशमुख ने शतरंज की नंबर-एक चीनी दिग्गज खिलाड़ी होउ यिफान को मात देकर सुर्खियां बटोरीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 'एक्स' पर पोस्ट कर उनकी तारीफ की। फिडे विश्व रैपिड एंड ब्लिट्ज टीम चैंपियनशिप के दूसरे चरण के ब्लिट्ज सेमीफाइनल में इस भारतीय खिलाड़ी ने चीन की होउ यिफान को 74 चालों के रोमांचक मुकाबले में शिकस्त दी है। दिव्या ने आठ में से छह गेम जीत कर एक ड्रा और सिर्फ एक बाजी हारी।

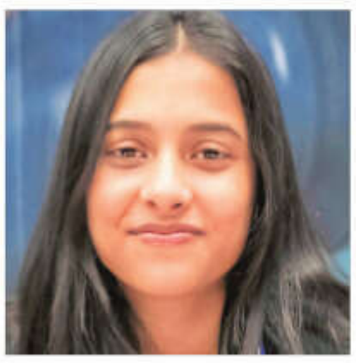

पांच साल की उम्र में सीखी शतरंज, सात में नेशनल चैंपियन : नौ दिसंबर 2005 को महाराष्ट्र के नागपुर में दिव्या देशमुख का जन्म एक डाक्टर परिवार में हुआ। दिव्या देशमुख पांच साल की उम्र में शतरंज की ओर आकर्षित हुईं। 2012 में महज सात वर्ष की उम्र में दिव्या ने अंडर-7 राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। इसके बाद अंडर-10 (डरबन, 2014) और अंडर-12 (ब्राजील, 2017) कैटेगरी में विश्व युवा खिताब जीते। वह यहीं नहीं रुकी, उन्होंने बुडापेस्ट में 45वें शतरंज ओलंपियाड (2024) में भारत की टीम को स्वर्ण पदक में भी योगदान दिया और विश्व टीम रैपिड एंड ब्लिट्ज चैंपियनशिप के ब्लिट्ज सेगमेंट में 2600 से अधिक प्रदर्शन रेटिंग प्राप्त करते हुए व्यक्तिगत सम्मान अर्जित किया। अब तक वह कई पदक जीत चुकी हैं, जिनमें ओलंपियाड में तीन स्वर्ण और कई एशियाई और विश्व युवा खिताब शामिल हैं।

भारतीय ग्रैंडमास्टर दिव्या देशमुख ने कहा है कि उन्हें फिडे वर्ल्ड ब्लिट्ज टीम शतरंज चैंपियनशिप में दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी होउ यिफान को हराने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। दिव्या ने कहा, मुझे पता था कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी। अगर विश्व चैंपियन के खिलाफ खेलने का विचार मेरे दिमाग में आता तो मैं भयभीत हो जाती। इसलिए मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके खिलाफ खेल रही हूं, मैंने अपने खेल पर ध्यान केंद्रित किया और मुझे केवल इतना पता था कि बाजी हर हाल में जीतनी है।

दिव्या ने बहुत कम उम्र में ही वुमन एफआइडीइ मास्टर का खिताब हासिल कर लिया था। अक्तूबर 2021 तक उन्होंने महिला ग्रैंडमास्टर का खिताब भी अपने नाम कर लिया। वह विदर्भ की पहली और भारत की 22वीं खिलाड़ी बनीं, जिन्होंने यह मुकाम हासिल किया। 2023 में उन्होंने इंटरनेशनल मास्टर का खिताब भी जीता। दिव्या को वर्ल्ड जूनियर नंबर एक के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने 2024 में वर्ल्ड जूनियर गर्ल्स यू-20 चैंपियनशिप जीती थी। उन्होंने 11 में से 10 अंक हासिल किए थे। दिव्या देशमुख ने 45वें चेस ओलंपियाड में भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में भी अहम भूमिका निभाई थी।

पहलगाम आतंकी हमला

एनआइए को दो आरोपियों की पांच दिन की हिरासत मिली

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकवादी हमले के मामले में गिरफ्तार दो आरोपियों को यहां की एक अदालत ने सोमवार को राष्ट्रीय जांच एजंसी (एनआइए) की पांच दिन की हिरासत में भेज दिया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि दोनों आरोपियों पर हमले में पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह देने का आरोप है। एनआइए ने रविवार को दो आरोपियों पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद जोथर और पहलगाम के हिल पार्क निवासी बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया था। यह हमले की जांच में पहली बड़ी सफलता थी। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में 26 लोग मारे गए थे, जिनमें अधिकतर पर्यटक थे और 16 अन्य घायल हुए थे।

अदालत जाता आतंकी को पनाह देने का आरोपी।

एनआइए के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने हमले में शामिल तीन सशस्त्र आतंकवादियों की पहचान का खुलासा किया है और यह भी पुष्टि की है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी नागरिक थे। अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि दोनों आरोपियों को जम्मू के अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश रितेश कुमार दुबे की अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें 27 जून को पांच दिन के लिए एनआइए की हिरासत में भेज दिया गया।

एनआइए की जांच के अनुसार, परवेज और बशीर ने हमले से पहले जानबूझकर तीन सशस्त्र आतंकवादियों को हिल पार्क स्थित झोपड़ी में पनाह दी थी। आतंकवाद रोधी संघीय एजंसी ने बताया कि दोनों आरोपियों ने पहलगाम हमले में संलिप्त आतंकवादियों को भोजन, आश्रय और रसद की मदद की थी। एनआइए के मुताबिक, पूछताछ में अभी कई और अहम खुलासे हो सकते हैं। राष्ट्रीय जांच एजंसी हमले की साजिश और अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है।

उत्तराखंड : पंचायत चुनावों पर हाई कोर्ट ने रोक लगाई

जनसत्ता संवाददाता
देहरादून, 23 जून।

उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य में अगले महीने होने वाले पंचायत चुनावों पर सोमवार को रोक लगा दी और कहा कि यह अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी।

मुख्य न्यायाधीश जी नरेंदर और न्यायमूर्ति आलोक मेहरा की खंडपीठ ने राज्य में पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की चक्रीय व्यवस्था को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, 10 और 15 जुलाई को दो चरणों में होने वाले इन चुनावों पर रोक लगा दी। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा हाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों के लिए तिथियां घोषित की गयी थीं। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार, मतगणना 19 जुलाई को होनी थी। खंडपीठ ने कहा कि पंचायत चुनावों पर यह रोक अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। हाई कोर्ट का यह आदेश ऐसे समय आया है जब इन चुनावों के लिए आदर्श आचार संहिता 12 जिलों में लागू हो चुकी थी। राज्य निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार ने पंचायत चुनावों के लिए अधिसूचना और विस्तृत चुनाव कार्यक्रम 21 जून को जारी किया था, जिसके अनुसार नामांकन पत्र 25 जून से दाखिल किया जाना था। उत्तराखंड में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उनमें नियुक्त प्रशासकों का कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है।

याचिका दायर कर पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण की चक्रीय व्यवस्था को चुनौती दी गई।

इस बीच, प्रदेश के पंचायती राज सचिव चंद्रेश कुमार ने कहा कि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश (स्थगन) का समुचित पालन किया जा रहा है। आरक्षण नियम 2025 की गजट अधिसूचना की प्रति रूड़की में सरकारी प्रेस को भेजी जा रही है जिसे जल्द ही जारी कर दिया जाएगा और उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा ताकि उपयुक्त न्यायिक मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि राज्य सरकार, अदालत की गरिमा एवं निर्देशों का पूर्ण सम्मान करते हुए पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक और विधिसम्मत तरीके से संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के शिक्षक हनी बाबू की याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

उन्होंने इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था कि वे जमानत के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं या नहीं। न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने मामले को आंशिक कार्य दिवसों में सूचीबद्ध करने से इनकार किया और जुलाई में अदालत के फिर से खुलने के बाद इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कई सह-आरोपियों को गुण-दोष के आधार पर और लंबी हिरासत के आधार पर जमानत दी है। हनी बाबू ने बांबे हाई कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस ले ली। दो मई को हाईकोर्ट ने कहा कि बाबू को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टीकरण लेना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी जमानत याचिका वापस लेने के बाद उन्हें जमानत के लिए हाई कोर्ट जाने की स्वतंत्रता है।

आरएसएस की प्रांत प्रचारक बैठक चार से छह जुलाई को दिल्ली में

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की प्रतिवर्ष होने वाली अखिल भारतीय स्तर की प्रांत प्रचारक बैठक चार से छह जुलाई को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आयोजित हो रही है। यह बैठक दिल्ली के 'केशवकुंज' संघ कार्यालय में होगी। इस बैठक के लिए संघ के सरसंघचालक मोहन भागवत 28 जून को दिल्ली पहुंचेंगे।

आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर के मुताबिक देशभर के सभी प्रांत प्रचारक, सह प्रांत प्रचारक एवं क्षेत्र प्रचारक तथा सह क्षेत्र प्रचारक बैठक में उपस्थित रहेंगे। संघ की संगठन रचना में कुल 11 क्षेत्र एवं 46 प्रांत बनाए गए हैं। इस बैठक में संघ प्रेरित विविध संगठनों के अखिल भारतीय संगठन मंत्री भी शामिल होंगे। इस साल मार्च में हुई अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक के बाद पूरे देश में अप्रैल, मई एवं जून में संघ के विभिन्न स्तरों के प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण होने के पश्चात आगामी योजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा की दृष्टि से यह बैठक अहम मानी जाती है।

आंबेकर के मुताबिक, बैठक में हाल ही में संपन्न हुए संघ के प्रशिक्षण वर्गों के वृत्तांत एवं समीक्षा, आगामी शताब्दी वर्ष के निर्धारित विविध कार्यक्रमों की योजना का क्रियान्वयन, सरसंघचालक के वर्ष 2025-26 की प्रवास योजना जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। संघ शताब्दी वर्ष (2025-26) के कार्यक्रम विजयदशमी यानी दो अक्तूबर 2025 से प्रारंभ होकर अगले वर्ष विजयादशमी 2026 तक चलेंगे। बैठक में सरसंघचालक के अलावा सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, सभी सह सरकार्यवाह कृष्णगोपाल, सीआर मुकुंद, अरुण कुमार, रामदत्त, आलोक कुमार, अतुल लिमये,सह प्रमुख एवं कार्यकारिणी के सदस्य बैठक में भाग लेंगे।

मौसम सूरत में सोमवार को बारिश से सड़कों पर घुटनों तक पानी भर आया। इस बीच मार्ग से गुजरती एंबुलेंस को भी परेशानी का सामना करना पड़ा।

कांग्रेस ने निजी कंपनी को 26,000 करोड़ के अनुबंध पर उठाए सवाल, कहा

संसदीय समिति से कराई जाए मामले की जांच

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

कांग्रेस ने गुजरात के दाहोद में रेल इंजनों के निर्माण के लिए सीमेंस कंपनी को दिए गए अनुबंध में पारदर्शिता की कमी और हितों के टकराव को लेकर सवाल उठाए हैं। पार्टी का दावा है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव इस कंपनी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए इस मामले की संसदीय समिति से जांच कराई जानी चाहिए।

कांग्रेस का दावा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव सीमेंस लोकोमोटिव इंडिया के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

कांग्रेस के पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से निजी कंपनी सीमेंस लोकोमोटिव इंडिया के साथ 26,000 करोड़ रुपए का अनुबंध किया गया है। इसके तहत 11 साल की अवधि में 1,200 रेल इंजनों का निर्माण किया जाना है, लेकिन दावों के विपरीत कंपनी के संयंत्र में केवल सामन लाकर निर्माण और जांच हो रही है। बृजेंद्र के मुताबिक, दिसंबर 2022 में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। उस समय दावा किया गया था कि रेल इंजनों का पूरा उत्पादन दाहोद में होगा और यह संयंत्र लगभग ढाई साल में तैयार हो जाएगा।

साथ ही रेलवे कर्मचारियों और अभियंताओं को इंजन निर्माण का प्रशिक्षण रेलवे के विशाखापट्टनम, रायगढ़, पुणे और खड़गपुर डिपो में दिया जाएगा, जिससे दाहोद एक आधुनिक इंजीनियरिंग हब के रूप में उभरेगा और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

बृजेंद्र सिंह ने आरोप लगाया कि इस योजना की सच्चाई सरकार के दावों के विपरीत है। केंद्र सरकार ने जिस स्वदेशी (मेक इन इंडिया या मेक इन गुजरात) का आश्वासन दिया था, वैसा कुछ भी जमीनी हकीकत में नहीं है। उन्होंने दावा किया कि इंजन प्रणाली, पावर कन्वर्टर और अन्य महत्त्वपूर्ण घटकों का निर्माण सीमेंस कंपनी के नाशिक, औरंगाबाद और मुंबई स्थित कारखानों में किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि सीमेंस लोकोमोटिव इंडिया को उसके इतिहास का सबसे बड़ा अनुबंध उस समय मिला, जब देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं, जो खुद कभी इस कंपनी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं।

गुजरात उपचुनाव में कांग्रेस की हार के बाद

पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोहिल ने दिया इस्तीफा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

गुजरात विधानसभा की कडी और विसावदर सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता गोपाल इटालिया ने विसावदर सीट पर जीत दर्ज की, जबकि कडी सीट सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के खाते में गई, जहां से उसके उम्मीदवार राजेंद्र चावड़ा विजयी घोषित किये गए। राज्य विधानसभा की इन दो सीट पर 19 जून को मतदान हुआ था और 23 जून (सोमवार) को नतीजे घोषित किए गए। गुजरात में कभी मजबूत राजनीतिक ताकत रही कांग्रेस ने दोनों विधानसभा क्षेत्रों में निराशाजनक प्रदर्शन किया और उनमें से एक में तीसरे स्थान पर रही। परिणाम घोषित होने के तुरंत बाद, गोहिल ने यह कहते हुए अपना इस्तीफा दे दिया कि उपचुनाव के नतीजे कांग्रेस की उम्मीदों के मुताबिक नहीं हैं।

गोहिल ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि उपचुनाव के नतीजे हमारी उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहे, इसलिए मैंने अपनी पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए गुजरात कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। मैंने अपना इस्तीफा पहले ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को भेज दिया है।

उन्होंने बताया कि जब तक पार्टी नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त नहीं करती तबतक वरिष्ठ विधायक और गुजरात कांग्रेस महासचिव शैलेश परमार प्रभारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। गुजरात से 65 वर्षीय राज्यसभा सदस्य गोहिल ने रेखांकित किया कि यदि कांग्रेस उपचुनाव वाली दो सीट में से कम से कम एक पर जीत हासिल कर ली होती तो शायद वह इस्तीफा देने का निर्णय नहीं लेते।

राज्यसभा सदस्य गोहिल को 2024 के आम चुनावों से पहले जून 2023 में कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया था।
आप की गुजरात इकाई के अध्यक्ष इटालिया ने जूनागढ़ जिले की विसावदर सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी भाजपा उम्मीदवार किरीट पटेल को 17,554 मतों के अंतर से हराया। निर्वाचन आयोग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, कुल 21 चरण की मतगणना के बाद इटालिया को 75,942 मत मिले, जबकि पटेल को 58,388 मतों से संतोष करना पड़ा।

'मराठी भाषा महाराष्ट्र की आत्मा, सरकार इसकी प्रतिष्ठा को नुकसान नहीं पहुंचाएगी'

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

महाराष्ट्र में हिंदी भाषा को 'थोपने' को लेकर उठे विवाद के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा) ने सोमवार को कहा कि सरकार ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लेगी, जिससे मराठी भाषा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचे। राज्य सरकार ने मराठी भाषा को महाराष्ट्र की 'आत्मा' करार दिया।

राकांपा के प्रवक्ता आनंद परांजपे ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार मराठी भाषा के महत्त्व को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। केंद्र सरकार ने मराठी को शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है। परांजपे ने कहा कि मराठी महाराष्ट्र की एकमात्र भाषा और आत्मा है। महायुति सरकार कभी भी ऐसा कोई निर्णय नहीं लेगी जिससे मराठी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता वाली राकांपा भाजपा नीत महायुति के घटक दलों में से एक है। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह एक संशोधित आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में कक्षा एक से पांच तक के विद्यार्थियों को हिंदी 'सामान्यतः' तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। सरकार ने कहा कि हिंदी अनिवार्य नहीं होगी तथापि उसने हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा का अध्ययन करने के लिए स्कूल में प्रत्येक कक्षा में कम से कम 20 छात्रों की सहमति अनिवार्य कर दी। विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दे रही है। विपक्ष ने कहा कि उसने महाराष्ट्र में इसे (हिंदी भाषा) 'लागू' करने का विरोध करने की कसम खाई है।

पेज 1 का बाकी

दिल्ली और हरियाणा में आज दस्तक दे सकता है मानसून

के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। हर साल, मानसून आमतौर पर 27 और 28 जून के बीच हरियाणा व चंडीगढ़ में प्रवेश करता है। हरियाणा के नौ जिलों में सोमवार को बारिश तापमान में गिरावट देखी गई। मौसम विभाग ने अगले चार दिन भारी बारिश की संभावना जताई है।सोमवार को दिल्ली के कुछ इलाकों में हुई बारिश व पूरे दिन बादल छाए रहने की वजह से मौसम तो ठीक रहा लेकिन सापेक्षिक आर्द्रता का स्तर सुबह नौ बजे के लगभग 89 फीसद दर्ज किया गया। सफदरजंग में सुबह साढ़े आठ बजे के बाद 4.1 मिमी व लोधी रोड़ पर 4.3 मिमी बारिश दर्ज की गई। जून में अभी तक 74.1 मिमी बारिश दर्ज की गई है।

आइएमडी ने मंगलवार को पूरे दिन वर्षा और गरज के साथ बारिश होने की चेतावनी जारी की है। दिल्ली के अधिकतर भागों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए मौसम की स्थितियां अनुकूल हैं। इसी तरह निजी मौसम पूर्वानुमान एजंसी 'स्काइमेट' ने कहा कि दिल्ली में मानसून मंगलवार को दस्तक दे सकता है। उमस, पूर्वी हवाएं चलने और पारे में गिरावट के आसार हैं।

आमतौर पर दक्षिण-पश्चिम मानसून 30 जून के आसपास दिल्ली पहुंचता है। अगर मानसून पूर्वानुमान के तहत 24 जून को दिल्ली पहुंचता है तो 2013 के बाद इसका सबसे जल्दी आगमन होगा। 2013 में मानसून 16 जून को दिल्ली पहुंच गया था। वहीं, पिछले साल मानसून 28 जून, 2023 में 25 जून, 2022 में 30 जून और 2021 में 13 जुलाई को दिल्ली पहुंचा था। आइएमडी ने अगले कुछ दिनों में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने तथा हल्की से मध्यम वर्षा, गरज के साथ बारिश होने और बिजली कड़कने का अनुमान व्यक्त किया है। इस महीने में अब तक दिल्ली में तीन दिन बारिश हुई है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 2.4 डिग्री कम 36.2 व न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री दर्ज किया गया है।

फोर्दो पर फिर हमला, ईरान को मिला पुतिन का साथ

प्रशासन पर दबाव बनाने के लिए इजराइल इन स्थलों को निशाना बना रहा है, लेकिन उसे सत्ता से हटाने के लिए सक्रिय रूप से कोशिश नहीं कर रहा है। इजराइल का यह कदम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अपने ट्रुथ सोशल पर यह लिखे जाने के कुछ ही घंटे बाद आया कि 'यदि वर्तमान ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा?' वियना में, संयुक्त राष्ट्र परमाणु निगरानी संस्था के प्रमुख ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि रविवार को अमेरिका द्वारा बंकर-बस्टर बमों से किए गए हवाई हमलों के बाद फोर्दो स्थित परमाणु केंद्र में भारी क्षति हुई होगी। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजंसी (आइएईए) के प्रमुख राफेल ग्रइसी ने कहा कि उपयोग किए गए विस्फोटक पेलोड को देखते हुए...बहुत अधिक क्षति होने की आशंका है।

ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरोज कमालवंदी सहित कई ईरानी अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान ने लक्षित स्थलों से परमाणु सामग्री पहले ही हटा ली थी। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार, ईरान ने सोमवार को किए गए अपने हमले को अपने अभियान 'ट्रू प्रामिस 3' की नई लहर बताया और कहा कि वह इजराइली शहरों हाइफा और तेल अवीव को निशाना बना रहा है। यरुशलम में भी विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं।

इजराइल की मैगन डेविड एडोम आपात कालीन बचाव सेवा ने कहा कि किसी के घायल होने की कोई सूचना नहीं है। ईरान में, चश्मदीदों ने बताया कि दोपहर में तेहरान के आसपास के इलाकों में इजराइली हवाई हमले हुए। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने पुष्टि की कि एक इजराइली हमला एविन जेल के गेट पर हुआ। रपट में हमले की 'ब्लैक एंड वाइट' फुटेज साझा की गई है। यह जेल दोहरी नागरिकता वाले लोगों और पश्चिमी देशों के लोगों को रखने के लिए जानी जाती है, जिन्हें ईरान अक्सर पश्चिमी देशों के साथ बातचीत में सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करता है। एविन में राजनीतिक कैदियों और पश्चिमी देशों से संबंध रखने वाले लोगों के लिए विशेष इकाइयां भी हैं, जिन्हें अर्धसैनिक क्रांतिकारी गार्ड द्वारा संचालित किया जाता है, जो केवल ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के प्रति जवाबदेह है। ईरान में किसी के हताहत होने या बड़ी क्षति की तत्काल कोई सूचना नहीं है, यद्यपि अर्ध-सरकारी समाचार एजंसी तस्नीम ने कहा है कि इजराइली हमलों के बाद तेहरान के बाहर बिजली आपूर्ति बंद होने की सूचना मिली है। ईरानी सरकारी टेलीविजन ने भी फुटेज प्रसारित किया, जिसे उसने एविन के अंदर शूट किया हुआ बताया, जिसमें कैदी नियंत्रण में दिख रहे हैं। इससे पहले, ईरानी सशस्त्र बलों के चीफ आफ ज्वाइंट स्टाफ के प्रमुख जनरल अब्दुलरहीम मौसवी ने वाशिंगटन को चेतावनी दी कि उसके हमलों ने ईरानी बलों को अमेरिकी हितों और उसकी सेना के खिलाफ कार्रवाई करने की 'खुली छूट' दे दी है।

पश्चिम एशिया में हजारों अमेरिकी सैनिक तैनात हैं, जिनमें से कई मिसाइल की मारक क्षमता के भीतर स्थित हैं। रूस ईरान के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सोमवार को ईरानी विदेश मंत्री अराघची के साथ मास्को में बैठक के बाद कहा कि उन्होंने इस बात पर विचार किया कि 'हम आज की स्थिति से कैसे बाहर निकल सकते हैं।' पुतिन ने ईरान पर इजराइल और अमेरिकी हमलों को 'पूरी तरह से बिना किसी उकसावे के किया गया आक्रमण' करार दिया। रूसी राष्ट्रपति ने अराघची से कहा कि हम अपनी ओर से ईरानी लोगों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। रूस और ईरान ने रणनीतिक साझेदारी संधि पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन इसमें किसी भी पक्ष पर हमला होने की स्थिति में सैन्य सहायता का प्रावधान नहीं है। हालांकि, संधि के तहत ईरान और रूस का दायित्व है कि वे हमलावर का पक्ष न लें और स्थिति को ठीक करने के लिए तत्काल राजनीतिक बातचीत में शामिल हों। यह पूछे जाने पर कि रूस, ईरान को किस प्रकार का समर्थन और सहायता दे सकता है, तो क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव ने कहा कि पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के बीच रूस, ईरान को विभिन्न प्रकार की सहायता दे सकता है, लेकिन यह तेहरान पर निर्भर है कि वह क्या सहायता चाहता है।

'तेजी से गर्म हो रहा है एशिया महाद्वीप'

और महासागर औसत की तुलना में अधिक तेजी से गर्म हुआ है।' आंकड़ों के मुताबिक, 2024 में एशिया में औसत तापमान 1991-2020 के औसत तापमान से लगभग 1.04 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह आंकड़ा इसे सबसे गर्म या दूसरा सबसे गर्म वर्ष बना देगा।

रपट के मुताबिक, इस वर्ष एशिया के कई हिस्सों में भीषण गर्मी दर्ज की गई। अप्रैल से नवंबर तक पूर्वी एशिया में लंबे समय तक गर्म हवाएं चलती रहीं। जापान, कोरिया गणराज्य और चीन में बार-बार मासिक औसत तापमान के रेकार्ड टूटे। भारत में 2024 में भीषण गर्मी के कारण लू लगने के लगभग 48,000 मामले सामने आये तथा 159 लोगों की मौत हुई। डब्लूएमओ ने कहा कि एशिया के प्रशांत और हिंद महासागर, दोनों ओर समुद्र का स्तर वैश्विक औसत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ा है, जिससे निचले तटीय क्षेत्रों के लिए खतरा बढ़ गया है। रपट में कहा गया कि सर्दियों में बर्फबारी में कमी और गर्मियों में उच्च तापमान की वजह से हिमनद बुरी तरह प्रभावित हुए। डब्लूएमओ के मुताबिक, मध्य हिमालय और तियान शान में 24 में से 23 हिमनदों में मौजूद बर्फ में कमी आई। इससे हिमनद की कगार टूटने, बाढ़ और भूस्खलन जैसी आपदाओं का खतरा बढ़ गया है और जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक खतरा पैदा हो गया है। रपट के मुताबिक, अत्यधिक वर्षा के कारण कई देशों में भारी क्षति हुई और जान-माल का भारी नुकसान हुआ, जबकि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण तबाही आई। सूखे के कारण बड़ी आर्थिक और कृषि संबंधी हानि हुई।

डब्लूएमओ महासचिव सेलेस्टे साउलो ने कहा, 'एशिया में जलवायु की स्थिति रपट में सतह के तापमान, ग्लेशियर द्रव्यमान और समुद्र तल जैसे प्रमुख जलवायु संकेतकों में बदलावों को रेखांकित किया गया है, जिसका क्षेत्र में समाजों, अर्थव्यवस्थाओं और पारिस्थितिकी तंत्रों पर बड़ा असर पड़ेगा। चरम मौसमी स्थितियों की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है।'

पंजाब में आप, बंगाल में तृणमूल की जीत; गुजरात में मिलाजुला परिणाम

दर्ज की। इन पांचों निर्वाचन क्षेत्रों में उपचुनाव के तहत 19 जून को मतदान हुआ था। निर्वाचन आयोग के मुताबिक गुजरात में विसावदर सीट पर हुए उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। पार्टी ने इस सीट पर गोपाल इटालिया गोपाल को उम्मीदवार बनाया था। गोपाल इटालिया ने इस सीट पर भाजपा के किरीट पटेल को हराया है। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 17554 मतों से जीत दर्ज कराई है। वहीं दूसरी ओर पंजाब में लुधियाना पश्चिम से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार संजीव अरोड़ा जीते हैं।

आम आदमी पार्टी ने यहां 10637 मतों से जीत दर्ज की है, इस सीट पर आम आदमी पार्टी की सीधी टक्कर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार भारत भूषण आशू से थी। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, अरोड़ा को 35,179 जबकि आशु को 24,542 वोट मिले। भाजपा के जीवन गुप्ता को 20,323 वोट मिले जबकि शिरोमणि अकाली दल (शिअद) के परोपकार सिंह घुम्मण को महज 8,203 वोट ही हासिल हुए।गुजरात में अपना लगभग पूर्ण प्रभुत्व रखने के बावजूद, भाजपा 2007 से विसावदर सीट नहीं जीत पाई है। 'आप' के तत्कालीन विधायक भूपेंद्र भयानी के इस्तीफा देने और सत्तारूढ़ भाजपा में शामिल होने के बाद दिसंबर 2023 में यह सीट खाली हो गई थी।

'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने उपचुनावों को '2027 का सेमीफाइनल' बताया और कहा कि यह स्पष्ट संकेत है कि मतदाता भाजपा और कांग्रेस दोनों को खारिज कर देंगे। गुजरात और पंजाब में 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे।भाजपा के राजेंद्र चावड़ा ने अनुसूचित जाति (एससी) के लिए आरक्षित मेहसाणा जिले की कडी सीट पर कांग्रेस के रमेश चावड़ा को 39,452 मतों के अंतर से हराया। यह सीट भाजपा विधायक करसन सोलंकी का फरवरी में निधन हो जाने के कारण रिक्त हुई थी। कांग्रेस की गुजरात इकाई के अध्यक्ष शक्तिसिंह गोहिल ने कडी और विसावदर विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी दूसरे नंबर पर रही है। जबकि तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी रही। केरल में पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली एलडीएफ सरकार को झटका लगा क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व वाले संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) ने नीलांबुर विधानसभा सीट 11,077 मतों के अंतर से उससे छीन ली। कांग्रेस के आर्यदान शौकत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) के प्रदेश सचिवालय सदस्य एम स्वराज को हराया है। पश्चिम बंगाल में, कालीगंज विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार अलीफा अहमद ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी व भाजपा उम्मीदवार आशीष घोष को 50,049 मतों के भारी अंतर से हराया।

सिरमौर में चौबीस छात्राओं से यौन उत्पीड़न का आरोपी शिक्षक गिरफ्तार

लिया गया है। उसके खिलाफ यौन उत्पीड़न और पोक्सो अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में छात्राओं के अभिभावक और स्थानीय लोगों विद्यालय परिसर में प्रदर्शन किया।

उन्होंने प्रधानाचार्य पर मामले में उचित कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था। बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को शांत करवाया। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को स्थानीय अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। शिक्षा विभाग ने आरोपी प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। स्कूल शिक्षा निदेशक ने उप निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, सिरमौर को इस मामले की तुरंत प्रारंभिक जांच करने को कहा है।

कार्यालय ग्राम पंचायत कुतुबपुर विकास खण्ड पुरकाजी, मुजफ्फरनगर

पत्रांक : मीमों/नी. सू./2025–26 दिनांक :21.06.2025

–: नीलामी सूचना :–

ग्राम पंचायत कुतुबपुर में 25.06.2025 को दोपहर 12.00 बजे यूकेलिप्टस के पेड़ा की नीलामी की जाएगी जिसका मूल्यांकन 238000 रूपयें किया गया है। नीलामी का स्थान गांव के पंचायत भवन पर किया जाएगा।

ग्राम प्रधान	कानूनगो
ग्राम पंचायत कुतुबपुर	तहसील सदर
वि.खं. पुरकाजी मु०नगर	जिला मु०नगर

नयाब तहसीलदार
तहसील सदर, जिला मु०नगर।

रेलटेल
(भारत सरकार का उपक्रम)
(सीआईएन सं: U64202DL2000GOI107905)

GeM बोली संख्याः GEM/2025/B/6366089, 6366190 व 6366253 दिनांक : 23.06.2025

रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र "रेलटेल/पूर्वी क्षेत्र के सासाराम, रेणुकूट और पूर्निया अनुभाग में 2 साल की अवधि के लिए ऑप्टिक फाइबर केबल नेटवर्क के अनुरक्षण और इससे जुड़े अन्य उपकरण के रखरखाव के लिए अनुरक्षण दल की तैनाती और जिसे समान शर्तों पर एक साल के लिए बढ़ाया जा सकता है" के कार्य हेतु पात्र बोलीदाताओं से ई-बोलियां आमंत्रित करता है।

विस्तृत **GeM** बोली सूचना / **GeM** बोली दस्तावेज **https://www.railtel.in, https://eprocure.gov.in** और **https://gem.gov.in** पर उपलब्ध है। भविष्य के सभी परिशिष्ट/ शुद्धिपत्र आदि को रेलटेल वेबसाइट, सीपीपी पोर्टल और **GeM** पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बोलीदाताओं को केवल **GeM** पोर्टल पर अपनी बोली जमा करनी होगी।

PUBLIC NOTICE
DECLARATION OF PROCLAMATION OF OFFENDERS

Whereas the Hon'ble Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC) has issued an order dated 27-03-2025 in Execution Petition No. EA-12/2021 titled as "Mrs. Ansely James & Anr. vs M/sAnsal Hi-Tech Township Ltd." declaring the following Director(s) of the Judgment Debtor Company namely Ansal Hi-Tech Towship Ltd. as Proclaimed Offenders:

1. Mr. Arvind Kumar Mishra, Address: Half Basement No. 115, East of Kailash, Community Centre, Sandhya Deep Building, New Delhi (South)-110065. The aforementioned individuals are hereby directed to appear before the Hon'ble Commission (DSCDRC) within a period of 30 days from the date of publication of this Notice.

Issued under Order of the Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC).**Date: 24-04-2025.**

Mr. Alex Joseph
Counsel for Mrs. Ansely James/DH

PUBLIC NOTICE
DECLARATION OF PROCLAMATION OF OFFENDERS

Whereas the Hon'ble Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC) has issued an order dated 27-03-2025 in Execution Petition No. EA-11/2021 titled as "Mrs."Sosamma Mathew" & Anr. vs M/sAnsal Hi-Tech Township Ltd." declaring the following Director(s) of the Judgment Debtor Company namely Ansal Hi-Tech Township Ltd. as Proclaimed Offenders:

1. Mr. Arvind Kumar Mishra, Address: Half Basement No. 115, East of Kailash, Community Centre, Sandhya Deep Building, New Delhi (South)-110065. The aforementioned individuals are hereby directed to appear before the Hon'ble Commission (DSCDRC) within a period of 30 days from the date of publication of this Notice.

Issued under Order of the Delhi State Consumer Disputes Redressal Commission (DSCDRC).**Date: 22-04-2025.**

Mr. Alex Joseph
Counsel for Mrs. "Sosamma Mathew"/DH

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
क्षेत्रीय कार्यालय प्लॉट नं. 80, प्रथम तल, मंगल पांडे नगर, मेरठ, उत्तर प्रदेश

शुद्धिपत्र

इण्डियन ओवरसीज बैंक द्वारा दो कैश वैन किराए पर लेने के लिए की निविदा दिनांक 30.05.2025 के संदर्भ में।

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि 27.06.2025 तक बढ़ा दी गई है। शेष यथावत रहेगा।

दिनांक – 23.06.2025 — वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक
स्थान– मेरठ — आईओबी मेरठ क्षेत्र

सार्वजनिक सूचना

फॉर्म नं INC –26
[नियम 30 कंपनियों (निगमन) नियम, 2014]
एक राज्य से दूसरे राज्य में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बदलाव के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होना हेतु
केंद्र सरकार के समक्ष क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003 तथा
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उपधारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए) के मामले में
एक्यूटी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (CIN: U72200DL2004PTC128168) के मामले में जिसका पंजीकृत कार्यालय **'फ्लैट ओ 710 नई दिल्ली अपार्टमेंट वसुंधरा एन्कलेव, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110096** में है

........................**याचिकाकर्ता**

आम जनता को सूचित किया जाता है कि कंपनी कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें **24 अप्रैल, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि की मांग की जाती है, ताकि कंपनी अपने संगठन के नाम में परिवर्तन कर सके। पंजीकृत कार्यालय **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"उत्तर प्रदेश राज्य"** में स्थानांतरित किया गया।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करके **एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in)** पर जमा कर सकता है या अपने हित की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, द्वितीय तल, दीन दयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** को इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर भेज सकता है, जिसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगी:

फ्लैट ओ 710 नई दिल्ली अपार्टमेंट वसुंधरा एन्क्लेव, दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110096

कृते एक्यूटी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
एस.डी./–
सौरभ निगम (निदेशक)
डीआईएनः 02803731

दिनांकः 24.06.2025 — पताः आर–5/46, राज नगर, थाना कवि नगर,
स्थान : दिल्ली — गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–यूपी– 201002

प्ररूप संख्या आइएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय को केंद्र शासित प्रदेश से दूसरे राज्य में स्थानांतरित के लिए समाचार पत्र में प्रकाशित होने वाला विज्ञापन

केंद्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक), उत्तरी क्षेत्र, नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के खंड (ए) के मामले में,

और

मैसर्स ओपुलेंसिया प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय **एससीओ नं. 1, 2, 3, द्वितीय तल, केबिन नं. 5, सेक्टर 8सी, चंडीगढ़ भारत 160009** के मामले में।

.... याचिकाकर्ता/आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यह कंपनी अपना पंजीकृत कार्यालय **"केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़"** से **"पंजाब राज्य"** में स्थानांतरित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए **शनिवार, 31 मई, 2025** को आयोजित असाधारण आम बैठक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ज्ञापन में परिवर्तन की पुष्टि के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत यह कंपनी केन्द्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, तो वह **एमसीए-21 पोर्टल** पर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर जमा कर सकता है या अपने हितों की प्रकृति और विरोध के आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के पते **बी-2 विंग, द्वितीय तल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, द्वितीय तल, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003** पर पंजीकृत डाक द्वारा इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से **चौदह दिनों** के भीतर भेज सकता है और इसकी एक प्रति आवेदक कंपनी को उसके पंजीकृत कार्यालय में नीचे उल्लिखित पते पर भेजनी होगी।

पंजीकृत कार्यालयः एससीओ नं. 1,2,3, द्वितीय तल, केबिन नं.5, सेक्टर 8सी चंडीगढ़, भारत 160009

आवेदक के लिए और उनकी ओर से
ओपुलेंसिया प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

हस्ताक्षरकर्ता/-
विक्रमजीत सिंह (निदेशक)
दिनांक : 24 जून, 2025
स्थान : चंडीगढ़ — डीआईएनः 10596461

ONIDA
OWNER'S PRIDE

मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : ओनिडा हाऊस, जी – १, एम.आइ.डी.सी., महाकाली गुंफा मार्ग, अंधेरी (पू.), मुंबई – ४०० ०९३.
दूर. : +९१ २२६६९७५७७७
ई–मेल : investors@onida.com
वेबसाइट : https://www.onida.com
सीआयएन नं. : L32300MH1981PLC023637

सूचना

सीक्युरिटीज् एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (लिस्टिंग ऑब्लिगेशन्स एंड डिस्क्लोजर रिक्वायमेंट्स) रेग्युलेशन्स, २०१५ के रेग्युलेशन ४२ के तहत सूचना दी जा रही है कि, कंपनी द्वारा रिकार्ड डेट के अनुसार धारण किए गए **प्रति रु. १/– मूल्य के प्रति १४ इक्विटी शेअर्स** के लिए **प्रति रु. १/– मूल्य के ३ इक्विटी शेअर्स** अनुपात में **रु.९/– प्रतिशेअर** के प्रीमियम के साथ **रु. १०/– प्रतिशेअर पर प्रत्येकी रु. १/– दर्शनी मूल्य** के **४,९४,८९,८४७ इक्विटी शेअर्स** के राइट्स इक्विटी इश्यू में सदस्यों की पात्रता निश्चिती हेतु **शुक्रवार, दि. २७.०६.२०२५** यह दिन रिकार्ड डेट के तौर पर निश्चित किया है.

मिर्क इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लिए
हस्ता/–
विजय मनसुखानी
अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक
डीआईएन : ०१०४१८०९

स्थल : मुंबई
तारीख : २३.०६.२०२५

फॉर्म संख्या आरएससी-4
[नियम 3(3) के अनुसरण में]

राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण, नई दिल्ली पीठ के समक्ष
कंपनी आवेदन संख्या 55/एनडी/2025

न्यूबाई इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

...आवेदक

सूचना का प्रकाशन

यह ध्यान दिया जाए कि उपर्युक्त कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी रु. 10/– प्रत्येक के 1,42,22,527 (एक करोड़ बयालीस लाख बाईस हजार पांच सौ सत्ताईस) इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 14,22,25,270 (चौदह करोड़ बाईस लाख बाईस हजार पांच सौ सत्तर) से घटाकर रु. 10/– प्रत्येक के 23,36,387 (तेईस लाख छत्तीस हजार तीन सौ सतासी) इक्विटी शेयरों में विभाजित रु. 2,33,63,870 (दो करोड़ तैंतीस लाख तिरसठ हजार आठ सौ सत्तर) तक को कम करने की पुष्टि के लिए नई दिल्ली (पीठ) में अधिकरण में 13 मार्च, 2025 को एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

कंपनी द्वारा 28 फरवरी, 2025 को तैयार की गई लेनदारों की सूची कंपनी के पंजीकृत कार्यालय 104 और 110, मर्केंटाइल हाउस 15, के.जी. मार्ग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली–110001 पर सभी कार्य दिवसों में सोमवार से शनिवार तक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे के बीच निरीक्षण के लिए उपलब्ध है।

यदि कंपनी के किसी लेनदार को आवेदन या लेनदारों की सूची में दिए गए विवरणों पर कोई आपत्ति है, तो उसे (सहायक दस्तावेजों के साथ) और अपने नाम व पते तथा यदि कोई हो, तो अपने अधिकृत प्रतिनिधि के नाम व पते के विवरण के साथ अधोहस्ताक्षरी को 104 और 110, मर्केंटाइल हाउस 15, के.जी. मार्ग, सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली–110001 पर इस सूचना की तारीख से तीन महीने के भीतर भेज सकते हैं।

यदि उपरोक्त निर्धारित समय के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो कंपनी की शेयर पूंजी कम करने की उपरोक्त याचिका के तहत सभी कार्यवाही में, लेनदारों की सूची में की गई प्रविष्टियों को सही माना जाएगा।

यह भी ध्यान दिया जाए कि मंगलवार, 05/08/2025 को सुनवाई तय की गई है जिस पर अधिकरण आवेदन की सुनवाई करेगा। यदि कोई लेनदार सुनवाई में उपस्थित होना चाहता है, तो उसे अपनी आपत्तियों, यदि कोई हो, के साथ एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा।

श्री छतर सिंह जैन
स्थानः नई दिल्ली — निदेशक
दिनांकः 24–06–2025 — डीआईएनः 00080709

प्रपत्र सं. आईएनसी–26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुपालन में]

केन्द्र सरकार, क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 की उप–धारा (4) तथा कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के उप–नियम (5) के क्लॉज (ए) के मामले में

तथा

सनफ्लेम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय ख. नं0. 72/4/7, मुंडका औद्योगिक क्षेत्र (उत्तर की ओर) ग्राम घेवरा, मुंडका, नई दिल्ली–110041 में है, के मामले में.

आवेदक

एतद्द्वारा आम जनता को यह सूचना दिया जाता है कि **"राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली"** से **"केरल राज्य"** में उसके पंजीकृत कार्यालय को परिवर्तित करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के लिए गुरुवार, 19 जून, 2025 को आयोजित असाधारण आम सभा में पारित विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरैंडम ऑफ एसोसिएशन के परिवर्तन की पुष्टि के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के अंतर्गत यह कंपनी केन्द्र सरकार के पास आवेदन करने का प्रस्ताव करती है।

कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के इस प्रस्तावित परिवर्तन से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता हो, **वे एमसीए–21 पोर्टल** (www.mca.gov.in) **पर निवेशक शिकायत प्रपत्र दाखिल करें** अथवा उसके नीचे वर्णित पंजीकृत कार्यालय में आवेदक कंपनी को उसकी एक प्रति के साथ इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर अपने हित की प्रकृति तथा आपत्ति के कारणों का उल्लेख करते हुए एक शपथपत्र द्वारा समर्थित अपनी आपत्ति **क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के बी–2 विंग, दूसरा तल, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली–110003** में जमा करें या जमा कराएं या पंजीकृत डाक से भेजें।

सनफ्लेम एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
CIN: U74899DL1984PTC018992
पंजीकृत कार्यालयः ख. नं0. 72/4/7, मुंडका औद्योगिक क्षेत्र (उत्तर की ओर) ग्राम घेवरा, मुंडका, नई दिल्ली–110041
ई–मेलः sunflame@sunflame.com

कृते और आवेदक की ओर से
हस्ता/–
रामचंद्रन वी
स्थानः दिल्ली — निदेशक
तिथिः 23 जून, 2025 — DIN: 06576300

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE

(Please scan this QR Code to view the Red Herring Prospectus)

RAMA TELECOM LIMITED
(Formerly known as Rama Telecom Private Limited)

Our Company was originally incorporated on July 12, 2004 at Kolkata, West Bengal as a Private Limited Company in the name and style of "Rama Telecom Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U64202WB2004PTC099086 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on August 12, 2024, and consequently the name of our Company was changed from "Rama Telecom Private Limited" to "Rama Telecom Limited" and a fresh certificate of incorporation dated November 25, 2024 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U64202WB2004PLC099086. For details of change in the name of our Company and address of Registered Office of our Company, see *"History and Certain Corporate Matters"* on page 249 of the Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: Kamalalaya Centre 156A, Lenin Sarani, Room No-302, 3rd Floor Kolkata West Bengal-700013, Kolkata.
Contact Person: M/s. Nidhi Sharma, Company Secretary & Compliance Officer; **Tel:** +91 6290952944; **E-mail:** cs@ramatelecom.net; **Website:** www.ramatelecom.net
Corporate. Identity Number: U64202WB2004PLC099086

THE PROMOTERS OF OUR COMPANY ARE MR. RAMA KANT LAKHOTIA, Mrs. NEENA LAKHOTIA, Ms. SIMRAN LAKHOTIA AND Ms. NIKITA LAKHOTIA

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON EMERGE PLATFORM OF NSE (NSE EMERGE)."

THE OFFER

INITIAL PUBLIC OFFER OF UPTO 36,96,000* EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF RAMA TELECOM LIMITED ("OUR COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 36,96,000 EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ [●] LAKHS BY OUR COMPANY ("FRESH OFFER") OF WHICH UPTO 1,86,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO ₹ [●] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., NET OFFER OF UPTO 35,10,000 EQUITY SHARES AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ [●] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 28.00% AND 26.59%, RESPECTIVELY OF THE POST OFFER PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PUBLIC ISSUE OF 36,96,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE EQUITY SHARES).

**Subject to finalisation of basis of allotment*

DETAILS OF THE SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION- Not applicable as the entire offer constitutes fresh issue of equity shares.

PRICE BAND: ₹ 65 TO ₹ 68 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH
THE FLOOR PRICE IS 6.5 TIMES OF FACE VALUE AND CAP PRICE IS 6.8 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 2,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 2,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FY 2024-25 AT THE FLOOR PRICE IS 11.12 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 11.63 TIMES.

OFFER PERIOD	
	OFFER OPENS ON JUNE 25, 2025
	OFFER CLOSES ON JUNE 27, 2025

CORRIGENDUM

The indicative timeline for the Offer of M/s Rama Telecom Limited dated June 23, 2025, was incorrectly printed. We are therefore providing the corrected timeline below:

INDICATIVE TIMELINE FOR THE OFFER

Sequence of Activities	Listing on and above 02nd July, 2025
Application Submission by investors	Electronic application [Online ASBA through 3- in 1 accounts]-**Up to 5 pm on day June 27th, 2025** Electronic Application [Bank ASBA through Online channels [like Internet banking and Syndicate etc]-**Upto 4 pm on June 27th, 2025** Electronic Application [Syndicate Non Retail, Non Individual Applications] **–Upto 3 pm on June 27th, 2025** Physical Application {Bank ASBA}- **Upto 1 pm on T day June 27th, 2025** Physical Applications {Syndicate Non Retail, Non individual applications of QIBs and NIS}- **Upto 12 pm on June 27, 2025 and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day June 27, 2025**
Bid Modification	From Issue opening date **up to 5 pm on June 27, 2025**
Validation of bid details with depositories Reconciliation of UPI mandate transactions {based on the guidelines issued by NPCI from time to time}; Among Stock Exchanges – Sponsor Banks – NPCI and NFCI – PSPs/ TPAPs - issuer banks; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines	From Issue Opening date **to 5 pm on June 27, 2025** On Daily basis Merchant Bankers to submit to SEBI sought as and when
UPI mandate acceptance time	**June 27, 2025 – 5 pm**
Issue closure	**June 27, 2025 – 4 pm** for QIB and NII categories **June 27, 2025 – 5 pm** for Retail and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be computed **before 9: 30 AM on June 30th, 2025**
Third party check on non -UPI applications	On daily basis and to be computed **before 1 pm on June 30th, 2025**
Submission of final certificatate **- For UPI from Sponsor Bank** **- For bank ASBA from all SCSBs** **- For syndicate ASBA**	UPI ASBA – **Before 9: 30 pm on June 27th, 2025** All SCSBs for Direct ASBA – **before 7: 30 pm on June 27, 2025** Syndicate ASBA – **Before 7:30 pm on June 27, 2025**
Finanlization of rejections and completion of basis	**Before 6 pm on June 30th, 2025**
Approval of basis by stock exchange	**Before 9 pm on June 30th, 2025**
Issuance of fund transfer instructions in separate flies for debit and unblock. **For bank ASBA and online ASBA – To all SCSBs** **For UPI ASBA – To Sponsor Bank**	Intimation not later **than 09:30 on July 01st, 2025** Completion before **2 pm on July 01st, 2025 for fund transfer** Completion before **4 pm on July 01st, 2025 for unlocking**
Corporate action execution for credit of shares	Intimation **before 2 pm on July 01st, 2025** and Completion **before 6 pm on July 01st, 2025**
Filing of listing application with Stock Exchanges and Issuance of trading notice	**Before 7:30 pm on July 01st, 2025**
Publish allotment advertisement	On the website of the issuer BRLM and RTA – **before 9 pm July 01st, 2025** In newspapers – **on July 02nd, 2025 but not later than July 07th, 2025**
Trading starts	**02nd July, 2025**

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM.

ORIGINAL SIGNATORIES			CURRENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares
Rama Kant Lakhotia	10.00	2366335	Rama Kant Lakhotia	10.00	2366335
Simran Lakhotia	10.00	1523522	Simran Lakhotia	10.00	1523522
			Neena Lakhotia	10.00	2865937
			Nikita Lakhotia	10.00	1520355

Listing: The equity shares offered through the Red herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE ("**NSE EMERGE**"). Our Company has received an *"In-Principle"* approval from the NSE for the listing of the Equity Shares to letter dated March 21st, 2025. For the purpose of the offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring prospectus has been submitted for registration to the ROC on June 19th, 2025 and Prospectus shall be filed with the ROC in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 364 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Documents. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* beginning on page 367 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not any funds in the issue unless they can afford to take risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and exchange Board of India (**SEBI**) nor does SEBI guarantee accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 45 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India **Telephone:** +91 33 4004 7188; **E - mail:** compliance@affinityglobal.in **Investor Grievance ID:** investor@affinityglobalcap.in **Website:** www.affinityglobalcap.in **Contact Person:** Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal **SEBI Registration Number:** INM000012838	CAMEO **Cameo Corporate Services Limited** Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002 Tel: +91 40 6716 2222 **E-mail:** priya@cameoindia.com **Investor Grievance e-mail:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Mrs. K. Sreepriya **SEBI Registration No.:** INR000003753	**Ms. Nidhi Sharma** **Company Secretary & Compliance Officer** Kamalalaya Centre 156A, Lenin Sarani, Room No-302, 3rd Floor Kolkata West Bengal-700013, Kolkata. **Tel:** +91 6290952944; **Email:** cs@ramatelecom.net Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at www.ramatelecom.net, the website of the BRLM to the Issue at: www. https://www.affinityglobalcap.in/, the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents , respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Kamalalaya Centre 156A, Lenin Sarani, Room No-302, 3rd Floor Kolkata West Bengal-700013, Kolkata and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter *"Issue Procedure"* beginning on page 396 of the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: Kotak Mahindra Bank Limited.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For **Rama Telecom Limited**
Sd/-
Rama Kant Lakhotia
Managing Director
DIN: 00567178

Place : Kolkata, West Bengal
Date : June 24, 2025

DISCLAIMER: RAMA TELECOM LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Offer at www.affinityglobalcap.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.ramatelecom.net . Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the Section titled *"Risk Factors"* beginning on Page No. 45 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended ("**The Securities Act**") or any state securities law in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transaction' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS

क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड
CIN: U52110HR1985PLC098198
14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003

फॉर्म संख्या INC-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (अ) से संबंधित धारा 13(4) के मामले में,

और

क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 14/3, मथुरा रोड,फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003 में है, के मामले में

.............**याचिकाकर्ता**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को **सूचित** किया जाता है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष 23 मई, 2025 को पारित अपने विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए आवेदन किया है, जिसके तहत कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय **'हरियाणा राज्य' से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** में बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, **वह एमसीए–21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर जाकर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर** अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है या अपने हितों की प्रति व विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को, उसके पंजीकृत कार्यालय 14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003 पर भेजी गई सूचना की प्रति के साथ भेज सकता है या प्रस्तुत कर सकता है।

कृते और की ओर से
क्यूआरजी इन्वेस्टमेंट्स एंड होल्डिंग्स लिमिटेड

अनिल राय गुप्ता
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
DIN: 00011892 — नोएडा, 23 जून, 2025

क्यूआरजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड
CIN: U31900HR1991PLC097548
14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003

फॉर्म संख्या INC-26
[कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30 के अनुसार]
केंद्र सरकार के समक्ष
क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र

कंपनी अधिनियम, 2013, कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 30(5) (अ) से संबंधित धारा 13(4) के मामले में,

और

क्यूआरजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय 14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003 में है, के मामले में

.............**याचिकाकर्ता**

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को **सूचित** किया जाता है कि कंपनी ने, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार के समक्ष 23 मई, 2025 को पारित अपने विशेष प्रस्ताव के अनुसार कंपनी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन में परिवर्तन की पुष्टि करते हुए आवेदन किया है, जिसके तहत कंपनी को अपना पंजीकृत कार्यालय **'हरियाणा राज्य' से 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली'** में बदलने का प्रस्ताव किया गया है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित होने की संभावना है, वह एमसीए–21 पोर्टल **(www.mca.gov.in)** पर जाकर निवेशक शिकायत फॉर्म भरकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है या अपने हितों की प्रति व विरोध का आधार बताते हुए एक हलफनामे के साथ अपनी आपत्तियों को पंजीकृत डाक से क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र, बी–2 विंग, दूसरी मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110003 में, इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से चौदह दिनों के भीतर याचिकाकर्ता कंपनी को, उसके पंजीकृत कार्यालय 14/3, मथुरा रोड, फरीदाबाद, हरियाणा, भारत, 121003 पर भेजी गई सूचना की प्रति के साथ भेज सकता है या प्रस्तुत कर सकता है।

कृते और की ओर से
क्यूआरजी एंटरप्राइजेस लिमिटेड

सुरजीत कुमार गुप्ता
निदेशक
DIN: 00002810 — नोएडा, 23 जून, 2025

टी.वी. टुडे नेटवर्क लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः एफ -26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली-110001
सी.आई.एन: L92200DL1999PLC103001
वेबसाइट: www.aajtak.in, ईमेल: investors@aajtak.com
फोन: 0120-4908600, फैक्स: 0120-4325028

शेयर धारकों के लिए सूचना

विषय : कम्पनी के इक्वीटी शेयरों का निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (आईईपीएफ) में अंतरण

यह सूचना निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा अंकेक्षण, अंत्तरण एवं वापसी) विनियम, 2016 ("विनियम") के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के प्रावधानों (समय-समय पर संशोधित) के अनुसार दी जा रही है।

इन नियमों के अनुसार वे सभी शेयर जिनके सन्दर्भ में विगत सात निरंतर वर्षो अथवा अधिक अवधि हेतु लाभांश का भुगतान नहीं किया गया है अथवा उसका दावा नहीं किया गया है, तो उसके शेयर विधिवत् गठित आईईपीएफ प्राधिकरण के डीमैट खाते में अंतरित कर दिए जाएंगे। तदनुसार पिछले लगातार सात वर्षों या अधिक अवधि की लाभांश राशि का दावा या नकदीकरण नहीं करने वाले सभी शेयर धारको के शेयर अब आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित्त कर दिए जाएंगे।

इन नियमों में उल्लिखित आवश्यकताओं को पूरा करते हुए कम्पनी ने कथित नियमों के अनुसार जिन शेयरधारकों के शेयर आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरितत किए जाएंगे उन्हें, उनके नवीनतम उपलब्ध पते, 23-06-2025 दिनांकित पत्र के माध्यम से व्यक्तिगत तौर पर पुनः सूचित कर दिया है ताकि वे उचित कार्यवाही कर लें। ऐसे शेयरधारकों के नाम, फोलियो नंबर या डीपी आईडी और क्लाइंट आइडी और अंतरित किए जाने वाले शेयर आदि संपूर्ण विवरण कम्पनी की वेबसाइट अर्थात् https://aajtak.in/investor/ पर अपलोड कर दिए गए हैं। संबंधित शेयरधारकों से निवेदन है कि दावा नहीं किए गए लाभांश का 10-10-2025 तक दावा कर दें अन्यथा ये शेयर कथित नियमों के अनुसार उचित तिथि पर आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित कर दिए जाएंगे।

शेयरधारक, जिनके पास वास्तविक रूप में (फेजिकल फॉर्म) या इलैक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं। कृपया ध्यान रखें कि कम्पनी कॉर्पोरेट प्रक्रिया से ये शेयर आईईपीएफ को अंतरित करेगी। शेयरों के आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित होने के बाद कथित शेयरों के शेयर प्रमाणपत्र रद्द हो जाएंगे और उनकी कोई वैद्यता नहीं रहेगी।

कृपया ध्यान दें कि कम्पनी द्वारा आईईपीएफ फंड या आईईपीएफ प्राधिकरण को पहले ही अंतरित, दावा या भुगतान नहीं किए लाभांश या अंतरित किए जाने वाले शेयरों समेत ऐसे शेयरों पर जमा सारे लाभ, यदि हों, शेयरधारक निवेशक शिक्षा आईईपीएफ प्राधिकरण ("आईईपीएफए") से वापस प्राप्त कर सकते हैं। इसकी पूरी प्रक्रिया आईईपीएफए की वेबसाइट अर्थात www.iepf.gov.in पर दी गई है। यदि कम्पनी में जमा दावारहित लाभांश का दावा करना हो तो कृपया हमें सभी अपेक्षित दस्तावेजों समेत एक आवेदन पत्र भर कर कम्पनी के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट्स ('आरटीए'), एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, के नीचे उल्लिखित दफ्तर पता अथवा कम्पनी के कॉर्पोरेट कार्यालय - सेक्रेटेरियल विभाग, टी.वी. टुडे लिमिटेड, इंडिया टुडे मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16 ए, फिल्म सिटी, नोएडा, 201301, भारत में जमा कर दें। कथित आवेदन का 10-10-2025 या उससे पहले कम्पनी पहुंचना आवश्यक है।

उपरोक्त मामले में अधिक जानकारी के लिए शेयरधारक कृपया कम्पनी के आरटीए, एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड, 179-180, तीसरी मंजिल, डीएसआईडीसी शेड, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेज -1, नई दिल्ली-110020, ईमेल : admin@mcsregistrars.com और दूरभाष सं. 011-41406149 या कम्पनी के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालय से संपर्क करें।

इस सूचना में दी गई जानकारी कंपनी की वेबसाइट www.aajtak.in और बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर अपलोड कर दी गई है।

कृते टी.वी टुडे नेटवर्क लिमिटेड
हस्ताक्षर
आशीष सभरवाल
समूह प्रमुख सेक्रेटेरियल एवं कम्पनी सचिव
सदस्यता सं. एफ4991

स्थान: नोएडा
तिथि : जून 23, 2025

बैंक ऑफ़ बड़ौदा Bank of Baroda

बैंक ऑफ बड़ौदा, एटलस रोड शाखा, एनडी प्लाजा, ए-4, प्रेम नगर, सोनीपत, हरियाणा 131001

परिशिष्ट IV [नियम 8(1) देखें] कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

चूंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय सम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण व पुनःनिर्माण तथा प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 और प्रतिभूति ब्याज (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कथित नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में वर्णित 1,64,809.47/- **रुपये** (एक लाख चौंसठ हजार आठ सौ नौ रुपए तथा सैंतालीस पैसे) की अदायगी के लिए कर्जदार **श्री अजमेर सिंह और श्रीमती सुनीता** को डिमांड नोटिस दिनांक **15.04.2025** जारी किया था।

कर्जदार द्वारा राशि की अदायगी करने में असफल रहने पर कर्जदार व सामान्य तौर पर जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति ब्याज के प्रवर्तन नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए कथित अधिनियम की धारा 13 व उप धारा (4) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 **जून**, 2025 को यहां नीचे वर्णित सम्पत्तियों का कब्जा ले लिया है।

कर्जदार का विशेष तौर पर व आम जनता को सामान्य तौर पर सम्पत्ति के साथ लेन-देन करने से एतद्द्वारा सावधान किया जाता है और सम्पत्ति के साथ कोई भी लेन देन 1,64,809.47/- **रुपये** (एक लाख चौंसठ हजार आठ सौ नौ रुपए तथा सैंतालीस पैसे) और उस पर ब्याज के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रभार के अधीन होगा।

कर्जदारों के ध्यान में लाया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को मुक्त करवाने के लिए समय उपलब्ध है।

चल परिसंपत्तियों का विवरणः

श्री अजमेर सिंह के स्वामित्व वाली पंजीकृत बिक्री विलेख संख्या 4500 दिनांक 11.07.2005 के अनुसार म नं. 682/29, विकास नगर, सोनीपत में स्थित 155.55 वर्ग गज भूमि का समतामूलक बंधक के साथ भवन और संरचनाओं, जुड़नार और फिटिंग, सीमाबद्धः उत्तर में राज बाला के प्लॉट, दक्षिण में गली, पूर्व में गली, पश्चिम में राज बाला के प्लॉट

केश्वर पासवान

दिनांकः 17.06.2025 स्थानः सोनीपत **प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ बड़ौदा**

Edelweiss | ASSET RECONSTRUCTION

एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, रजि. कार्यालयः एडलवाइस हाउस, सीएसटी रोड, कलिना, मुंबई 400098 और कॉर्पोरेट कार्यालयः एडलवाइस हाउस, विंडसर लेन, कोलिवेरी विलेज, एमएमआरडीए क्षेत्र, कलिना, बांद्रा पूर्व, मुंबई-400098

डिमांड नोटिस

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 (अधिनियम), की धारा 13(2) के तहत सूचना

इसके द्वारा उन उधारकर्ता/बंधककर्ताओं/गारंटरों को नोटिस दिया जाता है, जिन्होंने बैंक से प्राप्त ऋण सुविधा के मूलधन और ब्याज की अदायगी में चूक की है और जिनके ऋण खाते को 24.03.2021 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। असाईनमेंट एग्रीमेंट दिनांक 31 मार्च, 2021 के माध्यम से एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड (एडलवाइस एआरसी ट्रस्ट- 414 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए) द्वारा उन्हें वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन, 2002(सरफेसी) की धारा 13(2) के तहत उनके अंतिम ज्ञात पते पर उनसे संपूर्ण बकाया चुकाने की मांग के नोटिस जारी किए गए थे। हालाँकि, कुछ नोटिस बिना तामील हुए वापस आ गए हैं और इस प्रकार उन्हें इस सार्वजनिक नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है।

उधारकर्ताओं /सह-उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं	एनपीए की तिथि	13(2) की तिथि	बकाया राशि/देय राशि
1. मैसर्स श्री हुक्मेश्वर ब्रिक्स उद्योग (उधारकर्ता) मालिक प्रीतम सिंह भाटी ग्राम मोहामी वाया बुबानी अजमेर-305001, 2. श्री प्रीतम सिंह भाटी (सह-उधारकर्ता/बंधककर्ता) पुत्र बोदू लाल भाटी, लव कुश कॉलोनी, नया घर गुलाब बाड़ी अजमेर, वार्ड नंबर 44, अजमेर-305001, 3. श्रीमती उमा भाटी (सह-उधारकर्ता) पत्नी प्रीतम सिंह भाटी, लव कुश कॉलोनी, नया घर गुलाब बाड़ी अजमेर, वार्ड नंबर 44, अजमेर-305001	24.03.2021	13.06.2025	12.06.2025 तक **49,01,898.62 रुपये** (एक उनचास लाख एक हजार आठ सौ अठानवें रुपए और बासठ पैसे) जमा ब्याज/लागत/कोई भी शुल्क 13.06.2025 से अनुबंधित ब्याज दर पर

प्रतिभूतित परिसंपत्ति का विवरणः

अनुसूचीः खसरा नंबर 1735, गांव किरानीपुरा, नया घर, गुलाबबाड़ी, अजमेर-305001 पर स्थित संपत्ति, **क्षेत्रफलः** 195.74 वर्ग गज, **संदर्भः** यूआईटी, अजमेर द्वारा निष्पादित दिनांक 22.01.2004 को पंजीकृत लीज डीड। 24.01.2004 को संबंधित उप पंजीयक के पास दस्तावेज संख्या 2004000388 के साथ विधिवत पंजीकृत, प्रकारः आवासीय। सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः इंदौरा का घर, पश्चिमः बुडू का घर, उत्तरः 18 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिणः बुडू का घर, मालिकः प्रीतम भाटी

उपरोक्त नाम वाले उधारकर्ता और उनके गारंटरों और बंधककर्ताओं को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने के लिए कहा जाता है, अन्यथा सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 उप-धारा (4) के तहत 60 दिनों की समाप्ति के बाद आगे कदम उठाए जाएंगे।

प्राधिकृत अधिकारी
तिथिः 24.06.2025 **एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड**
स्थानः अजमेर (राजस्थान) **(एडलवाइस एआरसी ट्रस्ट- 414 के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हुए)**

Chola Enter a better life
चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कार्पोरेट कार्यालय : चोला क्रेस्ट, सी 54 एवं 55, सुपर बी-4, थिरू वी का इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिन्डी, चेन्नई-600032, भारत,
शाखा कार्यालय : प्रथम एवं द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 6, मेन पूसा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005

कब्जा सूचना नियम 8(1) के अधीन

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002, इसमें आगे अधिनियम कहा गया है, के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मांग सूचना(एं) कालम (सी) में वर्णित तिथियों को जारी की थीं, जिसमें कर्जदारों, जिनके नाम कालम (बी) में निर्दिशित किए गए हैं, से कालम (डी) में निर्दशित बकाया राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी।

कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार(रों) को विशेष रूप से और सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कालम (ई) में वर्णित कम्पनी के पास बंधक संपत्ति का कब्जा कालम (एफ) में निर्दशित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को कालम (ई) में वर्णित संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड की कालम (डी) में निर्दशित बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा।

प्रतिभूतिकरण अधिनियम की धारा 13 (8) के तहत कर्जदार बिक्री की अधिसूचना से पहले पूरी बकाया राशि सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित चुकाकर प्रत्याभूत आस्ति छुड़ा सकते हैं।

क्र. सं.	आवेदक का नाम एवं पता तथा ऋण खाता संख्या	मांग सूचना की तिथि	बकाया राशि	कब्जे में ली गई सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की तिथि
(ए)	(बी)	(सी)	(डी)	(ई)	(एफ)
1.	**ऋण खाता संख्या XOHEDEF00002541714 एवं XOHEDEF00002573148** **1.राहुल अग्रवाल (आवेदक),** फ्लैट नंबर 8, प्रथम तल, जमना अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 28/2, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली - 110085 **2. ज्योति अग्रवाल (सह-आवेदक),** फ्लैट नंबर 8, प्रथम तल, जमना अपार्टमेंट, प्लॉट नंबर 28/2, सेक्टर-9, रोहिणी, दिल्ली - 110085 **3. मैसर्स भगत राम जय देव (इसके स्वामी-राहुल अग्रवाल के माध्यम से) (सह-आवेदक),** सी-612, गोकुलपुरी, दिल्ली-110094 **4. मैसर्स भगत राम जय देव (इसके स्वामित्व-राहुल अग्रवाल के माध्यम से) (सह-आवेदक),** सी-612, गोकुलपुरी, दिल्ली-110094	09-04-2025	रु. 27,29,800/- 09-04-2025 तक	फ्लैट नं.-8, प्रथम तल, जमना बाजार सीजीएचएस लिमिटेड, प्लॉट नंबर -28/2, सेक्टर-9, रोहिणी, नई दिल्ली-110085	21-06-2025 सांकेतिक

तिथि : 21-06-2025 स्थान : दिल्ली/एनसीआर प्राधिकृत अधिकारी : चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट ऐण्ड फायनैंस कम्पनी लिमिटेड

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड (पूर्वतः इंडिया इन्फोलाइन हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड) (आईआईएफएल-एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्नवर्णित कर्जदारों/सह-कर्जदारों को जारी की थी, जिसमें उनसे सूचना में वर्णित राशि का भुगतान उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतद्द्वारा कर्जदार तथा सर्वसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से कर्जदार को तथा सर्वसाधारण को इस संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्तियों के संबंध में कोई भी संव्यवहार आईआईएफएल एचएफएल की बकाया राशि और उस पर ब्याज के प्रभाराधीन होगा। कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है, यदि कर्जदार "आईआईएफएल एचएफएल" की बकाया राशि वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों तथा खर्चों सहित, बिक्री या अंतरण की नियत तिथि से पहले किसी भी समय चुकता कर देता है, तो "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा प्रत्याभूत आस्ति बेची या अंतरित नहीं की जाएगी तथा "आईआईएफएल एचएफएल" द्वारा प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री या अंतरण के लिए आगे कोई कदम नहीं उठाया जाएगा।

कर्जदार(रों)/ सह-कर्जदार(रों)/ कानूनी वारिस का नाम	प्रतिभूत आस्ति का वर्णन (अचल सम्पत्ति)	कुल बकाया राशि (रू.)	मांग सूचना की तिथि	कब्जा की तिथि
श्री मुकेश शर्मा शर्मा जी कैटरर्स श्रीमती सुमन, **प्रोस्पेक्ट नंबर 946633, 949114**	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : पूरा भूतल और प्रथम तल बिना छत के अधिकार के, निर्मित संपत्ति जिसमें मकान नंबरा डब्ल्यूपी-259 ए, खसरा नंबर 531 है, जो 1908-09 लाल डोरा आबादी के भीतर गांव वजीरपुर, अशोक विहार, दिल्ली, 110042 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : क्षेत्रफल माप संपत्ति क्षेत्रफल : 360.00	**946633** के तहत रूपये **16,99,060.00/-** (रूपये सोलह लाख निन्यानबे हजार साठ मात्र) और **949114** के तहत रूपये **86,657.00/-** (रूपये छियासी हजार छह सौ सत्तावन मात्र) है।	11-09-2024	19/06/2025
श्रीमती सीमा आहूजा, श्री जितेन्द्र आहूजा, श्रीमती सीता देवी, आहूजा ट्रेडर्स, **प्रॉस्पेक्ट नं. आईएल10316755**	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : दुकान प्राइवेट नंबर 2 और 3, संपत्ति संख्या 5119, तृतीय तल, वार्ड नंबर 13, सड़क मंडी रुई, बहादुर गढ़ रोड, दिल्ली, 110006 में स्थित है। क्षेत्रफल माप (वर्ग फीट में) : संपत्ति का प्रकार : भूमि-क्षेत्र संपत्ति क्षेत्र : 79.00	**रूपये 17,65,323.00/-** (रूपये सत्रह लाख पैंसठ हजार तीन सौ तेईस मात्र)	13/02/2025	19/06/2025

अतिरिक्त विवरण के लिए, कृपया प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें शाखा कार्यालय : प्लॉट नंबर 30/30ई, अपर ग्राउण्ड फ्लोर, मेन शिवाजी मार्ग, नजफगढ़ रोड, जैगुआर शोरूम से सटा, नई दिल्ली अथवा कार्पोरेट कार्यालय : प्लॉट नंबर 98, फेज-4, उद्योग विहार, गुरुग्राम, हरियाणा।
स्थान : दिल्ली, तिथि : 24-06-2025 **हस्ता./-, प्राधिकृत अधिकारी, वास्ते आईआईएफएल होम फाइनैंस लिमिटेड**

आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड

IDFC FIRST Bank

(पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)
सीआईएन : एल65110टीएन2014पीएलसी097792
पंजीकृत कार्यालय : केआरएम टॉवर्स, 8वां तल, हैरिंगटन रोड, चेटपेट, चेन्नई- 600031
दूरभाष : 91 44 4564 4000, फैक्स : 91 44 4564 4022

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत सूचना

निम्नलिखित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) से निम्न वर्णित प्रतिभूत ऋण प्राप्त किए थे। निम्न-वर्णित ऋणकर्ताओं और सह-ऋणकर्ताओं के ऋणों को उनकी संबंधित संपत्तियों के बंधक द्वारा प्रतिभूत किया गया है। चूंकि वे संबंधित ऋणानुबंधों के नियमों एवं शर्तों का पालनानुपालन करने में विफल हो चुके थे और अनियमित हो चुके थे, अतः उनके ऋण खाता को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार एनपीए के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था। और इस प्रकार, उनकी ओर से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुगतेय धनराशियों को संबंधित निर्गत सूचनाओं के अनुसार अंकित किया गया है, जो अधिक विशिष्ट रूप में निम्नलिखित तालिका में सांकित हैं और उक्त धनराशियों पर भावी ब्याज भी लागू होगा और ब्याज जो है वह उनकी संबंधित तिथियों से प्रभावी संविदागत दर के अनुसार प्रभारित किया जायेगा।

क्र. सं.	ऋण खाता सं.	ऋण का प्रकार	धारा 13(2) सूचना तिथि	धारा 13(2) सूचना के अनुसार बकाया राशि
1.	54975960, 50276295, 146397822 और 146797142	संपत्ति के समक्ष ऋण	11-06-2025	1,64,63,613.44/-

ऋणकर्ताओं एवं सह-ऋणकर्ताओं के नाम : 1. कुसुम इलेक्ट्रिकल्स एंड स्विचगियर्स, 2. कुसुम शर्मा, 3. अजय शर्मा

संपत्ति का पता : मद सं. 1 : फ्री होल्ड डीडीए निर्मित एमआईजी फ्लैट नंबर 7 के समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 65 वर्ग मीटर, तृतीय तल पर, ब्लॉक-बैंड पॉकेट-1, सेक्टर-18, रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली-110089 के लेआउट प्लान में स्थित है, ग्राउंड फ्लोर पर स्कूटर गैराज के साथ, उक्त संपत्ति से जुड़ी सुविधाओं की चीजों के साथ जिसमें इसकी फिटिंग और बिजली, पानी और कनेक्शन के फिक्स्चर शामिल हैं, और इस प्रकार सीमित हैं: **साइट के अनुसार सीमाएं: पूर्वः फ्लैट नंबर 8/प्रवेश (उत्तर पूर्व), पश्चिमः खुला (दक्षिण पश्चिम), उत्तरः सड़क (उत्तर पश्चिम), दक्षिणः सर्विस लेन (दक्षिण पूर्व)**

मद सं. 2 : फ्रीहोल्ड डीडीए निर्मित एमआईजी फ्लैट नंबर 8 के समस्त भाग तथा अंश, क्षेत्रफल 700 वर्ग फुट, तृतीय तल पर, ब्लॉक-बैंड पॉकेट- 1, सेक्टर- 18, रोहिणी आवासीय योजना, दिल्ली-110089 के लेआउट प्लान में स्थित, **साइट के अनुसार सीमाएं : पूर्व : अन्य का फ्लैट (उत्तर पूर्व), पश्चिम : फ्लैट नंबर 7 (दक्षिण पश्चिम), उत्तर : सड़क (उत्तर पश्चिम), दक्षिण : सर्विस लेन (दक्षिण पूर्व)।**

आपको एतद्द्वारा निर्देश दिया जाता है कि आप उपरोक्त तालिका में निर्दर्शित विवरणों के अनुसार आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को बकाया धनराशियों का उनकी संबंधित तिथियों से धनराशियों पर गणनाकृत ब्याज की संविदागत दर पर ब्याज और अन्य लागतों, शुल्कों, इत्यादि के साथ, इस प्रकाशन की तिथि से 60 दिवसों में भुगतान कर दें। भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता जो हैं वे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) को देय-भुगतेय धनराशियों की वसूली करने के लिए यहां इसमें उपरोक्त वर्णित बंधककृत संपत्तियों के विरुद्ध सरफॉएसि अधिनियम की धारा 13(4) एवं धारा 14 के अंतर्गत कार्रवाइयां आरंभ करने को बाध्य-विवश होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पर उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत प्रतिबंध लगाया जाता है कि आप उक्त प्रतिभूत परिसंपत्तियों का विक्रय / पट्टा के माध्यम से अथवा अन्यथा हस्तांतरण नहीं कर सकेंगे।

दिनांक : 24/06/2025 **हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी**
स्थान : दिल्ली
आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड (पूर्व में कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, आईडीएफसी बैंक लिमिटेड के साथ संविलित और वर्तमान में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात)

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक

स्टेडियम रोड शाखा पी-5/15, स्टेडियम रोड, डी.डी.पुरम बरेली- 243001

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (नियम 8 (1))

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इण्डियन ओवरसीज़ बैंक के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/ ऋणियों/ बंधककर्ता को प्रत्येक के नाम के सामने दर्शायें गयें खाते मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों पर नोटिस की तारीख / उक्त नोटिस की तारीख से 60 दिनों में बकाया राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर और ब्याज, वसूली आदि पर ब्याज सहित अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया गया था। ऋणी/ ऋणियों द्वारा राशि अदा करने मे असफल रहने पर ऋणी/ ऋणियों और जन सामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने खाते के सामने दी गई तारीख को उक्त नियमों के नियम-8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गई सम्पत्ति/ सम्पत्तियों का कब्जा 23.06.2025 ले लिया है। ऋणी/ ऋणियों को विशेष रूप से एवं जन समान्य रूप से यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्ति/ सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति/ सम्पत्तियों से किसी प्रकार का लेन-देन इण्डियन ओवरसीज़ बैंक, को देय राशि वास्तविक दरों पर संविदा दर एवं उस पर अर्जित ब्याज एवं अन्य चेार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। मांग नोटिस जारी करने के बाद भुगतान की तारीख, अगर कोई हो, की मांग नोटिस में उल्लेखित तारीख से कब्जा लेने की तारीख के अनुसार देय बकाया अनुबंध की दरों पर और ब्याज, शुल्क आदि, भुगतान की तिथि तक देय राशि के साथ देय है।

ऋणकर्ताओं और बंधककर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 के उप-धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया जाता है, जो उनके लिए उपलब्ध समय के संबंध में सुरक्षित संपति को भुनाते हैं

क्र0 सं0	ऋणी / बंधककर्ता व गारन्टर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस की तारीख	कब्जा नोटिस के अनुसार बकाया राशि
1.	श्री छोटे लाल गुप्ता एवं श्रीमती कुसुम लता गुप्ता, निवासी- मकान नंबर 289, घेर जाफर खान, पुराना शहर, हरी मस्जिद के पास, बरेली (ऋणकर्ता और बंधककर्ता)	आवासीय मकान संख्या 289, घेर जफर खां, बरेली, क्षेत्रफल 180 वर्ग गज, स्वामित्व श्री छोटे लाल गुप्ता और श्रीमती कुसुम लता गुप्ता, 30.05.1988 को निष्पादित बिक्री विलेख के अनुसार, 12.09.1988 को बुक संख्या 1, वॉल्यूम 2868, पृष्ठ 392 से 395, क्रमांक 8698 में पंजीकृत, संपत्ति की सीमायें:- पूर्वः रास्ता खरंजा, पश्चिमः बशीर अहमद का मकान, उत्तरः त्रिवेणी सहाय आदि का मकान, दक्षिणः मोहम्मद मियां आदि का मकान।	03.03.2025 मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि रू 2,83,959.58 दिनांक 03.02.2025 तक + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क	23.06.2025	रू 3,00,722.00 + अगामी ब्याज + अन्य शुल्क

दिनांक- 23.06.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

ADITYA BIRLA CAPITAL

LOANS INVESTMENTS INSURANCE PAYMENTS

आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266. शाखा कार्यालयः पहली मंजिल, विजया बैंक बिल्डिंग, 17, बाराखंभा रोड, नई दिल्ली-110001

सरफेसी अधिनियम-2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना

आप, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता ने, नीचे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण प्राप्त किया है और आप, नीचे उल्लिखित व्यक्ति, ऋण समझौते के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार के रूप में खड़े हुए हैं। आपके द्वारा की गई चूक के परिणामस्वरूप, आपके ऋण खाते को वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफेसी अधिनियम) के प्रावधानों के तहत एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हम, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड ने, सरफेसी अधिनियम की धारा के तहत आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए पते पर मांग सूचना जारी की है। उक्त सूचनाओं की सामग्री यह है कि आपने आपको स्वीकृत विभिन्न ऋणों के भुगतान में चूक की है। इसलिए, वर्तमान प्रकाशन सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के प्रावधान के अनुसार और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के प्रावधानों के अनुसार आपको सूचना देने के लिए किया गया है।

ऋण खाता संख्या/खाता उधारकर्ता(ओं), सह-उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) का नाम और पता	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार देय राशि
ऋण खाता संख्याः **ABFLPNTLAP0000130464 & ABKNLLAP000000539033**; 1. **रूपेंद्र कुमार लीखा**, 215 आर, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा 132103; 2. **प्रवीण लीखा**, 215 आर, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा 132103; 3. **मैसर्स श्री जी पैकेजिंग इंडस्ट्रीज**, एसआर वुडेन मिल्स के पीछे, काबड़ी रोड पानीपत, हरियाणा-132103।, **साथ ही:** 215 आर, मॉडल टाउन, पानीपत, हरियाणा - 132103।	20.06.2025 एनपीए तिथिः 13.06.2025	रु. 73,35,441.29/- (रुपये तिहत्तर लाख पैंतीस हजार चार सौ इकतालीस और उनतीस पैसे मात्र) दिनांक 18.06.2025 तक

"प्रवर्तित की जाने वाली सुरक्षित संपत्तियों का विवरण": संपत्ति संख्या "मकान नं. आर215, माप105 वर्ग गज, मॉडल टाउन, पानीपत" का पूरा हिस्सा और भाग जो रूपेंद्र कुमार के स्वामित्व में है। सीमाएँः उत्तरः 32'-09": सड़क, दक्षिणः 32'-0": मकान नं. 225 आर, पूर्वः 29'-06": मकान नं. 215 आर, पश्चिमः 29'-06": मकान नं. 215 आर के साथ संलग्न सुगमताएँ और उस पर विद्यमान और निर्मित होने वाले अन्य सभी भवन और संरचनाएँ, तथा वहां से जुड़े या स्थायी रूप से जुड़ी किसी भी चीज से संबंधित दोनों वर्तमान और भविष्य के सभी फिटिंग, फिक्स्चर, संयंत्र और मशीनरी।

एतद्द्वारा आपको इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर उपर्युक्त राशि ब्याज और लागत सहित आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमे विफल होने पर आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत सभी या किसी एक या अधिक आवश्यक कार्रवाई करेगा, जिसमें उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करना भी शामिल है। उक्त अधिनियम के तहत आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड को उपलब्ध शक्ति में शामिल हैः (1) पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकारों सहित सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री करने के लिए उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गिरवीदार की सुरक्षित परिसंपत्तियों पर कब्जा करना; (2) सुरक्षित परिसंपत्तियों का प्रबंधन अपने हाथ में लेना, जिसमें पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण और सुरक्षित परिसंपत्तियों को वसूलने का अधिकार शामिल है, और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों का कोई भी हस्तांतरण के सन्दर्भमें यह माना जायेगा कि ऐसा हस्तांतरण आपके द्वारा किया गया हो। उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के प्रावधानों के अनुसार, आपको एतद्द्वारा आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना, ऊपर संदर्भित और आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड के पास गिरवी/बंधक रखी गई किसी भी सुरक्षित परिसंपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा (आपके व्यवसाय के सामान्य क्रम के अलावा) हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया जाता है।

दिनांकः 24.06.2025, स्थानः पानीपत **प्राधिकृत अधिकारी, आदित्य बिड़ला कैपिटल लिमिटेड**

केनरा बैंक Canara Bank (A Govt. of India Undertaking)

मांग सूचना

वसूली अनुभाग, क्षेत्रीय कार्यालय भूखण्ड सं. 39, प्रथम तल, बोहरा हुंडई के समीप, नीलम-बाटा मार्ग, फरीदाबाद

जबकि, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्येक नोटिस को पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजने और उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता की ओर से बिना डिलीवर किए वापस लौटने के परिणामस्वरूप उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत डिमांड नोटिस जारी किया था। इस प्रकाशन के माध्यम से उन्हें उक्त नोटिस के लिए प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए कहा जाता है, ऐसा न करने पर, बैंक अचल और चल संपत्ति का कब्जा ले लेगा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 और 9 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे प्रक्रिया के माध्यम से बेच देगा। विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और सामान्य रूप से जनता को सावधान किया जाता है कि वे अचल/चल संपत्ति/के साथ लेनदेन न करें और नीचे उल्लिखित अचल/चल संपत्ति/संपत्तियों से संबंधित कोई भी लेनदेन बकाया राशि और उस पर ब्याज और अन्य शुल्कों के लिए केनरा बैंक के प्रभाराधीन होगा।

उधारकर्ता(ओं)/गारंटर(रों) के नाम एवं पते	चल / अचल संपत्तियों के विवरण	मांग सूचना के अनुसार देयराशि	मांग सूचना की तिथि
शाखा : एसएमई-1 शाखा **उधारकर्ता : श्री योगेंदर प्रताप सिंह** पुत्र श्री विजय पाल सिंह, मकान नं. बी-13, गली नं. 1, भाटिया कॉलोनी, मिल्क प्लांट रोड बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद- 121004, 2. श्रीमती इंदिरा भाटिया पत्नी स्वर्गीय योगेंदर प्रताप सिंह, मकान नं. बी-13, गली नं. 1, भाटिया कॉलोनी, मिल्क प्लांट रोड बल्लभगढ़, जनपद फरीदाबाद- 121004	**स्वामित्व धारक का नाम :** योगेंदर प्रताप सिंह पुत्र श्री विजय पाल सिंह **अचल :** टुकड़ा / प्लॉट नं. 9 का एक पश्चिमी भाग, क्षेत्रफल 76.85 वर्ग गज, जो रेक्ट. नं. 18, किला नं. 7/1(0-16), 7/2(5-18) के भाग की सरचना करता है, मौजा ऊंचा गांव, भाटिया कॉलोनी, बल्लभगढ़, जिसे अब एमसीएफ नं. बी-13 के नाम से जाना जाता है, भाटिया कॉलोनी मिल्क प्लांट रोड, बल्लभगढ़ में स्थित तथा नीचे दिए अनुसार सीमाबद्ध है :- उत्तर : रास्ता, पश्चिम : खाली जमीन, पूर्व : मकान न. बी-13 का आंशिक भाग (पूर्वी भाग), दक्षिण : अन्य की संपत्ति	रु. 3,97,856/- (रुपये तीन लाख सत्तानबे हजार आठ सौ छप्पन मात्र) साथ में भावी ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतें।	19.06.2025 एनपीए की तिथि 04.09.2007
शाखा : बामनीखेड़ा **उधारकर्ता : 1. श्रीमती बिमला रानी** पत्नी याद राम, वीपीओ बामनीखेड़ा जिला पलवल हरियाणा- 121102, 2. श्री याद राम पुत्र श्री प्यारे लाल वीपीओ बामनीखेड़ा जिला पलवल हरियाणा- 121102	**स्वामित्व धारक का नाम :** बिमला रानी पत्नी याद राम। **अचल :** प्लॉट से 6/50वें अंश का भूखंड हिस्सा जो बर्स खेवट/खतौनी संख्या - 614/666, रेक्ट नंबर 53, किला नंबर 18 (2-10) के साथ, आवेदक का हिस्सा, कम 0 कनाल 6 मारला, मौजा बामनीखेड़ा, तहसील और जिला पलवल में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :- उत्तर- शंकर का रिक्त भूखंड और कन्हैया लाल का घर, पश्चिम : रूप लाल का घर, पूर्व : रास्ता, दक्षिण : बंप सिंह का घर।	रु. 12,38,497.21 (रुपये बारह लाख अड़तीस हजार चार सौ सत्तानबे तथा इक्कीस पैसे मात्र) साथ में भावी ब्याज और आकस्मिक व्यय, लागतें।	19.06.2025 एनपीए की तिथि 30.06.2017

दिनांक : 24-06-2025 **हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक**
स्थान : फरीदाबाद

इंडियन बैंक Indian Bank
इलाहाबाद ALLAHABAD

आंचलिक कार्यालय : सिविल लाईन, मुरादाबाद

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, प्राधिकृत अधिकारी, इंडियन बैंक (पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक) वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54 के अधीन और धारा 13(12) तथा सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उधारकर्ता/जमानतकर्ता का विवरण नीचे दिये गये कोलम में सूचना में उल्लिखित रकम को कथित सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर पुनसंदत्त करने के लिए बुलाते हुए एक मांग देय सूचना निम्नलिखित दिनांक को जारी किया।

उधारकर्ता/ जमानतकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में असफल रहने पर, प्रतिभूत हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा उधारकर्ता और आम लोगों को यह नोटिस दिया जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे उल्लेख की गई सम्पत्ति पर दिनांक से सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

ऋणी को विशेष रूप से और लोक को सामान्य रूप से एतद्द्वारा सम्पत्ति से सव्यवहार न करने के लिए सावधान किया जाता है और सम्पत्ति का कोई सव्यवहार **इंडियन बैंक** के प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ता / गारंटीकर्ता का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

ऋणी / गारंटर का नाम व पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	(क) मांग नोटिस की तारीख (ख) कब्जा नोटिस की तारीख (ग) बकाया राशि
शाखा : इंडियन बैंक कासगंज 1. मैसर्स आरडी रेस्टोरेंट (फर्म और ऋणकर्ता) पताः मौहल्ला नवाब, कस्बा कासगंज, परगना बिलराम, कासगंज, यूपी 207123 2. श्री राशिद अली पुत्र श्री अब्दुल राशीद (प्रोपराइटर/ऋणकर्ता) पताः मौहल्ला नवाब, कस्बा कासगंज, परगना बिलराम, कासगंज, यूपी 207123 3. श्री अब्दुल राशीद पुत्र श्री अली मुहम्मद खान (गारंटर/बंधककर्ता) पताः मौहल्ला नवाब, कस्बा कासगंज, परगना बिलराम, कासगंज, यूपी 207123 4. श्रीमती जैबुन निसा पत्नी श्री अब्दुल रशीद (बंधककर्ता) पताः मकान नंबर 4, गली न्यारियां, मौहल्ला नबाब, कासगंज, यूपी 207123 5. श्री दिनेश पुत्र श्री राम प्रकाश (गारंटर) पताः मकान नंबर 286, ठंडी सड़क, पश्चिमी, कासगंज- 207123	वाणिज्यिक/आवासीय दो मंजिला भवन के सभी भाग और पार्सल, स्थित मौहल्ला नवाब, बिलराम गेट, परगना बिलराम, तहसील एवं जिला कासगंज, कुल माप क्षेत्रफल 52 वर्ग मीटर, दो निम्नलिखित शीर्षक विलेखों के माध्यम से खरीदा गया 1. संपत्ति क्षेत्रफल 42 वर्ग मीटर विक्रय विलेख दिनांक 06.11.84 के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय कासगंज, बुक संख्या/वॉल्यूम 1286 पृष्ठ संख्या 59/60, क्रम संख्या 774 दिनांक 28.01.85 को पंजीकृत, **सीमायें:-** पूर्वः आराजी अली मोहम्मद, पश्चिमः आराजी नूरजादी, उत्तरः आराजी मकान नसर, दक्षिणः सरकारी सड़क। 2. संपत्ति: क्षेत्रफल 10 वर्ग मीटर, बिक्री विलेख दिनांक 10.11.86 के अनुसार उप पंजीयक कार्यालय कासगंज, बुक संख्या/ वॉल्यूम 1366 पृष्ठ 339/340, क्रम संख्या 1381 दिनांक 07.02.87 को पंजीकृत, **सीमायें:-** पूर्वः मकान नसर आदि, पश्चिमः गली चुंगी, उत्तरः आराजी अली मोहम्मद, दक्षिणः आराजी फैज मोहम्मद खान। **मालिक और शीर्षक धारकः श्री अब्दुल राशीद पुत्र श्री अली मोहम्मद खान और श्रीमती जैबुन निशा पत्नी श्री अब्दुल रशीद निवासी मौहल्ला नवाब कस्बा कासगंज, परगना बिलराम 207123 यूपी।**	(क) 18.03.2025 (ख) 20.06.2025 (ग) रू 15,19,052.00 + ब्याज + अन्य खर्चे

दिनांक- 23.06.2025 **स्थान - कासगंज** **प्राधिकृत अधिकारी**

यूको बैंक

अंचल कार्यालय : कृष्णा प्लाजा C-2/6, डी-ब्लॉक, गंगानगर, मवाना रोड, मेरठ (उ.प्र.)

कब्जा सम्बन्धी नोटिस
(नियम 8(1) अचल सम्पत्ति हेतु)

सिक्योरिटीज़ाइजेशन एवं रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट्स इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं0 54) तथा सिक्योरिटी इन्ट्रेस्ट (एनफोर्समेंट) नियम 2002 नियम 3 के साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यूको बैंक ने सम्बन्धित ऋणी के नाम के सामने दर्शाये गए खातें में उसके नाम के सामने दी गई तारीख से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों/गारन्टरों द्वारा राशि अदा करने में असफल होने पर ऋणी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्तियों का कब्जा नीचे लिखी तिथि को ले लिया गया है। ऋणियों/गारन्टरों को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त सम्पत्तियों के सम्बन्ध मे किसी प्रकार का लेन-देन न करें। इन सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन-देन **यूको बैंक, शाखा** को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज के चार्ज के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है। **(कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुड़ाने के लिए, उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता हैं)**

क्र. सं.	शाखा, ऋणी का नाम	बंधक सम्पत्ति का विवरण
1.	**शाखा : सहारनपुर** मैसर्स एस. के मेडिसिन एजेंसीज, प्रोपराइटर- श्री सुनील कुमार गुप्ता पुत्र देवी चंद गुप्ता और गारंटर- श्रीमती रितु गुप्ता पत्नी सुनील कुमार गुप्ता प्रथम तल किशनपुरा सहारनपुर 247001	आवासीय भवन, क्षेत्रफल 76 वर्ग गज, स्थित पुराना एमपीएल 23/6301, नया नंबर 1/1019/1-1ए शारदा नगर, सहारनपुर (यूपी)। टाइटल डीड का विवरण- बही नंबर-1, जिल्द नंबर 193, पेज 253, एडी बुक नंबर 1, जिल्द नंबर-340, पेज नंबर 667/676, डीड नंबर-3317 दिनांक 08.07.1999 को सब रजिस्ट्रार-1, सहारनपुर में पंजीकृत, सीमायें:- पूर्व- जय सिंह बाल्मीकि की संपत्ति, उत्तर- सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम- शांति देवी की संपत्ति, दक्षिण- श्री अतर सिंह की संपत्ति। **डिमांड नोटिस दिनांकः 04/10/2019, कब्जे की तिथिः 21/06/2025, बकायाः रुपये 857104.25 प्लस ब्याज और अन्य शुल्क**
2.	**शाखा : सहारनपुर** मैसर्स संदीप ट्रेडर्स (प्रोपराइटर-संदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार) मकान नं. 2/907/87 राम नगर उर्फ पठान पुरा-2 सहारनपुर यू.पी. 247001	व्यावसायिक संपत्ति के सभी भाग और पार्सल, क्षेत्रफल 34.43 वर्ग गज, श्री संदीप पुत्र सुरेन्द्र कुमार के नाम, स्थित पुराना नगर निगम संख्या 595/1, नया नगर निगम संख्या 595/2, वाके ग्वालीरा परगना तहसील एवं जिला-सहारनपुर, दार आबादी आर.के.पुरम कालोनी सहारनपुर (यू.पी.)। उप-पंजीयक सहारनपुर के कार्यालय में बही संख्या 1, जिल्द संख्या 8096, पृष्ठ संख्या 363 से 386, डीड संख्या 2458, दिनांक 19-03-2021 पर विधिवत पंजीकृत। सीमायें: - संपत्ति संख्या 1 पूर्व- विक्रेता की संपत्ति, उत्तर- सड़क-100' चौड़ी, पश्चिम- सड़क-6' चौड़ी, दक्षिण- संजय कुमार की संपत्ति। **डिमांड नोटिस दिनांकः 16/04/2025, कब्जे की तिथिः 21/06/2025, बकायाः रुपये 1416057.12 प्लस ब्याज और अन्य शुल्क**

दिनांक 23.06.2025 स्थानः मेरठ प्राधिकृत अधिकारी, यूको बैंक

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः रिटेल रिकवरीः एच 1ए/30, सेक्टर 63, नोएडा - 201307 वेबसाइटः www.idbibank.in

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 05.10.2021** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री धर्मेन्द्र कुमार** को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि 44,31,265/- (रुपये चवालीस लाख इकतीस हजार दो सौ पैंसठ मात्र) दिनांक 31.08.2021 तक, उस पर अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च सहित** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 20 जून, 2025** को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन-देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन-देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को 44,31,265/- (रुपये चवालीस लाख इकतीस हजार दो सौ पैंसठ मात्र) दिनांक 31.08.2021 तक,** अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ, के अधीन होगा।

सुरक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह सभी भाग व अंश, जिसमें फ्लैट संख्या 1103, 11वीं मंजिल, टावर बी3 श्री वर्धमान गार्डेनिया, बी एम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, सेक्टर -10, सोनीपत - हरियाणा 131001 शामिल है।

वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण।

स्थानः सोनीपत **प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांकः 20 .06.2025 **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड**

---

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 27 बीकेसी, सी-27, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बान्द्रा (ई), मुंबई-400051 शाखा कार्यालय : ईपीआईसीएच द्वितीय तल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015

मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनरनिर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन सूचना

एतद्द्वारा निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर को सूचना दी जाती है, जिनके द्वारा कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) के ईपीआईसीएच द्वितीय तल, 68, 68/1, नजफगढ़ रोड, मोती नगर, नई दिल्ली-110015 स्थित शाखा कार्यालय से ऋण सुविधाएं प्राप्त की गई हैं तथा केएमबीएल को ईएमआई द्वारा ऋण राशि तथा/अथवा क्रेडिट सुविधाओं का ब्याज चुकाने में असफल रहे हैं तथा कि उनका ऋण खाता भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनार्जक आस्ति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। कर्जदारों द्वारा केएमबीएल को अचल सम्पत्तियों की प्रतिभूति उपलब्ध कराई गई है, जिसका विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। ऋण और कर्जदारों द्वारा केएमबीएल को चुकाई जाने वाली आज की तिथि तक बकाया राशि का विस्तृत विवरण यहां नीचे दिया गया है। कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर तथा समस्त जनसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रत्याभूत क्रेडिटर केएमबीएल के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से कर्जदार/सह-कर्जदारों/गारंटर के विरूद्ध वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण तथा पुनरनिर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफासी ऐक्ट) के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही आरंभ कर दी है। यदि निम्नलिखित कर्जदार उनके नाम के सामने दर्शित बकाया राशि इस सूचना के 60 (साठ) दिन के भीतर चुकाने में असफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी द्वारा सरफासी ऐक्ट की धारा 13 की उप-धारा (2) के अधीन किसी एक अथवा अधिक शक्तियों का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें सम्पत्ति का कब्जा लेना तथा उसकी बिक्री करने की शक्ति शामिल है। समस्त जनसाधारण से यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने की सलाह दी जाती है।

कर्जदारों/गारंटर एवं बंधकदाता का नाम	ऋण खाता संख्या, मांग सूचना तिथि और राशि
1. श्री उदय प्रताप सिंह (कर्जदार एवं बंधकदाता) पुत्र बरसाती राम, 2. श्रीमती पुष्पा (सह-कर्जदार) पत्नी उदय प्रताप सिंह दोनों निवासी : मकान नंबर बी 32, गली नंबर 2, वेस्ट ज्योति नगर, लोनी रोड एक्सटेंशन शाहदरा, निकट तुलसीराम अस्पताल, दिल्ली-110094 एनपीए तिथि : 08-06-2025	ऋण खाता संख्या LAP19044313 और र।च19044382 मांग सूचना तिथि : 18-06-2025 बकाया राशि : रु. 40,18,450.08/- (रुपये चालीस लाख अठारह हजार चार सौ पचास और पैसे आठ मात्र) 03-06-2025 तक

प्रतिभूत आस्ति (अचल सम्पत्ति) का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : "ऊपरी भूतल, केवल छत के स्तर तक निर्मित (छत के अधिकार नहीं) और संपूर्ण तृतीय तल, छत के अधिकार के साथ, उपयोग करने और अंतिम मंजिल तक निर्माण के अधिकार सहित, क्षेत्रफल प्रत्येक तल पर 128 वर्ग गज यानी 107.02 मीटर, जिसमें साइट के अनुसार, सीढ़ियां, मार्ग, प्रवेश द्वार, स्टिल्ट फ्लोर में पार्किंग का 50ः हिस्सा और अन्य सामान्य अधिकार शामिल हैं, जोकि संपत्ति संख्या बी-32, प्लॉट संख्या 13, खसरा संख्या 73 का हिस्सा, गली नंबर 2, मेन लोनी रोड, वेस्ट ज्योति नगर एक्सटेंशन, इलाका शाहदरा दिल्ली-110094 की आबादी में गांव सिकदरपुर में स्थित है, नीचे भूमि के अविभाजित आनुपातिक फ्रीहोल्ड अधिकार सहित"। चौहद्दी - उत्तर : अन्य की संपत्ति, पूर्व : गली 15 फीट चौड़ी, दक्षिण : अन्य की संपत्ति, पश्चिम : गली 15 फीट चौड़ी

तिथि : 24-06-2025 स्थान : दिल्ली **वास्ते कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी**

Mahindra FINANCE
महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः गेटवे बिल्डिंग, अपोलो बंदर, मुंबई - 400 001
कॉर्पोरेट कार्यालयः बी विंग, 3री मंजिल, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, पिरामल एमिटी बिल्डिंग, कमानी जंक्शन, कुर्ला वेस्ट मुंबई - 400 070

कब्जा सूचना
(अचल संपत्ति के लिए) सरफैसी अधिनियम और नियम का नियम 8-(1)

जैसाकि, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 की धारा 13(12) के साथ पठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 19 फरवरी, 2025 को एक मांग सूचना जारी कर **उधारकर्ता मेसर्स जगदंबा शू, श्री अनुज वर्मा और श्री राजकुमार** को उक्त सूचना की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि **रुपये 28,27,554.71/- (रुपये अट्ठाईस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चौवन और इकहत्तर पैसे मात्र)** का भुगतान करने का आह्वान किया था।

उधारकर्ता द्वारा राशि का पुनर्भुगतान करने में विफल रहने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने 19 जून, 2025को उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित नियम 9 के तहत उसे/उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/ओं और आम तौर पर जनता को एतद्द्वारा संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) के साथ व्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और ऐसी संपत्ति के साथ कोई भी व्यवहार उस पर के साथ उसमे उल्लिखित राशि **रुपये 28,27,554.71/- (रुपये अट्ठाईस लाख सत्ताईस हजार पांच सौ चौवन और इकहत्तर पैसे मात्र)** और उस पर ब्याज के लिये महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित आस्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

मद संख्या-I- एक मकान जिसका माप 95 वर्ग गज (79.46 वर्ग मीटर) है, उत्तर दिशा की ओर, नगर पालिका संख्या 10 (पुराना) नया नंबर 188/14 है, जो मोहल्ला गोपीपुरा हापुड़, तहसील और जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश - 245101 में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैंः पूर्व की ओरः रास्ता और गली 13' चौड़ी, भुजा 19'; पश्चिम की ओरः आबादी मोहल्ला कोठी प्यारे लाल, भुजा 19'; उत्तर की ओरः मकान श्रीमती शांति, पत्नी रामगोपाल, भुजा 45';दक्षिण की ओरः उक्त मकान का शेष 1/2वां भाग, भुजा 45'

हस्ता/-
दिनांकः 24.06.2025 **अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,**
स्थानः हापुड़, उत्तर प्रदेश **महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लि.**

केंद्र सरकार के समक्ष कंपनियों के रजिस्ट्रार, एनसीटी दिल्ली

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 की उप-धारा (3) तथा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नियम, 2009 के नियम 17 के संबंध में -

लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के अंतर्गत और **रिवार्बड विजन एलएलपी** जिसका पंजीकृत कार्यालय ईडी 115, टैगोर गार्डन, न्यू दिल्ली, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत – 110027 में स्थित है, याचिकाकर्ता है।

इस द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि, उक्त एलएलपी **लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप** अधिनियम, 2008 की धारा 13 (3) के तहत रजिस्ट्रार ऑफ कंपनिज़, दिल्ली को एक याचिका प्रस्तुत करने का प्रस्ताव कर रही है, जिसमें वह अपने पंजीकृत कार्यालय को **"दिल्ली"** राज्य से **"गुड़गांव, हरियाणा"** राज्य में स्थानांतरित करने की अनुमति मांग रही है।

कोई भी व्यक्ति जिसका हित इस प्रस्तावित परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है, वह इस नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 21 (इक्कीस) दिनों के भीतर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनिज़, दिल्ली को एक शपथपत्र द्वारा समर्थित आपत्ति, जिसमें उसके हित की प्रकृति और आपत्ति के आधार उल्लिखित हों, व्यक्तिगत रूप से या पंजीकृत डाक द्वारा भेज सकता है/पहुंचा सकता है। इस आपत्ति की एक प्रति याचिकाकर्ता एलएलपी को भी उसके उपरोक्त पते पर भेजी जाएगी

रीवायर्ड विज़न एलएलपी की ओर से

सही/-

अजय दुआ

निर्धारित भागीदार

तिथि: 19 जून, 2025 — ईडी 115, टैगोर गार्डन, पश्चिम दिल्ली,

स्थान: दिल्ली — नई दिल्ली, दिल्ली, भारत, 110027

सूचना

रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौता/व्यवस्था की योजना प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रण - परिसमापन में

ऊपर उल्लिखित रिचा इंडस्ट्रीज लिमिटेड एनसीएलटी, चंडीगढ़ बेंच के **सीपी (आईबी) संख्या 80/चंडीगढ़/हरयाणा/2018 दिनांक** 11.06.2025 में **सीए संख्या** 786/2019 के आदेश के अनुसार परिसमापन के अधीन है और उसी आदेश के अनुसार नीचे हस्ताक्षरकर्ता को कंपनी का परिसमापक नियुक्त किया गया है। यह सार्वजनिक सूचना कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 230 के अनुसार समझौते या व्यवस्था की संभावनाओं का पता लगाने के लिए जारी की गई है, जैसा कि 13वीं और 14वीं सीओसी बैठक में चर्चा/समाधान किया गया था।

प्लॉट संख्या 29, डीएलएफ औद्योगिक क्षेत्र फेज–II, फरीदाबाद में **पंजीकृत कार्यालय**

अत्यंत सद्भावना के साथ और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत और आईबीबीआई (परिसमापन प्रक्रिया) विनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार, यह इच्छुक और वित्तीय रूप से मजबूत व्यक्ति या व्यक्तियों से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) प्राप्त करने के लिए एक निमंत्रण है, जो आईबीसी 2016 की धारा 29ए सहित इस तरह के योजना प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए कानून के तहत पात्र हैं। इच्छुक लेनदार/सदस्य परिसमापक की संतुष्टि के लिए आवश्यक दस्तावेजों के निष्पादन पर अग्रिम रूप से सूचना ज्ञापन प्राप्त कर सकते हैं ताकि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के तहत समझौता या व्यवस्था की योजना के लिए प्रस्ताव एक सीलबंद लिफाफे में या सुरक्षित मेल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सके और 10 **जुलाई 2025 (गुरुवार)** को या उससे पहले परिसमापक के पते पर कूरियर/पोस्ट किया जा सके। परिसमापक ऐसी शर्तें लगा सकता है जो सफल प्रस्तावक के लिए आवश्यक समझी जा सकती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वित्तीय प्रतिबद्धता का सम्मान किया जाता है। ईओआई के विस्तृत नियमों और शर्तों पर किसी भी अन्य प्रश्न के लिए, कृपया हमें liq.richa@gmail.com पर एक ईमेल भेजें।

अस्वीकरण

इस विज्ञापन को किसी भी तरह से प्रॉस्पेक्टस या प्रस्ताव दस्तावेज या कंपनी की परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए प्रस्ताव पत्र नहीं माना जाएगा। यह विज्ञापन पात्र आवेदकों के हितों का पता लगाने का दावा करता है और परिसमापक की ओर से किसी भी तरह का बाध्यकारी दायित्व नहीं बनाता है। परिसमापक समय-समय पर आमंत्रण में दी गई जानकारी को इच्छानुसार अद्यतन, संशोधित या पूरक कर सकता है।

हस्ता/-

मोहित चावला- परिसमापक

आईबीबीआई रजि. सं. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949

श्री बालाजी कॉम्प्लेक्स, एससीओ 26, लेवल-III,

तिथि: 23.06.2025 — पुराना अंबाला रोड, ढकौली, मोहाली (पीबी)

स्थान: जीरकपुर — **मो. नं: 9888003303**

कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

संपत्ति की ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री

पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी–27, जी–ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई,महाराष्ट्र–400051, शाखा कार्यालयः कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 7वीं मंजिल, प्लॉट नं.–7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(5) व 8(6) के तहत वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे "पीएनबीएचएफएल" कहा जाएगा)द्वारा द्वारा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के पक्ष में ऋण के असाइनमेंट के बाद, कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी (इसके बाद इसे "बैंक/केएमबीएल/सुरक्षित ऋणदाता के रूप में संदर्भित किया गया है) ने 04.02.2025 को सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/चार्ज की गई नीचे वर्णित अचल संपत्ति (इसके बाद इसे सुरक्षित संपत्ति कहा जाएगा) का कब्ज़ा ले लिया है। इसके द्वारा विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) और सामान्य रूप से जनता को नोटिस दिया जाता है कि बैंक ने **ऋण खाता संख्या 00306660001663** के अंतर्गत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार श्री राकेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सुषमा चौहान द्वारा लिया गया ऋण को दिनांक 18.06.2025 तक बकाया **रु.1,62,31,688/– (एक करोड़ बासठ लाख इकतीस हजार छह सौ अठ्ठासी मात्र)** तथा वसूली तक लागू भविष्य ब्याज की वसूली के लिए सरफेसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत ई–नीलामी के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति को "जैसा है जहां है" "जैसा है, जैसा है", और "जो कुछ है" के आधार पर बेचने का फैसला किया है।

विशेष	विवरण
नीलामी की तिथि	29.07.2025
नीलामी का समय	5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ दोपहर 12:00 बजे से 1:00 बजे के बीच
आरक्षित मूल्य	रु.40,00,000/– (केवल चालीस लाख रुपये)
बयाना राशि जमा (ईएमडी)	रु.4,00,000/– (केवल चार लाख रुपये)
केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	28.07.2025 सायं 6:00 बजे तक (आईएसटी)
सुरक्षित संपत्ति का विवरण	ब्लॉक बी–3 में प्रथम तल, टावर–बी, अरावली हाइट्स–1, सेक्टर 24, धारूहेड़ा, जिला रेवाड़ी, हरियाणा–122001 में स्थित फ्लैट संख्या बी–3/13 वाली संपत्ति का समस्त टुकड़ा एवं अंश,जिसका क्षेत्रफल 1590 वर्ग फुट है।
ज्ञात भार	10.02.2025 तक आरडब्लूए का बकायाः रु.4,65,118/–(चार लाख पैंसठ हजार एक सौ अठारह मात्र)

उधारकर्ता का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, सरफेसी अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा 8 के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है। जनसाधारण और विशेष रूप से उधारकर्तागण कृपया ध्यान दें कि यदि यहां इसमें अनुसूचित नीलामी किसी भी कारण से विफल हो जाती है तो प्रतिभूत लेनदार निजी संधि के माध्यम से बिक्री द्वारा बिक्री प्रतिभूति हित प्रवर्तित कर सकते हैं। बिक्री के तहत रखी गई परिसंपत्तियों के संबंध में किसी स्पष्टीकरण/आवश्यकता की स्थिति में, बोलीदाता श्री रितेश चौहान (मोबाइल नंबर 917355036788), श्री सुमित सिन्हा (मोबाइल नंबर 919667225900) और श्री अक्षित सोलंकी (मोबाइल नंबर 917302111608) से संपर्क कर सकते हैं। बोलीदाता हेल्पलाइन नंबर (91–9152219751) पर भी संपर्क कर सकते हैं। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया कोटक महिंद्रा बैंक की वेबसाइट अर्थात् www.kotak.com तथा/अथवा https://bankauctions.in/ पर उपलब्ध लिंक https://www.kotak.com/en/bank-auctions.html देखें।

स्थानः रेवाड़ी, हरियाणा ,दिनांकः 23.06.2025 — प्राधिकृत अधिकारी ,कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

ऑदुंबर, प्लॉट नंबर 101/1, एरंडवाने, डॉ. केतकर रोड, पुणे 411004, महाराष्ट्र, भारत

कब्जा सूचना

[(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि **इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, एक गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था, पंजीकृत कार्यालय औदुंबर, प्लॉट संख्या** 101/1, **डॉ. केतकर रोड, परांजपे बिल्डर ऑफिसर के सामने, एरंडवाने, पुणे** –411004 (बाद में "ईएफएल" से संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) (बाद में "सरफैसी अधिनियम, 2002" द्वारा संदर्भित) के प्रावधान के अंतर्गत, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप 1. राजा एंटरप्राइजेज ई–34/ए गली नंबर 17, मधु विहार, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110092, 2. सरिता देवी ई ई–34/ए गली नंबर 17, मधु विहार, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110092, 3. जय कुमार ई–33 गली नंबर 17, मधु विहार आई.पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110092, 4. राजा ट्रेडर्स ई–33, गली नंबर–17, मधु विहार, आई.पी. एक्सटेंशन, पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, नई दिल्ली–110092 को दिनांक 11 **मार्च 2025 को एक मांग सूचना जारी की और 13 मार्च 2025 को प्रकाशित की।**

आपको सूचित किया जाता है कि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत जारी दिनांक 11 मार्च 2025 का नोटिस उपरोक्त सभी पक्षकारों संख्या 1 से 4 को 15-03-2025 और 17-03-2025 को भेजा जा रहा है, जिसमें आपसे नोटिस में उल्लिखित राशि रु. 61,02,409/- (रुपये इकसठ लाख दो हजार चार सौ नौ मात्र) को ऋण खाता संख्या/संदर्भः **APPL00024489 (LQAN000005012310) और APPL00078380 (LOAN000005027567)** के माध्यम से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर ब्याज सहित चुकाने का आह्वान किया गया है।

कर्जदार/गारंटर द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, कर्जदार और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि अधोहस्तारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 17 **जून 2025 और 20 जून 2025** को नीचे वर्णित सम्पत्ति क और नीचे वर्णित संपत्ति II पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे अनुसूची क में उल्लिखित परिसंपत्ति से लेन-देन न करें और अनुसूची क में वर्णित परिसंपत्ति से कोई भी लेन-देन **रु. 61,02,409/- (रुपये इकसठ लाख दो हजार चार सौ नौ मात्र)** की राशि के लिए 'ईएफएल' के प्रभार और उस पर ब्याज अन्य शुल्क के अधीन होगा। कर्जदार का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

सम्पत्ति का विवरण

संपत्तिः 1. अचल संपत्ति का समस्त भाग, मकान नंबर ई–34/ए–1, क्षेत्रफल 31.35 वर्ग मीटर, गली नंबर 17, अनधिकृत कॉलोनी मधु विहार नई दिल्ली–92 में स्थित है।

उपर्युक्त संपत्ति की सीमाः पूर्व की ओरः दूसरों की संपत्ति, पश्चिम की ओरः दूसरों की संपत्ति, उत्तर की ओरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिण की ओरः सड़क 20 फीट चौड़ी

संपत्तिः 2. अचल संपत्ति का समस्त भाग, प्रथम तल की संपत्ति संख्या ई–33 (नया संख्या ई 33) पर निर्मित, जिसका क्षेत्रफल 50 वर्ग गज यानी 41.80 वर्ग मीटर है, खसरा संख्या 1381/89 में से मधु विहार की आबादी में स्थित है, ग्राम मंडावली फजलपुर, इलाका शाहदरा दिल्ली 110092 के क्षेत्र में स्थित। उपर्युक्त संपत्ति की सीमा निम्नानुसार हैः पूर्व की ओरः दूसरों की संपत्ति, पश्चिम की ओरः 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर की ओरः दूसरों की संपत्ति, दक्षिण की ओरः 25 फीट चौड़ी सड़क

स्थानः दिल्ली — हस्ता./- अधिकृत प्राधिकारी

तिथि 24-06-2025 — कृते इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेडः रिटेल रिकवरीः एच 1ए/30, सेक्टर 63, नोएडा – 201307 वेबसाइटः www.idbibank.in

कब्जे का नोटिस [नियम 8(1)]

जबकि अधोहस्ताक्षरी प्राधिकृत अधिकारी ने **आईडीबीआई बैंक लि.** की ओर से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनगर्ठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत तथा नियम 13(12) के सपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 (2002 का संख्याक 54) के नियम 3 के तहत दिए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए **दिनांक 07.01.2022** को एक माँग नोटिस जारी करके ऋणी **श्री गगन माहेश्वरी** को नोटिस में वर्णित **बकाया राशि रू. 41,68,351/– (रुपये इकतालीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 08.09.2021 तक, उस पर अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च सहित** उक्त नोटिस मिलने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अदा करने के लिए कहा गया था।

ऋणी द्वारा उक्त राशि की अदायगी न करने के कारण ऋणी और जन साधारण को यह सूचना दी जाती है कि अद्योहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 की धारा 13(4) के सपठित नियमों के नियम 8 के अन्तर्गत दिये गये अधिकारों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित संपत्तियों का कब्जा **दिनांक 20 जून, 2025** को ले लिया है।

उधारकर्ता को इस नोटिस के द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे निम्नलिखित संपत्तियों से सम्बन्धित कोई लेन–देन न करें तथा संपत्तियों में किया गया कोई भी लेन–देन **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड को रू. 41,68,351/– (रुपये इकतालीस लाख अड़सठ हजार तीन सौ इक्यावन मात्र) दिनांक 08.09.2021 तक,** अतिरिक्त ब्याज और कानूनी खर्च के साथ, के अधीन होगा।

सुरक्षित सम्पत्ति के मोचन में उपलब्ध समय के सम्बन्ध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति का विवरण

संपत्ति का वह सभी भाग व अंश, जिसमें फ्लैट संख्या 1302, 13वीं मंजिल, टावर ए3, श्री वर्धमान गार्डेनिया, बी एम इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने, सेक्टर 10, सोनीपत – हरियाणा 131001 शामिल है।

वर्तमान और भविष्य में होने वाले एकल संरचना और तत्कालीन निमाण।

स्थानः सोनीपत — प्राधिकृत अधिकारी

दिनांकः 20 .06.2025 — आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

फॉर्म–जी

अभिरुचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

श्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (सीआईआरपी में)

नोएडा, उत्तर प्रदेश में रियल एस्टेट उद्योग में संचालित

(दिवाला और शोधन अक्षमता (कॉरपोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम(1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	पैन/सीआईएन/एलएलपी संख्या के साथ कॉर्पोरेट देनदार का नाम	श्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड पैनः AADCT0674K सीआईएन : U80904DL2008PTC185114
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	सी-23 ग्रेटर कैलाश एन्क्लेव, पार्ट-I, नई दिल्ली, भारत - 110048
3.	वेबसाइट का यूआरएल	लागू नहीं
4.	उस स्थान का विवरण जहां अचल संपत्तियों का बहुमत स्थित है	उपलब्ध नहीं
5.	कॉर्पोरेट देनदार के मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	उपलब्ध नहीं
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचे गए मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	उपलब्ध नहीं
7.	कर्मचारियों/वर्कमैन की संख्या	शून्य
8.	दो वर्षों के अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरणों (अनुसूचियों के साथ) लेनदारों की सूचि प्रक्रिया की बाद की घटनाओं हेतु प्रासंगिक तिथियां सहित अधिक विवरण निम्नलिखित यूआरएल पर उपलब्ध है।	अपेक्षित जानकारी cirp.threecfacility@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त की जा सकती है
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के तहत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यहां यूआरएल पर उपलब्ध हैः	रुचि की अभिव्यक्ति का विस्तृत आमंत्रण cirp.threecfacility@gmail.com पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है
10.	रुचि की अभिव्यक्ति प्राप्त करने की अंतिम तिथि	04.07.2025
11.	संभावित संकल्प आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	06.07.2025
12.	अंतिम सूची पर आपत्तियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	11.07.2025
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तारीख	12.07.2025
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजनाओं के लिए अनुरोध जारी करने की तारीख	13.07.2025
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	02.08.2025
16.	रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए ईमेल आईडी प्रक्रिया	cirp.threecfacility@gmail.com

हस्ता/-

देवेंद्र उमराव

आईबीबीआई पंजीकरण सं. IBBI/IPA-003/IP-N00223/2019-2020/12640

दिनांकः 24.06.2025 — पंजीकृत पताः 94–डी, पॉकेट एफ, मयूर विहार फेज 2, दिल्ली - 110091

स्थानः नई दिल्ली — कृते श्री सी फैसिलिटी मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड

Karnataka Bank Ltd. 100

Your Family Bank. Across India.

परिसंपत्ति वसूली प्रबंधन शाखा, भूखण्ड सं. 8–बी, प्रथम तल, राजेंद्र पार्क, पूसा रोड नई दिल्ली– 110 060

फोन : 011–40591567 (एक्सटेंशन–240), ई–मेल : delhiarm@ktkbank.com, वेबसाइट : www.karnatakabank.com, सीआइएन : L85110KA1924PLC001128

अचल संपत्ति की बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता और विशेष रूप से उधारकर्ता (ओं) और गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधक /भारित है, जिसका भौतिक कब्जा कर्नाटक बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी, प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा क्रमशः 05.09.2023 तथा 14.09.2023 को ले लिया गया है, उसे "जहां है जैसी है", "जो है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर 30.07.2025 को बेचा जाएगा, जिससे निम्न की वसूली हो सके :–

जो (1) **रु. 1,06,70,672.57 (रुपये एक करोड़ छह लाख सत्तर हजार छह सौ बहत्तर और सत्तावन पैसे मात्र)** अर्थात् पीएसओडी खाता संख्या **2257000600015001** के अंतर्गत **रु. 71,28,788.85** और पीएसटीएल खाता संख्या **2257001800017101** के अंतर्गत **रु. 35,41,883.72**, साथ में **01.03.2022** और **28.03.2022** से भावी ब्याज, और क्रमशः लागतें, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, एससीओ 149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद– 121003, हरियाणा, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) **मैसर्स एसएसटी इंजीनियर्स एंड ट्रेडर्स**, जिसका प्रतिनिधित्व इसके स्वामी **श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे** द्वारा किया जाता है, प्लॉट नंबर ई–14, संजय कॉलोनी, सेक्टर– 23, फरीदाबाद, हरियाणा– 121000, अन्य पता यहां पर भी : रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा– 121005, और (2) **श्रीमती सुमन पांडे पत्नी त्रिवेणी प्रसाद पांडे, रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के पास, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा– 121005,** उधारकर्ताओं / गारंटरों / सह–दायित्वधारकों के रूप में, की ओर से देय है।

(2) **रु. 1,10,40,212.87 (रुपये एक करोड़ दस लाख चालीस हजार दो सौ बारह और सत्तासी पैसे मात्र)** अर्थात् पीडीपीएन खाता संख्या **2257001400011901** के अंतर्गत **रु. 1,81,328.98**, पीएसटीएल खाता संख्या **2257001800017001** के अंतर्गत **रु. 41,62,555.06** और पीएसटीएल खाता संख्या **2257001800019301** के अंतर्गत **रु. 66,96,328.83**, साथ में दिनांक **29.03.2022, 28.03.2022** और **01.03.2022** से भावी ब्याज सहित, तथा क्रमशः लागतें, कर्नाटक बैंक लिमिटेड, फरीदाबाद शाखा, एससीओ 149, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सेक्टर 21सी, फरीदाबाद– 121003, हरियाणा, प्रतिभूत ऋणदाता को (1) **मैसर्स शिवम एंटरप्राइजेज**, जिसका प्रतिनिधित्व इसकी स्वामिनी **श्रीमती सुमन पांडे** द्वारा किया जाता है, **रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा– 121005** और (2) **श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे पुत्र श्री फूल चंद पांडे रु 639/3, पुरानी सब्जी मंदिर के समीप, सारन रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा– 121005**, उधारकर्ताओ / गारंटरों / सह–दायित्वधारों के रूप में, की ओर से देय है।

अचल संपत्ति का विवरण

1. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा संख्या 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16, 19/1/17, 19/1/18, 19/1/20 से 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8, 19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1, 22/41, 22742, 22/43 खसरा संख्या 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा शामिल हैं नंबर 8//17/2112, 19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2, 19/2/5, 22/40/2 खसरा नंबर 18//2/2/1 खसरा नंबर 8//19/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10, 19/1/7, 22/18, 19/1/11 से 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1, 19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नंबर 18//2/2/16, 19/2/9 राजस्व संपदा मौजा गौंछी, तहसील बल्लभगढ़–फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या एमसीएफ–6613, पश्चिमी भाग, पुरानी सब्जी मंडी के पास, सारन स्कूल रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी–फरीदाबाद, राजस्व संपदा मौजा गौंछी, तहसील, बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, 220 वर्ग गज, श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक कब्जा 05.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएं : पूर्व : श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति, पश्चिम : अन्य संपत्ति, उत्तर : 18 फीट रोड, दक्षिण : अन्य संपत्ति।

आरक्षित मूल्य / अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 69,69,000.00 (रुपये उनहत्तर लाख उनहत्तर हजार मात्र)

जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि : रु. 6,96,900.00 (रुपये छह लाख छियानबे हजार नौ सौ मात्र)

2. औद्योगिक संपत्ति का वह समस्त भाग जिसमें खसरा संख्या 8/23, 18, 19/1/1, 19/1/2, 19/1/16, 19/1/17, 19/1/18, 19/1/20, से 19/1/29, 19/2/1, 19/2/6, 19/2/7, 19/2/8, 19/2/10, 19/2/13 से 19/2/19, 22/1 से 22/11, 22/17, 22/19 से 22/39, 22/40/1, 22/41, 22742, 22/43 खसरा नंबर 18//2/2/2, 2/2/4 से 2/2/17 खसरा नं. 8//17/2/12, 19/2/11, 19/2/2, 19/2/3/1, 19/2/3/2,19/2/5, 22/40/2 खसरा नं.18//2/2/1 खसरा नं. 8//19/1/4, 19/1/3, 19/1/5, 19/1/6, 19/1/8, 19/1/9, 19/1/10, 19/1/7, 22/18, 19/1/11 से 19/1/5, 22/12, 22/13, 22/16, 22/14, 22/15, 19/2/4/1, 19/2/4/2, 19/1/19, 19/1/20 खसरा नं. 18//2/2/16, 19/2/9 मौजा गौंची की राजस्व संपदा में, तहसील बल्लभगढ़–फरीदाबाद, वर्तमान में संपत्ति संख्या एमसीएफ–6613, पूर्वी भाग, पुरानी सब्जी मंडी के समीप, सारन स्कूल रोड, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी– फरीदाबाद मौजा गौंची की राजस्व संपदा, तहसील, बल्लभगढ़, फरीदाबाद जिला, 220 वर्ग गज की माप, श्रीमती सुमन पांडे से संबंधित है। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 05.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएं : पूर्व : अन्य संपत्ति, पश्चिम : श्री चिरंजी लाल की निजी संपत्ति, उत्तर : 18 फीट रोड, दक्षिण : अन्य संपत्ति।

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 68,31,640.00 (रुपये अड़सठ लाख इकतीस हजार छह सौ चालीस मात्र) जमा की जाने वाली / निविदा की जानेवाली बयाना राशि : रु. 6,83,164.00 (रुपये छह लाख तिरासी हजार एक सौ चौंसठ मात्र)

3. आवासीय संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जिसमें मकान नंबर 639/3, खरसा नंबर 8/23, प्लॉट नंबर 20, 21 और 22 पर स्थित है, कुल मिलाकर 60 वर्ग गज की दूरी पर है, (प्लॉट नंबर 20 और 21, प्रत्येक 20 वर्ग गज की दूरी पर श्री त्रिवेणी प्रसाद पांडे के नाम पर है और प्लॉट नंबर 22, 20 वर्ग गज की दूरी पर है श्रीमती सुमन पांडे के नाम पर धारित), पुरानी सब्जी मंडी के पास, पर्वतीय कॉलोनी, एनआईटी, फरीदाबाद, हरियाणा। संपत्ति का भौतिक कब्ज़ा 14.09.2023 को लिया गया था।

सीमाएँ : पूर्व : मकान संख्या 638/1, पश्चिम : श्री एस. पी. थलीवाल का मकान संख्या 340, उत्तर : अन्य संपत्ति, दक्षिण : सड़क।

आरक्षित मूल्य/अपसेट मूल्य जिसके नीचे संपत्ति नहीं बेची जा सकती : रु. 29,00,000.00 (केवल उनतीस लाख रुपये) **जमा/निविदा की जाने वाली बयाना राशि :** रु. 2,90,000.00 (रुपये दो लाख नब्बे हज़ार मात्र)

(उधारकर्ता / बंधककर्ता का ध्यान, सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है)।

(यह सूचना उधारकर्ता/गारंटर हेतु सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम–2002 के नियम (9) के उप–नियम (1) के तहत सूचना के रूप में भी काम करेगा)।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कर्नाटक बैंक की वेबसाइट यानी **www.karnatakabank.com** में "30.07.2025 को मेगा ई–नीलामी" शीर्षक के तहत लिंक देखें।

ई–नीलामी 30.07.2025 को 11:30 बजे से 12:30 बजे तक 05 मिनट के असीमित विस्तार के साथ पोर्टल **https://bankauctions.in/** के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इच्छुक बोलीदाता को **https://bankauctions.in/** पर अपना नाम पंजीकृत करना होगा और यूजर आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करना होगा और मैसर्स 4क्लोजर, 605ए, 6वीं मंजिल, मैत्रीवनम, अमीरपेट, हैदराबाद–500038, संपर्क नंबर 040–23836405, मोबाइल 8142000809, ई–मेल : **info@bankauctions.in** से ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा (संभवतः 29.07.2025 को)।

दिनाँक : 23/06/2025 — कृते कर्नाटक बैंक लिमिटेड

स्थान : फरीदाबाद — मुख्य प्रबंधक तथा प्राधिकृत अधिकारी

easy — ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः 302, तीसरी मंजिल, सवीन चैंबर्स, दत्तात्रेय रोड और वी.पी. रोड (एक्सटेंशन), सांताक्रूज वेस्ट, मुंबई – 400054. **सीआईएनः** U74999MH2017PLC297819 **वेबसाइटः** www.easyhfc.com **ईमेलः** contact@easyhomefinance.in **टोल फ्रीः** 1800 22 3279 | **टेली.** +91 22 3550 3442 **टेलीः** +91 22 3521 0487

परिशिष्ट IV नियम 8 (1)

कब्जे की सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

चूंकि, ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 09 अप्रैल, 2025 को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें श्री मेहताब अहमद, श्रीमती सायरा बानो (उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/बंधककर्ता) से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर 13(2) से भुगतान की तिथि तक के अतिदेय प्रभारों तथापि पूर्ण वसूली सहित, नोटिस में उल्लिखित राशि **7,48,037/– (सात लाख अड़तालीस हजार सैंतीस रुपये मात्र)** चुकाने के लिये कहा गया था।

ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता द्वारा राशि चुकाने में विफल रहने के कारण, ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता तथा आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6 और 8 के साथ, नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा ले लिया है।

ऋणकर्ता/सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता विशेष रूप से तथा आम जनता को इस संपत्ति से लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है तथा संपत्ति से कोई भी लेन–देन ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड द्वारा धारा 13(2) से भुगतान की तिथि तक तथा/या उक्त सूचना की तिथि से 60 दिनों के भीतर पूर्ण वसूली तक बकाया, ब्याज आदि शुल्क सहित 7,48,037/– (सात लाख अड़तालीस हजार सैंतीस रुपये मात्र) की राशि के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्षित किया जाता है।

संपत्ति की अनुसूची

संपत्ति का वह हिस्सा और पार्सल जिसमें संपत्ति का पता हैः 65/1. NA.NA. NA. राजनगर कॉलोनी, 820, लोनी, ढोली चौक, गाजियाबाद, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201102 सीमाः बिक्री विलेख के अनुसारः पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः अन्य का प्लॉट, उत्तरः अन्य का प्लॉट, दक्षिणः 14 फीट चौड़ी सड़क साइट के अनुसारः पूर्वः अन्य का खाली प्लॉट, पश्चिमः अन्य का खाली प्लॉट, उत्तरः अन्य की संपत्ति, दक्षिणः 14 फीट चौड़ी सड़क

सभी अधिकारों के साथ निर्मित भवन और स्थिरता सहित।

दिनांकः 20 जून, 2025 — **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी**

स्थानः उत्तर प्रदेश — **ईजी होम फाइनेंस लिमिटेड**

एकेजी एक्सिम लिमिटेड

AKG EXIM — AKG Exim Limited

पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नं. 237, 02वीं मंजिल, टॉवर–बी, स्पैज्ड, सेक्टर–47, सोहना रोड, गुरुग्राम – 122018, हरियाणा

सीआईएन : L00063HR2005PLC119497

वेबसाइटः www.akg-global.com,

ई–मेलः csakg@akg-global.com

फोनः +91–124–4267873, फैक्सः +91–124–4004503

डाकीय मतपत्र/ई–मतदान की सूचना

एतद्द्वारा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए"), भारत सरकार द्वारा निर्गत सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांकित 8 अप्रैल 2020, संख्या 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल 2020, संख्या 22/2020 दिनांकित 15 जून 2020, संख्या 33/2020 दिनांकित 28 सितंबर 2020, संख्या 39/2020 दिनांकित 31 दिसंबर 2020, संख्या 10/2021 दिनांकित 23 जून 2021 तथा संख्या 20/2021 दिनांकित 8 दिसंबर 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022 और 11/2022 दिनांक 28 दिसंबर, 2022 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के नियम 22 (कुछ समय के लिए लागू रहे उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनर–अधिनियमन सहित) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के प्रावधानों तथा अन्य यथालागू प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा सेबी (सूचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सूचीकरण विनियमावली") तथा कुछ समय के लिए लागू रहे उसके किसी सांविधिक संशोधन अथवा पुनर–अधिनियमन तथा अन्य लागूयोग्य कानून, यदि कोई, समय–समय पर संशोधितानुसार, कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत विरचित नियमावली के साथ पठित नियमों के अंतर्गत कंपनियों द्वारा साधारण एवं विशेष संकल्पों के पारणन पर स्पष्टीकरण" के संबंध में के अनुसार, एकेजी एग्जिम लिमिटेड ("कंपनी") दूरस्थ इलेक्ट्रॉनिक मतदान के माध्यम से डाकीय मतपत्र सूचना दिनांकित 21 जून,2025 ("सूचना") में निर्धारितानुसार संकल्प को पारित करके अपने सदस्यों से अनुमोदन मांग रही है।

कोविड–19 द्वारा परिव्याप्त असुरक्षा को ध्यान में रखकर तथा एमसीए परिपत्रों के अनुसार तथा कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 102 एवं 110 के प्रावधानों एवं अन्य लागूयोग्य प्रावधानों, यदि कोई हों, के अनुपालन में, 23 जून, 2025 को डाकीय मतपत्र सूचना ईमेल द्वारा केवल उन सदस्यों को प्रेषित कर दी गई है जो कंपनी अथवा डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपने ईमेल पते पंजीकृत कर चुके हैं। सदस्यों की सहमति अथवा असहमति केवल दूरस्थ ई–मतदान प्रणाली के माध्यम से प्राप्त की जाएगी। डाकीय मतपत्र सूचना हमारी वेबसाइट www.akg-global.com पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।

जिन अंशधारकों की ई–मेल आईडी डिपॉजिटरीज के साथ पंजीकृत नहीं हुई हैं उनके लिए प्रयोक्ता आईडी एवं पासवार्ड की अधिप्राप्ति तथा संकल्पों के लिए ई–मतदान हेतु ईमेल आईडी के पंजीकरण की प्रक्रिया इस सूचना में निर्धारित हैः

1. यदि अंशों का धारण भौतिक प्रारूप में किया गया है तो कृपया फोलियो नं. अंशधारक का नाम, अंश प्रमाणपत्र (आगे एवं पीछे) की स्कैंड प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति) ईमेल द्वारा **csakg@akg-global.com** पर भेजकर उपलब्ध कराएं।
2. यदि अंशों का धारण डिमैट मोड में किया गया है तो कृपया डीपीआईडी–सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी.सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, क्लाइंट मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वयं–सत्यापित स्कैंड प्रति) की प्रति csakg@akg-global.com को भेजकर उपलब्ध कराएं।
3. सूचना उन सभी सदस्यों के लिए प्रेषित/प्रकाशित/प्रदर्शित कर दी गई है, जिनके नाम शुक्रवार 20 जून, 2025 के कट–ऑफ तिथि के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) से प्राप्तानुसार सदस्यों की पंजिका में प्रविष्टि हैं।

सूचना में विनिर्दिष्ट व्यवसाय पर अपना मतदान करने के लिए सदस्यों को ई–मतदान सुविधा निम्नलिखित अवधि हेतु उपलब्ध रहेगीः

मतदान का प्रारंभ :	मंगलवार, 24 जून, 2025 (प्रातः 09.00 आईएसटी)
मतदान की समाप्ति :	बुधवार, 23 जुलाई, 2025 (सायं 5.00 आईएसटी)

इस समयावधि में कंपनी के सदस्य जो कट–ऑफ तिथि अर्थात् शुक्रवार 20 जून, 2025 के अनुसार चाहे भौतिक रूप में अथवा अभौतिक रूप में समता अंशों का धारण किए हुए हैं, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप में अपना मतदान कर सकते हैं। ई–मतदान की अनुमति बुधवार **23 जुलाई, 2025** को सायं 5.00 बजे के उपरांत नहीं दी जाएगी। इसके उपरांत मतदान हेतु एनएसडीएल द्वारा ई–मतदान मॉड्यूल को अयोग्य कर दिया जाएगा। एक सदस्य द्वारा यदि एक बार संकल्प पर मतदान कर दिया जाता है तो सदस्य को बाद में इसमें बदलाव करने की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।

निदेशक मंडल ने डाकीय मतपत्र प्रक्रिया की एक समुचित एवं पारदर्शी प्रविधि के द्वारा जांच–पड़ताल करने के लिए श्री कुंदन कुमार मिश्रा, मेसर्स कुंदन कुमार मिश्रा एंड एसोसिएट्स, कंपनी सेक्रेटरीज के मालिक को एक जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है। डाकीय मतपत्र के परिणाम की घोषणा कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को की जाएगी तथा परिणाम को कंपनी की वेबसाइट **www.akg-global.com** पर भी अपलोड/प्रदर्शित किया जाएगा।

ई–मतदान की प्रक्रिया को समझने के लिए सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **www.evoting.nsdl.com** के डाउनलोड सेक्शन पर उपलब्ध अंशधारकों हेतु "फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेशचन्स" तथा ई–मतदान प्रयोक्ता पुस्तिका का संदर्भ ग्रहण करें अथवा टोल फ्री नं. 1800–1020–990/1800–224–430 पर कॉल करें अथवा **evoting@nsdl.co.in** पर एक अनुरोध प्रेषित करें।

बोर्ड के आदेशानुसार

कृते एकेजी एग्जिम लिमिटेड

हस्ता./–

स्थानः गुरुग्राम — रीता

दिनांकः 24 जून 2025 — कंपनी सचिव

प्रपत्र 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

मैसर्स ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड हेतु

जो फरीदाबाद, दिल्ली-एनसीआर में प्लास्टिक मोल्डेड कम्पोनेंट्स के विनिर्माण में प्रचालनरत है

(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क के उप-विनियम (1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1.	कार्पोरेट देनदार का नाम पैन/सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	मैसर्स ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड पैन नंबर : AAACA0482D CIN : L18100DL1983PLC016354
2.	पंजीकृत कार्यालय का पता	15/18, बेसमेंट, बी पोर्शन, वेस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली–110008
3.	वेबसाइट का यूआरएल	https://afenterprisesltd.in/
4.	स्थान का विवरण, जहां अधिकांश अचल आस्तियां अवस्थित हैं	प्लॉट नंबर 8, मेन मथुरा रोड, सेक्टर–5, फरीदाबाद, हरियाणा–121006
5.	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	निदेशक मंडल (निलंबित शक्तियों के अधीन) द्वारा विस्तृत विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है।
6.	पिछले वित्तीय वर्ष में बिक्री किए गए प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की प्रमात्रा और मूल्य	दिनांक 31–03–2024 के अनुसार कम्पनी का प्रचालनों से टर्नओवर रू. 8.5 करोड़ था
7.	कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	वित्तीय वर्ष 2023–24 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार कम्पनी की उपस्थिति पंजिका में 18 कर्मचारी दर्ज थे
8.	अतिरिक्त विवरण, दो वर्षों हेतु अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों सहित), लेनदारों की सूचियां यूआरएल पर उपलब्ध हैं:	विस्तृत विवरण cirp.afenterprises@gmail.com पर ईमेल भेजकर मांगे जा सकते हैं।
9.	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु ग्राह्यता यूआरएल पर उपलब्ध है	विस्तृत विवरण cirp.afenterprises@gmail.com पर ईमेल भेजकर मांगे जा सकते हैं।
10.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि	09–07–2025
11.	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	19–07–2025
12.	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	24–07–2025
13.	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	03–08–2025
14.	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	07–08–2025
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	06–09–2025
16.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रोसेस ई–मेल आई डी	cirp.afenterprises@gmail.com
17.	एमएसएमई के रूप में कार्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण	निदेशक मंडल (निलंबित शक्तियों के अधीन) द्वारा विस्तृत विवरण अभी तक उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

हस्ता./–

सुमित शर्मा

समाधान प्रोफेशनल

ए एफ एंटरप्राइजेज लिमिटेड

आईपी पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-001/IP-P-02323/2020-2021/13513

(समनुदेशन हेतु प्राधिकरण की वैधता : 30–06–2025 तक)

पंजी. पता :– सी–3/69 ए, केशव पुरम, नॉर्थ वेस्ट, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली–110035

पंजी. ई–मेल आईडी : mail@sumitsharma.in

तिथि : 24–06–2025 — पत्राचार पता : 109 (प्रथम तल), सूर्य किरण बिल्डिंग, 19,

स्थान : नई दिल्ली — कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली–110001, ई–मेल : cirp.afenterprises@gmail.com

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पीएम श्री केन्द्रीय विद्यालय

पुष्प विहार, द्वितीय पाली, सैक्टर–3, एम.बी. रोड़, साकेत, नई दिल्ली–110017

प्रवेश सूचना

विद्यालय की द्वितीय पाली में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों हेतु हेतु कक्षा X एंव XII (विज्ञान एंव वाणिज्य संकाय) में कुछ रिक्तियां उपलब्ध हैं। उपरोक्त रिक्तियों हेतु केंद्र सरकार के कर्मचारी (स्थानांतरणीय/गैर–स्थानांतरणीय/ परियोजना क्षेत्र (प्रोजेक्ट)/ उच्चतर शिक्षा संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम) आवेदन कर सकते हैं।

इच्छुक अभिभावक दिनांक 19/06/2025 से 26/06/2025 तक विद्यालय रिसेप्शन अथवा वेबसाइट से निःशुल्क पंजीकरण फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं।

* पंजीकरण फॉर्म जमा करवाने की अंतिम तिथिः 26/06/2025 (शाम 5:00 बजे तक)

* प्रवेश हेतु अंतिम चयन सूची जारी करने की तिथिः 28/06/2025

* चयनित विद्यार्थियों के फीस जमा करने की अंतिम तिथिः 30/06/2025

अधिक जानकारी हेतु विद्यालय की वेबसाईट https://pushpviharshift2.kvs.ac.in देखे।

नोटः समस्त प्रवेश प्रक्रिया केंद्रीय विद्यालयों में प्रवेश हेतु मार्गदर्शिका (2025–26) के अनुसार किए जाएंगे।

प्राचार्य

सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Satin Housing Finance Ltd. — THE ANSWER IS HOME

कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नदग दिल्ली-110033

कब्ज़ा-सूचना (अचल संपत्ति के लिए) नियम 8(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 (2002 का 54)के तहत सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जारी किया जिसमें उधारकर्ता/ओं को यहां दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ नोटिस में उल्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है।

उक्त उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता राशि को चुकाने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस तिथि को कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता/सह–उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किसी भी तरह का लेन–देन करने पर पूर्ण भुगतान तक संबंधित तिथियों से भावी ब्याज, लागत और प्रभार के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के लिए उधारकर्ता का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ताओं, सह–उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरणों,प्रतिभूतियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत भेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राशि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार दिया गया हैः

क्रं सं.	उधारकर्ता,सह–उधारकर्ता का नाम और ऋण खाता सं.	मांग सूचना दिनांक/ कब्ज़ा दिनांक	बकाया राशि रु. में
1.	बिन्नो मुस्तरी पत्नी अशरफ अली (उधारकर्ता) 1. नवेद अली पुत्र अशरफ अली 2. अशरफ अली पुत्र शौकत अली (सह–उधारकर्ता) ऋण संख्या LAGUR0623&00008052	07.02.2025 23.06. 2025	दिनांक 8.01.2025 के अनुसार रु.1351228/– (रुपये तेरह लाख इक्यावन हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र)

अचल संपत्ति का विवरणः– गांव पटौदी, तहसील पटौदी, जिला–गुड़गांव, हरियाणा में स्थित खाता/खेवत संख्या 1945, मुस्त/खसरा/किला संख्या 236/124–16 में से 120 वर्ग गज क्षेत्रफल वाला प्लॉट का हिस्सा है। बिक्री विलेख के अनुसार सीमांकितः पंजीकृतः 19.11.2018, बुक संख्या 01, खंड संख्या 194, पृष्ठ संख्या 169.25, विलेख संख्या 1895।

स्थानः गुरुग्राम, दिनांकः 24.06.2025 — प्राधिकृत अधिकारी , सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

अमृत कॉर्प. लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालयः सीएम-28 (प्रथम तल), गगन एन्क्लेव, अमृत नगर, जी.टी. रोड, गाजियाबाद - 201 009 (यूपी)

वेबसाइटः www.amritcorp.com, **ई-मेलः** info@amritcorp.com,

टेलीफोनः 0120-4506900, **फैक्सः** 0120-4506910

CIN: U15141UP1940PLC000946

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी 9 सितंबर, 2024 के सामान्य परिपत्र संख्या 9/2024 ("एमसीए परिपत्र") और नोटिस में निर्धारित व्यवसायों को संचालित करने के लिए सभी अन्य लागू कानूनों के साथ समय-समय पर जारी किए गए सामान्य परिपत्रों के अनुपालन में, कंपनी की 84वीं एजीएम (वार्षिक आम बैठक) 24 जुलाई, 2025, गुरुवार को सुबह 11:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस या अन्य ऑडियो-विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त परिपत्रों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ-साथ एजीएम की सूचना केवल इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सदस्यों को भेजी जानी है, जिनकी ई-मेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है। कंपनी अपने सभी सदस्यों को पहले की तरह ई-वोटिंग और रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा भी प्रदान कर रही है।

यदि आपकी ईमेल आईडी पहले से ही कंपनी/डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है, तो वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण के साथ एजीएम की सूचना आपके पंजीकृत ईमेल पते पर भेजी जाएगी। यदि आपने कंपनी/डिपॉजिटरी के पास अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, तो कृपया वित्तीय वर्ष 2024-2025 की वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग के लिए लॉगिन विवरण प्राप्त करने के लिए अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें।

भौतिक होल्डिंग	कंपनी के आरटीए यानी एमएएस सर्विसेज लिमिटेड को टी-34, दूसरी मंजिल, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-II, नई दिल्ली-110020 पर विधिवत भरे हुए फॉर्म नंबर ISR-1 में अनुरोध भेजें, जिसे कंपनी की वेबसाइट से आरटीए की वेबसाइट यानी www.masserv.com पर डाउनलोड टैब के तहत डाउनलोड किया जा सकता है। आप फॉर्म नंबर ISR-1 को डिजिटल हस्ताक्षर के साथ आरटीए की ईमेल आईडी investor@masserv.com पर कॉपी मार्क करके कंपनी को info@amritcorp.com पर भी भेज सकते हैं। कृपया इसे **17 जुलाई, 2025** को या उससे पहले अपडेट करें।
डीमैट होल्डिंग	कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (डीपी) से संपर्क करें और डीपी द्वारा बताई गई प्रक्रिया के अनुसार अपना ईमेल पता पंजीकृत करें। साथ ही, कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर एनएसीएच द्वारा लाभांश भुगतान के लिए अपने डीपी के साथ अपना बैंक विवरण अपडेट करें। कृपया इसे **17 जुलाई, 2025** को या उससे पहले अपडेट करें।

वित्तीय वर्ष 2024-2025 के लिए वार्षिक आम बैठक की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भी कंपनी की वेबसाइट www.amritcorp.com पर उपलब्ध होगी। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम के उद्देश्य से गिना जाएगा।

कृते **अमृत कॉर्प. लिमिटेड**

(पी.के. दास)

दिनांक : 23 जून, 2025 — कंपनी सचिव

स्थान : गाजियाबाद

प्रपत्र 'जी'

अभिरूचि की अभिव्यक्ति हेतु आमंत्रण

पीसीआई लिमिटेड हेतु

जो पावर प्रोजेक्ट में प्रचालनरत थी और वर्तमान में रेलवे स्प्रिंग कारखाना, ग्वालियर के लिए अनुरक्षण सेवाएं उपलब्ध करा रही है

(दिवाला और ऋण शोध अक्षमता (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 36क के उप–विनियम (1) के अधीन)

प्रासंगिक विवरण

1	कार्पोरेट देनदार का नाम पैन/सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	**पीसीआई लिमिटेड** **पैन नंबर : AAACP1565E** **CIN : U74899DL1986PLC023329**
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	प्राइम ग्रुप बिल्डिंग, 11/5 बी, पूसा रोड, नई दिल्ली 110005
3	वेबसाइट का यूआरएल	https://cirppcil.in
4	स्थान का विवरण, जहां अधिकांश अचल आस्तियां अवस्थित हैं	287–288, उद्योग विहार, फेज–।।, गुरूग्राम – 122016, हरियाणा
5	प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की संस्थापित क्षमता	शून्य
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बिक्री किए गए प्रमुख उत्पादों/सेवाओं की प्रमात्रा और मूल्य	रेलवे स्प्रिंग कारखाना, ग्वालियर, मध्य प्रदेश को स्पेयर्स और सेवाओं की आपूर्ति के माध्यम से 6.44 करोड़ रुपये
7	कर्मचारियों/श्रमिकों की संख्या	58
8	अतिरिक्त विवरण, दो वर्षों हेतु अंतिम उपलब्ध वित्तीय विवरण (अनुसूचियों सहित), लेनदारों की सूचियां यूआरएल पर उपलब्ध हैं :	अंतिम उपलब्ध लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण वित्त वर्ष 2023–24 के लिए हैं। अधिक जानकारी https://cirppcil.in पर उपलब्ध है
9	संहिता की धारा 25(2)(एच) के अधीन समाधान आवेदकों हेतु ग्राह्यता यूआरएल पर उपलब्ध है	समाधान आवेदकों के लिए पात्रता मानदंड यूआरएल : https://cirppcil.in पर उपलब्ध है पात्रता मानदंड का उल्लेख विस्तृत 'अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण' में भी किया गया है और यह समाधान प्रोफेशनल को https://cirppcil.in पर ईमेल भेजकर प्राप्त किया जा सकता है।
10	अभिरूचि की अभिव्यक्ति की प्राप्ति हेतु अंतिम तिथि'	11–07–2025 (शुक्रवार)
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	21–07–2025 (सोमवार)
12	अनंतिम सूची के बारे में आपत्तियां प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	26–07–2025 (शनिवार)
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	05–08–2025 (मंगलवार)
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स तथा समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	10–08–2025 (रविवार)
15.	समाधान योजना प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	09–09–2025 (मंगलवार)
16.	अभिरूचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने के लिए प्रोसेस ई–मेल आई डी	cirp.pcil@gmail.com
17.	एमएसएमई के रूप में कार्पोरेट देनदार की पंजीकरण स्थिति का विवरण	उद्यम पंजीकरण सं. : UDYAM-DL-01-0005991

मदन मोहन धूपर

पीसीआई लिमिटेड के समाधान प्रोफेशनल

पंजीकरण संख्या : IBBI/IPA-002/IP-N00860/2019-2020/12768

आईबीबीआई के साथ पंजीकृत पता : फ्लैट नंबर 301, ग्रेशियस टावर, एसपीआर इंपीरियल एस्टेट, सेक्टर 82, फरीदाबाद, हरियाणा–121004,

दिनांकः 24–06–2025 — आईबीबीआई में पंजीकृत ईमेल : dhuparmm@gmail.com

स्थानः नई दिल्ली — एएफए वैधता : 31–12–2025 तक

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES.
THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, OUTSIDE INDIA

(Please scan this QR Code to view the Offer Document)

PUSHPA JEWELLERS

PUSHPA JEWELLERS LIMITED

(Formerly known as Pushpa Jewellers Private Limited)

Our Company was originally incorporated on June 03, 2009 at Kolkata, West Bengal as a Private Limited Company in the name and style of "Pushpa Jewellers Private Limited" under the provisions of the Companies Act, 1956 vide Certificate of Incorporation bearing CIN: U27310WB2009PTC135593 issued by the Registrar of Companies, Kolkata. Further, our Company was converted into a Public Limited Company pursuant to Special Resolution passed by the shareholders of our Company at the Extra- Ordinary General Meeting held on April 19, 2024 and consequently the name of our Company was changed from "Pushpa Jewellers Private Limited" to "Pushpa Jewellers Limited" and a fresh certificate of incorporation dated July 29, 2024 pursuant to conversion from Private Limited Company to Public Limited Company was issued by the Registrar of Companies, Central Registration Centre bearing CIN: U27310WB2009PLC135593. For details of change in the name of our Company and address of Registered Office of our Company, see ***"History and Certain Corporate Matters"*** on page 238 of the Red Herring Prospectus.

Registered and Corporate Office: Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India. **Contact Person:** Mrs Smita Mondal, Company Secretary and Compliance Officer
Tel: +91 033 4006 3093; **E-mail:** cs@pushpajewellers.in; **Website:** www.pushpajewellers.com; **Corporate. Identity Number:** U27310WB2009PLC135593

OUR PROMOTERS: MR. MRIDUL TIBREWAL, MR. MADHUR TIBREWAL AND MR. ANUPAM TIBREWAL

THIS OFFER IS BEING MADE IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI ICDR REGULATIONS") READ WITH RULE 19(2)(b)(i) OF THE SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED. THIS OFFER IS A BOOK BUILT OFFER AND ALLOCATION IN THE NET OFFER TO THE PUBLIC WILL BE MADE IN TERMS OF REGULATION 253(2) OF THE SEBI ICDR REGULATIONS. (For further details, please see "The Offer" beginning on page no. 69 of the Red Herring Prospectus). A copy of the Red Herring Prospectus will be delivered for filing to the Registrar of Companies as required under Section 26(4) of the Companies Act, 2013. For further details please refer to the Chapter titled "Offer Procedure" beginning on Page No. 398 of the Red Herring Prospectus

OFFER PERIOD

ANCHOR INVESTORS PORTION OPENS/ CLOSES ON: JUNE 27TH, 2025
BID/ISSUE OPENS ON: JUNE 30TH, 2025
BID OFFER CLOSES ON: JULY 02ND, 2025

INITIAL PUBLIC OFFER OF 67,11,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF PUSHPA JEWELLERS LIMITED ("OUR COMPANY" OR "THE ISSUER") OF WHICH FRESH ISSUE OF 53,70,000 EQUITY SHARES AND OFFER FOR SALE OF 13,41,000 EQUITY SHARES FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE, INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE"), AGGREGATING TO ₹ [●] LACS (THE "OFFER"), OF WHICH 3,36,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [●] LACS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE OFFER (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE OFFER LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E., OFFER OF 63,75,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT AN OFFER PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE, AGGREGATING TO ₹ [●] LACS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET OFFER". THE OFFER AND THE NET OFFER WILL CONSTITUTE 27.71% AND 26.32 %, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF THE COMPANY.

DETAILS OF SELLING SHAREHOLDERS, OFFER FOR SALE AND WEIGHTED AVERAGE COST OF AQUISITION

NAME OF THE SELLING SHAREHOLDER	TYPE	NUMBER OF SHARES OFFERED	WEIGHTED AVERAGE COST OF ACQUISITION PER EQUITY SHARE (IN ₹)
Mr. Mridul Tibrewal	Promoter	Up to 8,38,125 Equity Shares of face value of ₹ 10/- each of our Company aggregating ₹ [●] lakhs	1.24
Mr. Anupam Tibrewal	Promoter	Up to 5,02,875 equity Shares of face value of ₹ 10/- each of our Company aggregating ₹ [●] lakhs	2.06

PRICE BAND: ₹ 143 TO ₹ 147 PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH
THE FLOOR PRICE IS 14.3 TIMES OF FACE VALUE AND CAP PRICE IS 14.7 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR MARCH 31, 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 12.10 AND AT THE CAP PRICE IS 12.44 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1,000 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1,000 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BRIEF DECRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

The company is a B2B wholesaler of gold jewellery with a strong presence across India and international markets such as Dubai, the United States, and Australia. The jewellery collection spans both traditional and modern designs, with a focus on intricate detailing and the use of premium stones like Emerald, Jade, Pearl, and Meena. With a legacy spanning decades, each piece of jewellery reflects a blend of rich heritage and contemporary aesthetics through finely crafted necklaces, earrings, bracelets, and rings.

The company manages the entire design and production process in-house, allowing for strict quality control, faster turnaround times, and a unified brand vision. This integration fosters close collaboration between design and production teams, encouraging innovation and quick adaptation to market trends. The streamlined operations reduce external dependencies and improve cost efficiency, resulting in high-quality gold jewellery that consistently meets or exceeds customer expectations.

1) Our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Offer Period shall be one Working Day prior to the Bid/Issue Opening Date.
(2) Our Company and the Selling Shareholders, in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider closing the Bid/Issue Period for QIBs one Working Day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.
*The UPI mandate end time and date shall be at 5.00 P.M on Bid/Offer Closing Day
For further details please refer to the Chapter titled ***"Offer Procedure"*** beginning of Page 398 of Red Herring Prospectus. A copy of this red herring prospectus shall be delivered for registration to the Registrar of Companies, Kolkata as required under section 26 and 32 of Companies Act 2013

ALLOCATION OF THE OFFER

ANCHOR PORTION	NOT MORE THAN 15.00% OF THE NET OFFER
QIB PORTION	NOT MORE THAN 35.00% OF THE NET OFFER
RETAIL PORTION	NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET OFFER
NON-INSTITUTIONAL PORTION	NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET OFFER
MARKET MAKER PORTION	UPTO 3,36,000 EQUITY SHARES OF 5.007% OF THE OFFER

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INCLUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFPORMATION ABOUT THE OFFER AVAILABLE IN ANY MANNER.

RISKS TO INVESTORS

For detailed Risk Factor refer to page 41 of the Red Herring Prospectus.

1. **Risk to Investors:** Summary description of key risks based on materiality:
   a. We are supplying to certain key customers, from whom we derive a significant portion of our revenues. The loss of any significant customer may have a material and adverse effect on our business and results of operations.
   b. Orders placed by customers may be delayed, modified or cancelled, which may have an adverse effect on our business, financial condition and results of operations.
   c. We are highly dependent on our suppliers for uninterrupted supply of Raw-Materials. Any shortfall in the supply of our raw materials, or an increase in our raw material costs and other input costs, may adversely affect the pricing and supply of our products with subsequently having an adverse effect on the business, results of operations and financial conditions of our company.
   d. A significant portion of our manufacturing relies on artisans or Karigars who operate independently, which could introduce us to potential risks stemming from any challenges or changes affecting their operations
   e. Receiving orders verbally can raise the risk resulting in order discrepancies, customer dissatisfaction, and difficulties in scaling operations efficiently.
2. **Details of suitable ratios of the company and its peer group for the latest full financial year:**

Sl. No.	Name of the company	Face Value (Per share)	CMP (VWAP on April 28, 2025) (₹)	EPS (Rs) Basic	EPS (Rs) Diluted	P/E Ratio	RONW (%)	NAV (Rs. Per share)	PAT (Rs. In Lakhs)
1	Pushpa Jewellers Limited	10	[●]	11.82	11.82	[●]	38.34	30.83	2,228.63
	Peer Group								
2	Sky Gold Limited	10	309.90	56.13	56.13	5.52	16.67	336.63	5,794.06
3	Khazanchi Jewellers Limited	10	562.25	18.15	18.15	30.98	19.41	93.52	4,492.12

Note: Industry Peer may be modified for finalization of Issue Price before filing Prospectus.
** Sourced from Annual Reports, Audited Financial taken from, BSE and NSE.*

Notes
- Considering the nature and turnover of business of the Company, the peers are not strictly comparable. However, the same have been included for broader comparison.
- The figures for Pushpa Jewelers Limited are based on the restated results for the financial year ended March 31, 2025.
- The figures for the Sky Gold Limited are based on standalone unaudited results for the period ended September 30, 2024 and Khazanchi Jewellers Limited are based on standalone audited results for the financial year ended March 31, 2025.
- The Current Market Price (CMP) is the Volume Weighted Average Price (VWAP) of respective scrip as on April 28, 2025.

3. **Return on Net Worth ("RoNW")**
   As derived from the Restated Financial Statements of our Company:

(Amount in ₹)

Period	RoNW, as derived from the Restated Financial Information (%)	Weight
Financial Year ended March 31, 2025	38.34	3
Financial Year ended March 31, 2024	37.63	2
Financial Year ended March 31, 2023	36.20	1
Weighted Average	37.75	-

Notes: Return on Net Worth (%) = Profit for the year / Net Worth at the end of the year

4. **Disclosure as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI:**

a. **The price per share of our company based on the primary/ new issue of shares (equity/convertible securities), excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares**
There has been no issuance of Equity Shares (excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares) during the 18 months preceding the date of the Red Herring Prospectus, where such issuance is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transaction combined together over a span of 30 days.

b. **The price per share of our Company based on the secondary sale/acquisition of shares (equity shares):**
There have been no secondary sale/acquisition of Equity shares or any convertible securities where our promoters or the members of our Promoter Group are a party to a transaction during the 18 months preceding the date of Red Herring Prospectus, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid-up share capital of our company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction(s) and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transaction combined together over a span of rolling 30 days.

c. **Since there were no primary or secondary transactions of equity shares of our company during the 18 months preceding the date of filing of the Red Herring Prospectus, where either issuance or acquisition/ sale is equal to or more than five per cent of the fully diluted paid-up share capital of our company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), the entities or shareholder(s) having the right to nominate director(s) on our Board, are a party to the transaction, during the last three years preceding to the date of filing of the Red Herring Prospectus irrespective of the size of the transaction. There has been no issuance of Equity Shares other than Equity Shares issued pursuant to a bonus issue on June 29th, 2024, during the 18 months preceding the date of this Red Herring Prospectus where such issuance is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days; ("Primary Issue"):**

Date of Allotment	No. of Shares Allotted	Face Value (In ₹)	Issue Price (In ₹)	Nature	Cumulative No of Equity Shares	Consideration (In ₹)
June 29, 2024	1,86,20,160	10.00	-	Allotment pursuant to the issue of Bonus shares	1,86,20,160	NA
Weighted Average Cost of Acquisition (Primary Transaction)				NIL		
Weighted Average Cost of Acquisition (Secondary Transaction)				NIL		

Continued on next page...

...continued from previous page.

1. **Details of proposed / under-taken pre-issue placements date from the DRHP filing date-** Our company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.
2. Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date- Our promoter(s) and promoter group(s) have not undertaken any transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company from the DRHP filing date.
3. **Pre-issue Shareholding of Promoter/Promoter Group and Additional Top 10 Shareholders of the company:**

Sr No	Shareholders	Pre-Issue shareholding at the date of advertisement		Post Issue shareholding at allotment			
				At the lower end of price band Rs 143		At the Upper end of the price band Rs 147	
		No of shares	% of Pre-Issue Capital	No of shares	% of Pre-Issue Capital	No of shares	% of Pre- Issue Capital
Promoters							
1	Anupam Tibrewal	7069599	37.50%	6231474	25.73%	6231474	25.73%
2	Mridul Tibrewal	11782908	62.50%	11280033	46.57%	11280033	46.57%
Promoter Group							
	NIL	-	-	-	-	-	-
Top 5 Shareholders							
1	Alka Kedia	81	Negigibe	81	Negligible	81	Negligible
2	Namrata Khaitan	81	Negigibe	81	Negligible	81	Negligible
3	Anmol Agarwal	81	Negigibe	81	Negligible	81	Negligible
4	Amit Keshan	81	Negigibe	81	Negligible	81	Negligible
5	Sanjeev Khaitan	81	Negigibe	81	Negligible	81	Negligible

1) Includes all options that have been exercised until date of the pre-issue and price band advertisement and the post issue shareholding shall be updated in the prospectus based on transfers exercise until such date.
2) Assuming full subscription in the issue (fresh issue). The post-issue shareholding details as at allotment will be based on the actual subscription and the final issue price and updated in the prospectus, subject to finalisation of the basis of allotment. Also, this table assumes there is no transfer of shares by these shareholders between the date of the advertisement and allotment (if any such transfers occur prior to the date of prospectus, kit will be updated in the shareholding pattern of the prospectus.

BASIS OF OFFER PRICE

The *"Basis of Offer Price"* on page 144 of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM for the "Basis of Offer Price" updated with the above price band. You can scan the QR code given on the first page of this Advertisement for the chapter titled "Basis for Offer Price" on page 144 of the Red Herring Prospectus.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE OFFER

Sequence of Activities	Listing on and above July 7, 2025
Application Submission by investors	Electronic application [Online ASBA through 3- in 1 accounts]-**Up to 5 pm on day July 02, 2025** Electronic Application [Bank ASBA through Online channels [like Internet banking and Syndicate etc] - **Upto 4 pm on July 02, 2025** Electronic Application [Syndicate Non Retail , Non Individual Applications] – **Upto 3 pm on July 02, 2025** Physical Application (Bank ASBA) - **Upto 1 pm on July 02, 2025** Physical Applications(Syndicate Non Retail , Non individual applications of QIBs and NIS) - **Upto 12 on July 02, 2025** and Syndicate members shall transfer such applications to banks before **1 pm on July 02, 2025**
Bid Modification	From Issue opening date up to **5 pm on July 02, 2025**
Validation of bid details with depositories	From Issue Opening date to **5 pm on July 02, 2025**
Reconciliation of UPI mandate transactions (based on the guidelines issued by NPCI from time to time);	On Daily basis
Among Stock Exchanges – Sponsor Banks – NPCI and NFCI – PSPs/ TPAPs - issuer banks ; Reporting formats of bid information, UPI analysis report and compliance timelines	Merchant Bankers to submit to SEBI sought as and when
UPI mandate acceptance time	**July 02, 2025 – 5 pm**
Issue closure	**July 02, 2025 – 4** pm for QIB and NII categories **July 02, 2025 – 5** pm for Retail and other reserved categories
Third party check on UPI applications	On daily basis and to be computed before **9 : 30 AM on July 03, 2025**
Third party check on non -UPI applications	On daily basis and to be computed before **1 pm on July 03, 2025**
Submission of final certificate **- For UPI from Sponsor Bank** **- For bank ASBA from all SCSBs** **- For syndicate ASBA**	 UPI ASBA – Before **9: 30 pm on July 02, 2025** All SCSBs for Direct ASBA – before **7: 30 pm on July 02, 2025** Syndicate ASBA – Before **7:30 pm on July 02, 2025**
Finalization of rejections and completion of basis	**Before 6 pm on July 03, 2025**
Approval of basis by stock exchange	**Before 9 pm on July 03, 2025**
Issuance of fund transfer instructions in separate flies for debit and unblock. **For bank ASBA and online ASBA–To all SCSBs** **For UPI ASBA – To Sponsor Bank**	**Intimation not later than 09: 30 on July 04, 2025** **Completion before 2 pm on July 04, 2025 for fund transfer** **Completion before 4 pm on July 04, 2025 for unlocking**
Corporate action execution for credit of shares	**Intimation before 2 pm on July 04, 2025 and Completion before 6 pm on July 04, 2025**
Filing of listing application with Stock Exchanges and Issuance of trading notice	**Before 7 : 30 pm on July 04, 2025**
Publish allotment advertisement	**On the website of the issuer BRLM and RTA – before 9 pm July 04, 2025** **In newspapers – on July 07, 2025 day but not later than July 10, 2025**
Trading starts	**July 07, 2025**

d. **Weighted Average Cost of Acquisition, Issue Price**

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS: For information on the main objects of our company, see *"History and Corporate structure"* on page 238 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our company is a material document for inspection in relation to the offer. For further details see the section *"Material Contract and Documents for Inspection"* on page 471 of the Red Herring Prospectus.

LIABILITY OF MEMBERS AS PER MOA: The liability of the members of our company is Limited.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE: The authorized share capital of the company is Rs. 25,00,00,000 divided into 2,50,00,000 equity shares of Rs. 10 each. The issued, subscribed and paid-up share capital of the company before the issue is Rs. 188,529,120.00 divided into 18,852,912 equity shares of Rs. 10 each. For details of the capital structure see *"Capital Structure"* on the page 91 of the Red Herring Prospectus.

NAMES OF THE SIGNATORIES TO THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF THE COMPANY AND THE NUMBER OF EQUITY SHARES SUBSCRIBED BY THEM.

ORIGINAL SIGNATORIES			CURRENT PROMOTERS		
Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares	Name of Promoters	Face Value (Rs.)	No. of Shares
Madhur Tibrewal	10.00	NIL	Madhur Tibrewal	10.00	NIL
Anupam Tibrewal	10.00	7069599	Anupam Tibrewal	10.00	7069599
			Mridul Tibrewal	10.00	11782908

Listing: The equity shares offered through the Red herring Prospectus are proposed to be listed on the Emerge Platform of NSE (**"NSE EMERGE"**). Our Company has received an "In-Principle" approval from the NSE for the listing of the Equity Shares to letter dated January 27, 2025. For the purpose of the offer, the Designated Stock Exchange shall be NSE. A signed copy of the Red Herring prospectus has been submitted for registration to the ROC on June 21rd, 2025 in accordance with Section 26(4) of the Companies Act 2013.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI"): Since the offer is being made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Red Herring Prospectus has been filed with SEBI. In terms of the SEBI Regulations, the SEBI shall not issue any observation on the Issue document. Hence there is no such specific disclaimer clause of SEBI. However, investors may refer to the entire *"Disclaimer Clause of SEBI"* beginning on page 365 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF NSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE): It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Offer Document has been cleared or approved by NSE, nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Offer Documents. The investors are advised to refer to the Offer Document for the full text of the *"Disclaimer Clause of NSE"* beginning on page 368 of the Red Herring Prospectus.

GENERAL RISK: Investments in equity and equity related securities involve a degree of risk and investors should not any funds in the issue unless they can afford to take risk of losing their investment. Investors are advised to read the risk factors carefully before taking an investment decision in this Offer. For taking an investment decision, investors must rely on their own examination of the Issuer and this Issue, including the risks involved. The Equity Shares have not been recommended or approved by the Securities and exchange Board of India (SEBI) nor does SEBI guarantee accuracy or adequacy of the contents of the Red Herring Prospectus. Specific attention of the investors is invited to *"Risk Factors"* beginning on page 41 of the Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGERS TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
Affinity Global Capital Market Private Limited 20B, Abdul Hamid Street, East India House, 1st Floor, Room No. 1F, Kolkata – 700069, West Bengal, India **Telephone:** +91 33 4004 7188 **E - mail:** compliance@affinityglobal.in **Investor Grievance ID:** investor@affinityglobalcap.in **Website:** www.affinityglobalcap.in **Contact Person:** Ms. Shruti Bhalotia/ Mr Anandarup Ghoshal **SEBI Registration Number: INM000012838**	CAMEO **Cameo Corporate Services Limited** Subramanian Building" 1 Club House Road, Chennai- 600 002 **Tel:** +91 40 6716 2222 **E-mail:** priya@cameoindia.com **Investor Grievance e-mail:** investor@cameoindia.com **Website:** www.cameoindia.com **Contact Person:** Mrs. K. Sreepriya **SEBI Registration No.:** INR000003753	PUSHPA JEWELLERS **Mrs Smita Mondal** Company Secretary & Compliance Officer Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India. **Tel:** +91 033 4006 3093; **Email:** cs@pushpajewellers.in Investors can contact the Company Secretary and Compliance Officer or the BRLM or the Registrar to the Issue in case of any pre issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of Allotment, non-credit of Allotted Equity Shares in the respective beneficiary account and refund orders, etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, website of the Company at https:, the website of the BRLM to the Issue at: www. https://www.affinityglobalcap.in/ , the website of NSE Emerge at https://www.nseindia.com/companies-listing/corporate-filings-offer-documents , respectively.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Unit 4A, Tirumala 22, Premises No. 22, East Topsia Road, Kolkata-700046, India.and the Registered Brokers, RTAs and CDPs participating in the Issue. Bid-cum-application Forms will also be available on the website of NSE EMERGE and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the stock exchanges and SEBI.

APPLICATION SUPPORTED BY BLOCKED AMOUNT (ASBA): All investors in this issue have to compulsorily apply through ASBA. The investors are required to fill the ASBA form and submit the same to their banks. The SCSB will block the amount in the account as per the authority contained in ASBA form. On allotment, amount will be unblocked and account will be debited only to the extent required to be paid for allotment of shares. Hence, there will be no need of refund.

For more details on the offer proceeds and how to apply please refer to the details given in application forms and abridged prospectus and also please refer to the chapter *"Issue Procedure"* beginning on page 398 of the Red Herring Prospectus.

BANKER TO THE OFFER: ICICI Bank Limited

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as ascribed to them in the Red Herring Prospectus.

For Pushpa Jewellers Limited
Sd/-
Anupam Tibrewal
Managing Director
DIN: 02269542

Date: June 23, 2025
Place: Kolkata, West Bengal

DISCLAIMER: PUSHPA JEWELLERS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offer of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with the Registrar of Companies, Kolkata and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager to the Offer at www.affinityglobalcap.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company www.pushpajewellers.in Any potential investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please refer to and rely on the Red Herring Prospectus, including the Section titled "Risk Factors" beginning on Page No. 41 of the Red Herring Prospectus.

The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (**"The Securities Act"**) or any state securities law in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. State Securities laws. The Equity Shares are being issued and sold outside the United States in 'offshore transaction' in reliance on Regulation "S" under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such issues and sales are made. There will be no public offering in the United States.

KIRIN ADVISORS

कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, सा. नि. वि. वृत, नागौर (राज.)

निविदा सूचना संख्या 05/2025-2026

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस वृत के अधीन विशेष मरम्मत एंव नगर पालिका / नगर परिषद कार्य हेतु उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदको जो कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवम दूर संचार विभाग / रेल्वे या अन्य राज्य सरकार / केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनो जो कि राजस्थान सरकार के ए. ए. बी. श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो. से निर्धारित प्रपत्र में ई-टेण्डरिंग के माध्यम से निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त की जावेगी। ई-निविदा से सम्बन्धित विवरण वेब साईट **http://dipr.rajasthan.gov.in/tenders.asp** व **http://www.pwd.rajasthan.gov.in** व **http://www.eporc.rajasthan.gov.in** **http://sppp.rajasthan.gov.in** पर देखा जा सकता है।
कार्यवार UBN नम्बर निम्नानुसार है :-

NIB Code :- PWD 2526A1255

SR. No	UBN No.
01	PWD2526WSOB04302
02	PWD2526WS0B04307

हस्ता/-
(बस्तीराम डिडेल)
अधीक्षण अभियंता,
सा.नि.वि. वृत, नागौर

सांकेतिक कब्जे की सूचना

ICICI Home Finance | **पंजीकृत कार्यालयः** आईसीआईसीआई बैंक टावर्स, बांद्रा–कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400051
कॉर्पोरेट कार्यालयः आईसीआईसीआई एचएफसी टॉवर, जेबी नगर, अंधेरी कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुंबई–400059
शाखा कार्यालयः भूतल, 104/438, पी. रोड, सीसामऊ, रामबाग चौराहा, कानपुर–208012

जबकि
अधोहस्ताक्षरी **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण, पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को नोटिस में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किया।

चूंकि उधारकर्ता उक्त राशि चुकाने में विफल रहा है, इसलिए उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के साथ पठित उक्त नियमों के नियम 8 के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर निम्नलिखित तिथियों को अधिकार कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता और आम जनता को एतद्वारा चेतावनी दी जाती हैकि वे निम्न संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन–देन **आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड** के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

क्रम. सं	ऋणीध्सह–ऋणी का नाम/ ऋण खाता संख्या	संपत्ति का विवरण/कब्जे की तारीख	मांग नोटिस की तिथि/ मांग नोटिस में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	अभिषेक त्रिवेदी (उधारकर्ता), स्वाति तिवारी (सह– उधारकर्ता), मनीष त्रिवेदी (सह–उधारकर्ता), **LHKAN00001561963**	ग्राम कर्मी विजलामऊ परगना हड़हा उन्नाव ना उन्नाव उत्तर प्रदेश–209862 में भूमि संख्या 203 मि पर संपत्ति। **परिबद्ध : उत्तरः** प्रेम शंकर यादव का खेत, **दक्षिणः** विक्रेता की शेष भूमि, **पूर्वः** प्रीति कुशवाह की भूमि, **पश्चिमः** 20 फीट चौड़ी सड़क।/ **कब्जे की तिथि–** 20–जून–25	17–03–2025 रु. 31,84,223/–	कानपुर

उपर्युक्त उधारकर्ताओंध्गारंटरों को एतद्वारा राशि चुकाने के लिए 30 दिन का नोटिस दिया जाता है, अन्यथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार, गिरवी रखी गई संपत्तियों को इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति पर बेचा जाएगा।

दिनांकः 24 जून 252025 स्थान : उन्नाव **प्राधिकृत अधिकारी, आईसीआईसीआई होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड**

pnb Housing Finance Limited नोंदणीकृत कार्यालय : 9वा मजला, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नवी दिल्ली-110001. दूर.: 011-23357171,23357172,23705414 • वेबसाइट: www.pnbhousing.com.
शाखा कार्यालय पताः बेसमेंट फ्लोर, प्लॉट नं. 5 और 6, वार्ड नं. 42, बंगला नं. 358, बाके मोहल्ला, सिविल लाइन, इलीट चौराहा, शुभम कॉम्प्लेक्स जिला-झांसी, उत्तर प्रदेश -284002

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, २००२ अद्यतन संशोधित, के नियम ३(१) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २० के अध्याय III की धारा १३(२) के अंतर्गत सूचना

प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अध्याय खखखख की धारा १३(२) के तहत हमारे झांसी कार्यालय द्वारा डिमांड नोटिस जारी किया में प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) के अध्याय खखखख की धारा १३(२) के तहत हमारे झांसी कार्यालय द्वारा डिमांड नोटिस जारी किया था, जो बेसमेंट फ्लोर, प्लॉट नंबर ५ और ६, वार्ड नंबर ४२, बंगला नंबर ३५८, बाके मोहल्ला, सिविल लाइन, इलीट चौराहा, शुभम कॉम्प्लेक्स, जिला-झांसी, यूपी-२८४००२ में स्थित द्वारा मांग नोटिस जारी किया था, उक्त मांग नोटिस हमारे प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से आप सभी नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं/सह-उधारकर्ताओं / गारंटरों को जारी किया गया है क्योंकि किश्तों / ब्याज का भुगतान न करने के कारण आपका खाता भारतीय रिजर्व बैंक / राष्ट्रीय आवास बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसकी विषय-वस्तु मूलधन, ब्याज आदि की किस्तों के भुगतान में आपके द्वारा की गई चूक है। जिसका बकाया राशि का उल्लेख नीचे किया गया है। इसके अलावा, कारणों सहित, हमारा मानना है कि आप मांग नोटिस की तामील से बच रहे हैं और इसलिए मांग नोटिस का यह प्रकाशन, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत भी आवश्यक है। आपसे अनुरोध है कि आप इस मांग नोटिस के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर पीएनबीएचएफएल को उपरोक्त राशि, साथ ही अद्यतन ब्याज और शुल्क का भुगतान करें, ऐसा न करने पर पीएनबीएचएफएल उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के सभी या किसी भी प्रावधान के तहत उधारकर्ताओं और गारंटरों की सुरक्षित संपत्तियों पर कब्जा करने सहित सभी या किसी एक या अधिक सुरक्षित संपत्तियों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करेगा। आपका ध्यान वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है, जिसके अंतर्गत आप पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, प्रभारों और व्ययों सहित बकाया राशि की पूरी राशि केवल सार्वजनिक नीलामी द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन की तिथि तक, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा भुगतान कर सकते हैं। कृपया यह भी ध्यान दें कि यदि पीएनबी एचएफएल द्वारा वहन की गई लागत, शुल्क और व्यय के साथ बकाया राशि की पूरी राशि सार्वजनिक नीलामी द्वारा सुरक्षित परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए नोटिस के प्रकाशन से पहले, कोटेशन आमंत्रित करके, जनता से निविदा या निजी संधि द्वारा प्रस्तुत नहीं की जाती है, तो आप उसके बाद सुरक्षित परिसंपत्तियों को मुक्त करने के हकदार नहीं होंगे। इसके अलावा, आपको उक्त अधिनियम की धारा 13(13) के तहत बिक्री, पट्टे या किसी अन्य तरीके से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों) सह–कर्जदारों/का नाम	गारंटरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि
एचओयू/आर जेएचए/ 0523/ 1116201 बी.ओ.: झांसी	**उधारकर्ता : श्री/सुश्री. कीर्ति किरण लाकड़ा,** हरदोलन मुहल्ला, नैनागढ़ नगरा, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 284003,/ ग्राम सिंदरा, धावई टोली, लातेहार, लातेहार, झारखंड, भारत, 822119,/एच एन पुराना 945 नया 1085, मुहल्ला नैनागढ़ में, झाँसी, झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, 347787, **सह-उधारकर्ताः श्री/सुश्री. विमल लाकड़ा,** हरदोलन मुहल्ला, नैनागढ़ नगरा, जाहसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 284003,/945 हरदौल, मार्ग नैनागढ़ नगरा, झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 284003,/ रेलवे कोच, फैक्ट्री, झाँसी, झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, भारत, 284003,/ एच एन पुराना 945 नया 1085, मोहल्ला नैनागढ़ में, झाँसी, झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, 347787.	एन ए	एच एन पुराना 945 नया 1085, मोहल्ला नैनागढ़, झाँसी, झाँसी, झाँसी, उत्तर प्रदेश, 347787.	13 जून 2025	रु. २,१०,२८६.६६ (दो लाख दस हजार दो सौ छियासी और छियासठ पैसे मात्र)

स्थान : उत्तर प्रदेश । तिथि : 24.06.2025 **प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हौसिंग फायनान्स लिमिटेड**

TATA
टाटा कैपिटल लिमिटेड
रजि. कार्यालयः 11वीं मंजिल, टावर ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव टाटा कदम मार्ग, लोअर परेल, मुम्बल-400013

कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

(सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

यह सूचित किया जाता है कि टाटा कैपिटल लिमिटेड (टीसीएल) एक गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी है और कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत निगमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय पेनि. नसुला बिजनेस पार्क, टॉवर ए, 11वीं मंजिल, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013 में है और नई दिल्ली में अन्य स्थानों के अलावा एक शाखा कार्यालय है (''शाखा'')। 24.11.2023 के आदेशों के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) मुंबई ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 66 और अन्य लागू प्रावधानों के साथ धारा 230 से 232 के प्रावधानों के तहत टाटा कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (''टीसीएफएसएल'') और टाटा क्लीनटेक कैपिटल लिमिटेड (''टीसीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में और टाटा कैपिटल लिमिटेड (''टीसीएल'') के बीच हस्तांतरणकर्ता के रूप में व्यवस्था की योजना को विधिवत मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार, टीसीएफएसएल और टीसीसीएल (हस्तांतरक कंपनियां) अपने उपक्रम के साथ 01.01.2024 से सभी संपत्तियों, परिसंपत्तियों, अधिकारों, लाभों, ब्याज, कर्तव्यों, दायित्वों, देनदारियों, अनुबंधों, समझौतों, प्रतिभूतियों आदि के साथ एक चालू चिंता के रूप में टीसीएल के साथ विलय हो गए हैं। उक्त आदेश और योजना के अनुसरण में, टीसीएफएसएल द्वारा निष्पादित सभी सुविधा दस्तावेज और उनके संबंध में सभी बकाया आवेदक कंपनी को हस्तांतरित हो गए और इस प्रकार टीसीएल इसके अनुसार ख्उधारकर्ताओं / सह–उधारकर्ताओं, से इसका दावा करने का हकदार है।

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत टाटा कैपिटल लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दिए अनुसार डिमांड नोटिस–15.03.2022 जारी करते हुए उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि वापस करने का आह्वान करते हैं।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में विफल रहने पर, विशेष रूप से उधारकर्ताओं तथा सामान्य रूप से जनता को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम के नियम 8 के साथ धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक/सांकेतिक कब्जा कब्जा ले लिया है।

विषेश रू॰ से उधारकर्ताओं और आम जनता को इस संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन टैब कैपिटल लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा, जिसके लिए नीचे उल्लिखित राषि के साथ–साथ उस पर ब्याज और दंडात्मक ब्याज, षुल्क, लागत आदि मांग नोटिस की तिथि से देय होंगे।

उधारकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधान की ओर आकर्शित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

ऋण खाता संख्या	दायित्वधारी(ओं) /कानूनी उत्तराधिकारी(ओं) /कानूनी प्रतिनिधि (ओं) कानाम	डिमांड नोटिस की राषि और तिथि	सांकेतिक कब्जा की तिथि
20262474	1. श्री तेंजी नोरबू भूटिया, मकान नं. 110–एन3, भूतल, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली–110029, 2. श्रीमती तेंजिन ताशी, मकान नं. 110–ए/3, भूतल, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, दिल्ली–110029, 3. मेसर्स तिब्बत किचन, मकान नं. 110–एन3, भूतल, कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव दिल्ली–110029	रु. 62,34,445/–. तथा 15–03–2025	23.06.2025

संपत्ति का विवरणः सम्पूर्ण भूतल, जिसका क्षेत्रफल लगभग 115 वर्ग गज है, जिसमें दो शयन कक्ष, एक ड्राइंग/डाइनिंग रूम, एक रसोईघर और दो शौचालय/स्नानघर हैं, उक्त संपत्ति संख्या 110–ए/3 में, लगभग 115 वर्ग गज के भूखंड पर बना है, जो खसरा संख्या 15, खाता खतौनी संख्या 2ध्20 में आता है, जो कृष्णा नगर, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली–110029 में स्थित है, जिसमें पृथक बिजली मीटर/कनेक्शन, पृथक जल मीटर/मोटर के साथ कनेक्शन और ओवरहेड जल घ्टैंक है, साथ ही उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि में सभी फिटिंग्स, फिक्सचर कनेक्शन और आनुपातिक अविभाजित, अविभाज्य स्वामित्व अधिकार हैं, साथ ही भवन में प्रदान की गई सामान्य प्रवेश सीढ़ी, मार्ग और अन्य सामान्य सुविधाओं का उपयोगध्लाभ उठाने के अधिकार और इसके साथ संलग्न सुखभोग हैं। सीमाः पूर्वः अन्य संपत्ति, पश्चिमः 110–ए/4, उत्तरः रोड, दक्षिणः अन्य संपत्ति

दिनांकः 23.06.2025
स्थानः दिल्ली
हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, टाटा कैपिटल लिमिटेड के लिए।

SMFG Grihashakti
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

निगमित कार्यालय : 503 एवं 504, 5वाँ तल, जी– ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई– 400 051
पंजीकृत कार्यालय : कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई– 600116, तमिलनाडु

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहाँ इसमें इसके उपरांत ''एसएमएचएफसी'' के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु ''एसएमएचएफसी'' के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम, लैन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	लैन :– 609139211021059 1. अजय बंसल 2. पुष्पा देवी	पूरी दूसरी मंजिल छत/टेरेस अधिकारों के साथ, संपत्ति भूमि के आवासीय प्लॉट पर निर्मित संख्या 211, क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर की माप, ब्लॉक ए–4 पश्चिम विहार दिल्ली– 110063, सीमा :– पूर्व– प्लॉट संख्या 210, पश्चिम– प्लॉट संख्या 211, उत्तर– रोड, दक्षिण– एस/लेन।	22.03.2025 रु. 67,14,009.78 (रुपये सड़सठ लाख चौदह हजार नौ और अट्ठहत्तर पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
2.	लैन :– 613738011797248 1. अमरीश कुमार 2. ज्योत्सना कुमारी	संपत्ति संख्या 59 ऊपरी भूतल, बिना छत अधिकारों के, पॉकेट–28 सेक्टर–24 रोहिणी दिल्ली–110085	22.03.2025 रु. 61,93,847.93 (रुपये इकसठ लाख तिरानबे हजार आठ सौ सैंतालीस और तिरानबे पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
3.	लैन :– 605439211739542 1. अरविंद कुमार 2. शर्मिला तेजपाल सिंह	मकान नंबर 06, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 232, केशव नगर पूर्वी जवाहर नगर का हिस्सा गांव बेहटा हाजीपुर परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित, सीमाएं :– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– सड़क 14 फीट चौड़ी, उत्तर– रमेश का घर, दक्षिण– राजा का घर।	22.03.2025 रु. 27,26,549.94 (रुपये सत्ताईस लाख छब्बीस हजार पांच सौ उनचास और चौरानबे पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
4.	लैन :– 609139211718353 1. बिदेश कुमार 2. रामकली पत्नी बिदेश कुमार	निर्मित तृतीय तल पीछे की ओर छताधिकारों वाली संपत्ति संख्या 37, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से, खसरा संख्या 105/10 में से ग्राम पालम, नई दिल्ली कॉलोनी जिसे विश्वास पार्क के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– गली 10 फीट, पश्चिम– संपत्ति/तल का हिस्सा, उत्तर– प्लॉट नं. 37 का आधा हिस्सा, दक्षिण– प्लॉट नं. 38	22.03.2025 रु. 17,68,650.67 (रुपये सत्रह लाख अड़सठ हजार छह सौ पचास और सड़सठ पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
5.	लैन :– 613839511677292 1. दीपक पासवान 2. मीना देवी 3. रूपा कुमारी	प्लॉट संख्या 322, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, खसरा संख्या 3/9 में से, मौजा नगला गुजरान तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर : रास्ता 15 फीट, दक्षिण : 22. 03.2025 रु. 15,11,429.30/– (रु. पन्द्रह लाख ग्यारह हजार चार सौ उनतीस और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 तक 21.06.2025 प्लॉट का बाकी हिस्सा, पूर्व : प्लॉट संख्या 323, पश्चिम : रास्ता।	22.03.2025 रु. 15,11,429.30/– (रुपये पन्द्रह लाख ग्यारह हजार चार सौ उनतीस और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
6.	लैन :– 605439211342081 1. कृष्ण पाल शर्मा 2. संतोष देवी	आवासीय फ्लैट संख्या जी–2 भूतल एल.आई.जी. बिना छताधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 43.48 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 176 पर निर्मित आवासीय कॉलोनी विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन, हदबस्त गांव पसोंदा तहसील और जिला गाजियाबाद 201005 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– प्लॉट का हिस्सा, पश्चिम– सर्विस लेन, उत्तर– सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिण– प्लॉट।	22.03.2025 रु. 17,10,721.06 (रुपये सत्रह लाख दस हजार सात सौ इक्कीस और छह पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
7.	लैन :– 605439211449677 1. नामिश अली खान 2. माजिद अली खान	संपत्ति संख्या 24 की पूरी पहली मंजिल, 200 वर्ग गज की माप, खसरा संख्या 154/1 और 155 का हिस्सा, ताजपुर पोस्ट बदरपुर दिल्ली नई दिल्ली 110044 की राजस्व संपदा में स्थित है।	22.03.2025 रु. 37,05,657.30 (रुपये सैंतीस लाख पांच हजार छह सौ सत्तावन और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
8.	लैन :– 609139511454611 1. प्रीतपाल सिंह 2. जसबीर कौर	पूरी पहली मंजिल बिना छताधिकारों के क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, उक्त मंजिल संपत्ति संख्या 210–बी पर बनी है, मुस्तैदिल संख्या 32 किला संख्या 24 खसरा संख्या 32/24 में से कन्हिया पार्क की आबादी में ख्याला गांव के क्षेत्र जिसे चांद नगर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली–110018 में स्थित है।	22.03.2025 रु. 16,29,468.66 (रुपये सोलह लाख उनतीस हजार चार सौ अड़सठ और छियासठ पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
9.	लैन :– 613939211685714 1. पुष्पेंद्र सिंह 2. रेखा रानी	आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ–3, ग्राउंड फ्लोर पर पीछे आरएचएस बिना छत के अधिकारों के उक्त फ्लैट प्लॉट नंबर ए–153 पर बना है, क्षेत्रफल 280 वर्ग गज, खसरा नंबर 346/1 में से, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड में स्थित गांव सद्दुलाबाद परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद यूपी के क्षेत्र में स्थित है। सीमायें :– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– प्लॉट नंबर ए–54, उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– सड़क 30 फीट चौड़ी	22.03.2025 रु. 17,70,321.53 (रुपये सत्रह लाख सत्तर हजार तीन सौ इक्कीस और तिरेपन पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025

हस्ता./–
प्राधिकृत अधिकारी,
एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

स्थान : गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली
दिनाँक : 21–06–2025

(Please scan this QR code to view the Prospectus)

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

EEPL
Eppeltone®

EPPELTONE ENGINEERS LIMITED

Corporate Identity Number: U31909DL2002PLC117025

Our Company was incorporated as private limited Company under the name "Eppeltone Engineers Private Limited", under the provisions of the Companies Act, 1956 and Certificate of Incorporation was issued by the Registrar of Companies, Delhi & Haryana on September 18, 2002. The status of the Company was changed to public limited and the name of our Company was changed to "Eppeltone Engineers Limited" vide Special Resolution dated March 04, 2024. The fresh certificate of Incorporation consequent to conversion was issued on June 19, 2024, by the Registrar of Companies, Central Processing Centre. The Corporate Identity Number of our Company is U31909DL2002PLC117025. For details of incorporation, change of name and registered office of our Company, please refer to chapter titled "General Information" and "History and Certain other Corporate Matters" on page 52 and 157 respectively of the Prospectus.

Registered Office : A-57, Defence Colony, New Delhi, Delhi, India, 110024. | **Tel. No. :** +91 9811050241 | **Email Id:** cs@eppeltone.in
| **Website :** www.eppeltone.in | **Contact Person :** Megha Sharma, Company Secretary and Compliance Officer.

PROMOTERS OF OUR COMPANY: ROHIT CHOWDHARY, DEVEN CHOWDHARY & RESHU CHOWDHARY

Our Company has filed the Prospectus with the RoC and the Equity Shares are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited ("NSE") and trading of the Equity Shares Allotted pursuant to the Issue is expected to commence on Tuesday, June 24, 2025.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF 34,34,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF EPPELTONE ENGINEERS LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 128/- PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ 118/- PER EQUITY SHARE) ("ISSUE PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ 4,395.52 LAKHS OF WHICH 1,72,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH FOR CASH AT A PRICE OF ₹ 128/- PER EQUITY SHARE INCLUDING A SHARE PREMIUM OF 118/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 220.16 LAKHS WAS RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION i. e. NET ISSUE OF 32,62,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH AT A PRICE OF ₹ 128/- PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO ₹ 4,175.36 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50 % AND 25.17 % RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY. THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH. THE ISSUE PRICE IS 12.80 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARES IS ₹ 10/- EACH AND THE ISSUE PRICE IS ₹ 128/- PER EQUITY SHARE

Bid Opened On:	**Tuesday, June 17, 2025**	**Initiation of Unblocking of Funds / Refunds (T +1 Days)**	**On or before Friday, June 20, 2025**
Bid Closed On (T day)	**Thursday, June 19, 2025**	**Credit of Equity Shares to demat accounts of Allotees (T +2 Days)**	**On or before Monday, June 23, 2025**
Finalization of basis of allotment with the Designated Stock Exchange / Allotment of Securities (T +1 Day)	**On or before Friday, June 20, 2025**	**Commencement of Trading of Equity Shares on the Stock Exchanges / Listing Date (T + 3 Days)**	**On or before Tuesday, June 24, 2025**

RISKS TO INVESTORS:

(i) The average cost of acquisition of Equity Shares acquired by the Promoters as on the date of the Prospectus is :

Sr. No.	Name of Promoter	No. of Equity Shares	Average cost of Acquisition Price (in ₹ per equity share)
1.	Rohit Chowdhary	51,27,540	6.68
2.	Deven Chowdhary	28,04,000	NIL
3.	Reshu Chowdhary	19,930	18

**As certified by M/s. Abhay Sharma and Company, Chartered Accountants vide their certificate dated May 15, 2025.*

(ii) Weighted Average Cost of Acquisition for Equity Shares transacted in one year, eighteen months and three years preceding the date of the Red Herring Prospectus by all the shareholders:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Upper end of the Price band (₹ 128/-) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price - Highest Price (in ₹)
Last 1 year	7.09	18.05	159.31
Last 18 months	12.03	10.64	30.03 - 159.31
Last 3 years	13.56	9.44	30.03 - 159.31

**As certified by M/s. Abhay Sharma and Company, Chartered Accountants vide their certificate dated May 20, 2025*

(iii) The Price / Earnings ratio based on diluted EPS for Fiscal 2024 for our Company at upper band is 14.95 times.
(iv) Weighted Average Return on Net Worth for fiscals 2025, 2024 and 2023 is 28.95%.
(v) Weighted average cost of acquisition compared to floor price and cap price.

Past Transactions	Weighted average cost of acquisition (₹)	Floor Price ₹ 125/-	Cap Price ₹ 128/-
Weighted average cost of acquisition (WACA) of primary issuances	58.76	2.13	2.18
Weighted average cost of acquisition (WACA) of secondary transactions	NIL	NIL	NIL

(vi) We have obtained some of our contracts through government tenders, unavailability or any failure to secure these tenders in the future may adversely affect our business operations and financial conditions.
(vii) We do not have long-term contracts with our suppliers and therefore, there may be potential unavailability of raw materials in future, which may adversely affect our business operations.
(viii) Significant portion of our revenue has been generated from some states of India, any loss of business from these states may adversely affect our revenues and profitability.
(ix) Our Registered Office from where we operate is not owned by us.
(x) Our Company is dependent on few numbers of customers for sales. Loss of any of this large customer may affect our revenues and profitability.

For further details on risk factors, kindly refer to section *"Risk Factors"* on page 28 of Prospectus.

ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE WAS : MONDAY, JUNE 16, 2025

ISSUE OPENED ON : TUESDAY, JUNE 17, 2025

ISSUE CLOSED ON : THURSDAY, JUNE 19, 2025

PROPOSED LISTING : TUESDAY, JUNE 24, 2025

The Equity Shares of our Company offered through the Red Herring Prospectus and Prospectus are proposed to be listed on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited in terms of the Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 as amended from time to time. Our Company has received an In-Principle approval letter dated April 21, 2025 from National Stock Exchange of India Limited for using its name in the Red Herring Prospectus and Prospectus for listing of our shares on the EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited. For the purposes of the Issue, the Designated Stock Exchange shall be EMERGE Platform of National Stock Exchange of India Limited. It is to be distinctly understood that the permission given by NSE should not in any way be deemed or construed that the Issue Document has been cleared or approved by NSE nor does it certify the correctness or completeness of any of the contents of the Issue Document. The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the *"Disclaimer Clause of the NSE"* on page 213 of the Prospectus. **For the purpose of this issue the Stock Exchange will be NSE. The trading is proposed to be commenced on or about Tuesday, June 24, 2025 (Subject to receipt of listing and trading approval from NSE).**

This Issue was being made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 229 of the SEBI ICDR Regulations and in compliance with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations wherein not more than 50.00% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") (the "QIB Portion"), provided that our Company in consultation with the BRLM allocated 60.00% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis ("Anchor Investor Portion"). One-third of the Anchor Investor Portion was reserved for domestic Mutual Funds, subject to valid Bids received from the domestic Mutual Funds at or above the Anchor Investor Allocation Price in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Further, 5.00% of the Net QIB Portion was available for allocation on a proportionate basis to Mutual Funds only, and the remainder of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to all QIB Bidders, including Mutual Funds, subject to valid Bids received at or above the Issue Price. Further, not less than 15.00% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Investors and not less than 35.00% of the Net Issue was made available for allocation to Retail Individual Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids being received from them at or above the Issue Price. All Bidders, other than Anchor Investors, are required to participate in the Issue by mandatorily utilising the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process by providing details of their respective ASBA Account (as defined hereinafter) in which the corresponding Bid Amounts were blocked by the Self Certified Syndicate Banks ("SCSBs") or under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Issue through the ASBA process. For details, see *"Issue Procedure"* on page 234 of the Prospectus.

SUBSCRIPTION DETAILS

DETAILS OF THE APPLICATION:

The Issue has received 3,08,393 applications for 68,11,17,000 Equity Shares (Including Market Maker Application of 1,72,000 Equity Shares) resulting 198.35 times subscription.

The details of the applications received in the Issue from Retail Individual Investors, Non-Institutional Investors, Qualified Institutional Investors, Anchor and Market Maker (before and after technical rejections & withdrawal) are as follows:

DETAILS OF APPLICATIONS RECEIVED (before technical rejections) :

Sr No.	Category	No of application	No of shares	Reserved	No of times subscription	Amount
1	Qualified Institutional Buyers (excluding Anchor Portion)	67	8,60,92,000	6,52,000	132.04	11,01,97,76,000.00
2	Retail Individual Investors	2,84,782	28,47,82,000	11,42,000	249.37	36,45,15,23,000.00
3	Non-Institutional Bidders	23,536	30,85,80,000	4,90,000	629.76	39,49,78,18,000.00
4	Market Maker	1	1,72,000	1,72,000	1.00	2,20,16,000.00
5	Anchor	7	14,91,000	9,78,000	1.52	19,08,48,000.00
	TOTAL	**3,08,393**	**68,11,17,000**	**34,34,000**	**198.35**	**87,18,19,81,000.00**

DETAILS OF APPLICATIONS REJECTED BY THE REGISTRAR ON TECHNICAL GROUNDS ARE DETAILED BELOW:

Sr. No.	Category	No. of application	No of shares	Sr. No.	Category	No of application	No of shares
1	Market Maker	-	-	4	NIB	280	15,43,000
2	Anchor	-	-	5	Retail	6,128	61,28,000
3	QIB	-	-		**TOTAL**	**6,408**	**76,71,000**

AFTER ELIMINATING TECHNICALLY REJECTED APPLICATIONS, THE FOLLOWING TABLE GIVES US CATEGORY WISE NET VALID APPLICATIONS:

Category	No. of Applications	%	Reserved Portion (as per Prospectus)	No. of Valid Shares applied	% of Total Applied	Subscription (Times)
Market Maker	1	100	1,72,000	1,72,000	100	1
Total	**1**	**100**	**1,72,000**	**1,72,000**	**100**	**1**

Category	No. of Applications	%	Reserved Portion (as per Prospectus)	Proportionate Issue Size (After rounding off)	No. of Valid Shares applied	% of Total Applied	Subscription (Times)
Retail Individual Investors	2,78,654	92.28	11,42,000	11,42,000	27,86,54,000	41.48	244.01
Other than Retail Individual Investors	23,256	7.70	4,90,000	4,90,000	30,70,37,000	45.70	626.61
QIB (Excluding Anchor Investors)	67	0.02	6,52,000	6,52,000	8,60,92,000	12.82	132.04
Total	**3,01,977**	**100.00**	**22,84,000**	**22,84,000**	**67,17,83,000**	**100.00**	**294.13**

ALLOCATION : The Basis of Allocation was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on June 20, 2025.

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/Issue Closing Date at different Bid Prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	Shares	% of Total	Cumulative Share	Cumulative % to Total
1	125	3,04,000	0.04%	3,04,000	0.04%
2	126	20,000	0.00%	3,24,000	0.05%
3	127	37,000	0.01%	3,61,000	0.05%
4	128	50,70,60,000	74.64%	50,74,21,000	74.69%
	CUTOFF	17,19,54,000	25.31%	67,93,75,000	100.00%
	Total	**67,93,75,000**	**100.00%**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the Designated Stock Exchange – NSE on June 20, 2025.

1) **Allocation to Retail Individual Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to the Retail Individual Investors, who have bid at cut-off Price or at or above the Offer Price of ₹ 128/- per equity shares, was finalized in consultation with National Stock Exchange of India Limited. The category was subscribed by 244.01 times i.e. for 27,86,54,000 Equity Shares. The total number of shares allotted in this category is 11,42,000 Equity Shares to 1142 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this category	% of total	Proportionate Shares available	Allocation per Applicant: Before rounding off	Allocation per Applicant: After rounding off	Ratio of allottees to applicants		Number of successful applicants (after rounding)	% to total	Total No. of shares allocate allotted	% to total	Surplus/ Deficit
1,000	278654	100.00	27,86,54,000	100.00	11,42,000	4	1,000	571	139327	1142	100.00	11,42,000	100.00	-
Total	**278654**	**100.00**	**27,86,54,000**	**100.00**	**11,42,000**					**1142**	**100.00**	**11,42,000**	**100.00**	-

2) **Allocation to Non-Institutional Investors (After Technical Rejections & Withdrawal):** The Basis of Allotment to Other than Retail Individual Investors, who have bid at Issue Price of ₹ 128/- per equity shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 626.61 times i.e. for 30,70,37,000 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 4,90,000 Equity Shares to 441 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated / allotted	Surplus/ Deficit
2,000	9,839	42.31	1,96,78,000	6.41	31,404	31	9839	31,000	404
3,000	1,825	7.85	54,75,000	1.78	8,738	9	1825	9,000	-262
4,000	838	3.60	33,52,000	1.09	5,349	5	838	5,000	349
5,000	757	3.26	37,85,000	1.23	6,040	6	757	6,000	40
6,000	494	2.12	29,64,000	0.97	4,730	5	494	5,000	-270
15,62,000	0	0.00	0	0.00	0	1	2	1,000	-1,000
15,76,000	1	0.00	15,76,000	0.51	2,515	1	1	3,000	-485
16,01,000	1	0.00	16,01,000	0.52	2,555	1	1	3,000	-445
16,32,000	13	0.06	2,12,16,000	6.91	33,859	1	1	26,000	7,859
16,32,000	0	0.00	0	0.00	0	8	13	8,000	-8,000

**Only top five and bottom five category wise specifics of the allocation basis have been disclosed by our Company. The complete details of the basis of allocations category wise have been disclosed at our website at www.eppeltone.in*

3) **Allocation to QIBs excluding Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal) :** The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of ₹ 128/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 132.04 times i.e. for 8,60,92,000 Equity shares. The total number of shares allotted in this category is 6,52,000 Equity Shares to 67 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit
1,00,000	1	1.49	1,00,000	0.12	757	1	1	1,000	-243
1,01,000	1	1.49	1,01,000	0.12	765	1	1	1,000	-235
1,56,000	1	1.49	1,56,000	0.18	1,181	1	1	1,000	181
1,57,000	1	1.49	1,57,000	0.18	1,189	1	1	1,000	189
1,79,000	1	1.49	1,79,000	0.21	1,356	1	1	1,000	356
1,96,000	1	1.49	1,96,000	0.23	1,484	1	1	1,000	484
2,09,000	1	1.49	2,09,000	0.24	1,583	1	1	2,000	-417
2,23,000	1	1.49	2,23,000	0.26	1,689	1	1	2,000	-311
2,66,000	1	1.49	2,66,000	0.31	2,014	1	1	2,000	14
3,12,000	1	1.49	3,12,000	0.36	2,363	1	1	2,000	363
3,13,000	1	1.49	3,13,000	0.36	2,370	1	1	2,000	370
3,28,000	1	1.49	3,28,000	0.38	2,484	1	1	2,000	484
3,90,000	1	1.49	3,90,000	0.45	2,954	1	1	3,000	-46
3,91,000	1	1.49	3,91,000	0.45	2,961	1	1	3,000	-39
4,69,000	1	1.49	4,69,000	0.54	3,552	1	1	3,000	552
4,70,000	1	1.49	4,70,000	0.55	3,559	1	1	3,000	559
5,11,000	1	1.49	5,11,000	0.59	3,870	1	1	4,000	-130

Continue From Next Page...

...Continue From Previous Page

No. of Shares applied for (Category wise)	Number of applications received	% to total	Total No. of Shares applied in each category	% to total	Proportionate shares available	Ration of allottees to applicants		Total No. of shares allocated/ allotted	Surplus/ Deficit
5,20,000	1	1.49	5,20,000	0.60	3,938	1	1	4,000	-62
6,31,000	1	1.49	6,31,000	0.73	4,779	1	1	5,000	-221
6,52,000	2	2.99	13,04,000	1.51	9,876	1	1	10,000	-124
7,43,000	1	1.49	7,43,000	0.86	5,627	1	1	6,000	-373
7,81,000	1	1.49	7,81,000	0.91	5,915	1	1	6,000	-85
7,82,000	1	1.49	7,82,000	0.91	5,922	1	1	6,000	-78
7,93,000	1	1.49	7,93,000	0.92	6,006	1	1	6,000	6
8,10,000	1	1.49	8,10,000	0.94	6,134	1	1	6,000	134
8,58,000	1	1.49	8,58,000	1.00	6,498	1	1	6,000	498
8,95,000	1	1.49	8,95,000	1.04	6,778	1	1	7,000	-222
8,96,000	1	1.49	8,96,000	1.04	6,786	1	1	7,000	-214
9,38,000	1	1.49	9,38,000	1.09	7,104	1	1	7,000	104
10,03,000	1	1.49	10,03,000	1.17	7,596	1	1	8,000	-404
11,03,000	1	1.49	11,03,000	1.28	8,353	1	1	8,000	353
11,71,000	2	2.99	23,42,000	2.72	17,737	1	1	18,000	-263
11,92,000	1	1.49	11,92,000	1.38	9,027	1	1	9,000	27
12,94,000	2	2.99	25,88,000	3.01	19,600	1	1	20,000	-400
12,95,000	1	1.49	12,95,000	1.50	9,807	1	1	10,000	-193
13,06,000	1	1.49	13,06,000	1.52	9,891	1	1	10,000	-109
15,62,000	1	1.49	15,62,000	1.81	11,829	1	1	12,000	-171
16,01,000	1	1.49	16,01,000	1.86	12,125	1	1	12,000	125
18,75,000	1	1.49	18,75,000	2.18	14,200	1	1	14,000	200
19,53,000	1	1.49	19,53,000	2.27	14,791	1	1	15,000	-209
19,54,000	2	2.99	39,08,000	4.54	29,596	1	1	30,000	-404
19,80,000	1	1.49	19,80,000	2.30	14,995	1	1	15,000	-5
21,00,000	1	1.49	21,00,000	2.44	15,904	1	1	16,000	-96
22,65,000	6	8.96	1,35,90,000	15.79	1,02,921	1	1	1,02,000	921
22,65,000	0	0.00	0	0.00		1	6	1,000	-1,000
22,82,000	2	2.99	45,64,000	5.30	34,565	1	1	34,000	565
22,84,000	12	17.91	2,74,08,000	31.84	2,07,569	1	1	2,04,000	3,569
22,84,000	0	0.00	0	0.00		1	3	4,000	-4,000
Total	**67**	**100.00**	**8,60,92,000**	**100.00**	**6,52,000**			**6,52,000**	**-**

4) **Allocation to Anchor Investors (After Technical Rejections & Withdrawal) :** The Company in consultation with the BRLM has allotted **9,78,000** Equity Shares to 6 Anchor Investors at Anchor Investor Issue Price of ₹ 128/- per Equity Shares in accordance with the SEBI ICDR Regulations, 2018. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC	Others	Total
Anchor	-	-	-	2,04,000	7,74,000		-	9,78,000

5) **Allocation to Market Maker (After Technical Rejections & Withdrawal) :** The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹ 128/- per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed 1 times i.e. for 172000 Equity Shares the total number of shares allotted in this category is 1,72,000 Equity Shares. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio		Total Number of shares allotted	Surplus/ Deficit
172000	1	100	172000	100	172000	1	1	172000	0
Total	**1**	**100**	**172000**	**100**	**172000**			**172000**	

The Board of Directors of the Company at its meeting held on June 20, 2025 has approved the Basis of Allocation of Equity Shares as approved by the Designated Stock Exchange viz. NSE and has authorized the corporate action for issue of the Equity Shares to various successful applicants. The CAN-cum-allotment advices and/or notices will be forwarded to the email id's and address of the Applicants as registered with the depositories / as filled in the application form on or before June 23, 2025. Further, the instructions to Self-Certified Syndicate Banks for unblocking the amount will process on June 20, 2025. In case the same is not received within two working days, investors may contact at the address given below. The Equity Shares allocated to successful applicants are being credited to their beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company is taking steps to get the Equity Shares admitted for trading on the NSE EMERGE within three working days from the date of the closure of the Issue.

Note : All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus dated June 19, 2025, ("Prospectus") filed with Registrar of Companies, NCT of Delhi & Haryana.

INVESTORS PLEASE NOTE

The details of the allotment made would also be hosted on the website of the Registrar to the Issue, Skyline Financial Services Private Limited at www.skylinerta.com. All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First / Sole applicants, serial number of the Bid cum Application Form, number of shares applied for and Bank Branch where the application had been lodged and payment details at the address of the Registrar given below:

SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
A/506, Dattani Plaza, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai-400 072, Maharashtra, India
Tel. : +91 22 2851 1022;
Email / Investor Grievance E-mail ID : ipo@skylinerta.com
Website : www.skylinerta.com
Contact Person : Anuj Rana
SEBI Registration No : INR000003241
CIN : U74899DL1995PTC071324

For **EPPELTONE ENGINEERS LIMITED**
On **Behalf of the Board of Directors**
Sd/-
Rohit Chowdhary
Managing Director
DIN: 01995105

Place: Delhi
Date : June 23, 2025.

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF EPPELTONE ENGINEERS LIMITED.

Eppeltone Engineers Limited is proposing, subject to market conditions, public Issue of its Equity Shares and had filed the Prospectus with the Registrar of Companies, Delhi and Haryana. The Prospectus is available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Book Running Lead Manager at www.expertglobal.in, website of the NSE at www.nseindia.com and website of Issuer Company at www.eppeltone.in Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk. For details, investors shall refer to and rely on the Prospectus including the section titled *"Risk Factors"* beginning on page 28 of the Prospectus, which has been filed with ROC. The Equity Shares have not been and will not be registered under the US Securities Act (the "Securities Act") or any state securities law in United States and may not be Issued or sold within the United States or to, or for the account or benefit of, "U. S. persons" (as defined in the Regulation S under the Securities Act), except pursuant to an exemption.

पब्लिक नोटिस

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि श्यामपाल चोपड़ा के नाम पर आईटीसी लिमिटेड के विशिष्ट संख्या 15487551-15488270 और 2511168396-2511168755 वाले 1080 साधारण शेयरों के लिए शेयर प्रमाणपत्र संख्या 8655 और 74862 के खो जाने/चोरी हो जाने की सूचना दी गई है और इसके संबंध में डुप्लिकेट प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कंपनी के निवेशक सेवा केंद्र, आईटीसी लिमिटेड 37, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-700071 को आवेदन किया गया है, जिनके पास ऐसे डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के खिलाफ आपत्ति, यदि कोई हो, इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 15 दिनों के भीतर की जानी चाहिए। जनता को इन शेयरों के साथ किसी भी तरह का लेन-देन करने के प्रति आगाह किया जाता है।

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

इंडियन बैंक Indian Bank

इलाहाबाद ALLAHABAD

कार्यालय परिसर को पट्टे पर देने के लिए निविदा आमंत्रण सूचना

इंडियन बैंक, एक सार्वजनिक क्षेत्र बैंक, "**विकल्प खंड (जिला लखनऊ, उत्तर प्रदेश)**" में नए परिसर खोलने के **1100 वर्ग फीट से 1300 वर्ग फीट** के कार्पेट एरिया के दायरे में शाखा + एटीएम के लिए (पूर्ण निर्मित/ निर्माणाधीन परिसर), प्रत्येक हेतु भूतल पर स्थित पार्किंग सुविधा से सम्पन्न परिसर के लिए परिसर के मालिकों से 2 बोली प्रणाली (तकनीकी और वित्तीय निविदा) के तहत प्रस्ताव आमंत्रित करता है जो पट्टे के आधार पर **15 वर्षों** के लिए शाखा/कार्यालय स्थापना के लिए देने को तैयार हो।

निविदा बैंक की वेबसाइट **www.indianbank.in** से दिनांक **24.06.2025 से 08.07.2025 तक** डाउनलोड की जा सकती है। **(बोली जमा करने की अंतिम तिथि 08.07.2025 शाम 5.00 बजे तक है)**

अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट **www.indianbank.in/tenders** देखें।

इस निविदा से संबंधित सभी आगे की अधिसूचनाएं, शुद्धिपत्र या परिशिष्ट (यदि कोई हो) हमारी वेबसाइट में प्रकाशित किए जाएंगे। बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रक्रिया के दौरान समय-समय पर वेबसाइट का पालन करें।

आंचलिक प्रबंधक
इंडियन बैंक, आंचलिक कार्यालय, हजरतगंज लखनऊ

केनरा बैंक Canara Bank

वसूली शाखा, क्षेत्रीय कार्यालय, प्लॉट नंबर 39, 1ली मंजिल, बोहरा हुंडई के पास, नीलम-बाटा रोड, फरीदाबाद

कब्जा सूचना [धारा 13(4)] (अचल संपत्ति के लिए)

जैसा की वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का अधिनियम 54) के अंतर्गत केनरा बैंक के अधिकृत अधिकारी के रूप मेंतथा अधिनियम की धारा 13(12) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने एक माँग सूचना दिनांक 15.04.2025 जारी कर ऋणधारकों श्रीमती सुंदरी, पत्नी श्री बालकिशन और श्री बालकिशन पुत्र श्री शंकर लाल (ऋणधारकों) को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि **रु 30,75,739.44 (रुपये तीस लाख पचहत्तर हजार सात सौ उनतालीस और चौवालीस पैसे मात्र)** तथा उस पर ब्याज के भुगतान करने के लिए निर्देश दिया था।

ऋणधारक उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारकों एवं आम जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उपर्युक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ पठित नियम 8 एवं 9के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 21 जून,2025 को नीचे वर्णित संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

एतद्द्वारा विशेष रूप से ऋणधारकोंएवं आम जनता को सावधान किया जाता है कि वे इस संपत्ति के साथ किसी भी प्रकार का लेन-देन न करें तथा संपत्ति का किसी भी प्रकार का लेन-देन रु 30,75,739.44 एवं उस पर ब्याज की राशि के लिए केनरा बैंक के प्रभार के अधीन होगा।

अचल संपत्ति का विवरण

एक आवासीय भूखंड जिसका कुल क्षेत्रफल 218 वर्ग गज है, जिसका रेक्ट नंबर 105 किला नंबर 15 (8-0), 16/1 (4-0) कुल 12 कनाल 0 मरला का 15/480वां हिस्सा यानी 7½ मरला है, जो एमसी पलवल जिला पलवल की सीमा के भीतर राजीव नगर पलवल में स्थित है, का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी सीमाएं और माप निम्नानुसार हैं: पूर्व में: श्री करे लाल का प्लॉट ,पश्चिम में: श्री नंद किशोर का प्लॉट, उत्तर में: 18 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में: श्री चंदर पाल का प्लॉट

स्थान: फरीदाबाद **अधिकृत अधिकारी**
दिनांक:24/6/2025 **फरीदाबाद सेक्टर -9 शाखा, केनरा बैंक**

कार्यालय नगर पंचायत शमसाबाद जनपद-फरुर्खाबाद

पत्रांकः- 260/न०पं०-नि० का०आगणन सू०/2025-26/शमसाबाद **दिनांकः-** 23 जून, 2025

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

नगर पंचायत शमसाबाद द्वारा समस्त संविदाकार/सप्लायर्स को सूचित किया जाता है कि निकाय को पंचम राज्य वित्त आयोग की धनराशि से निम्न कार्य हेतु सीलबन्द निविदायें आमंत्रित की जा रही है। निविदा दिनांक 23-6-2025 से 01-07-2025 तक कार्यालय नगर पंचायत शमसाबाद में प्रातः 10:00 बजे से सा० 4:00 बजे तक बिकी की जायेगी। तथा दिनांक- 1.7.025 को अपरान्ह 2:00 बजे तक कार्यालय नगर पंचायत के निविदा बाक्स में डाली जायेगी। जो उसी दिन अपरान्ह 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी द्वारा खोली जायेगी। कार्य के आगणन एवं शर्तों के सम्बन्ध में जानकारी किसी भी दिन निविदा दिनांक से पूर्व कार्यालय दिवस एवं कार्य के घंटों में प्राप्त की जा सकती है। वाद मियाद प्राप्त निविदा पर विचार करना सम्भव न होगा।

कार्य का विवरण

क्रम सं0	कार्य का नाम	आगणन धनराशि	2% धरोहर धनराशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य पूर्ण करनें की अवधि
1.	नगर पंचायत शमसाबाद में मो० तराई में अरूज के घर से नायाब के घर तक सी.सी. रोड़ व नाली निर्माण कार्य।	175938.00	3519.00	200.00	1 माह
2.	नगर पंचायत शमसाबाद में मो० अलेपुर पीत धौलेश्वर में जगदीश पाल के घर से सुनील के घर तक नाली निर्माण कार्य।	92461.00	1850.00	100.00	1 माह
3.	नगर पंचायत शमसाबाद फैजबाग मुख्य रोड़ से बनारसी बाल्मीकि के घर तक इण्टरलाकिग रोड़ एवं नाली निर्माण कार्य।	424989.00	8500.00	400.00	1 माह
4.	मोहल्ला गढ़ी जलकल परिसर में व बस अड्डा के बीच की सी०सी० सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	283170.00	5663.00	300.00	1 माह
5.	नगर पंचायत शमसाबाद फैजबाग मुख्य रोड़ से गौतम के घर तक इण्टरलाकिग रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	359697.00	7194.00	400.00	1 माह
6.	नगर पंचायत शमसाबाद भुलभुलागंज में रामसरन के खेत से इरशाद के घर तक इण्टरलाकिग रोड़ एवं नाली का निर्माण कार्य।	508094.00	10162.00	500.00	1 माह
7.	नगर पंचायत शमसाबाद मो० गढ़ी में नजीब राजमिस्त्री वाली गली एवं मोहल्ला राजोंटोला में राशिद लाइट मिस्त्री वाली गली, मरहूम फैय्याज वाली गली में इण्टरलाकिग एवं नाली मरम्मत का कार्य।	255237.00	5105.00	300.00	1 माह
8.	नगर पंचायत शमसाबाद मो० गोदाम में जमशेद अब्बास के घर से नाहीद मैडम के घर तक इण्टरलाकिंग रोड़ का निर्माण कार्य ।	702659.00	14053.00	700.00	1 माह

नियम एंव शर्तेः-

1. निविदा प्रपत्र निविदा दिनांक से एक दिन पूर्व अथवा उसी दिन नियत शुल्क जमाकर कार्यालय से प्राप्त किये जावेगें।
2. निविदा के साथ 2% धरोहर धनराशि एफ०डी०आर, एन०एस०सी अथवा नगद जमा करना अनिवार्य होगा। एफ०डी०आर अधिशासी अधिकारी के नाम बन्धक होना अनिवार्य होगा।
3. निर्माण कार्य के भुगतान बिल की धनराशि पर 2.24 प्रतिशत आयकर अदा करना होगा। जो बिल की धनराशि से काट ली जायेगी।
4. निविदा स्वीकृत उपरान्त 8 प्रतिशत धरोहर धनराशि क्रमांक 2 के अनुसार जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप एंव नियत अवधि में करना अनिवार्य होगा।
6. भुगतान शासनादेश के अनुरूप देय होगा एवं धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
7. नियत स्टाम्प पर अनुबन्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. एक अथवा समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त करनें का अधिकार अधिशासी अधिकारी में निहित होगा।
9. विवादित बिन्दुओं का न्यायिक क्षेत्र जनपद फरुर्खाबाद होगा।
10. जमा की गई धरोहर धनराशि अन्तिम बिल भुगतान तिथि के 02 वर्ष बाद कार्य संतोषजनक रहनें की दशा में वापस की जावेगी।
11. संविदाकार को चरित्र प्रमाण (टी-4), हैसियत प्रमाण पत्र (टी-5), शपथ पत्र (टी-6) निविदा प्रपत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा।
12. निविदा प्रपत्रों पर निविदादाता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

हस्ता/-
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत शमसाषाद
जनपद-फर्रूखाबाद

हस्ता/-
अध्यक्ष
नगर पंचायत शमसाषाद
जनपद-फर्रूखाबाद

कब्ज़ा-सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व में जनलक्ष्मी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के रूप में विदित) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं) को मांग सूचनायें निर्गत की थीं, जिनमें ऋणकर्ताओं को उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनो के अंदर उक्त सूचनाओं में निम्न तालिका में वर्णित संबंधित नामों के समक्ष अंकितानुसार राशि का राशि पर प्रयोज्य दरों पर आकलित ब्याज और भुगतान तथा/अथवा वसूलीकरण की तिथि तक उपगत प्रयोज्यानुसार भावी ब्याज, आकस्मिक व्ययों, लागतों, शुल्कों, इत्यादि का प्रतिभुगतान करने को कहा गया था।

क्रं सं.	ऋण संख्या	ऋणकर्ता/ सह-ऋणकर्ता/ गारंटर/बंधककर्ता	13(2)नोटिस दिनांक/ निम्न के अनुसार बकाया देय (रु. में)	दिनांक/समय एवं कब्ज़ा का प्रकार
1.	46149420000534 एवं 46149420000560	1) श्री चंद्रमा विश्वकर्मा (उधारकर्ता), 2)श्रीमती चंदा देवी (सह- उधारकर्ता)	दिनांक : 15.03.2025 दिनांक 13.03.2025 तक देय राशि रु.18,29,207.05(रु.अठारह लाख उनतीस हजार दो सौ सात और पाँच पैसे मात्र) है।	दिनांक- 21.06.2025 समय-अपराह्न 01:40 बजे, भौतिक कब्ज़ा

प्रतिभूति संपत्ति का विवरणः संपत्ति विवरण : आराजी संख्या 506/2 मिन, मौजा पुरैनी, परगना राल्हूपुर, तहसील पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश-232101 पर स्थित 1360 वर्ग फीट क्षेत्रफल वाला प्लॉट की अचल संपत्ति का वह समस्त हिस्सा एवं अंश। इसका स्वामित्व श्री चंद्रमा विश्वकर्मा, पुत्र श्री छांगुर विश्वकर्मा के पास है। सीमाः उत्तरः 20 फीट चौड़ा अनिर्मित पथ, दक्षिणः कुसुम की भूमि, पूर्वः 12 फीट चौड़ी निर्मित सड़क, पश्चिमः 12 फीट चौड़ा अनिर्मित पथ।

चूंकि यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह-ऋणकर्ता(ओं)/गारंटरों/बंधककर्तागणों निर्धारित देयराशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को सामान्य रूप में सूचित किया जाता है कि जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें उपरोक्त विवरणित संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, उपरांकित तिथियों पर प्रतीकात्मक कब्ज़ा कर लिया है। यहां इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं/सह-ऋणकर्ताओं/गारंटरों/बंधककर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि उपर्युक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का लेन-देन न करें तथा उक्त संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन-देन, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के प्रभाराधीन होगा।

स्थान : चंदौली, **हस्ता./-प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 24-06-2025 **कृते जना स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड**

जना स्मॉल फाइनेंस बैंक (एक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक)
पंजीकृत कार्यालय :- द फेयरवे, भू एवं प्रथम तल, सर्वे नं. 10/1, 11/2 एवं 12/2बी, ऑफ डोम्लुर, कोरमंगला इनर रिंग रोड, ईजीएल बिजनेस पार्क के समीप, छल्लाघट्टा, बैंगलोर-560071, शाखा कार्यालय : जी-01, भूतल, साइबर हाइट्स, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226010

प्रपत्र जी

मैसर्स कपासी इन्फ्राकॉन एलएलपी

जो सिवसागर, असम में सड़क निर्माण के व्यवसाय में कार्यरत है, के लिये अभिरुचि की अभिव्यक्ति के लिए आमंत्रण

(भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2016 के विनियम 36ए के उप-विनियम (1) के तहत)

संबंधित विवरण

1	कॉर्पोरेट देनदार का नाम, पैन और सीआईएन/एलएलपी नंबर सहित	**मैसर्स कपासी इन्फ्राकॉन एलएलपी (पूर्ववर्ती वीएसडी इन्फ्राकॉन एलएलपी) पैन- AASFV0438M एलएलपीआईएन-AAQ-2954**
2	पंजीकृत कार्यालय का पता	एच. नंबर 3/4199, डी ब्रह्मपुरी कॉलोनी, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, पेपर मिल रोड, सहारनपुर, उत्तर प्रदेश-247001
3	वेबसाइट का यूआरएल	उपलब्ध नहीं
4	स्थान का विवरण, जहां अधिकांश स्थायी संपत्तियां स्थित हैं	शिवसागर, असम-785640
5	मुख्य उत्पादों/सेवाओं की स्थापित क्षमता	लागू नहीं
6	पिछले वित्तीय वर्ष में बेचीं गयी मुख्य उत्पादों/सेवाओं की मात्रा और मूल्य	लागू नहीं
7	कर्मचारियों/कामगारों की संख्या	निल
8	पिछले दो वर्षों के वित्तीय विवरण,(अनुसूची सहित), लेनदारों की सूची सहित अतिरिक्त विवरण यूआरएल पर उपलब्ध है:	**विवरण cirp.kapasi@outlook.com पर ईमेल के माध्यम से माँगा जा सकता है:**
9	संहिता की धारा 25(2)(h) के अंतर्गत समाधान आवेदकों के लिए पात्रता यूआरएल पर उपलब्ध है:	**विवरण cirp.kapasi@outlook.com पर ईमेल के माध्यम से माँगा जा सकता है:**
10	अभिरुचि **की अभिव्यक्ति** प्राप्त करने की अंतिम तिथि	09 जुलाई, 2025
11	संभावित समाधान आवेदकों की अनंतिम सूची जारी करने की तिथि	14 जुलाई, 2025
12	अनंतिम सूची पर आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि	19 जुलाई, 2025
13	संभावित समाधान आवेदकों की अंतिम सूची जारी करने की तिथि	25 जुलाई, 2025
14	संभावित समाधान आवेदकों को सूचना ज्ञापन, मूल्यांकन मैट्रिक्स और समाधान योजना हेतु अनुरोध जारी करने की तिथि	25 जुलाई, 2025
15	समाधान योजनाएं जमा करने की अंतिम तिथि	24 अगस्त, 2025 ईमेल के साथ-साथ हार्ड कॉपी भी श्रवण कुमार विश्नोई, पंजीकृत पता: बीसीसी टॉवर, 1008, 10 वीं मंजिल, अर्जुनगंज, लखनऊ-226002 के पास जमा की जायेगी।
16	अभिरुचि **की अभिव्यक्ति** जमा करने हेतु प्रक्रिया ईमेल आईडी	**cirp.kapasi@outlook.com**
17	कॉर्पोरेट देनदार की एमएसएमई के रूप में पंजीकरण स्थिति का विवरण	उद्यम-AS-24-0000387

दिनांक: 24.06.2025 **डॉ. श्रवण कुमार विश्नोई**
स्थान:लखनऊ **समाधान पेशेवर**
मैसर्स कपासी इन्फ्राकॉन एलएलपी (सीआईआरपी के तहत)
पंजीकरण संख्या: IBBI/IPA-002/AP-N00040/2016-2017/10079
एएफए: AA2/10079/02/311225/203661, संपर्क: +91 9839443555
मामले-विशिष्ट ईमेल: cirp.kapasi@outlook.com

THE BUSINESS DAILY
FOR DAILY BUSINESS
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead
INDIAN EXPRESS GROUP

पश्चिम एशिया में तनाव से सहमा बाजार, सूचकांक 511 अंक गिरा

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

ईरान के तीन प्रमुख परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी बमबारी के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से सोमवार को स्थानीय शेयर बाजार में खासी गिरावट दर्ज की गई। सूचकांक 511 अंक फिसल गया जबकि निफ्टी में 140 अंक से अधिक का नुकसान रहा।

विश्लेषकों ने कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष में अमेरिकी दखल ने पश्चिम एशिया को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी), प्रौद्योगिकी एवं वाहन शेयरों में बिकवाली से भी निवेशक धारणा पर असर पड़ा। बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक उतार-चढ़ाव से भरे कारोबार में 511.38 अंक यानी 0.62 फीसद की गिरावट के साथ 81,896.79 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सूचकांक एक समय 931.41 अंक यानी 1.13 फीसद गिरकर 81,476.76 अंक पर आ गया था, लेकिन बाद में इसने अपने कुछ नुकसान की भरपाई की। नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) का 50 शेयरों वाला मानक सूचकांक निफ्टी 140.50 अंक यानी 0.56 फीसद गिरकर 24,971.90 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के 30 शेयरों में एचसीएल टेक, इन्फोसिस, लार्सन एंड टुब्रो, महिंद्रा एंड महिंद्रा, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आइटीसी, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और मारुति में सबसे ज्यादा गिरावट रही।

ईरान को भेजी गई चावल की बड़ी खेप बंदरगाह पर अटकी

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

इजरायल-ईरान संघर्ष के कारण ईरान जाने वाला लगभग 1,00,000 टन बासमती चावल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। अखिल भारतीय चावल निर्यातक संघ ने सोमवार को यह जानकारी दी। संघ के अध्यक्ष सतीश गोयल ने कहा कि ईरान जाने वाला लगभग 1,00,000 टन बासमती चावल फिलहाल भारतीय बंदरगाहों पर फंसा है। भारत के कुल बासमती चावल निर्यात में ईरान की 18-20 फीसद की हिस्सेदारी है।

गोयल ने बताया कि निर्यात खेप मुख्य रूप से गुजरात के कांडला और मुंद्रा बंदरगाहों पर रुकी है, जहां पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण ईरान जाने वाले माल के लिए न तो जहाज उपलब्ध हैं और न ही बीमा। उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, आमतौर पर मानक शिपिंग बीमा पालिसियों के तहत कवर नहीं होते हैं, जिससे निर्यातक अपनी खेप भेजने में असमर्थ हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात खेप में देरी और भुगतान को लेकर अनिश्चितता गंभीर वित्तीय तनाव पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि घरेलू बाजार में बासमती चावल की कीमतें पहले ही चार-पांच रुपए प्रति किलोग्राम तक गिर चुकी हैं। इस मुद्दे पर संघ, कृषि-निर्यात संवर्धन निकाय एपीडा के संपर्क में है।

उन्होंने कहा कि संकट पर चर्चा के लिए 30 जून को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ बैठक निर्धारित है। सऊदी अरब के बाद ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा बासमती चावल बाजार है। भारत ने मार्च में समाप्त हुए वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान ईरान को लगभग 10 लाख टन सुगंधित अनाज का निर्यात किया। भारत ने 2024-25 के दौरान लगभग 60 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया, जिसकी मांग मुख्य रूप से पश्चिम एशिया और पश्चिम एशियाई बाजारों से प्रेरित थी। अन्य प्रमुख खरीदारों में इराक, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका शामिल हैं।

हाल के हफ्तों में इजरायल-ईरान संघर्ष काफी बढ़ गया है, जिसमें दोनों पक्षों ने भारी हमले किए हैं और अमेरिका सीधे तौर पर युद्ध में शामिल हो गया है। जहाज के जरिये ढुलाई में व्यवधान से भारतीय चावल निर्यातकों के समक्ष चुनौतियां बढ़ गई हैं।

संघर्ष का खाड़ी क्षेत्र में वस्तुओं की मांग पर अल्पकालिक प्रभाव : फियो

भारतीय निर्यात संगठनों के महासंघ (फियो) ने सोमवार को कहा कि ईरान और इजराइल के बीच जारी संघर्ष का मांग और लाजिस्टिक्स पर अल्पकालिक प्रभाव पड़ सकता है। खासकर खाड़ी क्षेत्र में, जो भारतीय निर्यात के लिए महत्वपूण केंद्र के रूप में कार्य करता है। फियो ने कहा कि संघर्ष के कारण पोत परिवहन लागत में वृद्धि, पारगमन का समय बढ़ना तथा समुद्री बीमा प्रीमियम में वृद्धि हो सकती है। हाल के सप्ताहों में इजराइल-ईरान संघर्ष काफी बढ़ गया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे में काफी हमले किए हैं और अब अमेरिका भी इसमें शामिल हो गया है। फियो के अध्यक्ष एससी रल्हन ने कहा कि हमें मांग और लाजिस्टिक्स पर कुछ अल्पकालिक प्रभाव की आशंका है, विशेष रूप से खाड़ी क्षेत्र में जो भारतीय निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करता है। मूल्य-संवेदनशील क्षेत्रों में...पोत परिवहन लागत में वृद्धि, लंबा पारगमन समय और बढ़ते समुद्री बीमा प्रीमियम से दबाव बढ़ सकता है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव मुद्रास्फीति और लाजिस्टिक्स लागत दोनों को प्रभावित कर सकता है।

खबर कोना

पुणे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सानिवारवाड़ा से स्वार गेट तक प्रस्तावित चार-लेन भूमिगत सड़क की परियोजना की समीक्षा के दौरान।

रुपया शुरुआती कारोबार में 17 पैसे टूटकर 86.72 प्रति डालर पर

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

अमेरिका के ईरान में परमाणु स्थलों पर हमला करने के बाद वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के बीच रुपया सोमवार को शुरुआती कारोबार में 17 पैसे टूटकर 86.72 प्रति डालर पर आ गया। विदेशी मुद्रा कारोबारियों ने बताया कि विदेशी मुद्राओं के मुकाबले डालर में मजबूती ने स्थानीय इकाई पर और दबाव डाला। हालांकि, विदेशी पूंजी प्रवाह और देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि ने स्थानीय मुद्रा में गिरावट को सीमित किया। अंतरबैंक विदेशी मुद्रा विनिमय बाजार में रुपया, अमेरिकी डालर के मुकाबले 86.75 पर खुला और फिर 86.72 पर पहुंच गया जो पिछले बंद भाव से 17 पैसे की गिरावट दर्शाता है। रुपया शुक्रवार को अमेरिकी डालर के मुकाबले 86.55 पर बंद हुआ था। इस बीच, छह प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले अमेरिकी डालर की स्थिति को दर्शाने वाला डालर सूचकांक 0.31 फीसद की बढ़त के साथ 99.01 पर रहा।

डीजीसीए ने गुरुग्राम में एअर इंडिया के मुख्य बेस पर आडिट शुरू किया

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सोमवार को गुरुग्राम में एयर इंडिया के मुख्य बेस पर विस्तृत आडिट शुरू किया। इसमें संचालन, उड़ान सारिणी, रोस्टर (ड्यूटी) और कई अन्य क्षेत्र शामिल होंगे। एक सूत्र ने यह जानकारी दी है। एअरलाइन कंपनी का मुख्य बेस या हब वह हवाई अड्डा होता है जहां वह अपने विमान और चालक दल को स्थायी रूप से रखती है। टाटा समूह के स्वामित्व वाली एअरलाइन उस समय कड़ी जांच के दायरे में आ गई है, जब उसका लंदन जाने वाला बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 12 जून को अहमदाबाद में उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें दुर्घटना में 270 लोग मारे गए थे। इनमें 241 लोग यात्री थे।

सोने में 160 रुपए की गिरावट, 99,800 प्रति 10 ग्राम पर

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

आभूषण विक्रेताओं और स्टाकिस्टों की सतत बिकवाली के कारण सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत 160 रुपए टूटकर 99,800 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गई। अखिल भारतीय सर्राफा संघ ने यह जानकारी दी है। 99.9 फीसद शुद्धता वाले सोने की कीमत शुक्रवार को 99,960 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुई थी। 99.5 फीसद शुद्धता वाला सोना 150 रुपए गिरकर 99,100 रुपए प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) रह गया। पिछले बाजार बंद के समय इसका भाव 99,250 रुपए प्रति 10 ग्राम था। हालांकि, सोमवार को चांदी 1,05,200 रुपए प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) पर स्थिर रही। वैश्विक मोर्चे पर, हाजिर सोना मामूली रूप से गिरकर 3,365.40 डालर प्रति औंस रह गया।

वित्त मंत्रालय ने उधारी से जुड़ी अवसंरचना 'यूएलआइ' को बढ़ावा देने पर बैठक की

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

वित्त मंत्रालय ने उधारी देने से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ह्यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेसह्न (यूएलआइ) लाने के तरीकों पर चर्चा के लिए सोमवार को विभिन्न हितधारकों के साथ बैठक की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के साथ मिलकर आयोजित इस बैठक में राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारक शामिल हुए। यूएलआइ एक नई डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआइ) है, जिसे भुगतान क्षेत्र में इस्तेमाल हो रही अवसंरचना यूपीआइ की ही तरह ऋण प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए तैयार किया गया है। यह एक प्रौद्योगिकी मंच है, जिसे मानकीकृत एपीआइ के जरिए विभिन्न स्रोतों से प्रमाणित आंकड़ों तक आसान पहुंच की सुविधा के लिए बनाया गया है।

आज महात्मा गांधी वार्तालाप शताब्दी समारोह की शुरुआत करेंगे मोदी

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को विज्ञान भवन में भारत के दो महानतम आध्यात्मिक और नैतिक नेताओं श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक, यह ऐतिहासिक वार्तालाप 12 मार्च, 1925 को महात्मा गांधी की यात्रा के दौरान शिवगिरी मठ में हुआ था, जो वैकोम सत्याग्रह, धर्मांतरण, अहिंसा, अस्पृश्यता उन्मूलन, मोक्ष प्राप्ति, दलितों के उत्थान आदि विषयों पर केंद्रित था। श्री नारायण धर्म संघम ट्रस्ट द्वारा आयोजित इस समारोह में आध्यात्मिक गुरु और अन्य सदस्य एक साथ आएंगे।

आस्था

संत ज्ञानेश्वर महाराज की पालकी जुलूस में भाग लेते हुए पुणे के निकट डाइव घाट को पार करते श्रद्धालु।

विकल्प चुनने की समयसीमा सितंबर तक बढ़ाई गई

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

वित्त मंत्रालय ने सोमवार को 'एकीकृत पेंशन योजना' के तहत सरकारी कर्मचारियों के विकल्प चुनने की समयसीमा को तीन महीने आगे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया।

एकीकृत पेंशन योजना

अभी तक मौजूदा सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों व मृतक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवनसाथी सहित पात्र कर्मचारियों को यूपीएस के तहत 30 जून, 2025 तक अपना विकल्प चुनना था। वित्त मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न हितधारकों से यह समयसीमा आगे बढ़ाने का अनुरोध मिला था। केंद्र ने यूपीएस के लिए विकल्प चुनने की अंतिम तिथि को तीन महीने बढ़ाकर सितंबर, 2025 करने का फैसला किया है। यूपीएस केंद्र सरकार के उन कर्मचारियों पर लागू होता है जो एनपीएस के दायरे में आते हैं और एक जनवरी, 2004 को लागू हुए एनपीएस के तहत इस विकल्प को चुनते हैं। सरकार के 23 लाख कर्मचारी यूपीएस और एनपीएस के बीच चयन करने के लिए विकल्प का इस्तेमाल कर सकते हैं। जनवरी, 2004 में समाप्त हो गई 'पुरानी पेंशन योजना' के तहत सेवानिवृत्त होने पर कर्मचारियों को उनके अंतिम आहरित मूल वेतन का 50 फीसद पेंशन के रूप में मिलता था। यूपीएस के संचालन की प्रभावी तिथि एक अप्रैल, 2025 होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 अगस्त, 2024 को यूपीएस को मंजूरी दी थी। ओपीएस के उलट यूपीएस प्रकृति में अंशदायी है जिसमें कर्मचारियों को अपने मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 फीसद योगदान करना होगा।

लेखांकन और जवाबदेही गहराई से जुड़े : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को कहा कि वहनीयता अब एक नारा नहीं बल्कि एक जरूरत बन चुकी है। राष्ट्रीय राजधानी में 'इंस्टीट्यूट आफ कास्ट अकाउंटेंट्स आफ इंडिया' के 12वें राष्ट्रीय छात्र दीक्षांत समारोह 2025 में राष्ट्रपति ने यह बात कही।

राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे पूरे इतिहास में समाज में लेखाकारों को उच्च सम्मान मिला है। मेरी राय में इसका कारण यह है कि लेखांकन और जवाबदेही गहराई से जुड़े हुए हैं। हम जवाबदेही को महत्व देते हैं, इसलिए हम

लेखांकन को विशेष महत्व देते हैं।

मुर्मू ने अपने भाषण में महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका पहुंचाने वाले अदालती मामले का भी उल्लेख किया, जो बहीखाता मामलों पर केंद्रित था।

केजरीवाल ने राज्यसभा जाने से किया इनकार

कहा- राजनीतिक समिति तय करेगी इस बारें में

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 23 जून।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि वह राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने यह बात पंजाब में लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में पार्टी से राज्यसभा के मौजूदा सदस्य संजीव अरोड़ा के जीतने के बाद कही।

अरोड़ा को राज्यसभा से इस्तीफा देना होगा। केजरीवाल ने उपचुनावों की जीत को 2027 का सेमीफाइनल भी बताया। केजरीवाल से संवाददाताओं ने जब पूछा कि पार्टी अरोड़ा की जगह किसे उम्मीदवार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं राज्यसभा नहीं जा रहा हूं। पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति तय करेगी कि किसे उम्मीदवार बनाया जाए।

आप के राज्यसभा सदस्य संजीव अरोड़ा को जैसे ही पंजाब के लुधियाना विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया तभी विपक्षी दलों ने दावा किया था कि आप प्रमुख केजरीवाल अरोड़ा की जगह उच्च सदन में जाएंगे। वहीं, केजरीवाल ने गुजरात और पंजाब विधानसभा उपचुनावों में पार्टी की जीत को 2027 के विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल करार दिया है।

उन्होंने कहा कि यह जीत इस बात का संकेत है कि जनता भाजपा और कांग्रेस दोनों से नाराज है और अब आम आदमी पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रही है। केजरीवाल ने कहा कि 2022 के मुकाबले इस बार हम दोगुने अंतर से जीते हैं। इससे पता चलता है कि पंजाब की जनता हमारी सरकार से संतुष्ट है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए केजरीवाल ने आरोप लगाया कि वह भाजपा के साथ मिलकर काम कर रही है और आप को हराने में मदद कर रही है।

ग्राम पंचायतों की मदद कर रहे आइआइएम व आइआइपीए

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

देश की ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने में देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम), अहमदाबाद और भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आइआइपीए), नई दिल्ली सहायता कर रहे हैं। इन दोनों संस्थानों ने पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से राजस्व सृजन पर आधारित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को दिन दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया।

आइआइएम व आइआइपीए ने पंचायतों द्वारा अपने संसाधनों से राजस्व सृजन पर आधारित प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण को दिन दिवसीय कार्यक्रम शुरू किया है।

उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों के लिए उनकी आत्मनिर्भरता को बढ़ाना है। उन्होंने आइआइएम अहमदाबाद की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि संस्थान ने एक जटिल लेकिन अत्यंत आवश्यक विषय पर गहन शोध और विचार-विमर्श के आधार पर उच्च गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण तंत्र तैयार किए हैं, जो ग्राम पंचायतों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यह तीन दिवसीय सुनियोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रतिभागियों को न केवल विषयवस्तु की गहरी समझ देगा, बल्कि उन्हें जमीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए सक्षम और प्रेरित भी करेगा। मंत्रालय में अपर सचिव सुशील कुमार लोहानी ने ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में स्वयं के स्रोतों से राजस्व सृजन को अत्यंत महत्त्वपूर्ण बताते हुए कहा कि यह विषय पंचायतों की वित्तीय स्वतंत्रता, कार्यक्षमता और दीर्घकालिक सशक्तीकरण से सीधे जुड़ा है।

तकनीक का प्रयोग कर जांच प्रक्रिया को आसान बनाएं समितियां : बिरला

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

संसदीय समितियों के कामकाज में तकनीक (डिजिटल टूल्स, डेटा एनालिटिक्स प्लेटफार्म और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) का उपयोग करें ताकि गहन जांच की जा सके और साक्ष्य-आधारित सिफारिशें की जा सकें।

सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसदीय समितियां गहन वाद-विवाद, रचनात्मक चर्चा और कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए महत्त्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती हैं। संसदीय समितियों का उद्देश्य विरोध करना या आरोप लगाना नहीं है, बल्कि नीतियों और सरकारी कामकाज की जांच करना तथा आम सहमति एवं विशेषज्ञतापूर्ण सिफारिशों के माध्यम से बेहतर शासन में योगदान देना है।

बिरला मुंबई में संसद और राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों की प्राक्कलन समितियों के सभापतियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

यथास्थिति पर सवाल उठाना बंद न करें छात्र : मल्होत्रा

कानपुर, 23 जून (भाषा)।

भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने सोमवार को भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर से जुड़ी अपनी यादें ताजा करते हुए कहा कि छात्र यथास्थिति पर सवाल उठाना बंद न करें और लगातार सीखते रहें, क्योंकि कर्म ही काफी हद तक परिणाम को तय करता है।

आइआइटी कानपुर के पूर्व छात्र मल्होत्रा ने कहा कि विश्वास ही वह बुनियाद है जिस पर कोई भी रिश्ता बनता है, चाहे वह शादी हो, दोस्ती हो या कार्यस्थल पर सीईओ एवं कर्मचारियों के बीच या किसी कंपनी एवं उपभोक्ताओं के बीच का रिश्ता हो। मल्होत्रा ने आइआइटी कानपुर के 58वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए इस संस्थान में बिताए अपने छात्र जीवन को याद किया। उन्होंने अपना रोल नंबर भी साझा किया।

सुविधा

जुलाई के दूसरे सप्ताह से होगी व्यवस्था

कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में कश्मीरी व्यंजन का लुत्फ

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

आइआरसीटीसी ने जुलाई के दूसरे सप्ताह से कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों को कश्मीरी शाकाहारी व्यंजन परोसने का निर्णय लिया है। आइआरसीटीसी के अतिरिक्त महाप्रबंधक आनंद कुमार झा ने बताया कि हम कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में स्थानीय व्यंजन परोसने की योजना पर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि यह जुलाई के दूसरे सप्ताह से शुरू हो जाएगी।

भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आइआरसीटीसी) के एक अधिकारी ने कहा कि जो लोग कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन में यात्रा के दौरान स्थानीय भोजन का स्वाद चखना चाहेंगे, उन्हें नाश्ते में अंबल कद्दू, बबरू, जम्मू पराठा और दोपहर के भोजन में पनीर चमन, कश्मीरी दम आलू और जम्मू राजमा जैसे लोकप्रिय स्थानीय व्यंजन परोसे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छह जून को श्रीनगर को देश के रेल नेटवर्क से जोड़ने वाली कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन किया। प्रीमियम ट्रेन में स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है और हमने कटरा-श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन के लिए एक विशेष योजना बनाई है। हमने नाथू, हालीडे इन, जेडब्लू मैरियट और आइटीसी जैसे सभी शीर्ष खाद्य पदार्थ विक्रेताओं और होटलों से बात की और सबसे लोकप्रिय स्थानीय व्यंजनों का चयन किया।

कश्मीरी व्यंजन के बारे में जानें

अंबल कद्दू मीठा और खट्टा डोगरा व्यंजन है, जो कि कद्दू से बना होता है। खासकर ये व्यंजन शादी समारोहों में भी परोसा जाता है। वहीं, बब्बरू एक तरह का भरवा पूरी जैसा नाश्ता है, जो पहाड़ी इलाकों में पसंद किया जाता है। इसके साथ ही वैसे यात्री को जो स्थानीय खाना पसंद नहीं करते, उनके लिए उपमा, पोहा और वेज कटलेट जैसे विकल्प भी उपलब्ध रहेंगे।

आइआरसीटीसी के अनुसार, अन्य नाश्ता और दोपहर के भोजन की चीजें, जैसे उपमा, पोहा, वेज कटलेट आदि भी उन यात्रियों के लिए विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी, जो स्थानीय व्यंजन का स्वाद नहीं लेना चाहते हैं।आइआरसीटीसी ने कहा कि उसने वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनों में स्थानीय भोजन का विकल्प उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पहले ही शुरू कर दी है।

खबर कोना

लंदन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का स्वागत करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किअर स्टार्मर।

पाक ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध एक महीने बढ़ाया

इस्लामाबाद, 23 जून (भाषा)।

पाकिस्तान के प्राधिकारों ने भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध को एक और महीने के लिए बढ़ाने की सोमवार को घोषणा की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद, दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने के मद्देनजर यह प्रतिबंध पहले 23 अप्रैल को एक महीने के लिए लगाया गया था। बाद में, इसे 23 मई को एक और महीने के लिए बढ़ा दिया गया था, जब चार दिनों के सैन्य टकराव के कारण संबंध खराब हो गए थे। भारत ने सात मई को 'आपरेशन सिंदूर' शुरू किया था और पीओके में आतंकी बुनियादी ढांचे को नष्ट कर दिया था। पाकिस्तान हवाई अड्डा प्राधिकरण द्वारा जारी 'नोटम' (नोटिस टू एयरमेन) के अनुसार, प्रतिबंध को 23 जून से बढ़ाकर 23 जुलाई तक कर दिया गया है। इसमें कहा गया है, 'पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय विमानों और भारतीय एयरलाइंस/आपरेटर द्वारा संचालित/स्वामित्व वाले या पट्टे पर लिए गए विमानों के लिए उपलब्ध नहीं है, जिसमें सैन्य उड़ानें भी शामिल हैं।'

श्रीलंका ने संघर्ष को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयास का आह्वान किया

कोलंबो, 23 जून (भाषा)।

श्रीलंका ने इजराइल-ईरान के बीच संघर्ष में तनाव कम करने के लिए सोमवार को कूटनीतिक प्रयास का आह्वान किया। इजराइल-ईरान के बीच जारी संघर्ष में अमेरिका के कूदने के बाद श्रीलंका ने ये आह्वान किया है। श्रीलंका के विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा, 'पश्चिम एशिया में हालिया घटनाक्रम को लेकर श्रीलंका बेहद चिंतित है। हम सभी पक्षों से तनाव कम करने के लिए ठोस कदम उठाने का आह्वान करते हैं।' मंत्रालय ने कहा, 'सभी संबंधित पक्षों को बातचीत की ओर लौटना चाहिए और पश्चिम एशिया क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए शांति स्थापित करने तथा उसे बनाए रखने के लिए गहन कूटनीतिक प्रयास करने चाहिए।' अमेरिका ने रविवार को ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करने के लिए उसके तीन परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर हमला किया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी सेना ने तीन परमाणु केंद्रों पर हमले को 'बेहद सफलतापूर्वक' अंजाम दिया।

यूक्रेन पर रूसी हमले में 10 लोग मारे गए, दर्जनों घायल हुए

कीव, 23 जून (एपी)।

यूक्रेन में रात में रूसी ड्रोन और मिसाइल से किए गए हमलों में कम से कम 10 लोग मारे गए। स्थानीय अधिकारियों ने कहा कि राजधानी कीव में सात लोगों की मौत की खबर है, जहां आपातकालीन दल आंशिक रूप से ढह गई एक इमारत के मलबे के नीचे फंसे लोगों को खोजने की मशक्कत कर रहे हैं। यूक्रेन की वायु सेना ने बताया कि रूस ने रात भर में 352 ड्रोन और छद्म हथियार दागे, साथ ही 11 बैलिस्टिक मिसाइल और पांच क्रूज मिसाइलें भी दागीं। एक बयान में कहा गया कि वायु रक्षा प्रणाली ने 339 ड्रोन और 15 मिसाइलों को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया या जाम कर दिया। यह हमला गत मंगलवार को यूक्रेन पर किए गए रूस के हमले के लगभग एक सप्ताह बाद हुआ है। एक सप्ताह पहले रूसी हमले में कीव में 28 लोग मारे गए थे, जिनमें से 23 लोग एक आवासीय इमारत में मारे गए थे।

ईरान ने दी खुली चेतावनी

अब सेना तय करेगी अमेरिका से बदले का वक्त और तरीका

संयुक्त राष्ट्र, 23 जून (एपी)।

ईरान ने कहा है कि अमेरिका ने देश के परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमला करके कूटनीति के रास्ते बंद करने का फैसला किया, अब उसके हमलों पर जवाबी कार्रवाई का वक्त, तरीका और इसका पैमाना क्या होगा इसके बारे में फैसला सेना करेगी।

वहीं ईरान पर इजराइल के हमलों में कम से कम 950 लोग मारे गए हैं और 3,450 अन्य घायल हुए हैं। अमेरिका के मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स' ने ये जानकारी दी है। यह संगठन ईरान में इस तरह के मामलों में हताहतों के आंकड़े जुटाता है। संगठन ने कहा कि मरने वालों में 380 नागरिक और सुरक्षा बल के 253 जवान शामिल हैं।

संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावनी ने रविवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक में कहा कि ईरान ने अपने तीन परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिकी हमलों के बाद कहा कि ईरान ने युद्धोन्मादी अमेरिकी शासन को बार-बार चेतावनी दी थी कि वह इस दलदल में न फंसे। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले करके कूटनीति के रास्ते बंद करने का निर्णय लिया तथा अब ईरान की सेना यह निर्णय करेगी कि जवाबी कार्रवाई कब की जाएगी और इसकी प्रकृति कैसी होगी तथा इसे कैसे अंजाम दिया जाएगा। ईरानी राजदूत ने बैठक में कहा, 'हम सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।'

इरावनी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पश्चिम के 'घृणित कृत्य' कराने में सफल हो गए और कहा कि इससे अमेरिका एक और निराधार युद्ध में फंस गया है।

ईरान के सेना प्रमुख जनरल अमीर हातमी शीर्ष अधिकारियों के साथ युद्ध की रणनीति पर चर्चा करते हुए।

'ईरान के परमाणु केंद्रों पर अमेरिकी हमले खतरनाक मोड़ का संकेत'

एंतोनियो गुतारेस

संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंतोनियो गुतारेस ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षा परिषद के एक आपातकालीन सत्र में कहा कि ईरान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमेरिका की बमबारी क्षेत्र में एक खतरनाक मोड़ का संकेत है।

'दुनिया सुनिश्चित करे कि ईरान फिर कभी परमाणु खतरा न बने'

संयुक्त राष्ट्र, 23 जून (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि ईरान के तीन परमाणु केंद्रों पर अमेरिका के हमलों ने 'विश्व के समक्ष मौजूद अस्तित्व के खतरे को समाप्त कर दिया है।'

डैनन ने कहा कि इजराइल ने ईरान को कई साल दिए लेकिन वह नहीं माना इसलिए इजरायल ने कदम उठाया और 'जब दुनिया परमाणु आपदा के मुहाने पर खड़ी थी तब अमेरिका आगे आया।' उन्होंने कहा कि अब दुनिया को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ईरान फिर कभी परमाणु खतरा न बने।

अमेरिका ने ईरान को सैन्य कार्रवाई नहीं बढ़ाने की दी चेतावनी

संयुक्त राष्ट्र, 23 जून (एपी)।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत डोर्थी शी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी को दोहराते हुए कहा कि 'अमेरिकियों या अमेरिकी सैन्य अड्डों के खिलाफ ईरान के किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमले का जवाब सख्ती से दिया जाएगा।'

उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इजराइल और अमेरिकी नागरिकों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है ताकि ईरान को परमाणु हथियार प्राप्त करने से रोका जा सके क्योंकि ईरान ने अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम के बारे में 'भ्रामक' बातें फैलाईं।

ट्रंप ने ईरान में तख्तापलट की संभावना का दिया संकेत

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के परमाणु केंद्रों पर हमले के बाद अब तेहरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना के बारे में भी विचार कर रहे हैं। ट्रंप ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर तेहरान अमेरिकी बलों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस पर और हमले किए जाएंगे।

ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना के बारे में भी विचार किया है जबकि उनके प्रशासन के अधिकारियों ने पहले संकेत दिया था कि वे ईरान के साथ वार्ता फिर से शुरू करना चाहते हैं। यह पहली बार है जब ट्रंप ने तेहरान में शासन परिवर्तन का विचार पेश किया है, जब से इजरायल ने दस दिन पहले इस्लामी देश के खिलाफ अपना हमला शुरू किया है और संयुक्त राज्य अमेरिका फोर्डो, इस्फ़हान और नतांज पर हमले कर-के तेल अवीव के हमले में शामिल हो गया है।

ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर तेहरान अमेरिकी बलों के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उस पर और हमले किए जाएंगे।

अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म 'ट्रुथ सोशल' पर एक पोस्ट में ट्रंप ने लिखा, 'शासन परिवर्तन' शब्द का इस्तेमाल करना राजनीतिक रूप से सही नहीं है, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी शासन ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है, तो शासन परिवर्तन क्यों नहीं होगा? लेकिन ट्रंप का यह पोस्ट उनके प्रशासन के बाकी सदस्यों के रुख से पूरी तरह अलग है, जिन्होंने पिछले हफ़्ते इस बात पर ज़ोर दिया है कि अमेरिका का लक्ष्य तेहरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है।

ईरान ने मोसाद का जासूस होने के शक में व्यक्ति को फांसी दी

नई दिल्ली, 23 जून (ब्यूरो)।

इजराइल की ओर से ईरान पर हमले के बाद से ईरान ने मोसाद के जासूस होने के आरोप में एक और व्यक्ति को सोमवार को फांसी पर लटका दिया।

मोसाद का जासूस होने के आरोप में फांसी देने का यह तीसरा मामला है। सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि ईरान में और अधिक लोगों को फांसी दी जाएगी, विशेष रूप से तब जब वहां के शासन ने जासूसी कर रहे लोगों को रविवार तक खुद ही आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है।

न्यायपालिका से जुड़ी समाचार एजंसी मिजान ने फांसी पर लटकाए गए व्यक्ति की पहचान मोहम्मद अमीन महदावी शायेस्तेह के रूप में की है। मानवाधिकार संगठन 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ने पूर्व में शायेस्तेह का मामला उठाया था और कहा था कि उसे ईरान के अल्बोरज प्रांत की गेजल हेसर जेल में रखा गया है। रविवार को ईरान ने एक अन्य व्यक्ति माजिद मोसायेबी को फांसी पर लटका दिया था और फांसी दिए जाने के बाद ही इसकी जानकारी सार्वजनिक की गई थी। इससे पहले 16 जून को ईरान ने इस्माइल फेकरी को फांसी पर लटका दिया था।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को डर है कि ईरान में और अधिक लोगों को फांसी दी जाएगी, विशेष रूप से तब जब वहां के शासन ने जासूसी कर रहे लोगों को रविवार तक खुद ही आत्मसमर्पण करने की चेतावनी दी है।

वापसी ईरान से दिल्ली हवाई अड्डे पर रविवार देर रात पहुंचने पर भारतीय नागरिकों का स्वागत करते विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा।

इजराइल से 443 भारतीयों का दूसरा जत्था जार्डन व मिस्र के रास्ते रवाना

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

इजराइल से बाहर निकाले गए 443 भारतीय नागरिकों का दूसरा जत्था सोमवार को 175 और 268 लोगों के दो समूहों में जार्डन और मिस्र के रास्ते स्वदेश के लिए रवाना हुए। आपरेशन सिंधु के तहत ईरान से अब तक 2000 से अधिक भारतीय वापस लाए जा चुके हैं।

इसी के साथ इजराइल से दो दिनों में निकाले गए भारतीयों की कुल संख्या 603 हो गई है। जार्डन के लिए 160 लोगों का पहला जत्था रविवार को रवाना हुआ था जहां से वे सोमवार को स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:15 बजे विमान में सवार हुए। यह जानकारी विमान पर सवार एक व्यक्ति ने प्रस्थान से पहले एजंसी को दी। इजराइल की सीमा पार करने वाले 443 लोग सोमवार को जार्डन और मिस्र से उन दो अलग-अलग विमानों में सवार होंगे जिनका प्रबंध विदेश मंत्रालय ने उन देशों में भारतीय मिशनों के समन्वय से किया है।

नई दिल्ली और तीनों मिशनों के बीच जटिल और समन्वित प्रयास ने इजराइल में भारतीयों को बड़ी राहत दी है। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने निकासी प्रयास के सभी पहलुओं की देखरेख के लिए पिछले सप्ताह सातों दिन 24 घंटे काम करने वाला एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया था। नियंत्रण कक्ष ने सलाह जारी कर, भारतीय नागरिकों को एक आनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करने का निर्देश दिया और भारतीय नागरिकों की विस्तृत जानकारी जुटाई।

ईरान को लेकर वाइट हाउस ने डेमोक्रेट सदस्यों को नहीं दी जानकारी

ट्रंप की रणनीति से कांग्रेस में विभाजन का खतरा

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 23 जून।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिकी कांग्रेस से पूरी तरह परामर्श किए बिना ईरान के परमाणु केंद्रों पर सैन्य हमला करने के निर्णय ने देश की संसद में विभाजन और बढ़ाने का जोखिम पैदा कर दिया है। यह इसलिए भी जोखिम वाला माना जा रहा है क्योंकि वाइट हाउस ने डेमोक्रेट सदस्यों को सूचित नहीं किया लेकिन शीर्ष रिपब्लिकन नेताओं को हमले की पहले से ही जानकारी दे दी थी।

प्रतिनिधि सभा (हाउस आफ रिप्रजेंटेटिव) के स्पीकर माइक जानसन, सीनेट के रिपब्लिकन नेता जान थून और सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी के रिपब्लिकन अध्यक्ष को कार्रवाई से पहले जानकारी दी गई थी, लेकिन उनके समकक्षों को सूचित नहीं किया गया। सीनेट के डेमोक्रेटिक नेता चक शूमर को हमलों के सार्वजनिक होने से कुछ समय पहले व्हाइट हाउस द्वारा औपचारिक रूप से जानकारी दी गई थी। वहीं, ट्रंप द्वारा हमले की घोषणा किए जाने से पहले प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफ्रीज के कार्यालय को एक 'शिष्टाचार कॉल' किया गया।

घटनाक्रम की जानकारी रखने वाले दो सूत्रों ने बताया कि तथाकथित 'गैंग आफ 8' कांग्रेस और खुफिया नेताओं को मिशन से पहले सूचित नहीं किया गया था। हाउस इंटेलिजेंस कमेटी के शीर्ष डेमोक्रेट जिम हिम्स ने कहा कि उन्हें सोशल मीडिया पर हमलों के बारे में पता चला। उन्होंने कहा कि 'खुफिया समिति के वरिष्ठ सदस्य के लिए यह एक असहज बात है'।

ट्रंप को इस सप्ताह कांग्रेस में सीनेटर टिम कैन के युद्ध शक्तियों संबंधी प्रस्ताव पर मतदान का सामना करना पड़ेगा। इस प्रस्ताव में 'इस्लामिक रिपब्लिक आफ ईरान के खिलाफ अमेरिका के सशस्त्र बलों को हटाने का निर्देश होगा, जिन्हें कांग्रेस द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है।

'वार पावर्स एक्ट' क्या है

1973 में अमेरिका में एक कानून पास हुआ था जिसे वार पावर्स रिजोल्यूशन, या आमतौर पर वार पावर्स एक्ट के रूप में जाना जाता है। यह एक संघीय कानून है जिसका उद्देश्य कांग्रेस की मंजूरी के बिना अमेरिकी सैन्य बलों को सशस्त्र संघर्ष में शामिल करने के राष्ट्रपति के अधिकार की जांच करना है। इसे कांग्रेस द्वारा वियतनाम युद्ध (1955-75) और विशेष रूप से, राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन द्वारा कंबोडिया पर गुप्त बमबारी की सीधी प्रतिक्रिया के रूप में पास किया गया था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और पूरे अमेरिका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे।

अमेरिका में युद्ध की घोषणा कौन कर सकता है

अमेरिकी संविधान युद्ध शक्तियों को विधायी और कार्यकारी शाखाओं के बीच बांटता है। यानी कानून बनाने वालों (कांग्रेस) और कानून लागू करने वालों (राष्ट्रपति प्रशासन) के बीच। अनुच्छेद-1, धारा 8 के तहत, कांग्रेस के पास युद्ध की घोषणा करने, सेनाओं को खड़ा करने और वित्त पोषित करने और सशस्त्र बलों को विनियमित (रेगुलेट) करने की शक्ति है। अनुच्छेद-2 राष्ट्रपति को कमांडर-इन-चीफ के रूप में नामित करता है, जो सेना का नेतृत्व करने और आपात स्थिति का जवाब देने के लिए कार्यकारी अधिकार प्रदान करता है। इस बंटवारे का उद्देश्य सरकार की किसी एक हिस्से द्वारा युद्ध के बारे में एकतरफा निर्णयों को रोकना था।

क्या कोई राष्ट्रपति कांग्रेस की मंजूरी के बिना हमला कर सकता है

वार पावर्स एक्ट के तहत, यदि राष्ट्रपति अमेरिकी सैनिकों को युद्ध में या संघर्ष के निकट भेजता है, तो उन्हें 48 घंटों के भीतर कांग्रेस को बताना होगा। इसके बाद राष्ट्रपति बिना कांग्रेस की मंजूरी के 60 दिनों तक सेना को वहां रख सकते हैं। लेकिन यदि कांग्रेस हरी झंडी नहीं देती है, तो राष्ट्रपति के पास सैनिकों को बाहर निकालने के लिए 30 दिन और हैं, यानी आधिकारिक अनुमति के बिना अधिकतम 90 दिन हैं।

आखिरी बार युद्ध की घोषणा कब

आखिरी बार अमेरिका ने औपचारिक रूप से युद्ध की घोषणा 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बुल्गारिया, हंगरी और रोमानिया के खिलाफ की थी। तब से, अमेरिका औपचारिक घोषणाओं के बिना, कोरिया, वियतनाम, खाड़ी युद्ध, अफगानिस्तान और इराक सहित कुछ घातक युद्धों में शामिल हो गया है।

बिना घोषणा किए अमेरिका युद्ध में कैसे उतर जाता है

बिना कांग्रेस की अनुमति के अमेरिका सैन्य बल के उपयोग के लिए प्राधिकरण का उपयोग करता है। यह खास सैन्य कार्रवाइयों की अनुमति देने के लिए कांग्रेस द्वारा पारित कानून है और इसकी मदद से अमेरिका अक्सर युद्ध की औपचारिक घोषणाओं को नजरअंदाज करके युद्ध में शामिल हुआ है।

'नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फार स्पेस स्टडीज' की रपट | **अध्ययन** | ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कारण गर्मी में वृद्धि

वैश्विक तापमान वृद्धि से बादलों के स्वरूप में बदलाव

मेलबर्न, 23 जून (एजंसी)।

किसी भी समय, पृथ्वी की सतह का लगभग दो-तिहाई हिस्सा बादलों से ढका होता है। कुल मिलाकर, वे धरती को अधिक ठंडा बनाते हैं जो उनके बिना नहीं हो सकती। लेकिन जैसे-जैसे पृथ्वी गर्म होती जा रही है जो मुख्य रूप से जीवाश्म ईंधन जलाने से वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसों के स्तर में वृद्धि के कारण होता है, बादलों के स्वरूप में भी बदलाव हो रहा है। इससे ग्रीनहाउस उत्सर्जन के कारण गर्मी में वृद्धि हो रही है, और बादलों के पैटर्न बदल रहे हैं।

पिछले कुछ वर्षों में, दुनिया का औसत तापमान जलवायु वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। 'नासा गोडार्ड इंस्टीट्यूट फार स्पेस स्टडीज' के नेतृत्व में हमारे नवीनतम अनुसंधान में, हमने दिखाया कि बादलों के स्वरूप में बदलाव ने तापमान वृद्धि में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

बादल सूरज की रोशनी को जमीन तक पहुंचने से पहले वापस अंतरिक्ष में परावर्तित करके पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करते हैं। लेकिन सभी बादल समान नहीं होते। चमकदार, सफेद बादल सूरज की ज्यादा रोशनी को परावर्तित करते हैं - खासतौर पर जब वे भूमध्य रेखा के करीब होते हैं, ये पृथ्वी के वो हिस्से हैं जहां सबसे ज्यादा धूप आती है। वहीं भूरे और बिखरे हुए बादल कम सूरज की रोशनी को परावर्तित करते हैं, जैसा कि ध्रुवों के करीबी बादल करते हैं जहां कम रोशनी पड़ती है। पिछले साल प्रकाशित शोध से पता चला है कि पृथ्वी ग्रीनहाउस प्रभाव की तुलना में अधिक सूर्य प्रकाश को अवशोषित कर रही है।

चमकीले बादल क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं

हमारा नया अध्ययन दिखाता है कि क्या हो रहा है। अत्यधिक परावर्तक बादलों से आच्छादित क्षेत्र सिकुड़ रहे हैं। साथ ही, बिखरे हुए, कम परावर्तक बादलों वाले क्षेत्र बढ़ रहे हैं। इसका शुद्ध प्रभाव यह है कि सूर्य के प्रकाश से अतिरिक्त ऊर्जा पृथ्वी की सतह तक पहुंच रही है। यहां इसे अवशोषित किया जाता है, जिससे अतिरिक्त गर्मी होती है। हमने अत्यधिक परावर्तक बादलों के गुणों में परिवर्तन के प्रभाव को भी देखा, जो वायुमंडल में वायु प्रदूषण की मात्रा में परिवर्तन जैसी चीजों के कारण होता है। हालांकि, हमने पाया कि ये प्रभाव क्षेत्र में परिवर्तन के प्रभाव से बहुत छोटे हैं। पृथ्वी के वायु संबंधी पैटर्न भूमध्य रेखा के पास उठने वाली गर्म हवा और धरती के घूमने से प्रेरित होते हैं।

स्थानीय मौसम प्रणाली

जो बादलों के स्थान और प्रकार को निर्धारित करती हैं - इन प्रमुख, बड़े पैमाने वाली पवन प्रणालियों पर निर्भर करती हैं। 'ग्लोबल वार्मिंग' के परिणामस्वरूप वायुमंडल में प्रमुख परिसंचरण पैटर्न बदल रहे हैं। हमने पाया कि इन प्रमुख पवन प्रणालियों के किनारों पर बादलों की अधिकांश क्रियाएं हो रही हैं। भूमध्य रेखा के पास के क्षेत्र में अत्यधिक परावर्तन वाले बादल घट रहे हैं, जिसे अंतर-उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहा जाता है, और दो अन्य बैंड भी हैं जिन्हें 'स्टार्म ट्रैक' कहा जाता है, जो 30 से 40 डिग्री अक्षांश के बीच स्थित हैं। संक्षेप में कहें तो ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि से प्रेरित ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी पर प्रमुख पवन प्रणालियों को बदल देती है।

खबर कोना

अमेरिका : एनबीए फाइनल के सातवें खेल में ओक्लाहोमा सिटी थंडर के खिलाफ इंडियाना पेसर्स के एंड्रयू नेमहार्ड गेंद को गोल पोस्ट की ओर ले जाते हुए।

सेशेल्स मुक्केबाजी टूर्नामेंट में भारत पदक तालिका में शीर्ष पर

माहे, 23 जून (भाषा)।

भारतीय मुक्केबाजों ने यहां सेशेल्स नेशनल डे मुक्केबाजी टूर्नामेंट में तीन स्वर्ण सहित कुल सात पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। स्वर्ण पदक के अलावा भारतीय मुक्केबाजों ने तीन रजत और एक कांस्य पदक भी जीता और पैराडाइज एरेना में मॉरीशस से एक पदक अधिक हासिल किया। हिमांशु शर्मा (50 किग्रा) ने वॉकओवर के जरिए स्वर्ण पदक हासिल किया, जबकि आशीष मुदशानिया (55 किग्रा) ने फाइनल में 4-1 के खंडित फैसले से जीत दर्ज की। गौरव चौहान ने 90 किग्रा से अधिक वर्ग के तनावपूर्ण फाइनल में अपना धैर्य बनाए रखा। अनमोल (60 किग्रा), आदित्य यादव (65 किग्रा) और नीरज (75 किग्रा) तीनों को संघर्षपूर्ण फाइनल में अच्छे प्रदर्शन के बावजूद समान 2-3 के खंडित फैसले से हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा।

मैनचेस्टर सिटी ने क्लब विश्व कप में अल ऐन को 6-0 से हराया

अटलांटा, 23 जून (एपी)।

इल्के गुंडोगन के दो गोल और एरलिंग हालैंड के पेनल्टी पर किए गए गोल की मदद से मैनचेस्टर सिटी ने रविवार रात खेले गए मैच में अल ऐन को 6-0 से करारी शिकस्त देकर क्लब विश्व कप फुटबाल टूर्नामेंट के नाकआउट दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। इस सत्र में अपना अभियान पटरी पर लाने की कवायद में लगे मैनचेस्टर सिटी की तरफ से क्लाउडियो एचेवेरी, आस्कर बाब और रेयान चेर्की ने भी गोल किए। मैनचेस्टर सिटी इस सत्र में इंग्लिश प्रीमियर लीग में तीसरे स्थान पर रहा था जबकि यूईएफए चैंपियंस लीग के नाकआउट प्लेआफ में रियाल मैड्रिड से हार गया था।

मोरक्को में दूसरे स्थान पर रहे भारतीय गोल्फर करणदीप कोचर

माराकेच, 23 जून (भाषा)।

भारतीय गोल्फर करणदीप कोचर ने अंतिम दौर में बोगी मुक्त सात अंडर 65 का स्कोर बनाया, लेकिन वह फिलिपींस के एड्रिक चान से एक स्ट्रोक पीछे रह गए। पेशेवर खिलाड़ी के रूप में भारत से बाहर अपनी पहली जीत की तलाश में लगे कोचर ने समानाह गोल्फ क्लब में 70-67-69-65 राउंड के साथ 17 अंडर का स्कोर बनाया, जबकि चान ने अंतिम राउंड में सात अंडर 65 का कार्ड खेला और आखिर में उनका कुल स्कोर 18 अंडर रहा। भारत के अन्य खिलाड़ियों में अजीतेश संधू संयुक्त 13वें, खलिन जोशी संयुक्त 34वें, राहिल गंगजी संयुक्त 43वें, अर्जुन शर्मा संयुक्त 45वें और अमन राज संयुक्त 51वें स्थान पर रहे।

ऋषभ पंत व केएल राहुल के शतक से भारत ने 304 रन की बढ़त ली

लीड्स, 23 जून (भाषा)।

सलामी बल्लेबाज केएल राहुल (नाबाद 120 रन) और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत (118 रन) से शतकों से भारत ने सोमवार को इंग्लैंड के खिलाफ पांच मैचों की एंडरसन-तेंदुलकर ट्राफी के पहले टेस्ट मैच के चौथे दिन चाय तक दूसरी पारी में चार विकेट पर 298 रन बनाकर 304 रन की बढ़त बना ली।

पंत इस टेस्ट मैच की दोनों पारियों में सैकड़ा जड़ने वाले खेल के इतिहास में दूसरे विकेटकीपर बन गए। उन्होंने शतकीय पारी के दौरान 140 गेंद का सामना करते हुए 15 चौके और तीन छक्के जमाए। पंत ने एक रन लेकर 130 गेंद में अपना आठवां शतक पूरा करते ही जिम्बाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर के बाद एक मैच की दोनों पारियों में 100 रन बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बने। चाय के ब्रेक तक करुण नायर चार रन बनाकर राहुल के साथ डटे हुए थे।

भारत ने सुबह के सत्र में कप्तान शुभमन गिल (8) के रूप में एक विकेट गंवाया। इसके बाद राहुल और पंत ने चौथे विकेट के लिए 195 रन की भागीदारी निभाकर टीम को मजबूत स्कोर की तरफ बढ़ाया। पहले सत्र में पंत ने हालांकि अपनी आक्रामक खेलने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाई लेकिन लंच के बाद तेवर बदलकर मैच में अपना दूसरा शतक पूरा किया। उन्होंने पहली पारी में 134 रन बनाए थे। शतक जड़ने के बाद भी पंत ने यही लय जारी रखी और शोएब बशीर की गेंद पर लांग ऑन में जाक क्राउली के हाथों कैच आउट हो गए। पंत इंग्लैंड में एक टेस्ट मैच में दो शतक बनाने वाले पहले भारतीय भी बन गए। भारत ने बादलों और हवा भरी सुबह में दो विकेट पर 90 रन से खेलना शुरू किया लेकिन शुरूआत अच्छी नहीं रही। सात गेंद ही डाली गई थीं कि पहली पारी के शतकवीर गिल अपने निजी स्कोर में दो रन जोड़ने के बाद आउट हो गए जिन्हें ब्रायडन कार्स ने गुडलेंथ गेंद पर आउट किया। पर राहुल और पंत ने बेहतरीन टाइमिंग और संयम से बल्लेबाजी की।

इसके अलावा इंग्लैंड के गेंदबाजों को पहले सत्र में और कोई सफलता नहीं मिली, हालांकि उन्होंने अपनी लाइन एवं लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को परेशान किया। गिल के आउट होने के बाद पंत क्रीज पर उतरे और उन्होंने हमेशा की तरह शानदार शॉट खेलते हुए तेज गेंदबाजों पर रन जुटाने का प्रयास किया।

इस दौरान उन्हें किस्मत का भी साथ मिला क्योंकि वह जिस तरह के शाट खेलना चाह रहे थे, उसे खेलने के लिए कनेक्ट नहीं कर पाए। पंत ने क्रिस वोक्स की गेंद पर शुरूआत की जो उनके बल्ले से लगकर स्लिप कार्डन के ऊपर से गई। फिर एक खराब शाट खेलने के बाद खुद से नाराज भी दिखे जिसे 'स्टंप माइक' में सुना जा सकता था और तभी इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रिव्यू लिया। पर अंपायर ने पंत के पक्ष में फैसला दिया।

एंडरसन-तेंदुलकर ट्राफी : पहला टेस्ट

पंत ने एक रन लेकर 130 गेंद में अपना आठवां शतक पूरा करते ही जिम्बाब्वे के महान खिलाड़ी एंडी फ्लावर के बाद एक मैच की दोनों पारियों में 100 रन बनाने वाले दूसरे विकेटकीपर बने।

लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ शतक लगाने के बाद जश्न मनाते भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत व केएल राहुल (दाएं)।

हाकी : अंतरराष्ट्रीय करिअर से ललित उपाध्याय ने संन्यास लिया

ललित ने ओलंपिक के अलावा 2016 में एशियाई चैंपियन ट्राफी व 2017 में एशिया कप में भारत की जीत में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई अन्य प्रतियोगिताओं में भी पदक जीते, जिनमें 2017 हाकी वर्ल्ड लीग फाइनल में कांस्य, 2018 चैंपियंस ट्राफी में रजत, एशियाई खेलों में कांस्य व एशियाई चैंपियंस ट्राफी में स्वर्ण शामिल हैं।

नई दिल्ली, 23 जून (भाषा)।

तोक्यो और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष हाकी टीम के सदस्य रहे अनुभवी फारवर्ड ललित उपाध्याय ने एक दशक से भी अधिक समय तक चले अपने शानदार अंतरराष्ट्रीय करिअर को अलविदा कह दिया है।

ललित ने 2014 में विश्व कप में अंतरराष्ट्रीय हाकी में पदार्पण किया था तथा ओलंपिक में दो पदक जीतना उनके करियर की सबसे बड़ी उपलब्धि रहीं। वह तोक्यो 2020 ओलंपिक में इतिहास रचने वाली टीम का महत्त्वपूर्ण हिस्सा थे। भारत ने तब लंबे समय के बाद ओलंपिक में पदक जीता था। भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक खेलों में फिर से कांस्य पदक जीता और ललित इस टीम का भी अभिन्न अंग थे।

ललित ने रविवार को बेल्जियम के खिलाफ एफआइएच प्रो लीग 2024-25 सत्र के यूरोपीय चरण के भारत के अंतिम मैच के तुरंत बाद सोशल मीडिया पर जारी की गई पोस्ट में अंतरराष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा की। उन्होंने कहा, 'यह सफर एक छोटे से गांव से शुरू हुआ, जहां संसाधन सीमित थे, लेकिन सपने असीम थे।' ललित ने लिखा, 'स्टिंग आपरेशन का सामना करने से लेकर एक बार नहीं बल्कि दो बार ओलंपिक पोडियम पर पहुंचने का यह सफर चुनौतियों, विकास और अविस्मरणीय गौरव से भरा रहा।'

उन्होंने कहा, '26 वर्षों के बाद अपने शहर से पहला ओलंपियन बनना ऐसी बात है जिसे मैं हमेशा पूरे सम्मान के साथ संजोकर रखूंगा।' गोल करने की अद्भुत क्षमता वाले ललित ने सीनियर स्तर पर भारत के लिए 183 मैच खेले, जिनमें 67 गोल किए। 31 वर्षीय खिलाड़ी ने भारतीय टीम के लिए अपना अंतिम मैच 15 जून को आस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था।

ललित के भारतीय हाकी में योगदान का जिक्र करते हुए हाकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप टिर्की ने कहा, 'ललित अपनी पीढ़ी के सबसे शानदार और समर्पित फारवर्ड में से एक रहे हैं। चाहे वह महत्त्वपूर्ण ओलंपिक मैच हो या लीग मैच, उन्होंने हमेशा भारतीय जर्सी को गर्व के साथ पहना और दिल से खेला।'

अलविदा

क्रिकेट से जुड़ी प्रगति और विकास के लिए पृथ्वी साव ने मुंबई की टीम छोड़ी

मुंबई, 23 जून (भाषा)।

भारतीय टीम से बाहर चल रहे बल्लेबाज पृथ्वी साव ने सोमवार को अपनी घरेलू टीम मुंबई से रिश्ता तोड़ दिया, जब मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) ने एक क्रिकेटर के रूप में प्रगति और विकास के लिए नई घरेलू टीम से अनुबंध करने के लिए उन्हें अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी किया। पृथ्वी पिछले कुछ समय से लाल गेंद की टीम से बाहर हैं लेकिन उन्होंने सफेद गेंद (सीमित ओवरों के प्रारूप) की क्रिकेट खेली है। हालांकि उनके मैदान के बाहर के अनुशासनात्मक मुद्दों ने मैदान पर उनके प्रदर्शन से अधिक सुर्खियां बटोरी हैं।

एमसीए ने पृथ्वी का पत्र मिलने और इसे स्वीकृति देने की पुष्टि की। एमसीए ने कहा, 'मुंबई क्रिकेट संघ सूचित करना चाहता है कि क्रिकेटर पृथ्वी साव ने आगामी घरेलू सत्र में पेशेवर खिलाड़ी के रूप में किसी अन्य राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए आग्रह किया था। इस पर विचार करने के बाद एमसीए ने एनओसी दे दिया।'

एमसीए सचिव अभय हडप ने कहा कि संघ पिछले कुछ वर्षों में पृथ्वी के योगदान की सराहना करती है। उन्होंने कहा, 'पृथ्वी साव एक असाधारण प्रतिभा है और उन्होंने मुंबई क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम उनके फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देते हैं।'

पच्चीस वर्षीय पृथ्वी ने एमसीए को भेजे पत्र में कहा कि वह मुंबई टीम में बिताए समय के लिए आभारी हैं लेकिन अब आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्होंने 2017 में मुंबई के लिए पदार्पण किया था। पृथ्वी ने कहा, मैं इस अवसर पर मुंबई क्रिकेट संघ (एमसीए) को ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूं।

क्रिकेट

अमेरिका : गोल्ड कप के ग्रुप स्टेज मैच में डोमिनिकन गणराज्य के एडरलिन रेयेस (दाएं) और सूरीनाम के लियो अबेना गेंद के लिए जूझते हुए।

मुकाबला

नीरज चोपड़ा ने कहा, 90 मीटर थ्रो का दबाव नहीं बना सकता

विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतना मेरा लक्ष्य

ओस्ट्रावा, 23 जून (भाषा)।

भारत के भाला फेंक के स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा नियमित रूप से 90 मीटर थ्रो करने का खुद पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहते हैं और इस सत्र के लिए उनका लक्ष्य तोक्यो में होने वाली विश्व चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल करना है।

चोपड़ा मंगलवार को यहां गोल्डन स्पाइक एथलेटिक्स प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उससे पहले वह काफी अच्छा महसूस कर रहे हैं। चोपड़ा ने पिछले हफ्ते पेरिस डायमंड लीग में 88.16 मीटर की थ्रो के साथ जूलियन वेबर को हरा कर जीत हासिल की थी। दो बार के ओलंपिक पदक विजेता ने कहा कि चेक गणराज्य के महान खिलाड़ी जान ज़ेलेजनी का कोच के रूप में साथ और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर उन्हें अच्छे परिणाम हासिल करने का पूरा भरोसा है। 27 वर्षीय खिलाड़ी ने दोहा में सत्र के शुरुआती डायमंड लीग प्रतियोगिता में अपने करिअर में पहली बार 90 मीटर की दूरी पार की थी और वह अपनी प्रगति से बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे बेहतरीन खिलाड़ी और कोच के साथ काम करके वाकई बहुत खुश हूं। तकनीक में थोड़ा और सुधार करने के बाद मैं इस साल पहले ही 90 मीटर फेंक चुका हूं। देखते हैं कि मैं अगली बार कब यह दूरी फिर से हासिल करूंगा लेकिन मैं तैयार हूं। हाल ही में हमने निम्बर्क में अच्छा अभ्यास किया इसलिए मैं यहां ओस्ट्रावा में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को लेकर आश्वस्त हूं।'

भाला फेंक स्पर्धा

विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप इस साल 13 से 21 सितंबर के बीच जापान की राजधानी में आयोजित की जाएगी। चोपड़ा मंगलवार को होने वाली इस प्रतियोगिता को लेकर काफी उत्साहित हैं।

नीरज ने कहा, मैं 90 मीटर के लिए खुद पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाना चाहता हूं पर मैं इसके लिए अपनी तरफ से पूरे प्रयास करूंगा।

रियाल मैड्रिड ने क्लब विश्व कप में पचुका को 3-1 से हराया

चार्लोट, 23 जून (एपी)।

रियाल मैड्रिड ने अधिकतर समय 10 खिलाड़ियों के साथ खेलने के बावजूद जूड बेलिंगहैम और अर्डा गुलर के पहले हाफ में किए गए गोल की मदद से क्लब विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच में पचुका को 3-1 से हरा दिया।

रविवार रात को खेले गए मैच के सातवें मिनट में डिफेंडर राउल एसेनसियो को रेड कार्ड मिला, जिसके कारण उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा। इसके बाद रियाल मैड्रिड को शेष मैच 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना पड़ा। इससे हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि रियाल मैड्रिड ने मैक्सिको के क्लब पर शुरू से लेकर आखिर तक पूरा दबदबा बनाए रखा और ज़ाबी अलोंसो को इस स्पेनिश क्लब के कोच के रूप में पहली जीत दिलाई। रियाल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर किलियन एमबाप्पे बीमार होने के कारण क्लब विश्व कप के दोनों मैच नहीं खेल पाए।

वह अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण चार्लोट नहीं जा पाए, लेकिन टीम को उम्मीद है कि वह गुरुवार को साल्ज़बर्ग के खिलाफ़ होने वाले मैच तक पूरी तरह फिट हो जाएंगे।

फुटबाल

रियाल मैड्रिड के स्टार स्ट्राइकर किलियन एमबाप्पे बीमार होने के कारण क्लब विश्व कप के दोनों मैच नहीं खेल पाए। वह अस्पताल में भर्ती हैं, जिसके कारण चार्लोट नहीं जा पाए।

इंग्लैंड के खिलाफ पहली पारी में लिए थे पांच विकेट | **क्रिकेट** | **गेंदबाज ने कहा, कैच छोड़ने से सीख लेंगे खिलाड़ी**

लोगों को कहने दीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा : बुमराह

लीड्स, 23 जून (भाषा)।

जसप्रीत बुमराह के आलोचकों को लगता था कि अपने अजीबोगरीब गेंदबाजी एक्शन के कारण वह आठ से दस महीने के अंदर अर्श से फर्श पर आ जाएंगे लेकिन यह उनका आत्मविश्वास ही था जिससे यह भारतीय के गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक दशक पूरा करने में सफल रहा।

बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 83 रन देकर पांच विकेट लिए। टेस्ट मैचों में 14वीं बार पारी में पांच या इससे अधिक विकेट लेने के बाद उन्होंने अपनी सफलता का राज बताया। बुमराह से पूछा गया कि चोटिल होने के बाद हर बार उन्हें चुका हुआ मान लिया जाता है तो क्या उन्हें बुरा लगता है, उन्होंने कहा, 'लोगों को लगता था कि इन सभी वर्षों में मैं केवल आठ महीने खेलूंगा, कुछ ने कहा कि 10 महीने, लेकिन अब मैंने 10 साल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और 12-13 साल आइपीएल खेल लिया है।'

उन्होंने कहा, 'यहां तक कि अब भी लोग हर चोट के बाद कहते हैं कि वह आगे नहीं खेल पाएगा। उन्हें कहने दीजिए, मैं अपना काम करता रहूंगा। हर चार महीने में ये चीजें सामने आती रहेंगी, लेकिन जब तक ईश्वर की कृपा रहेगी, मैं खेलता रहूंगा।' बुमराह ने कहा, 'मैं अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ तैयारी करता हूं और फिर यह ईश्वर पर छोड़ देता हूं कि वह मुझ पर और कितना आशीर्वाद बरसाते हैं।'

इंग्लैंड को पहली पारी में बढ़त लेने से रोकने में अहम भूमिका निभाने वाले बुमराह ने कहा कि वह यहां लोगों की धारणा बदलने के लिए नहीं हैं। उन्होंने कहा, 'लोग क्या लिखते हैं, यह मेरे नियंत्रण से बाहर है और मैं लोगों को यह सलाह नहीं दे सकता कि वे मेरे बारे में क्या लिखें। अगर मेरे बारे में लिखने से उन्हें पाठक मिलते हैं तो इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है।'

मैच के बारे में बुमराह ने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ इसमें दरार पड़ सकती है। उन्होंने कहा, 'इस समय यह विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा है। यह थोड़ा सा दोहरी गति वाला है, विकेट में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मौसम के कारण, नई गेंद स्विंग करेगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप यही उम्मीद करते हैं। हम बड़ा स्कोर बनाकर उनके सामने मुश्किल लक्ष्य रखना चाहेंगे।'

भारत ने कई कैच छोड़ें, इस संदर्भ में बुमराह ने कहा, यह खेल का हिस्सा है। हमें इस बारे में सोचने के बजाय आगे के खेल पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। स्वाभाविक है कि अगर कैच लिए जाते तो अच्छा होता लेकिन खिलाड़ी इसी तरह से सीख लेते हैं।

यह विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा है

जसप्रीत बुमराह ने कहा कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है, लेकिन खेल आगे बढ़ने के साथ इसमें दरार पड़ सकती है। उन्होंने कहा, इस समय यह विकेट बल्लेबाजी के लिए बहुत अच्छा है। यह थोड़ा सा दोहरी गति वाला है, विकेट में कोई बड़ी समस्या नहीं है। मौसम के कारण, नई गेंद स्विंग करेगी, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में आप यही उम्मीद करते हैं।

राष्ट्रीय चयन ट्रायल तीन और चार में भाग लेंगे शीर्ष निशानेबाज

देहरादून, 23 जून (भाषा)।

भारत के शीर्ष निशानेबाज मंगलवार से यहां त्रिशूल शूटिंग रेंज में शुरू हो रहे ग्रुप ए राष्ट्रीय चयन ट्रायल तीन और चार में हिस्सा लेंगे।

ट्रायल अगस्त में कजाकिस्तान में होने वाली 16वीं एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप 2025 और सितंबर में चीन के निंगबो में होने वाले आइएसएसएफ विश्व कप के लिए भारतीय टीम का चयन करने में मदद करेंगे।

सुरुचि सिंह, म्यूनिख स्वर्ण पदक विजेता आर्य बोरसे और अर्जुन बबूता, ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर, सरबजोत सिंह और स्वप्निल कुसाले, मौजूदा विश्व कप पदक विजेता सौरभ चौधरी, रुद्राक्ष पाटिल, एलावेनिल वलारिवन, सिफत कौर सामरा, विजयवीर सिद्धू और चैन सिंह के साथ-साथ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर, संदीप सिंह, वरुण तोमर और किरण अंकुश यादव जैसे प्रमुख निशानेबाज ट्रायल का हिस्सा होंगे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. UPHIN/2007/21637, वर्ष 19 अंक 19
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए रमेश चंदर मल्होत्रा द्वारा प्रकाशित और मुद्रित। दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड प्रेस, सी-26, अमौसी इंडस्ट्रियल एरिया, लखनऊ से मुद्रित और 1/8, विवेक खंड, गोमती नगर, लखनऊ से प्रकाशित। फोनः (0522) 2391233, ई-मेलः jan.up@expressindia.com, फैक्सः (0522) 2391302,
बोर्ड अध्यक्ष : विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादकः मुकेश भारद्वाज* *पीआरपी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइटः दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।

कार्यालय वसूली अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
चौथी मंजिल, जीवन तारा भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001

आर.सी. सं. 220/2013 ई-नीलामी बिक्री सूचना दिनांक : 11.06.2025

पंजाब नैशनल बैंक बनाम मैसर्स काली ट्रेडर्स

मेरे आदेश दिनांक 11.06.2025 के अनुसार कथित वसूली प्रमाणपत्र पर 08.08.2025 को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री द्वारा अधोलिखित सम्पत्ति की बिक्री की जायेगी :-

यह नीलामी बिक्री वेबसाईट : https://www.bankeauctions.com पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।

नीलामी की तिथि एवं समय : 08.08.2025 को 03.00 बजे अप. से 04.00 बजे अप. (04 बजे अप. के बाद यदि जरूरी हुआ, 10 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ)

सम्पत्ति का विवरण

क्र.सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रू. में)	(ईएमडी)
1.	खसरा नं. 20/22 तथा 20/23 माप 1200 वर्ग गज, नंगली पूना, दिल्ली	रु. 2,04,00,000/-	रु. 20,40,000/-

नियम एवं शर्तें

1. यह नीलामी बिक्री वेबसाईट पोर्टल : **https://www.bankeauctions.com** पर "ऑन लाईन ई-नीलामी" होगी।
2. ज.ध.रा. "**वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली-खाता आर.सी. सं.** 220/2013 के पक्ष में डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर द्वारा जमा करनी होगी। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर ईएमडी के साथ पहचान की स्व-सत्यापित प्रति (वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट), जिसमें भविष्य में संचार के लिए पता होना चाहिए, तथा पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति, तथा कंपनी के मामले में, कंपनी के बोर्ड सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति या कंपनी के प्रतिनिधित्व/वकील की पुष्टि करने वाला कोई अन्य दस्तावेज, 06.08.2025 को शाम 4.00 बजे से पहले वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में अवश्य पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी या ईएमडी के मूल प्रमाण पर विचार नहीं किया जाएगा।
3. भेजने वाले के विवरण अर्थात पता, ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नम्बर आदि सहित एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ज.ध.रा. के भुगतान के मूल प्रमाण वाले लिफाफे पर "**आर.सी. सं. 220/2013**" लिखा जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री "**जैसा है जहां है**" आधार पर की जा रही है।
5. संविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संविदाएँ जमा करने तथा ई-नीलामी विक्रय की कार्यवाहियों में भाग लेने से पूर्व ई-नीलामी विक्रय के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** अवश्य देखें तथा/अथवा **श्री दीपक कुमार, सीएच बैंक के मुख्य प्रबंधक, मोबाइल: 7769988880 पर सम्पर्क करें।**
6. संभावित बोलीदाताओं को पोर्टल पर खुद को पंजीकृत करना होगा और ईएमडी जमा करने के बाद सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ पेट्रो केमिकल, प्लॉट नंबर, 301, पहली मंजिल, उद्योग विहार, फेज-वक्क गुड़गांव -122003, हरियाणा, **संपर्क व्यक्ति: श्री मिथलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर: 9582315830 ई-मेल आईडी: mithalesh.kumar@c1india.com तथा delhi@clindia.com support@bankauctions.com से लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो उपरोक्त ई-नीलामी में बोली लगाने के लिए अनिवार्य है।**
7. इच्छुक बोलीदाता ईएमडी जमा करने के बाद सी-1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, गल्फ पेट्रो केमिकल, प्लॉट नंबर, 301, पहली मंजिल, उद्योग विहार, फेज-II, गुड़गांव -122003, हरियाणा, **संपर्क व्यक्ति: श्री मिथलेश कुमार, सहायक प्रबंधक, मोबाइल नंबर: 7080804406 ई-मेल आईडी: mithalesh.kumar@c1india.com** तथा **delhi@clindia.com support@bankauctions.com** से ई-नीलामी प्रक्रिया का ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल वे बोलीदाता जिनके पास वैध यूजर आईडी और पासवर्ड होगा तथा जिन्होंने डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से ईएमडी का भुगतान किया होगा, वे ही ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
9. संभावित खरीदार 18.07.2025 **और** 19.07.2025 **को सुबह** 11.00 **बजे से** 16.00 **बजे तक साइट का निरीक्षण कर सकते हैं।**
10. इच्छुक बोलीदाता, जिन्होंने 06.08.2025 तक आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी बोलियां वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-वक्क दिल्ली के कार्यालय में जमा की हैं, वे 08.08.2025 को दोपहर 03.00 बजे से शाम 04.00 बजे तक होने वाली ई-नीलामी में भाग लेने के पात्र होंगे। यदि बोली नीलामी के समापन समय के अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है, तो समापन समय स्वचालित रूप से 5 मिनट के लिए बढ़ जाएगा।
11. बोलीदाताओं को रु. 2,00,000/- (रुपये दो लाख मात्र) के गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करना होगा।
12. असफल बोलीदाता ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही बंद होने पर तुरंत वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय से सीधे ईएमडी ले सकते हैं।
13. सफल/उच्चतम बोलीदाता को ईएमडी समायोजित करने के बाद बोली/बिक्री राशि के 25% के लिए डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर तैयार करना होगा, जो वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, खाता आरसी संख्या 220/2013 के पक्ष में अगले बैंक कार्य दिवस तक यानी शाम 04.00 बजे तक इस अधिकरण के साथ जमा करना होगा, ऐसा न करने पर ईएमडी जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल/उच्चतम बोलीदाता डिमांड ड्राफ्ट/पे ऑर्डर के माध्यम से वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-वक्क दिल्ली, खाता आरसी संख्या 220/2013 के पक्ष में, बिक्री आय का शेष 75% संपत्ति की नीलामी की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले, उस दिन को छोड़कर, या यदि 15वां दिन रविवार या अन्य अवकाश हो, तो 15वें दिन के बाद पहले कार्यालय दिवस पर 1,000 रुपये तक 2% की दर से पाउंडेज शुल्क और 1000 रुपये से अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से रजिस्ट्रार, डीआरटी-वक्क दिल्ली के पक्ष में जमा करना होगा। (शेष 75% राशि डाक के माध्यम से जमा करने की स्थिति में वह उपरोक्त अनुसार वसूली अधिकारी के पास पहुंच जानी चाहिए)। निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान में चूक होने की स्थिति में, बिक्री की नई घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। यदि हस्ताक्षरकर्ता उचित समझे तो बिक्री के व्ययों का भुगतान करने के पश्चात जमा राशि सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा चूककर्ता क्रेता संपत्ति अथवा उस राशि के किसी भाग पर सभी दावों को जब्त कर लेगा जिसके लिए इसे बाद में बेचा जा सकता है।
15. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह बिक्री की घोषणा को दस्ती, स्पीड पोस्ट, कूरियर के माध्यम से सीडी पर चिपकाकर तथा संपत्ति के प्रमुख भाग पर तथा उसके आसपास ढोल बजाकर तानकर प्रस्तुत करे तथा इसकी एक प्रति अधिकरण के नोटिस बोर्ड पर लगाई जाए।
16. बिक्री की घोषणा को अंग्रेजी के साथ-साथ स्थानीय भाषा में भी समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाए, जिसका क्षेत्र में पर्याप्त व्यापक प्रचलन हो।
17. सीएचएफआई/सीएच बैंक को निर्देश दिया जाता है कि वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के प्रकाशन को प्रतिबंधित करे तथा प्रकाशन के मूल प्रूफ अगली सुनवाई की तिथि से पहले दाखिल किए जाएं।
18. अधोहस्ताक्षरी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या सभी बोलियों को अस्वीकार करने, यदि वह स्वीकार्य न हो, या किसी भी समय बिना कोई कारण बताए नीलामी स्थगित करने का अधिकार सुरक्षित है तथा इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

बेची जाने वाली सम्पत्ति का विवरण	सम्पत्ति अथवा इसके किसी भाग पर आकलित राजस्व	उस ऋणभार का विवरण जो सम्पत्ति पर बकाया है	दावे, यदि कोई हों, जिसे सम्पत्ति पर किया गया है, तथा इसकी प्रकृति और मूल्य पर कोई अन्य ज्ञात विवरण
खसरा नं. 20/22 तथा 20/23 माप 1200 वर्ग गज, नंगली पूना, दिल्ली	अज्ञात	अज्ञात	अज्ञात

(वात्सल्य कुमार)
वसूली अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

Bank of India
Relationship beyond banking

सम्पत्तियों की ई-नीलामी बिक्री सूचना : 25.07.2025
गाजियाबाद ज़ोन, बी-32, सैक्टर-62, नोएडा-201307
फोन: 0120-2404135

चल/अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस

परिशिष्ट - IV-A नियम 8(6) के प्रावधानों के तहत

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन, अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का रचनात्मक /भौतिक कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर दिनांक **25.07.2025** को (पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे) को बेचा जाएगा।
ईएमडी/दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि **25.07.2025 (अर्पा. 03.00 बजे तक)** है। इच्छुक खरीदार अपने नाम पोर्टल **https://baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर पंजीकृत करवाएंगे। और ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ईएमडी ऑनलाइन जमा करें।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में वर्णित है।

क्र. सं.	शाखा का नाम और खाता / कर्जदार का नाम	सम्पत्ति का विवरण और मालिक	बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण) कब्जे की स्थिति और तिथि	आरक्षित मूल्य / ईएमडी / बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि एवं समय	प्राधिकृत अधिकारी का नाम और मोबाइल नं./जिससे बोलीदाता शाखा प्रबंधक से संपर्क कर सकता है
1	बैंक ऑफ इंडिया – केशव नगर शाखा खाता – मेसर्स अल सबरा क्लॉथ हाउस, प्रोप. श्रीमती नजमा सलमानी पत्नी महराजुद्दीन	सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट सं. 23 (पश्चिमी भाग) का हिस्सा गली संख्या 7, खसरा संख्या 1265मी का हिस्सा, मोहल्ला– ईदगाह के पास मजीदपुरा, परगना–तहसील–जिला हापुड़, क्षेत्रफल 40.63 वर्ग मीटर यह सम्पत्ति नजमा सलमानी (बंधककर्ता) के नाम पर है। सीमाएँ: उत्तर–रास्ता 15 फीट चौड़ा, दक्षिण–संपत्ति ईदगाह की है, पूर्व–प्लॉट संख्या 3 का शेष भाग, अन्य से संबंधित पश्चिम–प्लॉट संख्या 12, अन्य से संबंधित	रु. **18,27,298.09** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **13.95** लाख रु. **1.39** लाख रु. **0.14** लाख	**25.07.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	ऋचा सिंह **8755094419**
2	बैंक ऑफ इंडिया – वजीराबाद रोड शाखा, खाता **i.)** मेसर्स काकू भाई प्रोप. श्रीमती शबाना आजमी **ii.)** श्री जुल्फिकार अली पुत्र हाजी दोस्त मोहम्मद	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि एफ–766, सेक्टर–3, वैशाली, गाजियाबाद यूपी, क्षेत्रफल 31.94 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री जुल्फिकार अली पुत्र हाजी दोस्त मोहम्मद (बंधककर्ता) के नाम पर है। सीमाएं: उत्तर–प्लॉट संख्या 765, दक्षिण–प्लॉट संख्या 767, पूर्व–प्लॉट संख्या 735, पश्चिम–40 फीट चौड़ी सड़क	रु. **26,85,297.34** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **60.80** लाख रु. **6.08** लाख रु. **0.61** लाख	**25.07.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	धमेश विज़ **7042733944**
3	बैंक ऑफ इंडिया – वजीराबाद रोड शाखा खाता – **i.)** श्री श्री प्रकाश तिवारी पुत्र रमा शंकर तिवारी **ii.)** श्रीमती रेणु तिवारी पत्नी श्री प्रकाश तिवारी	रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि सं. 4649/147–डी, खसरा सं. 185/1, गांव–चंद्रावली उर्फ शाहदरा, आबादी गली संख्या 6, न्यू मॉडर्न शाहदरा, दिल्ली, में 22.57 वर्ग मी. यह सम्पत्ति श्रीमती रेणु तिवारी पत्नी श्री प्रकाश तिवारी (बंधककर्ता) के नाम पर है। सीमाएं: उत्तर–सड़क, दक्षिण–अन्य संपत्ति, पूर्व–सड़क, पश्चिम–अन्य संपत्ति	रु. **5,80,559.30** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **28.88** लाख रु. **2.89** लाख रु. **0.30** लाख	**25.07.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	धमेश विज़ **7042733944**
4	बैंक ऑफ इंडिया – भंगेल एसएसआई शाखा खाता – **i.)** मेसर्स रवि पावर इंजीनियर्स प्रोप. शैलेंद्र सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह **ii.)** श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी शैलेंद्र सिंह	सम्पत्ति 1 – रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 90, राजीव कॉलोनी, भंगेल बेगमपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यूपी क्षेत्रफल 50.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति श्री शैलेंद्र सिंह पुत्र तेज बहादुर सिंह के नाम पर है। सीमाएं: उत्तर – प्लॉट नं. 63, दक्षिण – 12 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व – प्लॉट नं. 91, पश्चिम – प्लॉट नं. 89 सम्पत्ति 2 – रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि प्लॉट नं. 91–बी, राजीव कॉलोनी, भंगेल बेगमपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यूपी क्षेत्रफल 25.00 वर्ग गज, यह सम्पत्ति संयुक्त रूप से श्रीमती पुष्पा सिंह पत्नी शैलेन्द्र सिंह के नाम पर है। सीमाएं: उत्तर – प्लॉट नं. 64, दक्षिण – 12 फीट चौडी सड़क, पूर्व – प्लॉट नं. 91–ए, पश्चिम – प्लॉट नं. 90	रु. **37,99,253.21** + ब्याज और ब्याज की समाप्ति की तिथि से (उसके बाद जमा राशि को घटाकर यदि कोई हो) सांकेतिक कब्जा	रु. **38.16** लाख रु. **3.82** लाख रु. **0.39** लाख	**25.07.2025** को पूर्वा. 10.00 बजे से अर्पा. 05.00 बजे	अमित त्रिपाठी **9953094291**

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री / बोली केवल "ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया **https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) नीलामी की तिथि और समय : **25.07.2025 (सुबह 11:00 बजे से अर्पा 05:00 बजे तक** प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) धरोहर राशि जमा करने की अंतिम तिथि **25.07.2025 (अर्पा. 03.00 बजे तक)**
3) नीलामी आरक्षित मूल्य + पहले बोलीवृद्धि मूल्य जैसा कि बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित हैं, पर शुरू होगी। उपरोक्त सभी सम्पत्तियों के लिए बोलीदाता बैंक की वैबसाइट पर उल्लिखित गुणकों में अपनी बोली बढ़ाएँगे। संपत्तियों को आरक्षित मूल्य और प्रथम बोलीवृद्धि मूल्य से नीचे नहीं बेचा जाएगा।
4) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल **https://www.baanknet.com/eauction-psb/bidder-registration** पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाइन ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। खरीदार अपने केवाईसी दस्तावेज, फोन नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर जमा करें।
5) संपत्ति को सभी मौजूदा या भविष्य के भारों के साथ बेचा जाएगा (यदि कोई)। प्राधिकृत अधिकारी संपत्तियों पर किसी तीसरे पक्ष के अधिकारों / दावों या बकाया के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6) प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है। इच्छुक बोलीदाताओं को ऋणभार/संपत्तियों के शीर्षक, सांविधिक दायित्व/कर देयता/संपत्ति कर के बकाया आदि के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। वेबसाइट **www.baanknet.com** पर लॉग इन करके संपत्तियों को देखा जा सकता है। संपत्ति के भौतिक निरीक्षण के लिए प्राधिकृत अधिकारी से कार्य समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।
7) सफल बोलीदाता/क्रेता संपत्ति की खरीद पर देय बिक्री मूल्य के 1% की दर से टीडीएस सहित सभी करों को वहन करेगा (यदि बिक्री मूल्य रु. 50 लाख/– और अधिक है) और ऑनलाइन बिक्री करने के लिए सेवा प्रदाता को देय कर। साथ ही बिक्री प्रमाण पत्र के निष्पादन के लिए देय शुल्क जैसे स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क, आदि सफल बोलीदाता द्वारा वहन किया जाएगा।
8) असफल बोलीदाता ईएमडी की वापसी के लिए स्वयं **BANNKNET.COM** से संपर्क करेगा। ईएमडी की वापसी के लिए अधिकृत अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे।
9) प्राधिकृत अधिकारी/बैंक उच्चतम प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है और उसे किसी भी या सभी प्रस्तावों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई-नीलामी को स्थगित/ /रद्द करने या किसी भी स्तर पर बिना कोई कारण बताए नीलामी कार्यवाही से किसी भी संपत्ति या उसके हिस्से को वापस लेने का पूर्ण अधिकार है।
10) बिक्री प्रमाण पत्र केवल क्रेता/आवेदक के नाम पर जारी किया जाएगा और किसी अन्य नाम पर जारी नहीं किया जाएगा।
11) सफल बोलीदाता की बयाना राशि (ईएमडी) को आंशिक बिक्री प्रतिफल के रूप में रखा जाएगा। बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। सफल बोलीदाताओं को पहले से भुगतान की गई EMD सहित बिक्री मूल्य का 25%, अधिकृत अधिकारी द्वारा बोली मूल्य स्वीकार किए जाने के तुरंत बाद/अगले कार्य दिवसों की समाप्ति से पहले और बिक्री मूल्य का शेष बिक्री के 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। नीलामी बिक्री बैंक द्वारा पुष्टि के अधीन है। सफल बोलीदाताओं द्वारा राशि जमा करने में चूक करने पर पहले से जमा की गई पूरी राशि जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से नीलाम किया जाएगा और चूककर्ता बोलीदाताओं का संपत्ति/राशि के संबंध में कोई दावा/अधिकार नहीं होगा।
इच्छुक बोलीदाता जो वेबसाइट के साथ पंजीकृत होना चाहते हैं और ईएमडी जमा करना चाहते हैं और लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाने, डेटा अपलोड करने, बोली जमा करने, ई-बोली प्रक्रिया पर प्रशिक्षण आदि में सहायता की आवश्यकता हेतु ग्राहक सेवा से 8291220220 या **support.baanknet@psballiance.com** पर संपर्क कर सकते हैं और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रश्न के लिए प्राधिकृत अधिकारियों से उनके संबंधित फोन नंबरों पर या गाजियाबाद अंचल कार्यालय में 0120-2404135 पर संपर्क कर सकते हैं। बिक्री अधिकृत अधिकारियों द्वारा वेबसाइट **www.baanknet.com** पर उपलब्ध कराए गए ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाएगी।
नोटः सभी इच्छुक बोलीदाता 19.07.2025 से 21.07.2025 तक केवल कार्य घंटों के दौरान एओ /शाखा से संपर्क करने के बाद संपत्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते हैं / साइट पर जा सकते हैं और इसके बाद या उल्लिखित किसी भी पूर्व तिथि पर साइट विजिट के लिए कोई अनुरोध का स्वीकार नहीं किया जाएगा।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक **https://www.bankofindia.co.in** देखें।

दिनांक 23.06.2025, स्थान : गाजियाबाद — प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

तनावग्रस्त परिसंपत्ति प्रबंधन शाखा,
7वीं मंजिल, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066.
ई-मेल: zs8343@pnb.co.in

बिक्री सूचना
अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के साथ पठित

आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणी (ऋणियों) तथा जमानतदार (गारंटियों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक/प्रभारित हैं, जिनका रचनात्मक/भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा बैंक/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, उन्हें संबंधित ऋणी (ऋणियों) तथा जमानतदार (गारंटियों) से बैंकध्सुरक्षित ऋणदाता को देय बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित तिथि को "जहां है, जैसा है""जो है, जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि संबंधित संपत्तियों के सामने नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित अनुसार होगी।

सुरक्षित परिसंपत्तियों की अनुसूची

लॉट नं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / उधारकर्ता/गारंटर के खाते का नाम और पता	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरण/मालिक का नाम [संपत्ति(यों) के गिरवीकर्ता]	(ए) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत मांग सूचना की तारीख (बी) 31.07.2018 तक बकाया राशि (सी) सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(4) के तहत कब्जा तिथि (डी) कब्जे की प्रकृति (प्रतीकात्मक/भौतिक/रचनात्मक)	(ए) आरक्षित मूल्य (बी) ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) (सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय	सुरक्षित ऋणदाताओं को ज्ञात भारों का विवरण	अधिकृत अधिकारी का नाम और संपर्क नंबर
1	मेसर्स स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड मेसर्स स्टारलिट पावर सिस्टम्स लिमिटेड (उधारकर्ता) पताः गांव अट्टा, इंद्री रोड, तहसील नूह, जिला मेवात, हरियाणा – 122107 पता– ए–1/51, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110029 श्री सचिन श्रीधर (गारंटर) पताः ए–1/90, तृतीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110029 श्रीमती श्रुतिका श्रीधर (गारंटर) पताः ए–1\90, तृतीय तल, सफदरजंग एन्क्लेव, नई दिल्ली – 110029	संपत्ति नं. खसरा नंबर 2008/1490 ख/खाता नंबर 339/393, में शामिल है। गांव–थाना, होटल अन्नपूर्णा–मोर्पियन लैब्स रोड के दाईं ओर, बद्दी, जिला–सोलन हिमाचल प्रदेश **मालिकः** श्रुतिका श्रीधर **क्षेत्रफलः** 1 बीघा 15 बिस्वा(1316.87 वर्गमीटर)	(ए) 26.07.2022 (बी) 31.12.2022 तक 29.31 करोड़ रुपये (सी) 05.10.2024 (डी) प्रतीकात्मक	(ए) 1.74 करोड़ रुपये (बी) 17.40 लाख रुपये (30.07.2025) (सी) 1.00 लाख रुपये	30.07.2025 11:00 पूर्वाह्न से 02:00 अपराह्न तक	ज्ञात नहीं	श्री कमल अग्रवाल मोबाइल नं. 8100017032

ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें:

बिक्री सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों और निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अधीन होगीः (1) संपत्तियों को "जहां है, जैसा है" के आधार पर, "जो कुछ भी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जा रहा है। (2) उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित संपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस घोषणा में किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। (3) सुरक्षित संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा। पहली बोली आरक्षित मूल्य से अधिक किसी भी राशि पर शुरू होनी चाहिए। (4) बिक्री नीचे दिए गए नीलामी की तारीख और समय पर वेबसाइट **https://Baanknet.com** पर उपलब्ध ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा की जाएगी। (5) अधिक जानकारी और बिक्री की पूरी शर्तों के लिए, कृपया **https://Baanknet.com** और **www.pnbindia.in** देखें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांकः 23-06-2025, स्थानः नई दिल्ली — प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब नेशनल बैंक

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
.......भरोसे का प्रतीक (A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING) ...the name you can BANK upon!

आस्ति वसूली प्रबंधन शाखा, गाजियाबाद,
केजे-13, कविनगर, गाजियाबाद – 201001,
मो. : 9560155582, ई-मेल: cs8228@pnb.co.in

अचल सम्पत्तियों की ई-नीलामी हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई-नीलामी विक्रय नोटिस,

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित है, का सांकेतिक/वास्तविक कब्जा(नीचे वर्णित अनुसार), प्रतिभूत लेनदार पंजाब नेशनल बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, को "जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। बकाया राशि की वसूली, कर्जदार(रों) और गारंटर(रों), आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका के अनुसार

प्रत्याभूत परिसम्पत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / कर्जदार/गारंटर्स खाते का नाम एवं पता	(E) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना की तिथि (F) सरफासी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अंतर्गत कब्जा की तिथि (G) मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि (H) कब्जा की स्थिति सांकेतिक / भौतिक/रचनात्मक	अचल सम्पत्तियों का विवरण – बंधक/स्वामी के नाम (सम्पत्तियों के बंधककर्ता)	(A) आरक्षित मूल्य (B) ईएमडी (C) बोली वृद्धि राशि	नीलामी की तिथि एवं समय	प्रतिभूति लेनदार के संज्ञान में ऋण भारों का विवरण
1	**शाखा : आस्ति वसूली प्रबंधन (822800)** **प्रशांत कुमार पुत्र श्री रविंदर चौधरी (उधारकर्ता)** निवासी एस–1, द्वितीय तल (छत के अधिकार के साथ सामने की ओर) संपत्ति संख्या– 3/1301, सेक्टर–3, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी) – 201012 में स्थित **श्रीमती सुषमा चौधरी पत्नी श्री प्रशांत कुमार (सह–उधारकर्ता)** निवासी एस–1, द्वितीय तल (छत के अधिकार के साथ सामने की ओर) संपत्ति संख्या– 3/1301, सेक्टर–3, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी) – 201012, में स्थित	(E) 28.02.2025 (F) 13.05.2025 (G) रु. 36.47 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	आवासीय संपत्ति का संपूर्ण हिस्सा, एस–1, द्वितीय तल (छत के अधिकार के साथ सामने की ओर) संपत्ति संख्या– 3/1301, सेक्टर – 3, वसुंधरा, जिला गाजियाबाद (यूपी) – 201012, क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर में स्थित श्री प्रशांत कुमार पुत्र श्री रविंदर चौधरी और श्रीमती सुषमा चौधरी पत्नी श्री प्रशांत कुमार के नाम पर है। **(सांकेतिक कब्जा)**	(A) रु. 41.31 लाख (B) रु. 413100/- (C) रु. 20,000/-	**30.07.2025** पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं
2	**शाखा : आस्ति वसूली प्रबंधन (822800)** **शैलेंद्र कुमार सिंह पुत्र श्री गजेंद्र सिंह (उधारकर्ता)** **निवासीः** फ्लैट संख्या पी–401, तीसरी मंजिल (सुपर एमआईजी टाईप, बिना छत के अधिकार के) वृंदावन हाइट्स निर्मित, प्लॉट संख्या 20ए पर खसरा संख्या 892, 900, 953 मिन 954 मिन वृंदावन गार्डन, पासौंडा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001 **श्रीमती पायल सिंह पत्नी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह (सह–उधारकर्ता)** फ्लैट संख्या पी–401, तीसरी मंजिल (सुपर एमआईजी टाईप, बिना छत के अधिकार के) वृंदावन हाइट्स निर्मित, प्लॉट संख्या 20ए पर खसरा संख्या 892, 900, 953 मिन 954 मिन, वृंदावन गार्डन, पासौंडा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001	(E) 19.12.2016 (F) 10.01.2020 (G) रु. 41.81 लाख + ब्याज एवं प्रभार इत्यादि (H) सांकेतिक	आवासीय संपत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश, फ्लैट नं. पी–401, तृतीय तल (सुपर एमआईजी टाईप बिना छत के अधिकार के) वृंदावन हाईट्स निर्मित, प्लॉट नं. 20ए, खसरा नं. 892, 900, 953 मिन, 954 मिन, वृंदावन गार्डन, पसौंदा गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश–201001, क्षेत्रफल 109.62 वर्ग मी., श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री गजेन्द्र सिंह के नाम पर है। (सांकेतिक कब्जा)	(A) रु. 47.14 लाख (B) रु. 471400 लाख (C) रु. 20,000/-	**15.07.2025** पूर्वाह्न 11.00 बजे से अर्पाह्न 04.00 बजे	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी बिक्री के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें : (1) बिक्री, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 में वर्णित नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। (2) **सम्पत्तियां को "जो है जहाँ है", "जैसी है जो कुछ भी है" एवं "दायित्व रहित आधार पर" बेचा जा रहा है।** (3) ऊपर वर्णित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण, प्राधिकृत अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार दर्शाई गई है, किंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा। (4) नीलामी ई-नीलामी प्लेटफार्म वेबसाइट **https://baanknet.com** के माध्यम से ऊपर वर्णित दिनांकों को आयोजित की जाएगी। (5) अधिक विवरण तथा सम्पूर्ण नियमों व शर्तों के लिए कृपया निम्नलिखित वेबसाइट्स : **https://baanknet.com & www.pnbindia.in** देखें। (6) सभी सांविधिक बकाया/अटेंडेंट शुल्क/पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर इत्यादि अन्य बकाया, खरीददारों को वहन करना होगा। प्राधिकृत अधिकारी या बैंक किसी भी शुल्क के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ऋणभार में ग्रहणाधिकार सांविधिक बकाया या किसी अन्य के लिए संपत्ति (ई-नीलामी) के संबंध में जो बैंक को ज्ञात नहीं है, इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर की बकाया राशि, बिजली बकाया इत्यादि संपत्ति पर भार के संबंध में स्वतंत्र पूछताछ करें।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत वैधानिक बिक्री सूचना

दिनांक: **23.06.2025**, स्थान : गाजियाबाद — श्री सुनील कुमार कर्ण, मो. 9560155582 (प्राधिकृत अधिकारी), पंजाब नैशनल बैंक

THIS IS ONLY A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES AND NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR SECURITIES. NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

AdCounty Media

Please scan this QR code to view the RHP.

ADCOUNTY MEDIA INDIA LIMITED

(FORMERLY KNOWN AS "ADCOUNTY MEDIA INDIA PRIVATE LIMITED")

Corporate Identity Number: U93000RJ2017PLC057939

Our Company was incorporated as a Private Limited Company with the name of "Adcounty Media India Private Limited" under the Companies Act, 2013 vide certificate of incorporation dated May 03, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN U93000RJ2017PTC057939. Further, our Company was converted into a Public Limited Company in pursuance of a special resolution passed by the members of our Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on February 27, 2024 and the name of our Company changed from "Adcounty Media India Private Limited" to "Adcounty Media India Limited" & Registrar of Companies, Central Processing Centre has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated May 28, 2024, bearing CIN U93000RJ2017PLC057939.

Registered Office: First Floor, D-41, Patrakar Colony, Near Jawahar Nagar Moti Dungri Vistar Yojna, Raja Park, Jaipur, Rajasthan, India – 302004
Tel: +91 7877623083; **Fax:** N.A., **Website:** www.adcountymedia.com, **E-mail:** cs@adcountymedia.com
Contact Person: Ms. Ashita Agrawal, Company Secretary and Compliance Officer

OUR PROMOTERS: MR. CHANDAN GARG, MR. ADITYA JANGID, MR. ABBHINAV RAJENDRA JAIN, MR. DELPHIN VARGHESE, MS. VARTIKA DANGAYACH AND M/S INNOVANA THINKLABS LIMITED

THE ISSUE

INITIAL PUBLIC OFFERING UP TO 59,63,200 EQUITY SHARES OF RS. 10/- EACH ("EQUITY SHARES") OF ADCOUNTY MEDIA INDIA LIMITED ("AMIL" OR THE "COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF RS. [•]/– PER EQUITY SHARE (THE "ISSUE PRICE"), AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS ("THE ISSUE"). OUT OF THE ISSUE, 3,36,000 EQUITY SHARES AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY MARKET MAKER ("MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE ISSUE LESS THE MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 56,27,200 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF RS. 10/- EACH AT AN ISSUE PRICE OF RS. [•]/– PER EQUITY SHARE AGGREGATING TO RS. [•] LAKHS IS HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE ISSUE AND THE NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.50% AND 25.01%, RESPECTIVELY OF THE POST ISSUE PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

PRICE BAND: ₹ 80/- to ₹ 85/- PER EQUITY SHARE OF FACE VALUE RS. 10/- EACH

THE FLOOR PRICE IS 8.00 TIMES THE FACE VALUE AND CAP PRICE IS 8.50 TIMES THE FACE VALUE OF EQUITY SHARES
THE PRICE TO EARNING RATIO BASED ON DILUTED EPS FOR FISCAL 2025 AT THE FLOOR PRICE IS 9.56 TIMES AND AT THE CAP PRICE IS 10.16 TIMES.
BIDS CAN BE MADE FOR A MINIMUM OF 1600 EQUITY SHARES AND IN MULTIPLES OF 1600 EQUITY SHARES THEREAFTER.

BID/ISSUE PROGRAMME

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: THURSDAY, JUNE 26, 2025*
BID/ ISSUE OPENS ON: FRIDAY, JUNE 27, 2025*
BID/ ISSUE CLOSES ON: TUESDAY, JULY 01, 2025^**

**Our Company may, in consultation with the BRLM, consider participation by the Anchor Investor. The Anchor Investor Bid/Offer period shall be one working day prior to the Bid/ Offer opening date in accordance with SEBI ICDR Regulations, 2018.*
***Our Company may, in consultation with the BRLM, consider closing the Bid/ Offer period for QIB one working day prior to the Bid/Offer Closing Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations, 2018.*
***^ UPI mandate end time and date shall be at 5:00 pm on the Bid/Issue Closing Date.*

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Our Company is a BrandTech company focused on providing end-to-end solutions to brands, that cover everything from branding to performance optimisation. Our Company operates multiple websites across various verticals, offers mobile apps, websites and a Programmatic tool called BidCounty, designed to enhance performance and branding campaigns of our clients. Our range of services include programmatic advertising that ensures that best conversion ratios and ad spend, Search Engine Optimisation (SEO) that amplifies online visibility and boosts organic traffic, social media marketing that enhance brand awareness; Pay Per Click (PPC), Cost Per Acquisition ("CPA"), Cost Per Sale ("CPS"), Cost Per Lead (CPL), and Cost Per Install (CPI) campaigns that aid sales, lead generation, user acquisition and re-targeting.
For further details, please see "our business" on page 144 of this red herring prospectus

THIS ISSUE IS BEING MADE THROUGH BOOK BUILDING PROCESS, IN TERMS OF CHAPTER IX OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018 (THE "SEBI (ICDR) REGULATIONS"), AS AMENDED READ WITH RULE 19(2)(B) OF SECURITIES CONTRACTS (REGULATION) RULES, 1957, AS AMENDED.

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON SME PLATFORM OF BSE LIMITED. FOR THE PURPOSE OF THE ISSUE, BSE SME SHALL BE THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE.
FOR FURTHER DETAILS, PLEASE REFER TO THE CHAPTER TITLED "ISSUE PROCEDURE" BEGINNING ON PAGE 283 OF THE RED HERRING PROSPECTUS. A COPY OF THE RED HERRING PROSPECTUS HAS BEEN DELIVERED FOR REGISTRATION TO THE REGISTRAR OF COMPANIES, JAIPUR AS REQUIRED UNDER SECTION 26 OF THE COMPANIES ACT, 2013.

ALLOCATION OF THE ISSUE

• QIB PORTION - NOT MORE THAN 50.00% OF THE NET ISSUE • RETAIL PORTION- NOT LESS THAN 35.00% OF THE NET ISSUE
• NON-INSTITUTIONAL PORTION- NOT LESS THAN 15.00% OF THE NET ISSUE • MARKET MAKER PORTION- UPTO 3,36,000 EQUITY SHARES OR 5.63% OF THE ISSUE

IN MAKING AN INVESTMENT DECISION, POTENTIAL INVESTORS MUST ONLY RELY ON THE INFORMATION INCLUDED IN THE RED HERRING PROSPECTUS AND THE TERMS OF THE ISSUE, INLCUDING THE RISKS INVOLVED AND NOT RELY ON ANY OTHER EXTERNAL SOURCES OF INFORMATION ABOUT THE ISSUE AVAILABLE IN ANY MANNNER.

In accordance with the recommendation of the Independent Directors of our Company, pursuant to their resolution dated June 04, 2025, The above provided price band is justified based on quantitative factors/KPIs disclosed in the "Basis for Issue Price" section beginning on page no. 111 of the Red Herring Prospectus vis-à-vis the weighted average cost of acquisition (WACA) of primary and secondary transaction(s) as applicable disclosed in the "Basis for Issue Price" section beginning on page no 111 of the Red Herring Prospectus and provided below in the advertisement.

ASBA* | Simple, safe, smart way of Application!!!! | *Applications supported by blocked amount (ASBA) is a better way of applying to issues by simply blocking the fund in the bank account. For further details, check section on ASBA below. | Mandatory in Public issues No cheque will be accepted

UPI UNIFIED PAYMENTS INTERFACE — **UPI-Now available in ASBA for Retail Individual Investors ("RII") ****
Investors are required to ensure that the bank account used for bidding is linked to their PAN. UPI – Now available in ASBA for Retail Individual Bidders applying through Registered Brokers, DPs & RTA. Retail Individual Bidders also have the option to submit the application directly to the ASBA Bank (SCSBs) or to use the facility of linked online trading, demat and bank account.

**ASBA has to be availed by all the investors except Anchor Investors (if any). UPI may be availed by RIIs.*
For details on the ASBA and UPI process, please refer to the details given in ASBA Form and abridged prospectus and also please refer to the section "Issue Procedure" beginning on page 283 of the Red Herring Prospectus. The process is also available on the website of SEBI and Stock Exchanges in the General information Document. ASBA Forms can be downloaded from the website of SME Platform of BSE Limited ("BSE SME" or "Stock Exchange") and can be obtained from the list of banks that is displaying on website of SEBI at www.sebi.gov.in.
*** List of banks supporting UPI is also available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in. For the list of UPI Apps and Banks live on IPO, please refer to the link: www.sebi.gov.in. YES Bank Limited has been appointed as Sponsor Bank for the Issue in accordance with the requirements of the SEBI Circular dated November 1, 2018, as amended.*

RISKS TO INVESTORS

Summary Description of Key Risk Factors Based On Materiality

- **The present promoters of the Company are first generation entrepreneurs.**
- **We have had negative cash flows in the past and may continue to have negative cash flows in the future.**
- **Companies may delay or reduce their spending on marketing in periods of economic uncertainty, which could materially harm our business.**
- **Our restated financial statements have been prepared by a Peer Reviewed Chartered Accountants which is different from our Statutory Auditor.**
- **Our Registered Office and other branches from where we operate are not owned by us. If we are required to vacate the same or if we are unable to renew our current leases, due to any reason whatsoever, it may adversely affect our business operations.**
- **Certain legal proceedings are pending against our Corporate Promoter and individual promoters. While these proceedings do not involve our Company, any adverse development may impact our reputation and business operations.**
- **We depend on a limited number of customers for a significant portion of our revenues. The loss of a major customer or significant reduction in demand from any of our major customers may adversely affect our business, financial condition, results of operations and profitability.**
- **We have experienced a dip in our revenue from operations in the past and may experience further growth downfall or unable to manage an efficient growth rate.**
- **Our Company is involved in certain legal proceedings/litigations. Any adverse decision in such proceedings may render us/them liable to penalties and may adversely affect our business and result of operations.**
- **Majority of our state-wise revenues for the last 3 years is derived from Haryana, Karnataka and Maharashtra. Any adverse developments affecting our operations in these states could have an adverse impact on our revenue and results of operations.**

DETAILS OF SUITABLE RATIOS:

1) Basic and Diluted Earnings per Share (EPS) as per Accounting Standard 20.
On the basis of financials:

Financial Year	EPS (Basic & Diluted)	Weight
2024-25	8.37	3
2023-24	5.17	2
2022-23	4.77	1
Weighted Average EPS	6.70	

2) Price to Earnings (P/E) ratio in relation to Issue Price of ₹ [•] per Equity Share of face value ₹ 10/- each fully paid up.
On the basis of Financials:

Particulars	P/E Ratio at floor price	P/E Ratio at cap price
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2024-25	9.56	10.16
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2023-24	15.47	16.44
P/E ratio based on the Basic & Diluted EPS, as restated for FY 2022-23	16.77	17.82
P/E ratio based on the Weighted Average EPS, as restated	11.94	12.69

Industry P/E*

*Highest	34.00
**Lowest	15.10
***Average	24.55

*We have taken the lowest P/E from the P/E of Listed Industry Peers.
** We have taken the highest P/E from the P/E of Listed Industry Peers.
*** Average of Lowest and Highest Industry P/E.

3) Return on Net Worth (RONW)
On the basis of Financials:

Financial Year	Return on Net Worth (%)	Weight
2024-25	47.28%	3
2023-24	51.47%	2
2022-23	94.36%	1
Weighted Average	56.52%	

4) Net Asset Value per Equity Share
On the basis of financials:

Particulars	Net Asset Value (NAV) in Rs.
2024-25	22.92
2023-24	20,266.69
2022-23	11,915.45
NAV after the Issue- At Cap Price	39.37
NAV after the Issue- At Floor Price	38.04
NAV after the Issue- At Issue Price	[•]
Issue Price	[•]

5) Comparison with industry peers

S No.	Name of the company	Face Value (Per Share)	CMP	EPS	P/E Ratio**	PAT (Amount in Lakhs)
1	Adcounty Media India Limited	10.00	-	8.37	-	1,375.01
Peer Group*						
2	Affle 3i Limited (formerly known as Affle India Limited)	2.00	1787.50	8.24	65.26	11,549.40
3	DAPS Advertising Limited	10.00	22.50	2.29	9.83	118.62

** Sourced from audited and unaudited Financials from NSE and BSE.*
**Current Market Price and P/E ratio is taken as closing on June 03, 2025.*

Notes:
- *Considering the nature and turnover of business of the Company, the peers are not strictly comparable. However, the same have been included for broader comparison.*
- *The figures for Adcounty Media India Limited are based on the restated results for the financial year ended March 31, 2025.*
- *Current Market Price (CMP) is the closing price of respective scrip as on June 03, 2025.*
- *The figures (except PE) for the peer group are based on standalone audited results for the respective year ended March 31, 2025.*
- *P/E has been calculated through dividing the closing price of respective scrip as on June 03, 2025, by EPS as on March 31, 2025.*

For further details see section titled Risk Factors beginning on page 28 and the financials of the Company including profitability and return ratios, as set out in the section titled Auditors Report and Financial Information of Our Company beginning on page 230 of the Red Herring Prospectus for a more informed view.

Key financial and operational performance indicators ("KPIs")

Our company considers that KPIs included herein below have a bearing for arriving at the basis for Offer Price. The KPIs disclosed below have been approved by a resolution of our Audit Committee date June 04, 2025. Further, the KPIs herein have been certified by M/s KRA & Co., Chartered Accountants, by their certificate dated June 04, 2025 vide UDIN 25503150BMJCAW7697. Additionally, the Audit Committee on its meeting dated June 04, 2025, have confirmed that other than verified and audited KPIs set out below, our company has not disclosed to earlier investors at any point of time during the three years period prior to the date of this Red Herring Prospectus.
For further details of our key performance indicators, see "Risk Factors, "Our Business", "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" on pages 28, 144 and 230 respectively. We have described and defined them, where applicable, in "Definitions and Abbreviations" section on page 02. Our Company confirms that it shall continue to disclose all the KPIs included in this section "Basis for Offer Price", on a periodic basis, at least once in a year (or for any lesser period as determined by the Board of our Company), for a duration that is at least the later of (i) one year after the listing date or period specified by SEBI; or (ii) till the utilization of the Net Proceeds. Any change in these KPIs, during the aforementioned period, will be explained by our Company as required under the SEBI ICDR Regulations.
Key metrics like revenue growth, EBIDTA Margin, PAT Margin and few balance sheet ratio are monitored on a periodic basis for evaluating the overall performance of our Company.

Continued to next page.....

Continued from previous page.....

KPI indicators

(Rupees in Lakhs, except EPS, % and ratios)

Particulars	Financial Year ended March 31st, 2025	Financial Year ended March 31st, 2024	Financial Year ended March 31st, 2023
Revenue from operations (1)	6,889.51	4,265.95	5,356.52
Growth in revenue from operations (2)	61.50%	(20.36%)	-
EBITDA (3)	1,825.16	1080.15	1040.43
EBITDA (%) Margin (4)	26.49%	25.32%	19.42%
EBIDTA Growth year on year (5)	68.97%	3.82%	-
ROCE (%)(6)	47.27%	54.36%	83.78%
Current Ratio (7)	4.87	2.42	1.32
Operating cash flow (8)	(23.62)	454.43	144.65
PAT (9)	1,375.01	828.23	763.50
ROE/ RoNW(10)	47.28%	51.47%	94.36%
EPS (11)	8.37	5.17	4.77

Notes:

(1) Revenue from operations is the revenue generated by our Company.
(2) Growth in Revenue in percentage, Year on Year
(3) EBITDA is calculated as Profit before tax + Depreciation + Interest Expenses - Other Income
(4) EBITDA Margin' is calculated as EBITDA divided by Revenue from Operations
(5) EBITDA Growth Rate Year on Year in Percentage
(6) ROCE: Return on Capital Employed is calculated as EBIT divided by capital employed, which is defined as shareholders' equity plus long term debt
(7) Current Ratio: Current Asset over Current Liabilities
(8) Operating Cash Flow: Net cash inflow from operating activities.
(9) PAT is mentioned as PAT for the period
(10) ROE/RoNW is calculated PAT divided by shareholders' equity
(11) EPS is mentioned as PAT divided by weighted average share outstanding.

1. Weighted Average Return on Net worth on for Financial Year ending 2025, 2024 and 2023 is 56.52%.

2. Disclosures as per clause (9)(K)(4) of Part A to Schedule VI, as applicable.

a) The price per share of our Company based on the primary/ new issue of shares.

The details of the Equity Shares excluding shares issued under ESOP/ESOS and issuance of bonus shares during the 18 months preceding the date of this red-herring prospectus where such issuance is equal to or more than 5 per cent of the fully diluted paid-up share capital of the Issuer Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days; and

S. No.	Date of Allotment	No. of Equity Shares allotted	Face value (Rs.)	Issue Price (Rs.)	Issue Price Adjusted after Bonus Issue	Nature of consideration	Nature of Allotment
1.	On Incorporation	10,000	10	10	00	Cash	Subscription to MOA
2.	June 12, 2024	5,08,800	10	75	75	Cash	Private Placement
3.	August 13, 2024	19,200	10	75	75	Cash	Private Placement

b) The price per share of our Company based on the secondary sale/ acquisition of shares.

There have been no secondary sale / acquisitions of Equity Shares, where the promoters, members of the promoter group or shareholder(s) having the right to nominate director(s) in the board of directors of the Company are a party to the transaction (excluding gifts), during the 18 months preceding the date of this certificate, where either acquisition or sale is equal to or more than 5% of the fully diluted paid up share capital of the Company (calculated based on the pre-issue capital before such transaction/s and excluding employee stock options granted but not vested), in a single transaction or multiple transactions combined together over a span of rolling 30 days.

c) Weighted average cost of acquisition, floor price and cap price:

Type of transaction	Weighted average cost of acquisition (₹ per equity shares)	Weighted average cost of acquisition after Bonus shares adjustment (₹ per equity shares)	Floor Price (in times)	Cap Price (in times)
Weighted average cost of primary / new issue acquisition	2.40	2.40	33.39	35.48
Weighted average cost of secondary acquisition	17,756	Negligible	Negligible	Negligible

BASIS FOR THE ISSUE PRICE

The "Basis for Issue Price" on Page 111 of the offer document has been updated with the above price band. Please refer to the website of the BRLM for the "Basis of the Issue Price" updated with the above price band. You can scan QR code given on the first page of the advertisement for the chapter titled "Basis for Issue Price" on Page 111 of the Red Herring Prospectus.

INDICATIVE TIMELINE FOR THE ISSUE

Event	Indicative Dates
Anchor Investor Portion Offer Opens/Close	Thursday, June 26, 2025
Bid/Issue Opening Date	Friday, June 27, 2025
Bid/Issue Closing Date	Tuesday, July 01, 2025
Finalization of Basis of Allotment with the Designated Stock Exchange (T+1)	On or before Wednesday, July 02, 2025
Initiation of Allotment / Refunds / Unblocking of Funds from ASBA Account or UPI ID linked bank account 1 (T+2)	On or before Thursday, July 03, 2025
Credit of Equity Shares to Demat accounts of Allottees (T+2)	On or before Thursday, July 03, 2025
Commencement of trading of the Equity Shares on the Stock Exchange (T+3)	On or before Friday, July 04, 2025

Note - Our Company in consultation with the Book Running Lead Manager, may consider participation by Anchor Investors in accordance with the SEBI ICDR Regulations. The Anchor Investor Bid/Issue Period shall be one Working Day prior to the Bid/Issue Opening Date in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

Timelines for submission of Applications (T is Issue Closing Date)

Application Submission by Investors
- Electronic Applications (Online ASBA through 3-in-1 accounts) – Upto 5 pm on T day.
- Electronic Applications (Bank ASBA through Online channels like Internet Banking, Mobile Banking and Syndicate UPI ASBA etc) – Upto 4 pm on T day.
- Electronic Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications) – Upto 3 pm on T day.
- Physical Applications (Bank ASBA) – Upto 1 pm on T day.
- Physical Applications (Syndicate Non-Retail, Non-Individual Applications of QIBs and NIIs) – Upto 12 pm on T day and Syndicate members shall transfer such applications to banks before 1 pm on T day.

Bid Modification
From Issue opening date up to 5 pm on T day

Validation of bid details with depositories
From Issue opening date up to 5 pm on T day

UPI Mandate acceptance time
T day – 5 pm

Issue Closure
T day – 4 pm for QIB and NII categories
T day – 5 pm for Retail and other reserved categories

CONTENTS OF THE MEMORANDUM OF ASSOCIATION OF OUR COMPANY AS REGARDS ITS OBJECTS

For information on the main objects and other objects of our Company, see "History and Certain Corporate Matters" on page 184 of the Red Herring Prospectus. The Memorandum of Association of our Company is a material document for inspection in relation to the Issue. For further details, see the section "Material Contracts and Documents for Inspection" on page 385 of the Red Herring Prospectus.

ADDITIONAL INFORMATION FOR INVESTORS

Details of proposed /undertaken pre-issue placements from the DRHP filing date: Our company has not undertaken any Pre-IPO Placements from the DRHP filing date.

Transaction of shares aggregating up to 1% or more of the paid-up equity share capital of the company by promoter(s) and promoter group(s) from the DRHP filing date: N.A.

Details of pre-issue shareholding as at the date of advertisement and post- issue shareholding as at allotment for promoter(s), promoter group and additional top 10 shareholder are as follows:

Sr. No.	Name of Shareholders	Pre-Issue shareholding as at the date of Advertisement		Post-Issue shareholding as at Allotment			
				At the lower end of the price band (₹80)		At the upper end of the price band (₹85)	
		Number of Equity Shares	Shareholding (in %)	Number of Equity Shares	Shareholding (in %)	Number of Equity Shares	Shareholding (in %)
Promoters							
1.	M/s Innovana Thinklabs	40,02,500	24.20%	40,02,500	17.79%	40,02,500	17.79%
2.	Mr. Aditya Jangid	28,93,007	17.49%	28,93,007	12.86%	28,93,007	12.86%
3.	Mr. Abbhinav Rajendra Jain	28,93,007	17.49%	28,93,007	12.86%	28,93,007	12.86%
4.	Mr. Delphin Varghese	28,91,406	17.48%	28,91,406	12.85%	28,91,406	12.85%
5.	Mr. Chandan Garg	14,40,900	8.71%	14,40,900	6.41%	14,40,900	6.41%
6.	Ms. Vartika Danagayach	6,06,779	3.67%	6,06,779	2.70%	6,06,779	2.70%
Total (A)		1,47,27,599	89.05%	1,47,27,599	65.46%	1,47,27,599	65.46%
Promoters Group							
1.	Mr. Kapil Garg	9,600	0.06%	9,600	0.04%	9,600	0.04%
2.	Mr. Himanshu Jangid	4,800	0.03%	4,800	0.02%	4,800	0.02%
Total (B)		14,400	0.09%	14,400	0.06%	14,400	0.06%
Additional Top 10 Shareholders							
1.	Kumar Saurav	6,40,400	3.87%	6,40,400	2.85%	6,40,400	2.85%
2.	Preeti Garg	2,24,140	1.36%	2,24,140	1.00%	2,24,140	1.00%
3.	Utsav Pramodkumar Shrivastav	1,12,070	0.68%	1,12,070	0.50%	1,12,070	0.50%
4.	Manish Kumar	1,12,070	0.68%	1,12,070	0.50%	1,12,070	0.50%
5.	Jayshri S Mehta	73,646	0.45%	73,646	0.33%	73,646	0.33%
6.	Sagar P Brahmbhatt	62,400	0.38%	62,400	0.28%	62,400	0.28%
7.	Ajit Kumar	46,400	0.28%	46,400	0.21%	46,400	0.21%
8.	Rajesh Kumar Jain	44,828	0.27%	44,828	0.20%	44,828	0.20%
9.	Manoj Agarwal	43,227	0.26%	43,227	0.19%	43,227	0.19%
10.	Sambhavnath Investments And Finances Private Limited	32,800	0.20%	32,800	0.15%	32,800	0.15%
Total (C)		13,91,981	8.42%	13,91,981	6.19%	13,91,981	6.19%
Other Public Shareholder							
1.	Other Public Shareholder (D)	4,04,020	2.44%	4,04,020	1.80%	4,04,020	1.80%
Total (A+B+C+D)		1,65,38,000	100.00%	1,65,38,000	73.50%	1,65,38,000	73.50%

LIABILITY OF MEMBERS OF THE COMPANY

Limited by shares.

AMOUNT OF SHARE CAPITAL OF THE COMPANY AND CAPITAL STRUCTURE

The Authorized share capital of the Company is Rs. 25,00,00,000/- divided into 2,50,00,000 Equity Shares. The Issued, Subscribed and Paid-Up share capital of the Company before the Issue is Rs. 16,53,80,000/- divided into 1,65,38,000 Equity Shares of ₹ 10/- each. For details of the Capital Structure, see chapter titled "Capital Structure" beginning on page 68 of the Red Herring Prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA ("SEBI")

It is to be distinctly understood that submission of the red herring prospectus to the securities and exchange board of India (SEBI) should not in any way be deemed or construed that the same has been cleared or approved by SEBI. Sebi does not take any responsibility either for the financial soundness of any scheme or the project for which this offer is proposed to be made or for the correctness of the statements made or opinions expressed in the red herring prospectus. The book running lead manager, Narnolia Financial Services Limited as certified that the disclosures made in the red herring prospectus are generally adequate and are in conformity with the regulations. This requirement is to facilitate investors to take an informed decision for making an investment in the proposed issue.

It should also be clearly understood that while the company is primarily responsible for the correctness, adequacy and disclosure of all relevant information in the red herring prospectus, the book running lead manager, Narnolia Financial Services Limited, is expected to exercise due diligence to ensure that the company discharges its responsibility adequately in this behalf and towards this purpose, the book running lead manager, Narnolia Financial Services Limited, shall furnish to SEBI a due diligence certificate dated June 22, 2025, in the format prescribed under schedule v(a) of the securities and exchange board of India (issue of securities and disclosure requirements) regulations, 2018.

The filing of the red herring prospectus does not, however, absolve our company from any liabilities under the companies act, 2013 or from the requirement of obtaining such statutory and other clearances as may be required for the purpose of the proposed issue. SEBI further reserves the right to take up at any point of time, with the book running lead manager any irregularities or lapses in the red herring prospectus.

DISCLAIMER CLAUSE OF BSE (THE DESIGNATED STOCK EXCHANGE)

It is to be distinctly understood that the permission given by BSE SME ("SME Platform of BSE Limited") should not in any way be deemed or construed that the contents of the Issue document or the price at which the equity shares are offered has been cleared, solicited or approved by BSE SME, nor does it certify the correctness, accuracy or completeness of any of the contents of the Offer document. The investors are advised to refer to the Issue document for the full text of the Disclaimer clause pertaining to BSE SME.

CREDIT RATING

This being the issue of Equity Shares, no credit rating is required.

DEBENTURE TRUSTEE

This being the issue of Equity Shares, the appointment of Trustees is not required.

IPO GRADING

Since this issue is made in terms of Chapter IX of the SEBI (ICDR) Regulations, there is no requirement of appointing an IPO Grading Agency

BOOK RUNNING LEAD MANAGER TO THE ISSUE	REGISTRAR TO THE ISSUE	COMPANY SECRETARY AND COMPLIANCE OFFICER
NARNOLIA FINANCIAL SERVICES LIMITED **Address:** 201, 2nd Floor, Marble Arch, 236 B A.J.C Bose Road, Kolkata, West Bengal- 700020, India **Telephone:** 033-40501500; **Email:** ipo@narnolia.com **Contact Person:** Mr. Rajveer Singh **Website:** www.narnolia.com **SEBI registration number:** INM000010791 **CIN:** U51909WB1995PLC072876	**SKYLINE FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED** **Address:** D-153 A, 1st Floor, Okhla Industrial Area, Phase - I, New Delhi-110020 **Telephone:** +91-11-40450193-97 **Fax No:** +91-11-26812683 **Email:** compliances@skylinerta.com **Website:** www.skylinerta.com **Contact Person:** Mr. Anuj Rana **SEBI Registration Number:** INR000003241 **CIN:** U74899DL1995PTC071324	**Ms. Ashita Agrawal** First Floor, D-41, Patrakar Colony, Near Jawahar Nagar Moti Dungri Vistar Yojna, Raja Park, Jaipur, Rajasthan – 302004 **Tel:** +91 7877623083 **Email:** cs@adcountymedia.com **Website:** www.adcountymedia.com/ Investors can contact our Company Secretary and Compliance Officer, the Lead Managers or the Registrar to the Issue, in case of any pre-issue or post-issue related problems, such as non-receipt of letters of allotment, non-credit of allotted Equity Shares in the respective beneficiary account, non-receipt of refund orders and non-receipt of funds by electronic mode etc.

AVAILABILITY OF RED HERRING PROSPECTUS: Investors are advised to refer to the Red Herring Prospectus and the Risk Factors contained therein before applying in the Issue. Full copy of the Red Herring Prospectus is available on the website of the SEBI at www.sebi.gov.in, the website of the Lead Managers to the Issue at www.narnolia.com, website of company at www.adcountymedia.com/ and website of stock exchange at https://www.bsesme.com.

AVAILABILITY OF ABRIDGED PROSPECTUS: A copy of the Abridged Prospectus shall be available on the website of the Company, BRLM and BSE SME at www.adcountymedia.com/ , www.narnolia.com, and https://www.bsesme.com .

SYNDICATE MEMBER: N.A.

SUB-SYNDICATE MEMBER: N.A.

AVAILABILITY OF BID-CUM-APPLICATION FORMS: Bid-Cum-Application forms can be obtained from the Registered Office of the Company: Adcounty Media India Limited (Telephone: + 91 7877623083), Lead Managers: Narnolia Financial Services Limited (Telephone: 033-40501500). Bid-cum-application Forms will also be available on the website of BSE SME (https://www.bsesme.com) and the designated branches of SCSBs, the list of which is available at websites of the Stock Exchange and SEBI.

BANKER TO THE ISSUE, ESCROW COLLECTION BANK AND REFUND BANK: Yes Bank Limited

ACCOUNT BANK: Yes Bank Limited

SPONSOR BANKER: Yes Bank Limited

UPI: UPI Bidders can also bid through UPI mechanism

Investor should read the Red Herring Prospectus carefully, including the "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus before making any investment decision.

All capitalized terms used herein and not specifically defined shall have the same meaning as prescribed to them in the Red Herring Prospectus.

For ADCOUNTY MEDIA INDIA LIMITED
On Behalf of the Board of Directors
Sd/-
Aditya Jangid
(Managing Director)

Place: Jaipur, Rajasthan
Date: June 23, 2025

Adcounty Media India Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offering of its Equity Shares and has filed the Red Herring Prospectus with Registrar of Companies, Jaipur on June 23, 2025, website of lead managers to the issue at www.narnolia.com, website of company at www.adcountymedia.com/ and website of BSE SME i.e. https://www.bsesme.com, respectively. Investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, see section titled "Risk Factors" beginning on page 28 of the Red Herring Prospectus. Potential investors should not rely on the Red Herring Prospectus for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or any state securities laws in the United States, and unless so registered, may not be offered or sold within the United States except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and any applicable U.S. state securities laws. There will be no public offering in the United States and the securities being offered in this announcement are not being offered or sold in the United States.

INDIAN EXPRESS GROUP
THE BIGGEST CAPITAL ONE CAN POSSESS
KNOWLEDGE
FINANCIAL EXPRESS
Read to Lead

IndiaShelter Home Loans

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालयः- वार्ड नंबर 23, ग्राउंड फ्लोर, राजोतिया कॉम्प्लेक्स, स्टेशन रोड, धर्म स्तूप के पास (रीगल होटल के सामने), मंथन, राजस्थान 331001, दुकान नंबर जी2 और जी3, कृष्णा कॉम्प्लेक्स, संजीवनी अस्पताल के पास, सिरोही, राजस्थान - 307001, दुकान नंबर 67बी और 68, दूसरी मंजिल, पी. नंबर 277 (पूर्व), टैगोर नगर, डेम के बगल में, अजमेर रोड, जयपुर- 302021, प्लॉट नं. राजस्थान-304001,8/60, निकुंज प्लाजा, प्रथम तल, नई सब्जी मंडी रोड, शिवाजी नगर एक्सटेंशन, डूंगरपुर, राजस्थान- 314001, प्लॉट नंबर 01 और 02, प्रथम तल, खसरा नंबर- 266,271, आलनपुर लिंक रोड, सामने - लाला ट्रेडर्स, सवाई माधोपुर, राजस्थान - 322001, श्री सुदर्शन, एक्सटेंशन-116, प्रथम तल, गायत्री के पास आश्रम, अजमेर रोड, भीलवाड़ा, राजस्थान- 311001, दुकान नंबर 3 और 4, ग्राउंड फ्लोर, यादव कॉम्प्लेक्स, राष्ट्र उन्नति स्कूल नंबर 04 के पास, रानी बाजार, बीकानेर - 334001, ऑफिस नंबर 102,पहली मंजिल, ओमेगा टावर, रे कॉलोनी के सामने, सीएमएचओ कार्यालय जिला बाड़मेर, राजस्थान पिन 344001, पीएस टॉवर, प्रथम तल, कुम्हार गेट सर्कुलर रोड, आइसीडी बैंक के पास, भरतपुर-321001, राजस्थान।, प्लॉट नंबर 61, ग्राउंड फ्लोर, न्यू हाउसिंग बोर्ड रोड, महाराणा प्रताप सर्कल, शिव कॉलोनी (स्यामपुरा), बांसवाड़ा राजस्थान-327001, बालाजी कॉम्प्लेक्स, प्रथम तल, बस स्टैंड के सामने, चंडीगढ़ हॉस्पिटल रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, राजस्थान-335512, प्लॉट नंबर 6, कस्तूरबा कॉलोनी, ब्लॉक नंबर 3, बागोरा रोड, जालोर-343001, पहली मंजिल, तुलसी प्लाजा, टीवीएस चौराहा, कांकरोली जिला राजसमंद, राजस्थान 313324, 1, जी-ब्लॉक, एमएमई भाटिया, श्री गंगानगर, राजस्थान-335001, मारवाड़ हाउस, दूसरी मंजिल, जयपुर रोड, सुचना केंद्र चौराहा, अजमेर - 305001, एफफिस नंबर एफ-05, पहली मंजिल, एसएमबी प्लाजा, सामने पुलिस नियंत्रण कक्ष, दिल्ली गेट, उदयपुर, राजस्थान-313001, स्वाति पैलेस, प्रथम तल, वार्ड नंबर 1, सरकार के पास। अस्पताल, फलोदी बस स्टैंड, नागौर-341001, दुकान नंबर एफ-107, महेश टॉवर, पहली मंजिल, खेड़ रोड, बालोतरा- राजस्थान-344022, ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर -1, कार्तिक कॉलोनी, सिलोर रोड, बूंदी -323001, राजस्थान

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड (आईएसएफसीएल) से ऋण लेने वाले निम्नलिखित कर्जदार आईएसएफसीएल को अपने ऋण की समान मासिक किस्तों (ईएमआई) का भुगतान करने में विफल रहे हैं और उनके ऋण खाते को राष्ट्रीय आवास बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गैर-निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।कर्जदार(रों) ने आईएसएफसीएल को अचल संपत्तियों की प्रतिभूति प्रदान की है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है। ऋण का विवरण एवं कर्जदार/रों द्वारा आईएसएफसीएल को बकाया और देय राशि भी नीचे दी गई है। एतद्वारा जनसामान्य को तथा कर्जदार(रों) को सूचित किया जाता है कि आईएसएफसीएल के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते, प्रतिभूत ऋणदाता ने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के प्रावधान के तहत निम्नलिखित कर्जदार(रों) के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की है तथा इस अधिनियम के तहत नीचे दिए गए विवरण के तहत सूचना जारी की है। यदि निम्नलिखित कर्जदार सूचना के 60 (साठ) दिनों के भीतर अपने नाम के समक्ष दर्शाई गई बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो अधोहस्ताक्षरी सरफैसी अधिनियम की धारा-13 की उप-धारा (4) के तहत प्रतिभूत ऋणदाता प्रदत्त शक्तियों में से किसी एक या अधिक का प्रयोग करेंगे, जिसमें कब्जा लेने और उसकी बिक्री करने की शक्ति भी शामिल है। जनसामान्य को नीचे वर्णित संपत्तियों से लेन-देन न करने की सलाह दी जाती।

	कर्जदार(रों)/जमानती/विधिक उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि के नाम ऋण खाता संख्या	एनपीए तिथि/मांग सूचना तिथि	मांग सूचना तिथि एवं राशि	प्रतिभूत आस्ति(यों) का विवरण (अचल संपत्तियाँ)
1.	श्री/श्रीमती सुमन देवी पत्नी राकेश कुमार, श्री/श्रीमती राकेश कुमार पुत्र श्री करम चंद, 34 नागौर, प्लॉट नंबर 27, फाटक के पास गौरेडी चांचा विनायक नगर डेगाना शहर जिला नागौर राज. 341503, श्री/श्रीमती कन्हैया लाल पुत्र गुला राम, 241 जगड़वास, तहसील- डेगाना, जिला-नागौर-341503 राजस्थान **HL30CHLONS000005014166/ AP-10036155**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 673744.57/- (रुपये छह लाख तिहत्तर हजार सात सौ चौवालीस और सत्तावन पैसे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट नंबर 27 पट्टा नंबर 31/2020-21 खसरा नंबर 23 व 1192/23 के सभी भाग, गोरेडी चाचा विनायक नगर डेगाना जिला नागौर राज. 341503, कुल भूमि 133.33 वर्ग गज, सीमाः- पूर्व- रोड, पश्चिम- प्लॉट नं.-25, दक्षिण- प्लॉट एन.-26, उत्तर- प्लॉट नं.-28,
2.	श्री/श्रीमती सुमन पत्नी मुरारी लाल वर्मा, श्री/श्रीमती मुरारी लाल वर्मा पुत्र मटरू राम वर्मा, वार्ड नंबर 02, बुक नंबर 157, पट्टा नंबर 14 जाटव मोहल्ला पालका, थाना- नगर, भरतपुर, राजस्थान 321024 राजस्थान **LA11CLLONS000005052810/ AP-10122865**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 729225.96/- (रुपये सात लाख उनतीस हजार दो सौ पच्चीस और छियानवे पैसे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	बुक नंबर 157 पट्टा नंबर 14, जीपी- पालका, पीएस-नगर, भरतपुर राजस्थान 321024 का पूरा भाग कुल क्षेत्रफलः- 1440 वर्ग फीट (160 वर्ग गज), सीमाः- पूर्व- मटरू की खाली जमीन, पश्चिम-योगेश शर्मा का मकान, उत्तर- आम रास्ता, दक्षिण-मोहन सिंह का मकान
3.	श्री/श्रीमती मनीषा मीना पत्नी श्री राजेंद्र कुमार मीना, श्री/श्रीमती राजेंद्र कुमार मीना पुत्र कल्याण सहाय मीना, प्लॉट नंबर 31, सर्वोदय नगर, हमथपुरा निवारू रोड 302029 राजस्थान, इसके अलावाः प्लॉट नंबर 114, गणेश नगर-17, हटोज, कलवार रोड, जयपुर, राजस्थान, 302029, श्री/श्रीमती सत्यनारायण पाराशर पुत्र कैलाश चंद पाराशर ग्राम - जोला, निवाई, जिला- टोंक राजस्थान 304021,02029 राजस्थान **HLJACHLONS000005063182/ AP-10147467**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1063625.70/- (रुपये दस लाख तिरसठ हजार छः सौ पच्चीस और सत्तर पैसे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट नंबर 114, गणेश नगर-17, हाटोज, कलवार रोड, जयपुर राजस्थान जयपुर का पूरा भाग कुल क्षेत्रफलः- 88.8 वर्ग गज सीमाः- पूर्व-प्लॉट नंबर 114-बी, पश्चिम-रोड 30 फीट, उत्तर- प्लॉट नं. 113, दक्षिण-प्लॉट नं. 114-ए
4.	श्री/श्रीमती बबीता कुमारी पत्नी श्यामवीर, श्री/श्रीमती श्यामवीर पुत्र भीखा राम, गुर्जर मौहल्ला मिसेल नंबर-29, पट्टा नंबर-25, ग्राम पंचायत-सुंदरावली, पंचायत-नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321205, 321205 राजस्थान, श्री/श्रीमती भीखा पुत्र रोशन, गुर्जर मोहल्ला, मिसल नंबर-29, पट्टा नंबर-25, ग्राम पंचायत-सुंदरावली, पंचायत-नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321205 **HLBRRNLONS000005087938/ AP-10208014**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 833092.32/- (रुपये आठ लाख तैंतीस हजार बानबे और बत्तीस पैसे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मिसल नंबर-29, पट्टा नंबर-25, ग्राम एवं ग्राम पंचायत-सुंदरावली, पंचायत समिति-नगर, जिला-भरतपुर, राजस्थान-321205 के सभी भाग, सीमाः- पूर्व- शिब्बो का घर, पश्चिम-करतार का घर, उत्तर-सार्वजनिक सड़क, दक्षिण- हरगोपाल का घर
5.	श्री/श्रीमती संतोष देवी पत्नी उगमा राम मेघवाल, श्री/श्रीमती उगमा राम मेघवाल पुत्र दयाल राम मेघवाल, गांव मारोठ नागौर, राजस्थान 341507, साथ हीः खसरा नंबर 146,148,149,150,152 ग्राम पनवाड़ी तहसील कुचामन सिटी नागौर राजस्थान 341508, 341507 राजस्थान **HL20CHLONS000005095076/ AP-10227835**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 2715996/- (रुपये सत्ताईस लाख पन्द्रह हजार नौ सौ छियानवे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	खसरा नंबर 146, 148, 149, 150, 152 के सभी भाग ग्राम- पनवाड़ी, तहसील- कुचामन सिटी, नागौर, राजस्थान 341508, सीमाः- पूर्व-सड़क, पश्चिम- कुमावत की संपत्ति, उत्तर-पालड़ा की संपत्ति, दक्षिण-सड़क,
6.	श्री/श्रीमती संतुडी देवी पत्नी बालू राम, श्री/श्रीमती सूरज मल पुत्र बालू राम, बलाईयो का मौहल्ला ग्राम मांगलोदी पोस्ट पदमपुरा नागौर राजस्थान 341533, पट्टा संख्या 19 ग्राम मांगलोदी ग्राम पंचायत सरगोठ पंचायत समिति कुचामन सिटी नागौर राजस्थान 341533 **HL20CHLQNS000005097242/ AP-10231885**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1475744/- (रुपये चौदह लाख पचहत्तर हजार सात सौ चौवालीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 19 ग्राम मांगलोदी ग्राम पंचायत सरगोठ का समस्त भाग, पंचायत समिति कुचामन सिटी, नागौर राजस्थान 341533 नागौर, सीमाः- पूर्व-स्वयं की भूमि फिर आम रोड, पश्चिम-परसा राम बावरी की भूमि, उत्तर-रामू राम मेघवाल का मकान, दक्षिण-मदन मेघवाल का मकान
7.	श्री/श्रीमती हेमलता पत्नी अशोक, श्री/श्रीमती अशोक पुत्र देवीराम, कवई भरतपुर राजस्थान-321602, इसके अलावाः पट्टा संख्या-02, ग्राम-कवई, ग्राम पंचायत-कवई, पंचायत समिति-नदबई तहसील-नदबई, जिला-भरतपुर, राजस्थान **HLBRSVLONS000005136970/ AP-10318456**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 799357/- (रुपये सात लाख निन्यानबे हजार तीन सौ सत्तावन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या-02 का समस्त भाग, गांव- कवाई, ग्राम पंचायत-कवाई, पंचायत समिति-नदबई, तहसील-नदबई, जिला- भरतपुर, राजस्थान-321602, सीमाः- पूर्व-महावीर का प्लॉट, पश्चिम-जय सिंह का प्लॉट, दक्षिण-सार्वजनिक सड़क, उत्तर-सार्वजनिक सड़क
8.	श्री/श्रीमती सरोज देवी पत्नी संतोष, श्री/श्रीमती संतोष पुत्र हमीराराम, वार्ड नंबर 07, ग्राम - चरकड़ा, तहसील - नोखा बीकानेर राजस्थान 334803, इसके अलावाः पट्टा नंबर 51, बुक नंबर 372 जी, पी चरकड़ा थाना नोखा, बीकानेर, राजस्थान 334803 **HLNKCHLONS000005063370/ AP-10150840**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 837131.60 (रुपये आठ लाख सैंतीस हजार एक सौ इकतीस और साठ पैसे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 51 बुक संख्या 372 का समस्त भाग, जी.पी.-चर्करा, पी.एस. नोखा, बीकानेर, राजस्थान कुल क्षेत्रफलः- 330.58 वर्ग गज (2975.25 वर्ग फीट) सीमाः- पूर्व-निजी गली और रास्ता, पश्चिम-गोकल राम/पेमाराम का प्लॉट, उत्तर-गोकल राम/पेमाराम का प्लॉट दामोदर/पेमाराम ब्राह्मण, दक्षिण- मनोहारी/मेघराज ब्राह्मण का भूखंड
9.	श्री/श्रीमती संतोष पत्नी रामचन्द्र, श्री/श्रीमती नरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र, श्री/श्रीमती रामचन्द्र पुत्र गेना राम, पट्टा संख्या 2838, लोहारों का बास, ग्राम-देवला कालियां, देवला माड़ा, तहसील-डेगाना जिला नागौर राजस्थान 341514 **LAMRCLLONS000005033916/ AP-10066945**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 771075/- (रुपये सात लाख इकहत्तर हजार पचहत्तर मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का समस्त भाग पट्टा संख्या 2838, पुस्तक संख्या 57, ग्राम देवल कल्ला, जी.पी. - निंबोला कलां, तहसील - डेगाना, नागौर, राज. कुल क्षेत्रफल - 7681.5 वर्ग फुट। सीमाः-पूर्व- रामस्वरूप जाट का मकान, पश्चिम-आम रास्ता और मुख, उत्तर-केसरिया कवर जी का थान और मकान सुखदेव जाट, दक्षिण-आम रास्ता और फेसिंग।
10.	श्री/श्रीमती पटेल सुनीता कुमारी पत्नी ललित पटेल, श्री/श्रीमती ललित पटेल पुत्र गोविंद राम पटेल, पट्टा क्रमांक 67752 एवं खसरा क्रमांक 4682, ग्राम एवं जी.पी. पिलाधर, पी.एस. जयसमंद उदयपुर राजस्थान 313001 **HL31CHLONS000005044691/ AP-10097826**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1958622/- (रुपये उन्नीस लाख अट्ठावन हजार छह सौ बाईस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 67752 एवं खसरा संख्या 4682 का समस्त भाग, ग्राम एवं ग्राम पंचायत पिलाधर पंचायत समिति जयसमंद, उदयपुर, राजस्थान 313001, कुल क्षेत्रफल 2500 वर्ग फुट। सीमाः- पूर्व-स्व भूमि का उपयोग मवेशी शेड के रूप में किया जा रहा है, पश्चिम-स्व भूमि, उत्तर-स्वयं भूमि, कालू लाल पुत्र मोडा जी एवं गोविंद राम जी का बाड़ा, दक्षिण- स्वयं की भूमि फिर आम सड़क।
11.	श्री/श्रीमती सुगनाई पत्नी मोहन राम, श्री/श्रीमती मोहन राम बेनीवाल पुत्र बोदूराम, श्री/श्रीमती बोदू राम पुत्र पूरा राम, पट्टा- 25, बुक- 17, 194, खेड़ा वाला बास गांव- बग्गड़, तहसील- मेड़ता जिला नागौर 341510। **HLMRCHLONS000005051444/ AP- 10117658**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 600751/- (रुपये छह लाख सात सौ इक्यावन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा- 25, बुक-17, जाटो का बास, बग्गड़, ग्राम पंचायत- बग्गड़, थाना- रियाण बाड़ी, जिला- नागौर का पूरा भाग। कुल क्षेत्रफल 1400 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व- ओम पुरी का बाड़ा, पश्चिम-स्वयं की भूमि, उत्तर-राधाकिशन पुत्र नाथूराम का बाड़ा, दक्षिण-सड़क और स्वयं की भूमि।
12.	श्री/श्रीमती सुनीता पत्नी सीताराम सिंह रावत, श्री/श्रीमती सीताराम सिंह रावत पुत्र लक्ष्मण सिंह, पट्टा संख्या 46, पुस्तक संख्या 23 ग्राम- भैंजखेड़ा, जीपी- हनुतुया, थाना- मसूदा, जिला-अजमेर, राज. 305625 **HL30AHLONS000005061534/ AP-10140708**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 793898/- (रुपये सात लाख तिरानबे हजार आठ सौ अट्ठानबे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का पूरा भाग पट्टा संख्या 46, बुक संख्या 23, गांव- भैरूखेड़ा, ग्राम पंचायत- हनुतुया, थाना- मसूदा, जिला- अजमेर, राजस्थान 305625। कुल क्षेत्रफल 298.90 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व-श्री जीवन पुत्र श्री रूपा रावत का मकान, पश्चिम-श्री महेंद्र पुत्र श्री लक्ष्मण रावत का मकान, उत्तर-मुख्य सड़क ब्यावर से बिजयनगर, दक्षिण-श्री महेंद्र पुत्र श्री लक्ष्मण रावत का भूखंड।
13.	श्री/श्रीमती शिमला देवी पत्नी सत्यनारायण खाती, श्री/श्रीमती सत्यनारायण पुत्र सूरज माई, पट्टा नं.-18, मकान-एन 68, ग्राम-चंदाली, जी.पी. -रामपाली, पी.एस. - सरवर, जिला-अजमेर, राजस्थान 305404 **HL20CHLONS000005063633/ AP-10138104**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 594495/- (रुपये पांच लाख चौरानबे हजार चार सौ पंचानबे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या-18, ग्राम-चंदाली, ग्राम पंचायत-रामपाली, पंचायत समिति- सरवाड़, जिला-अजमेर, राजस्थान 305404 का समस्त भाग। कुल क्षेत्रफल 629 वर्ग फुट। सीमाः- पूर्व-घीसा लाल खाती का घर, पश्चिम-आम सड़क, उत्तर-रामकुवर खाती का घर, दक्षिण- रामचंद्र बैरवा का घर।
14.	श्री/श्रीमती मुन्ना देवी पत्नी किशन लाल गुर्जर, श्री/श्रीमती किशन लाल गुर्जर पुत्र नाना गुर्जर, श्री/श्रीमती विनोद गुर्जर पुत्र किशन लाल गुर्जर, 253, जोशी मोहल्ला पट्टा नंबर 24, गांव और जीपी बोरदा, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ राज. 312901 **HL31CHLONS000005064465/ AP-10156045**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1229811/- (रुपये बारह लाख उनतीस हजार आठ सौ ग्यारह मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का समस्त भाग पट्टा क्रमांक 24, आराजी क्रमांक 1202, ग्राम. एवं जी.पी. बोरदा, तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ राज. 312901. कुल क्षेत्रफल 1820 वर्ग. एफ.टी. सीमाः- पूर्व-सत्यनारायण/नारू तेली, पश्चिम-कॉमन रोड, उत्तर-भगवान लाल/चुन्ना कुमार, दक्षिण-राधा किशन /गोपी गुज्जर.
15.	श्री/श्रीमती छोटू सिंह चौहान पुत्र चेन सिंह, पट्टा नंबर 8710 अराजी नंबर 626, ग्राम मान खंड, जी.पी. मोरथ, तहसील मावली जिला उदयपुर राजस्थान 313206, श्री/श्रीमती राम रतन खटीक पुत्र बंशी लाल (गारंटर) वार्ड नंबर 09, खटीक मोहल्ला, सांवेर, सनवाड उदयपुर राजस्थान 313206 **HLUPRNLONS000005085608/ AP-10199518**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 287698/- (रुपये दो लाख सतासी हजार छह सौ अट्ठानवे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा क्रमांक 8710, आराजी क्रमांक 626, ग्राम मान खंड, जीपी मोराथ, पीएस एवं तहसील मावली, जिला. उदयपुर राजस्थान 313206 का समस्त भाग, कुल क्षेत्रफल 1120 वर्ग फुट सीमाः- पूर्व- किशन/चेन सिंह का मकान, पश्चिम-भगवत सिंह की भूमि, उत्तर- भगवत सिंह/किशन सिंह का मकान, दक्षिण-कॉमन रोड।
16.	श्री/श्रीमती प्रियंका चुंडावत पुत्र कुलदीप सिंह, श्री/श्रीमती कुलदीप सिंह पुत्र मगन सिंह, वार्ड नंबर 1, पट्टा नंबर 48, जीपी- तांबेसरा, थाना-सज्जनगढ़, जिला बांसवाड़ा राजस्थान 327602 **LABNVLLONS000005086937/ AP-10202560**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1335228/- (रुपये तेरह लाख पैंतीस हजार दो सौ अट्ठाईस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का समस्त भाग, पट्टा संख्या 48, जी.पी. तांबेसरा, पी.एस.-सज्जनगढ़, जिला. बांसवाड़ा, राजस्थान। कुल क्षेत्रफल 962 वर्ग फुट। सीमाः- पूर्व में श्री लियाज मोहम्मद का घर, पश्चिम में श्री बहादुर सिंह का घर, उत्तर-पन्ना लाल का बाड़ा, दक्षिण-कॉमन रोड।
17.	श्री/श्रीमती सुशीला वैष्णव पत्नी कैलाश वैष्णव, श्री/श्रीमती कैलाश वैष्णव पत्नी जानकीदास वैष्णव, पट्टा नं 011, डांगियों का मोहल्ला, ग्राम-बोहेरा, जीपी- बोहेरा, थाना-बड़ी सदरी, जिला चित्तौड़गढ़ राजस्थान 312404 **LABHVLLONS000005099096/ AP-10231048**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 608884/- (रुपये छह लाख आठ हजार आठ सौ चौरासी मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति के सभी भाग पट्टा संख्या 011, पुस्तक संख्या 242, ग्राम बोहेरा, जीपी बोहेरा, थाना बड़ी सादड़ी, जिला चित्तौड़गढ़, राजस्थान 312404। कुल क्षेत्रफल 890 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व-श्री उंकार दास पुत्र श्री जानकी दास का घर, पश्चिम-श्री हर लाल डांगी का घर, उत्तर-कॉमन रोड, दक्षिण-श्री गिरधारी लाल सुथार का घर।
18.	श्री/श्रीमती रतन लाल धाड़ी पुत्र मंगिया धाड़ी, श्री/श्रीमती सतु देवी धाड़ी पत्नी रतन लाल धाड़ी, पट्टा संख्या 2945, जीपी गाड़ा झुमजी पी.एस. सागवाड़ा, डूंगरपुर राजस्थान 314032 **HLDNCHLQNS000005101280/ AP-10232759**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 794338/- (रुपये सात लाख चौरानबे हजार तीन सौ अड़तीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 2945 का समस्त भाग, जीपी गाड़ा झुमजी, पी.एस. सागवाड़ा, डूंगरपुर, राजस्थान 314032. कुल क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व- स्व भूमि और आम सड़क, पश्चिम-स्व भूमि फिर खेमजी/भेरिया, दक्षिण-स्वयं भूमि फिर खेमजी/भेरिया।
19.	श्री/श्रीमती इंद्रा बैरागी पत्नी बब्लू बेरागी श्री/श्रीमती बब्लू बेरागी पुत्र घनश्याम जी, श्री/श्रीमती भूरल वैष्णव पत्नी गोपाल वैष्णव, पट्टा नंबर 1, मकान नं. 41, जाट मोहल्ला, हिंदूसिंह का खेड़ा/चूर का कोहा जीपी- रलायता, तहसील- मांडलगढ़ जिला-भीलवाड़ा, राजस्थान 311605 **HLBGRNLONS000005104045/ AP- 10247351**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 969306/- (रुपये नौ लाख उनहत्तर हजार तीन सौ छह मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 1, के सभी भाग, ग्राम हिंदू सिंह जी का खेड़ा, जी.पी. रलायता, मांडलगढ़, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान 311605. कुल क्षेत्रफल 1185 वर्ग फीट. सीमाः- पूर्व-देवीदास, पश्चिम-मधुदास, दक्षिण-स्वयं भूमि, उत्तर-आम सड़क.
20.	श्री/श्रीमती सलमा बानो पत्नी अकबर काठात, श्री/श्रीमती अकबर खान पुत्र शकूर खान, वार्ड नंबर 1, पट्टा नंबर 21, निचला बदिया ग्राम एवं जीपी - कानाखेड़ा, पी.एस.- मसूदा, खरवा, अजमेर राजस्थान 305202 **HL30CHLONS000005105409/ AP-10249330**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 2231241/- (रुपये बाईस लाख इकतीस हजार दो सौ इकतालीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 21, खसरा सं. 1559, ग्राम एवं जी.पी. कानाखेड़ा, पी.एस.-मसूदा, तहसील मसूदा, जिला अजमेर राजस्थान 305202 का समस्त भाग. कुल क्षेत्रफल 2653 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-आम सड़क, पश्चिम-अशरफ की भूमि, दक्षिण-समलात रास्ता, उत्तर- सुभान/करीमा का मकान
21.	श्री/श्रीमती आशा कुँवर पत्नी राम सिंह, श्री/श्रीमती राम सिंह पुत्र नारायण सिंह, मकान नंबर 30 द्वारिका नगर धोइंदा हाउसिंग बोर्ड, राज नगर 313324 राजस्थान, इसके अलावाः आवंटन पत्र 1605 पर स्थित आवासीय भूमि, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग जे-30 द्वारिका नगर राजसमंद 313324 राजस्थान **LA31TLLONS000005010484** और **LAP200003355** और **HL1900001704/ AP- 10023797** और **AP-0281533** और **AP-0279071**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 468188/- (रुपये चार लाख अड़सठ हजार एक सौ अठासी मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	आबंटन पत्र 1605, ईडब्ल्यूएस हाउसिंग जे-30 द्वारिका नगर राजसमंद पर स्थित आवासीय भूमि का पूरा हिस्सा, माप-36 वर्ग फीट, सीमाः-पूर्व-मकान नंबर-जे-31, पश्चिम-मकान नंबर-जे-29, उत्तर रोड, दक्षिण मकान नंबर-जे-21
22.	श्री/श्रीमती प्रेमिला देवी पत्नी दिलीप कुमार सुथार, श्री/श्रीमती दिलीप कुमार सुथार पुत्र नंदराम सुथार, पट्टा नंबर 54, ब्राह्मण बस्ती, ग्राम इंदौरा जीपी-इंदौरा थाना- आसपुर डूंगरपुर राजस्थान 314034 **LADNVLLONS000005085929** और **LADNCLLONS000005047790/ AP-10206104** और **AP-10104707**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1209223/- (रुपये बारह लाख नौ हजार दो सौ तेईस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 54, खसरा संख्या 4135/2, गांव इंदौरा, ग्राम पंचायत इंदौरा, पंचायत समिति आसपुर, डूंगरपुर राजस्थान 314034 के अंतर्गत संपत्ति का पूरा हिस्सा। क्षेत्रफल 2328 वर्ग फीट, सीमाः-पूर्व-शंकरलाल सेवक का मकान, पश्चिम-आम सड़क, उत्तर- गौतम का मकान, दक्षिण-सड़क।
23.	श्री/श्रीमती रेखा देवी पाटीदार पुत्र नरेन्द्र पाटीदार, श्री/श्रीमती नरेन्द्र कुमार पुत्र केशव लाल, श्री/श्रीमती वीरेन्द्र कुमार पाटीदार पुत्र केशव लाल, पाटीदार का मोहला, वार्ड नं. 10, पट्टा संख्या 53, जी.पी. मडालदा पी.एस. टी.एच. गढ़ी जिला बांसवाड़ा राजस्थान 327034 **LABNVLLONS000005121513** एवं **HLBNAHLONS000005055534/ AP-10282883** तथा **AP-10128710**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1999546/- (रुपये उन्नीस लाख निन्यानबे हजार पांच सौ छियालीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 53 सर्वे संख्या 1447, जी.पी. मादलदा, पी.एस. एवं टी.एच. गढ़ी, जिला बांसवाड़ा, राजस्थान 327034 का पूरा हिस्सा। कुल क्षेत्रफल 1968 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-स्वयं भूमि, महिपाल जी का मकान, पश्चिम-मुख्य चौराहा एवं आम सड़क, उत्तर-आम सड़क, दक्षिण- आम सड़क।
24.	श्री/श्रीमती विष्णु कुँवर पत्नी हिम्मत सिंह, श्री/श्रीमती हिम्मत सिंह गौड़ पुत्र गुलाब सिंह, 247 गोद मोहल्ला, पट्टा संख्या 2988 ग्राम एवं जीपी राज्यवास थाना राजसमंद जिला राजसमंद राजस्थान 313342 **LARJVLLONS000005062436** एवं **HLRJCHLONS000005067051/ AP-10145687** एवं **AP-10148988**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1566910/- (रुपये पंद्रह लाख छियासठ हजार नौ सौ दस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 2988, आराजी संख्या 2421, ग्राम एवं ग्राम पंचायत राज्यावास, पी.एस. राजसमंद, राजस्थान 313342 का समस्त भाग। कुल क्षेत्रफल 1134 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-स्वयं भूमि फिर सड़क, पश्चिम-फतेह सिंह जी, उत्तर- शंकर सिंह, दक्षिण-पार्थवी सिंह।
25.	श्री/श्रीमती दुर्गा के यादव पत्नी राजू यादव, श्री/श्रीमती राजू कुमार मेघवाल पुत्र रोडिया मेघवाल, पट्टा नंबर 13, मुकाम वडा गांव और जीपी वडा गोदिया थाना आसपुर डूंगरपुर राज 314021 **HLDNCHLONS000005075174** और **LADNVLLONS000005079357/ AP-10182922** और **AP-10183532**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 794834/- (रुपये सात लाख चौरानबे हजार आठ सौ चौंतीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 13 खसरा संख्या 2435/55, ग्राम और जीपी वाडा गोदिया, पीएस आसपुर, डूंगरपुर राज 314021 का पूरा हिस्सा। कुल क्षेत्रफल 1380 वर्ग फुट। सीमाः - पूर्व-कॉमन रोड, पश्चिम-उदय सिंह के लिए खाली भूमि, उत्तर-कालू पुत्र शंकर की भूमि, दक्षिण-मधु / रोडिया का घर।
26.	श्री/श्रीमती रामघनी गुर्जर पत्नी कन्हैया लाल गुर्जर, श्री/श्रीमती कन्हैया लाल गुर्जर पुत्र मधु गुर्जर, श्री/श्रीमती मधु गुर्जर पुत्र उगमा गुर्जर, पट्टा पत्रावली नंबर 13, गुर्जरो की हताई, ग्राम एवं ग्राम पंचायत -कोठिया, तहसील- फुलिया कला, जिला-भीलवाड़ा राजस्थान 311023। **HLBNRNLONS000005083844** और **HLBNCHLONS000005080887/ AP-10197216** और **AP-10195258**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1980533/- (रुपये उन्नीस लाख अस्सी हजार पांच सौ तैंतीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	बप्पी पट्टा पत्रावली संख्या 13, ग्राम एवं ग्राम पंचायत -कोठिया, तहसील- फुलिया कला, जिला-भीलवाड़ा राजस्थान के सभी भाग। सीमाः- पूर्व-सड़क, पश्चिम- सड़क, उत्तर-कालू गुज्जर व रामधन गुज्जर, दक्षिण-सड़क।
27.	श्री/श्रीमती प्रसादी कुम्हार पत्नी कालूराम प्रजापत, श्री/श्रीमती कालूराम प्रजापत पुत्र मंगला राम प्रजापत, श्री/श्रीमती दुर्गेश प्रजापत पुत्र कालूराम प्रजापत, वार्ड नंबर 13, ग्राम- बनेठा, ग्राम पंचायत- बनेठा, पंचायत समिति- उनियारा, जिला- टोंक, राजस्थान 304024 **LA11CLLGNS000005037974/ AP-10081222**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 4,95,654/- (रुपये चार लाख पंचानबे हजार छह सौ चौवन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 43 से बनी संपत्ति का पूरा हिस्सा, गांव-बनेठाग्राम पंचायत-बनेठा पंचायत समिति-उनियारा, जिला-टोंक राजस्थान 304024 माप क्षेत्र 1180 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम- बाला जी मंदिर, उत्तर-नाथू लाल का घर, दक्षिण-बद्री लाल का घर,
28.	श्री/श्रीमती भगवती बाई पत्नी प्रकाश बैरवा, श्रीमति राजू पुत्र प्रकाश बैरवा, वार्ड नंबर 16, बहारली, नरसारी रोड, बूंदी राजस्थान 323001, प्लॉट नंबर 4 खसरा नं. 2082/1356 शंकर विहार देवपुरा जिला बूंदी-323001 **HLBURNLONS000005077456/ AP-10185677**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1115384/- (रुपये ग्यारह लाख पंद्रह हजार तीन सौ चौरासी मात्र) 10 जून 2026 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या 4 से बनी संपत्ति का पूरा हिस्सा, खसरा संख्या 2082/1356 शंकर विहार, देवपुरा जिला-बूंदी, राजस्थान 323001, माप क्षेत्र 800 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-प्लॉट संख्या 5, पश्चिम- प्लॉट संख्या 4 का शेष 10 फीट, उत्तर- अन्य घर, दक्षिण-रोड
29.	श्री/श्रीमती कृष्णा पत्नी लहरी, श्री/श्रीमती लहरी पुत्र बद्री, ग्राम-सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया, पंचायत समिति गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर, राजस्थान 322201 **HLSWRNLONS000005096542/ AP- 10230548**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 871384/- (रुपये आठ लाख इकहत्तर हजार तीन सौ चौरासी मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 02 से बनी संपत्ति का पूरा हिस्सा, बुक संख्या ए 23, गांव सलारपुर, ग्राम पंचायत हिंगोटिया, पंचायत समिति गंगापुर शहर, जिला सवाई माधोपुर राजस्थान माप क्षेत्र 19 ७ 40 = 760 वर्ग फीट सीमाः- पूर्व-कृषि भूमि, पश्चिम-खुली भूमि फिर रास्ता, उत्तर-खुली भूमि, दक्षिण-खुली भूमि
30.	श्री/श्रीमती उषा महावर पत्नी स्वर्गीय हरिकिशन महावर, श्री/श्रीमती रविकांत महावर पुत्र स्वर्गीय हरिकिशन महावर, श्री/श्रीमती अजयकांत पुत्र स्वर्गीय हरिकिशन महावर, वार्ड नंबर 6, कोलियों का मोहल्ला नैनवा नैनवा बूंदी राजस्थान 323801, इसके अलावा पट्टा नंबर 38 और 22, प्लॉट नंबर जीए-120, और जीए-121 वार्ड नंबर 18, गांधी आवासीय योजना, नैनवा, बूंदी राजस्थान 323801 **LA32CLLGNS000005097880/ AP-10217958**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 2779955/- (रुपये सत्ताईस लाख उन्यासी हजार नौ सौ पचपन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति 'ए' का पूरा भाग जिसमें प्लॉट नंबर जीए-120, वार्ड नंबर 18, गांधी आवासीय योजना, नैनवा, बूंदी राजस्थान 323801 शामिल है माप क्षेत्र 980 वर्ग फीट सीमाः पूर्व - पन्ना लाल कोली का प्लॉट नंबर जीए-119, पश्चिम - हेमराज कोली का प्लॉट नंबर जीए-121, उत्तर - प्लॉट नंबर डालूराम कोली का जीए-95, दक्षिण - आम रास्ता और संपत्ति 'बी' जिसमें प्लॉट नंबर जीए-121, वार्ड नंबर 18, गांधी आवासीय योजना, नैनवा, बूंदी राजस्थान 323801 माप क्षेत्र 980 वर्ग फुट शामिल, सीमाः पूर्व - प्लॉट नं. जीए-120 हरिकिशन का, पश्चिम - प्लॉट नं. जीए- 122 रामस्वरूप का, उत्तर - प्लॉट नं. जीए-94 रतन कोली का, दक्षिण-आम रास्ता
31.	श्री/श्रीमती अनिता बाई पत्नी देवकिशन माली, श्री/श्रीमती देवकिशन माल पुत्र हीरा माल, माली मोहल्ला, ग्राम डाबी, ग्राम पंचायत डाबी, पंचायत समिति तलेरा जिला बूंदी राजस्थान 323022 **HLBUCHLQNS000005100526/ AP-10237809**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 695045/- (रुपये छह लाख पचानवे हजार पैंतालीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति के सभी भाग जिसमें पट्टा संख्या 10672 खसरा संख्या 1798/1002, ग्राम डाबी, ग्राम पंचायत - डाबी, पंचायत समिति - तलेरा, जिला बूंदी राजस्थान 323022 शामिल है। माप क्षेत्रफल 900 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व - मांगी लाल का बाड़ा, पश्चिम - मांगी लाल का बाड़ा, उत्तर - मांगी लाल का मकान, दक्षिण - आम रास्ता
32.	श्री/श्रीमती जसमीत कौर पत्नी श्री सुखचैन सिंह, श्री/श्रीमती सुखचैन सिंह पुत्र श्री गुरदास सिंह, श्री/श्रीमती हरप्रीत सिंह पुत्र श्री गुमरेज सिंह, वार्ड नं. 11 डब्ल्यूएस एसट्ब्ल्यूए गुरुसर कोहला गुरुद्वारा के पास 335513 राजस्थान, इसके अलावाः प्लॉट नंबर निल पट्टा नंबर 34 बुक नंबर 31 कोहला हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ राजस्थान 335513,335513 राजस्थान **HL15CHLONS000005033730/AP-10067079**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 781995/- (रुपये सात लाख इक्यासी हजार नौ सौ पंचानबे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या नील, पट्टा संख्या 34, बुक संख्या 31 का पूरा भाग, कोहला, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान 335513 में स्थित है। माप क्षेत्र लगभग 2580 वर्ग फीट है। सीमाः- पूर्व- श्री मोहन सिंह, पश्चिम- श्री हरबंश, दक्षिण- श्री लालचंद, उत्तर- गली
33.	श्री/श्रीमती सिलोचना पत्नी श्री महेंद्र सिंह, श्री/श्रीमती महेंद्र सिंह पुत्र श्री श्योलाल, वार्ड नंबर 4 अगुणा 25 जेएसएन जसाना 335523 राजस्थान, इसके अलावाः प्लॉट नंबर निल पट्टा नंबर 32 बुक नंबर 392 जसाना तहसील नोहर जिला. हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ राजस्थान 335523 राजस्थान **LA15CLLONS000005041959/AP-10091916**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 732256/- (रुपये सात लाख बत्तीस हजार दो सौ छप्पन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या नील, पट्टा संख्या 32, बुक संख्या 392 का पूरा भाग, जसाना, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राजस्थान में स्थित है। माप क्षेत्र लगभग 606.11 वर्ग गज है। सीमाः- पूर्व- राजू, पश्चिम- रास्ता, उत्तर- राजा राम, दक्षिण- रास्ता,
34	श्री/श्रीमती सुशीला पत्नी श्री बंशी लाल, श्री/श्रीमती बंशी लाल पुत्र श्री बाबू राम, रेवाड़ा जेतमाला बाडमेर 344032 राजस्थान, इसके अलावा पट्टा नंबर-31, मिसल नंबर-23/2021, बुक नंबर-5, ग्राम-रेवाड़ा जेतमाला, ग्राम पंचायत-रेवाड़ा मैया, जिला-बाड़मेर, राजस्थान-344032 344032 राजस्थान **HLBLCHLONS000005053116/AP-10122213**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 364273/- (रुपये तीन लाख चौसठ हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या- 31, मिशल संख्या- 23/2021, बुक नंबर- 5, ग्राम-रेवाड़ा जेतमाला, ग्राम पंचायत-रेवाड़ा मैया, जिला- बाड़मेर, राजस्थान-344032 बाड़मेर में स्थित आवासीय भूखंड का पूरा भाग, माप क्षेत्र लगभग 1215 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- डूंगर राम की संपत्ति, उत्तर- बाबूलाल की संपत्ति, दक्षिण- खीम सिंह की संपत्ति,
35.	श्री/श्रीमती गुड्डी देवी पत्नी श्री मदन लाल, श्री/श्रीमती दीपक जोशी पुत्र श्री मदन लाल जोशी, ई 59 स्वराज नगर करमीसर 334001 राजस्थान इसके अलावाः प्लॉट नंबर 115, धन्वंतरि नगर, करमीसर, बीकानेर राजस्थान 334001, 334001 राजस्थान **HL33AHLONS000005056198/AP-10131575**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 865273/- (रुपये आठ लाख पैंसठ हजार दो सौ तिहत्तर मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	भूखंड संख्या 115, धनवंतरी नगर, ग्राम करमीसर, बीकानेर राजस्थान 334001 का पूरा भाग माप क्षेत्र लगभग 1600 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व-सड़क, पश्चिम- प्लॉट संख्या 94, उत्तर-प्लॉट संख्या 114, दक्षिण-सड़क,
36.	श्री/श्रीमती दीप सिंह पुत्र सोन सिंह, श्री/श्रीमती महेंद्र सिंह पुत्र सोन सिंह, मिठड़ी सोलंकियों का वास आहोर जालोर राजस्थान 307029,307029 राजस्थान, इसके अलावा प्लॉट नंबर 23 ग्राम मोहब्बत नगर सिरोही राजस्थान 307029,307029 राजस्थान **HL11CHLONS000005067312/AP-10162450**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 947798/- (रुपये नौ लाख सैंतालीस हजार सात सौ अट्ठानवे मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या 23 का पूरा भाग, ग्राम मोहब्बत नगर, सिरोही राजस्थान 307029 सिरोही माप क्षेत्र लगभग 1375 वर्ग फीट। सीमाः- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-आबादी प्लॉट, उत्तर- प्लॉट संख्या 24, दक्षिण-कॉलोनी खाली जमीन
37.	श्री/श्रीमती संजू देवी पत्नी अक्खा राम, श्री/श्रीमती अक्खा राम पुत्र श्री पुरखा राम, पट्टा नं.-27, बुक नं. 8, मिसल नं.44/2021-22 ग्राम पंचायत-भुचेटी, पंचायत समिति बावड़ी, जिला जोधपुर राजस्थान 342606, 342606 राजस्थान **LA34VLLGNS000005069594/AP-10164868**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 560870/- (रुपये पांच लाख साठ हजार आठ सौ सत्तर मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या- 27 का समस्त भाग, बुक नंबर 8, मिसल संख्या 44/2021- 22 ग्राम पंचायत-भूचेटी, पंचायत समिति बावड़ी, जिला जोधपुर राजस्थान 342606 जोधपुर माप क्षेत्र लगभग - 183.66 वर्ग गज, सीमाः- पूर्व-मेगला राम/नविया राम, पश्चिम-समलाती रास्ता, उत्तर-लाला राम/पुरखा राम, दक्षिण-ओगर राम/रामू राम
38.	श्री/श्रीमती संतोष देवी पत्नी श्री हरफूल राम, श्री/श्रीमती महेंद्र कुमार पुत्र श्री हरफूल राम, पट्टा नंबर 58, बुक नंबर 43, प्रेमनगर, बालरासर आथूना चूरू चूरू राजस्थान 331001 राजस्थान **HL11RNLONS000005070569/AP-10169415**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 528133/- (रुपये पांच लाख अट्ठाईस हजार एक सौ तैंतीस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 58, पुस्तक संख्या 43, प्रेमनगर, बालरासर आथूना चुरू चुरू राजस्थान माप क्षेत्र के सभी भाग लगभग 110.22 वर्ग गज, सीमाः- पूर्व-स्व भूमि 11 फीट और मोमन राम / छोटू राम का घर, पश्चिम-उमीदा राम / लिछमन राम का घर, उत्तर-गणपत राम / पिथराम, दक्षिण-स्वयं भूमि 23 फीट और आम रास्ता
39.	श्री/श्रीमती शायरी देवी पत्नी श्री रमेश चंद्र, श्री/श्रीमती रमेश चंद्र पुत्र श्री किसना राम, श्री/श्रीमती सुरेश कुमार पुत्र श्री रमेशचंद्र, पट्टा संख्या 04, पुस्तक संख्या 02, मिसल संख्या 01/2023-24 ग्राम एवं ग्राम पंचायत पुर थाना सरनाऊ तह सांचौर जालोर राजस्थान 343041 राजस्थान **HLBNCHLONS000005098007/AP-10230862**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1154301/- (रुपये ग्यारह लाख चौवन हजार तीन सौ एक मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 04, पुस्तक संख्या 02, मिसल संख्या 01/2023-24 ग्राम एवं ग्राम पंचायत पुर, थाना सरनाऊ, तहसील सांचौर, जालोर राजस्थान के सभी भाग, माप क्षेत्र लगभग- 1295 वर्ग फुट. सीमाः- पूर्व-हुकमा राम, पश्चिम-आम प्रवेश द्वार, उत्तर-बाबू लाल, दक्षिण-मदन लाल
40.	श्री/श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री भंवर लाल, श्री/श्रीमती भंवर लाल पुत्र श्री रामदीन, पट्टा नंबर 22, पट्टा बुक नंबर 10, ग्राम और ग्राम पंचायत छापरी क्लान थाना मोलासर जिला नागौर राजस्थान 341303 राजस्थान **LA33VLLGNS000005098713/AP-10231647**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 493656/- (रुपये चार लाख तिरानबे हजार छः सौ छप्पन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 22 का पूरा हिस्सा, पट्टा बुक संख्या 10, ग्राम और ग्राम पंचायत छापरी कलां, पीएस मोलसर जिला नागौर राजस्थान 341506 माप क्षेत्र लगभग 63.56 वर्ग गज, सीमाः- पूर्व- नोजा देवी, पश्चिम-लक्ष्मण राम, दक्षिण-आम रास्ता, उत्तर-लालाराम
41.	श्री/श्रीमती पूजा पत्नी श्री राजेंद्र, श्री/श्रीमती राजेंद्र पुत्र श्री भंवर लाल, रामदेव नगर रामजन जी का हत्था बोराणा डेयरी के पास बनाड़ रोड सारण नगर जिला जोधपुर राज 342015, 342015 राजस्थान, इसके अलावा प्लॉट नंबर 357ए खसरा नंबर 89/195,96,97,99 ग्राम बनाड़ जिला जोधपुर राज 342015, 342015 राजस्थान **HL34CHLONS000005102764/AP-10243696**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 1571928/- (रुपये पंद्रह लाख इकहत्तर हजार नौ सौ अट्ठाईस मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या 357 ए खसरा संख्या 89/1 95,96,97, और 99 ग्राम बनार जिला जोधपुर राज 342015 का पूरा हिस्सा माप क्षेत्र लगभग 111.11 वर्ग गज, सीमाः- पूर्व-पोटा संख्या 358, पश्चिम-प्लॉट संख्या 357 (इस भूखंड का शेष भाग) दक्षिण- सड़क, उत्तर- अन्य खसरा भूमि
42.	श्री/श्रीमती पिना कंवर पत्नी श्री रलदमल सिंह, श्री/श्रीमती रलदमल सिंह पुत्र श्री रूप सिंह, राजपूतो का बास गोलिया गोलिया भैलन बाडमेर राजस्थान 344044,344044 राजस्थान इसके अलावाः प्लॉट नंबर 01 खसरा नंबर 1118/500 ब्लॉक नंबर ए माजीसा कॉलोनी-3 ग्राम रामसीन तहसील पचपदरा बालोतरा राजस्थान 344044 राजस्थान **HLBLCHLONS000005104450/AP-10248132**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 671056/- (रुपये छह लाख इकहत्तर हजार छप्पन मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज तथा भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	भूखंड संख्या 01 का समस्त भाग खसरा संख्या 1118/500 ब्लॉक संख्या ए, माजीसा कॉलोनी-3, ग्राम रामसीन, तहसील पचपदरा, बालोतरा राजस्थान माप क्षेत्र लगभग 1316.25 वर्ग फीट सीमाः- पूर्व- अन्य भूमि, पश्चिम- सड़क, दक्षिण- अन्य भूमि, उत्तर- अन्य भूखंड
43.	श्री/श्रीमती मैना देवी पत्नी श्री दोलत राम, श्री/श्रीमती दोलतराम पुत्र श्री चेतराम, श्री/श्रीमती रामचन्द्र पुत्र श्री दोलत राम, प्लॉट नं. नील पट्टा नं. 295 वार्ड नं. 33 रावतसर हनुमानगढ़ राजस्थान 335524 राजस्थान **LA15CLLONS000005038118** तथा **LA15VLLGNS000005096418/AP-10080671** और **AP-10229251**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 718178/- (रुपये सात लाख अठारह हजार एक सौ अठहत्तर मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	पट्टा संख्या 295 का समस्त भाग, वार्ड संख्या 33, रावतसर, तहसील रावतसर, हनुमानगढ़, माप क्षेत्र लगभग 945 वर्ग फीट सीमाः- पूर्व-साहब राम, पश्चिम- रोड, उत्तर-अमीलाल, दक्षिण-ओम प्रकाश
44.	श्री/श्रीमती परमजीत कौर पत्नी श्री/श्रीमती बलजीत सिंह, श्री/श्रीमती बलजीत सिंह पुत्र श्री पाया सिंह, वार्ड नंबर 02 67 एलएनपी गंगानगर 335061 राजस्थान इसके अलावाः प्लॉट नंबर 98, पट्टा नंबर 1871, बुक नंबर 38, गांव - 67 एलएनपी जीपी- रिडमलसर, पीएस- पदमपुर, जिला - गंगानगर 335061 राजस्थान **HLAPRNLONS000005096943/AP-10228516**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 922563/- (रुपये नौ लाख बाईस हजार पांच सौ तिरसठ मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	प्लॉट संख्या 98, पट्टा संख्या 1871, बुक संख्या 38, गांव-67 एलएनपी, जीपी- रिड़मलसर, पंचायत समिति-पदमपुर, जिला-गंगानगर माप 90*32 फुट का पूरा हिस्सा। सीमाः- पूर्व-प्लॉट संख्या 96,99, पश्चिम-रास्ता, उत्तर-प्लॉट संख्या 97, दक्षिण-प्लॉट संख्या 100
45.	श्री/श्रीमती मीना जंगम पत्नी हजारी लाल जंगम, श्री/श्रीमती हजारी लाल पुत्र प्यार चंद, खाती मोहल्ला डाबी बूंदी राजस्थान-323022, इसके अलावा पट्टा संख्या 0.11608 और पट्टा संख्या। 11453 एवं पट्टा नं. 11609 ग्राम डाबी तलेरा बूंदी राजस्थान-323022 **LA32CLLONS000005031525** तथा **HL32CHLONS000005013618** तथा **LA32CLLONS000005046656** तथा **LA32CLLONS000005024725/AP-10060448** तथा **AP-10032589** तथा **AP-10100463** तथा **AP-10035294**	10-मई-2025 12-मई-2025	12-मई-2025 रु. 1618900/- (रुपये सोलह लाख अठारह हजार नौ सौ मात्र) 20 मई 2025 तक देय, साथ में 21 मई 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति ए. पट्टा संख्या 11608, संपत्ति बी. पट्टा संख्या 11453, संपत्ति सी. पट्टा संख्या 11609 का पूरा हिस्सा ग्राम- डाबी, ग्राम पंचायत-डाबी, पंचायत समिति- तलेरा डाइट, बूंदी, राजस्थान में स्थित, ए का माप क्षेत्र 2064 वर्ग फीट, बी का माप क्षेत्र 1325 वर्ग फीट और सी का माप क्षेत्र 2064 वर्ग फीट संपत्ति ए की सीमाः- पूर्व-स्वयं पुराना घर, पश्चिम- सड़क, उत्तर- स्वयं गली, दक्षिण- लामचंद का मकान, संपत्ति बी की सीमाः- पूर्व- सड़क, पश्चिम- सड़क, उत्तर- मोहन लाल जंगम, दक्षिण- खाली जमीन, संपत्ति सी की सीमाः- पूर्व- हजारी लाल का मकान, पश्चिम- सड़क, उत्तर- मोहन लाल जंगम का मकान, दक्षिण- गली
46.	श्री/श्रीमती संतोष देवी पत्नी राजेश कुमार, श्री/श्रीमती राजेश कुमार पुत्र रामजी लाल गुप्ता वार्ड नंबर 30 इंद्रा गांधी नगर डीसीएम बजरंग क्लिनिक की गली कोटा 324004 राजस्थान इसके अलावाः हाउस नंबर-बी/320 प्रेम नगर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम कोटा-324004 राजस्थानग्राम डाबी तलेरा बूंदी राजस्थान- 323022 **LAP20000283ZT0/AP-0248813**	10- मई-2025 19-मई-2025	19-मई-2025 रु. 205899/- (रुपये दो लाख पाँच हजार आठ सौ निन्यानवे मात्र) 20 मई 2025 तक देय, साथ में 10 मई 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	मकान नंबर बी-320 का पूरा हिस्सा प्रेम नगर किफायती आवास योजना कोटा (जी+3) एलआईजी, जिला कोटा, राजस्थान माप क्षेत्र 500 वर्ग फीट सीमाः- पूर्व- आम रास्ता, पश्चिम- मकान नंबर बी-319, उत्तर- खुला, दक्षिण- मकान नंबर बी-317
47	श्री/श्रीमती रजनी वर्मा पत्नी पिंटू रेगर, श्री/श्रीमती पिंटू रेगर पुत्र छीतर माई, मकान नंबर 92, रैगर बस्ती, ग्राम- लोधीपुरा, ग्राम पंचायत खाटूपुरा पंचायत समिति सवाई माधोपुर जिला सवाई माधोपुर-322001 राजस्थान **HL32CHLONS000005029480** और **LASWVLLONS000005059079/AP-10049708** और **AP-10136227**	10- जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 858618/- (रुपये आठ लाख अट्ठावन हजार छह सौ अठारह मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का पूरा हिस्सा जिसमें पट्टा संख्या 28, खसरा क्रमांक 364, ग्राम लोदीपुरा, ग्राम पंचायत खाटूपुरा, पंचायत समिति सवाई माधोपुर, जिला सवाई माधोपुर- 322001 शामिल है। माप क्षेत्रफल 952 वर्ग फीट, सीमाः- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-आनंदी रेगर का घर, उत्तर-जगदीश रेगर का घर, दक्षिण-आम रास्ता,
48.	श्री/श्रीमती रुक्मणी देवी पत्नी हीरा लाल लोहार, श्री/श्रीमती हीरा लाल लोहार पुत्र राम लाल लोहार, लोहार मोहल्ला, पट्टा नंबर 50955, ग्राम उदाखेड़ा, जी.पी. ढुंढढिया थाना मावली, बड़गांव, जिला. उदयपुर राजस्थान 313205 **HLBHCHLONS000005070944/AP-10170358**	10-जून-2025 12-जून-2025	12-जून-2025 रु. 801700/- (रुपये आठ लाख एक हजार सात सौ मात्र) 10 जून 2025 तक देय, साथ में 11 जून 2025 से ब्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत	संपत्ति का समस्त भाग पट्टा संख्या 50955 ग्राम उदाखेड़ा, जीपी ढुंढढिया, पीएस मावली, जिला उदयपुर, राजस्थान 313205. कुल क्षेत्रफल 858 वर्ग फुट। सीमाः- पूर्व-आम रास्ता, पश्चिम-श्री शंकर लाल गाडरी की कृषि भूमि, उत्तर-श्रीमती मांगी बाई लोहार का मकान, दक्षिण-श्री जगनाथ लोहार का मकान।

स्थानः राजस्थान

तिथिः 24.06.2025

प्राधिकृत अधिकारी

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड

J&K Bank

क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियाँ श्रेणी प्रबंधन विभाग

अकबरी गेट क्रॉसिंग, अब्दुल अजीज रोड, लखनऊ- 22003, उत्तर प्रदेश

ई-मेल : cluluck@jkbmail.com

संदर्भ : दिनाँक : 10–03–2025

पंजीकृत ए.डी.

मैसर्स प्रताप रोडलाइन्स (उधारकर्ता)

स्वामिनी : श्रीमती आस्था चंद पत्नी श्री आदित्य प्रताप सिंह

निवासी– बी–1203, स्प्रिंग ग्रीन्स, इंदिरा नहर के पास, फैजाबाद रोड, खसरा सं. 334, लखनऊ, उत्तर प्रदेश– 226028

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना।

श्रीमान,

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के अंतर्गत यह मांग सूचना मेरे अर्थात् श्री राजेश शर्मा द्वारा 23 जून 2025 को जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के अनुसार निम्नलिखित कारणों से विधिवत सशक्त होकर जारी की गई है :

जबकि, जम्मू एंड कश्मीर बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) की व्यावसायिक इकाई, (अमीनाबाद, लखनऊ) ने आपको (जिसे आगे उधारकर्ता भी कहा जाएगा) संदर्भ संख्या– **JKB/ZOD/ADV/2023-24-955** दिनांक 15.12.2023 के अंतर्गत रु. 89,00,000/– (रुपये नवासी लाख मात्र) का परिवहन ऋण (नए वाहनों की खरीद के लिए जेके बैंक वाणिज्यिक वाहन वित्त योजना) ऋण सुविधा स्वीकृत की है।

जबकि उपरोक्त ऋण सुविधा निम्नलिखित प्रतिभूतियों द्वारा सुरक्षित थी :

प्राथमिक प्रतिभूति :

पंजीकरण संख्या **BR06PG2966** और **BR06PG3066** वाले वाहनों का दृष्टिबंधक।

संपार्श्विक प्रतिभूति :

सीजीटीएमएसई का गारंटी कवर

जबकि उपरोक्त ऋण सुविधा आपके द्वारा बैंक के पक्ष में उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों (सुरक्षित परिसंपत्तियों) में सुरक्षा हित के निर्माण के बाद उधारकर्ता / बंधककर्ता के रूप में प्राप्त की गई थी,

जबकि, उधारकर्ता उपरोक्त संदर्भित स्वीकृति पत्र की शर्तों और बैंक के पक्ष में उधारकर्ता द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण सुविधा को बनाए रखने में विफल रहा है, परिणामस्वरूप उधारकर्ता ऋण खाता संख्या 0479266100000009 को भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा 28.02.2025 को अनिष्पादनकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ऋण खाते का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	सुविधा	स्वीकृत सीमा	सीमा प्राप्त	एनपी की तिथि	एनपीए की राशि	31.05.2025 के अनुसार ब्याज की राशि	31.05.2025 के अनुसार कुल बकाया
1.	परिवहन ऋण	रु. 89,00,000	रु. 89,00,000	28.02.2025	रु. 83,10,322.53	रु. 5,26,064.30	रु. 88,36,386.83
	कुल बकाया	**रु. 89,00,000**	**रु. 89,00,000**	**28.02.2025**	**रु. 83,10,322.53**	**रु. 5,26,064.30**	**रु. 88,36,386.83**

कुल बकाया 31.05.2025 के अनुसार रु. 88,36,386.83 है।

जबकि उपरोक्त राशि बैंक के खातों की पुस्तकों में उधारकर्ता के रूप में आपकी ओर से देय है।

अब, चूंकि उधारकर्ता उपरोक्त प्रतिभूतियों द्वारा विधिवत सुरक्षित उक्त ऋण के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है और उसकी उपेक्षा की है, और उधारकर्ता के खाते को अनिष्पानदकारी परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मैं उपरोक्त नामित प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफेसी अधिनियम, 2002 और इसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत उधारकर्ता को सूचना देता हूं, और उधारकर्ता को पूर्ण रूप से भुगतान करने और उधारकर्ता देनदारियों का निर्वहन करने के लिए कहता हूं, जो कुल मिलाकर रु. 88,36,386.83 (रुपये अट्ठासी लाख छत्तीस हजार तीन सौ छियासी और तिरासी पैसे मात्र) है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उस पर दिनांक 01.06.2025 से संविदात्मक दर पर ब्याज तथा समय–समय पर बैंक द्वारा वहन किए जाने वाले अन्य शुल्क और लागतें शामिल हैं और इस प्रकार इस सूचना की तारीख से 60 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के प्रति उधारकर्ताओं की सभी देनदारियों का पूर्ण रूप से निर्वहन करते हैं, ऐसा न करने पर बैंक उधारकर्ताओं की लागत और जोखिम पर अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

हम उधारकर्ता को यह भी सूचना देते हैं कि 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की तारीख तक ब्याज और लागतों के साथ उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और;

i) उधारकर्ता द्वारा मांग के अनुसार राशि का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में, बैंक को अधिनियम के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार के साथ–साथ उपर्युक्त सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्ज़ा, नियंत्रण और या प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ii) प्रक्रिया में किए गए सभी खर्च उधारकर्ता के खाते में डेबिट किए जाएंगे और उधारकर्ता से वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा, सुरक्षित परिसंपत्ति की बिक्री की स्थिति में उधारकर्ता की देयता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, बैंक को उधारकर्ता से शेष राशि वसूलने का अधिकार होगा।

iii) यह मांग सूचना किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के लिए पूर्वाग्रह के बिना है और इसे बैंक के पास बकाया राशि के संबंध में आगे की मांग करने के अधिकार सहित किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के त्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

iv) अधिनियम की धारा 13(13) के अंतर्गत इस सूचना की तिथि के बाद उधारकर्ता/बंधककर्ता को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस सूचना में उल्लिखित किसी भी सुरक्षित संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से रोकती है और उक्त प्रावधान का उल्लंघन अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।

v) यह मांग सूचना ऋण राशि की वापसी है और सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बकाया राशि की मांग बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना उधारकर्ता/कंपनी/निदेशकों/बंधककर्ताओं/गारंटरों के खिलाफ किसी अन्य कानूनी उपायों के तहत वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए है।

vi) उधारकर्ता को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13(8) द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर सुरक्षित संपत्ति को ऋण से मुक्त कर सकते हैं।

दिनाँक : 10–03–2025 **राजेश शर्मा, प्राधिकृत अधिकारी**

पंजीकृत कार्यालय कॉर्पोरेट मुख्यालय एम. ए. रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत दूर. +91 (कार्या.) 194 2481 930–35, फैक्स +91 (कार्या.)194 248 1928, सीआईएन : L65110JK1938SGC000048 ई : info@jkbmail.com डब्ल्यू : www.jkbank.net

जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड

J&K Bank

इम्पेयर्ड एसेट्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट

3 पार्क एंड, मेट्रो पिलर 100 के सामने, किकस मार्ग दिल्ली–110092

ई-मेलः Vikaas@jkbmail.com वेबः www.jkbank.net

संदर्भः दिनांकः 08–05–2025

पंजीकृत ए.डी.

1. श्रीमती शिवा शिखा मिश्रा पत्नी स्वर्गीय श्री हरिशंकर मिश्रा निवासी एम004 सेक्टर 66 नोएडा जी.बी.नगर
(विधिक उत्तराधिकारी)
2. श्री विभोर मिश्रा पुत्र स्वर्गीय श्री हरिशंकर मिश्रा निवासी मकान नंबर 95 एल्डिको ग्रीन गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश
(विधिक उत्तराधिकारी)
3. श्रीमती अपेक्षा मिश्रा पुत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर मिश्रा निवासी मकान नंबर 95 एल्डिको ग्रीन गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश
(विधिक उत्तराधिकारी)

श्री हरिशंकर मिश्रा पुत्र श्री शिवपूजन मिश्रा निवासी 95 एल्डिको ग्रीन्स गोमती नगर लखनऊ उ.प्र.–226010 117/0/126 गीता नगर नियर विश्नोल पार्क नवान्न नगर कानपुर उत्तर प्रदेश–208025 के सभी विधिक उत्तराधिकारी (तत्पश्चात मृतक कर्जदार द्वारा संदर्भित)

4. श्रीमती उपासना वैश्य पत्नी स्वर्गीय श्री हरिशंकर मिश्रा निवासी ए–2/101 अमरपाली प्लेटिनम सेक्टर 119 नोएडा उ.प्र. 201301 (सह कर्जदार/विधिक उत्तराधिकारी)

प्रिय महोदय/महोदया

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम–2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत मांग सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जाएगा) की धारा 13 (2) के अंतर्गत यह मांग सूचना मेरे, श्री पवन कुमार अरोड़ा द्वारा 8 मई 2025, जम्मू और कश्मीर बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में सरफैसी अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के अनुसार विधिवत सशक्त होकर, नीचे बताए गए कारणों से जारी किया जाता है:

जबकि, जम्मू और कश्मीर बैंक (जिसे आगे बैंक कहा जाएगा) की व्यावसायिक इकाई, विकास मार्ग ने मृत कर्जदार के पक्ष में आवासीय ऋण सुविधा की स्वीकृत दी, जिसका विवरण इस प्रकार है:

स्वीकृत संदर्भ संख्या JKB/ZOD/ADV/2023–357 दिनांक 01.07.2023 के अनुसार रु. 1,35,00,000/–(रुपए एक करोड़ पैंतीस लाख मात्र) की आवासीय ऋण सुविधा

जबकि उपरोक्त ऋण सुविधा निम्नलिखित प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत थीः आवासीय ऋण खाते में:

प्राथमिक प्रतिभूतिः

स्वर्गीय श्री हरिशंकर मिश्रा पुत्र श्री शिवपूजन मिश्रा निवासी मकान नं 95 एल्डेको ग्रीन्स गोमती नगर लखनऊ उत्तर प्रदेश –226010 के नाम पर आवासीय प्लॉट संख्या 04 ब्लॉक एम सेक्टर 66 नोएडा उ.प्र.–201301 पर निर्मित समस्त भवन के प्रभार का बंधकः

संपार्श्विक प्रतिभूतिः शून्य

जबकि उपरोक्त ऋण सुविधाओं का लाभ मृत कर्जदार द्वारा बैंक के पक्ष में उपरोक्त संदर्भित संपत्तियों (प्रतिभूत परिसंपत्तियों) में प्रतिभूति हित के निर्माण के उपरांत उठाया गया था।

जबकि, कर्जदार उपरोक्त संदर्भित स्वीकृति पत्र/पत्रों तथा बैंक के पक्ष में उनके द्वारा निष्पादित दस्तावेजों में निर्धारित अन्य नियमों और शर्तों के अनुसार ऋण सुविधा को बनाए रखने में विफल रहे हैं, परिणामस्वरूप कर्जदार के ऋण खाता संख्या 0464265500000160 को बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार 03.03.2025 को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

ऋण खाते का विवरण निम्नानुसार हैः

क्र. सं.	सुविधा	स्वीकृत सीमा	ग्रहण की गयी सीमा	एनपीए की तिथि	एनपीए की राशि	31.05.2025 तक ब्याज की राशि	31.05.2025 तक कुल बकाया
1	आवासीय ऋण	रु.13500000	रु.13215115.87	03.03.2025	रु. 12745552.85	रु. 469563.02	रु. 13215115.87
	कुल	रु.13500000	रु.13215115.87		रु. 12745552.85	रु. 469563.02	रु. 13215115.87

30.04.2025 तक बकाया राशि के अतिरिक्त, बैंक, प्रतिभूत लेनदार के रूप में, उस राशि का दावा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जो बीजी के क्रिस्टलीकरण और/या एलसी के हस्तांतरण (यदि कोई हो) के कारण देय हो सकती है। 30.04.2025 तक कुल बकाया राशि रु.1,32,15,115.87 (रुपए एक करोड़ बत्तीस लाख पंद्रह हजार एक सौ पंद्रह तथा सत्तासी पैसे मात्र) है, जबकि उपरोक्त राशि बैंक की खाता बहियों में मृत कर्जदार द्वारा देय है।

जबकि आप मृतक कर्जदार के विधिक उत्तराधिकारी हैं एवं इस प्रकार विधिक रूप से उसके ऋण चुकाने के दायित्वधारी हैं।

अब चूंकि मृतक कर्जदार उपरोक्त प्रतिभूतियों द्वारा प्रतिभूत उक्त ऋण के संबंध में बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहा है एवं उसकी उपेक्षा की है, तथा कर्जदार के खाते को गैर–निष्पादित परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है, मैं, ऊपर नामित प्राधिकृत अधिकारी, सरफैसी अधिनियम, 2002 तथा उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत मुझमें निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति और वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (2) के तहत कर्जदार / विधिक उत्तराधिकारी को सूचना देता हूं, और आपसे मृतक कर्जदार के विधिक उत्तराधिकारियों के रूप में आह्वान करता हूं कि आप ऊपर बताए अनुसार रु. 1,32,15,115.87 (रुपए एक करोड़ बत्तीस लाख पंद्रह हजार एक सौ पंद्रह तथा सतासी पैसे मात्र) का उस पर अनुबंध दर पर ब्याज सहित एवं कर्जदार की देनदारियों का पूर्ण रूप से तथा 01.05.2025 तक बैंक द्वारा समय–समय पर वहन किए जाने वाले अन्य प्रभारों और लागतों के साथ–साथ इस सूचना की तिथि से 60 दिनों की अवधि के भीतर बैंक के प्रति कर्जदारों द्वारा सभी देनदारियों का पूर्ण रूप से भुगतान करना होगा, अन्यथा बैंक कर्जदारों के व्यय एवं जोखिम पर अधिनियम के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

हम कर्जदार को यह भी नोटिस देते हैं कि 60 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान की तारीख तक ब्याज और लागतों के साथ उपर्युक्त बकाया राशि का भुगतान करने में विफल रहने की स्थिति में, हम उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत सभी या किसी भी अधिकार का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होंगे और;

i. कर्जदार द्वारा मांगी गई राशि का भुगतान करने में विफल होने की स्थिति में, बैंक को अधिनियम के तहत न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, पट्टे, असाइनमेंट या बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण के अधिकार के साथ–साथ उपर्युक्त प्रतिभूत परिसंपत्ति का कब्जा, नियंत्रण और या प्रबंधन करने के लिए अधिकृत किया गया है।

ii. इस प्रक्रिया में किए गए सभी खर्च कर्जदार के खाते में डेबिट किए जाएंगे और कर्जदार से वसूल किए जाएंगे। इसके अलावा, प्रतिभूत परिसंपत्ति की बिक्री की स्थिति में कर्जदार की देयता पूरी तरह से समाप्त नहीं होती है, बैंक को कर्जदार से शेष राशि वसूलने का अधिकार होगा।

iii. यह मांग नोटिस किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के लिए पूर्वाग्रह के बिना है और इसे बैंक को दी जाने वाली राशि के संबंध में आगे की मांग करने के अधिकार सहित बैंक के किसी भी अन्य अधिकार या उपचार के त्याग के रूप में नहीं समझा जाएगा।

iv. अधिनियम की धारा 13(13) इस नोटिस की तिथि के बाद कर्जदार/बंधककर्ता को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना इस नोटिस में निर्दिष्ट किसी भी प्रतिभूत संपत्ति को बिक्री, पट्टे या अन्यथा स्थानांतरित करने से रोकती है और उक्त प्रावधान का उल्लंघन अधिनियम की धारा 29 के तहत दंडनीय अपराध है।

v. यह मांग सूचना ऋण राशि की वापसी है और प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा बकाया राशि की मांग बैंक के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना कर्जदार/कंपनी/निदेशकों/बंधककताओं/गारंटियों के खिलाफ किसी अन्य विधिक उपायों के तहत वसूली कार्यवाही शुरू करने के लिए है।

vi. कर्जदार को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अधिनियम की धारा 13(8) द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिभूत संपत्ति को विमोचित कर सकता है।

तिथिः 08.05.2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

पंजीकृत कार्यालय कॉर्पोरेट मुख्यालय एम.ए.रोड, श्रीनगर 190001 कश्मीर, भारत दूरभाष : +91 (0)194 2481 930–35 फैक्स +91 (0)194 248 1928 सीआईएनः L65110JK1938SGC000048 ईमेल : info@jkbmail.com वेबसाइट : www.jkbank.net

THE BUSINESS DAILY FOR DAILY BUSINESS

FINANCIAL EXPRESS

For All Advertisement Booking
Call : 0120-6651214

पंजाब नैशनल बैंक

pnb ...भरोसे का प्रतीक!

कब्जा नोटिस

चल/अचल सम्पत्तियों का कब्जा नोटिस

(प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (1) के अन्तर्गत)

यद्यपि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्संरचना तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) के अन्तर्गत व प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के साथ पठित नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी किया था। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतद्द्वारा आम जनता को एवं ऋणियों व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का आधिपत्य उपरोक्त अधिनियम की धारा 13(4) एवं सपठित नियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतद्द्वारा ऋणियों/गारंटरों को विशेषत: और जन साधारण को सामान्यत: सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियों का अधिग्रहण कर लिया गया है। अत: इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई भी सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार पंजाब नैशनल बैंक को देय राशि व तत्सम्बन्धित ब्याज व अन्य व्यय आदि हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

अधिनियम के नियम 13 के उप नियम (8) के प्रावधान की ओर ऋणी/गारंटर/बंधककर्ता/कानूनी का ध्यान आकृष्ट किया जाता है कि वह उपलब्ध समय में अपनी सम्पत्ति को छुड़ा लें।

ऋणी/बंधककर्ता का नाम	सम्पत्ति का विवरण	दि. मांग नोटिस	दि. कब्जा नोटिस	मांग नोटिस अनुसार बकाया राशि
शाखाः बल्केश्वर, आगरा				
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर- श्री सुनील पुत्र श्री निरोत्तम दास	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति मकान नं. खसरा नं. 676, श्री कृष्णा सिटी, सराय हव्वाम के पास मौजा नराईच, आगरा, एरिया- 39.71 वर्ग मीटर, संपत्ति स्वामी- श्री सुनील पुत्र श्री निरोत्तम दास, चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट नं. 147बी, पश्चिम- रास्ता 6 मीटर चौड़ा, उत्तर- प्लॉट नं. 148, दक्षिण- भूमि अन्य	01-03-2025	20-06-2025	₹ 10,11,405.52 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर- 1. श्री नवनीत पांडे पुत्र श्री अशोक पांडे, 2. श्री. प्रीतम पांडे पुत्र श्री अशोक पांडे	साम्यिक बंधक प्लॉट नं. 3 प्लॉट नं. 9, 10 एवं 11 का भाग खसरा नं. 407 का भाग शक्ति एन्क्लेव फेज 11 नगला महाराम मौजा पोइया तहसील एत्मादपुर जिला आगरा, एरिया- 41.80 वर्ग मीटर, संपत्ति स्वामी- श्री नवनीत पांडे पुत्र श्री अशोक पांडे, चौहद्दी: पूर्व- प्लॉट नंबर 2, पश्चिम- प्लॉट का शेष भाग, उत्तर- साई धाम कॉलोनी, दक्षिण- रास्ता 20 फोट चौड़ा	20-02-2025	20-06-2025	₹ 15,93,260.40 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर- 1. श्री शाहिद हुसैन पुत्र श्री इकबाल हुसैन, 2. श्री राशिद खान पुत्र श्री इकबाल हुसैन, 3. श्री पवन कुमार धाकरे पुत्र श्री चंद्र सेन	साम्यिक बंधक आवासीय मकान नं. 24/171, (पश्चिमी आधा भाग) (पुराना नं. 5524), वृन्दागंज गली कोतवाली वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा, एरिया- 137.11 वर्ग मीटर, संपत्ति स्वामी- श्री शाहिद हुसैन एवं श्री राशिद खान, चौहद्दी: पूर्व- मंजूर हसन का मकान, पश्चिम- मकान नं. 5525 नूर मोहम्मद इब्राहिम की सीमा, उत्तर- शौकत का मकान, दक्षिण- रास्ता 6 मीटर चौड़ा	28-03-2025	23-06-2025	₹ 12,12,915 + ब्याज एवं अन्य खर्चे
शाखाः सिकन्दरा फल मंडी, आगरा				
ऋणी/बंधककर्ता/गारंटर- 1. मीना पत्नी श्री गेंदालाल, 2. श्री रामू पुत्र श्री गेंदालाल	साम्यिक बंधक आवासीय संपत्ति स्थित प्लॉट नं. 06, खसरा नं. 64ए, स्थित शिवधाम फेज-2, मौजा कलवारी तहसील एवं जिला आगरा, एरिया- 82.82 वर्ग मीटर, संपत्ति स्वामी- श्रीमती मीना एवं श्री रामू, चौहद्दी: पूर्व- 20 फीट चौड़ी सड़क एवं निकास, पश्चिम- अन्य का प्लॉट, उत्तर- प्लॉट नं. 7, दक्षिण- प्लॉट नं. 5	16-01-2025	23-06-2025	₹ 10,12,801.87 + ब्याज एवं अन्य खर्चे

नोटः हिंदी कब्जा नोटिस में यदि भूलवश कोई त्रुटि पाई जाती है तो अंग्रेजी में प्रकाशित नोटिस को सही माना जाये।

दिनांक : 24-06-2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

SMFG Grihashakti — Nayi Asha. Naya Vishwas.

निगमित कार्यालय : 503 एवं 504, 5वाँ तल, जी– ब्लॉक, इंसाइप्रि बीकेसी, बीकेसी मेन रोड, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई– 400 051 **पंजीकृत कार्यालय :** कॉमरजोन आईटी पार्क, टॉवर बी, प्रथम तल, नं. 111, माउंट पूनामल्ली रोड, पोरूर, चेन्नई– 600116, तमिलनाडु

अचल संपत्ति की अधिग्रहण सूचना [(परिशिष्ट IV) नियम 8(1)]

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ख्राष्ट्रीय आवासन बैंक के साथ विधिवत पंजीकृत (आरबीआई द्वारा पूर्णतः स्वामित्वकृत), (यहाँ इसमें इसके उपरांत "एसएमएचएफसी" के रूप में संदर्भित), के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत, एक माँग सूचना दिनांकित निम्नांकित उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अंतर्गत निर्गत की थी, जिसमें आप ऋणकर्ताओं (नाम नीचे वर्णित हैं) को उक्त सूचना में अंकित राशि तथा राशि पर नियत ब्याज का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा यहाँ इसमें निम्न वर्णित ऋणकर्ताओं को और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहाँ इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। यहाँ इसमें उपरोक्त वर्णित ऋणकर्ताओं को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्यतय सावधान किया जाता है कि उक्त संपत्ति का लेन–देन न करें और संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहाँ इसमें निम्नांकितानुसार एक राशि तथा इस राशि नियत ब्याज हेतु "एसएमएचएफसी" के प्रभाराधीन होगा।

क्र. सं.	ऋणकर्ता(ओं) / गारंटर(रों) के नाम, लैन	प्रतिभूत परिसंपत्तियों (अचल संपत्ति) का विवरण	माँग सूचना तिथि एवं राशि	अधिग्रहण की तिथि
1.	लैन :– 609139211021059 1. अजय बंसल 2. पुष्पा देवी	पूरी दूसरी मंजिल छत/टेरेस अधिकारों के साथ, संपत्ति भूमि के आवासीय प्लॉट पर निर्मित संख्या 211, क्षेत्रफल 70 वर्ग मीटर की माप, ब्लॉक ए–4 पश्चिम विहार दिल्ली– 110063, सीमा :– पूर्व– प्लॉट संख्या 210, पश्चिम– प्लॉट संख्या 211, उत्तर– रोड, दक्षिण– एस/लेन।	22.03.2025 रु. 67,14,009.78 (रुपये सड़सठ लाख चौदह हजार नौ और अठ्ठहत्तर पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
2.	लैन :– 613738011797248 1. अमरीश कुमार 2. ज्योत्सना कुमारी	संपत्ति संख्या 59 ऊपरी भूतल, बिना छत अधिकारों के, पॉकेट–28 सेक्टर–24 रोहिणी दिल्ली–110085	22.03.2025 रु. 61,93,847.93 (रुपये इकसठ लाख तिरानबे हजार आठ सौ सैंतालीस और तिरानबे पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
3.	लैन :– 605439211739542 1. अरविंद कुमार 2. शर्मिला तेजपाल सिंह	मकान नंबर 06, क्षेत्रफल 50 वर्ग गज, खसरा नंबर 232, केशव नगर पूर्वी जवाहर नगर का हिस्सा गांव बेहटा हाजीपुर परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश 201102 में स्थित, सीमाएं :– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– सड़क 14 फीट चौड़ी, उत्तर– रमेश का घर, दक्षिण– राजा का घर।	22.03.2025 रु. 27,26,549.94 (रुपये सत्ताईस लाख छब्बीस हजार पांच सौ उनचास और चौरानबे पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
4.	लैन :– 609139211718353 1. बिदेश कुमार 2. रामकली पत्नी बिदेश कुमार	निर्मित तृतीय तल पीछे की ओर छताधिकारों वाली संपत्ति संख्या 37, क्षेत्रफल 40 वर्ग गज, कुल क्षेत्रफल 100 वर्ग गज में से, खसरा संख्या 105/10 में से ग्राम पालम, नई दिल्ली कॉलोनी जिसे विश्वास पार्क के नाम से जाना जाता है, ब्लॉक ई, उत्तम नगर, नई दिल्ली– 110059 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है : पूर्व– गली 10 फीट, पश्चिम– संपत्ति/तल का हिस्सा, उत्तर– प्लॉट नं. 37 का आधा हिस्सा, दक्षिण– प्लॉट नं. 38	22.03.2025 रु. 17,68,650.67 (रुपये सत्रह लाख अड़सठ हजार छह सौ पचास और सड़सठ पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
5.	लैन :– 613839511677292 1. दीपक पासवान 2. मीना देवी 3. रूपा कुमारी	प्लॉट संख्या 322, क्षेत्रफल 75 वर्ग गज, खसरा संख्या 3/9 में से, मौजा नगला गुजरान तहसील और जिला फरीदाबाद में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– उत्तर : रास्ता 15 फीट, दक्षिण : 22. 03.2025 रु. 15,11,429.30/– (रु. पन्द्रह लाख ग्यारह हजार चार सौ उनतीस और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 तक 21.06.2025 प्लॉट का बाकी हिस्सा, पूर्व : प्लॉट संख्या 323, पश्चिम : रास्ता।	22.03.2025 रु. 15,11,429.30/– (रुपये पन्द्रह लाख ग्यारह हजार चार सौ उनतीस और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
6.	लैन :– 605439211342081 1. कृष्ण पाल शर्मा 2. संतोष देवी	आवासीय फ्लैट संख्या जी–2 भूतल एल.आई.जी. बिना छताधिकारों के साथ, क्षेत्रफल 43.48 वर्ग मीटर, प्लॉट नं. 176 पर निर्मित आवासीय कॉलोनी विक्रम एन्क्लेव एक्सटेंशन, हदबस्त गांव पसोंदा तहसील और जिला गाजियाबाद 201005 में स्थित तथा निम्नानुसार परिसीमित है :– पूर्व– प्लॉट का हिस्सा, पश्चिम– सर्विस लेन, उत्तर– सड़क 30 फीट चौड़ी, दक्षिण– प्लॉट।	22.03.2025 रु. 17,10,721.06 (रुपये सत्रह लाख दस हजार सात सौ इक्कीस और छह पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
7.	लैन :– 605439211449677 1. नामिश अली खान 2. माजिद अली खान	संपत्ति संख्या 24 की पूरी पहली मंजिल, 200 वर्ग गज की माप, खसरा संख्या 154/1 और 155 का हिस्सा, ताजपुर पोस्ट बदरपुर दिल्ली नई दिल्ली 110044 की राजस्व संपदा में स्थित है।	22.03.2025 रु. 37,05,657.30 (रुपये सैंतीस लाख पांच हजार छह सौ सत्तावन और तीस पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
8.	लैन :– 609139511454611 1. प्रीतपाल सिंह 2. जसबीर कौर	पूरी पहली मंजिल बिना छताधिकारों के क्षेत्रफल 80 वर्ग गज, उक्त मंजिल संपत्ति संख्या 210–बी पर बनी है, मुस्तैदिल संख्या 32 किला संख्या 24 खसरा संख्या 32/24 में से कन्हिया पार्क की आबादी में ख्याला गांव के क्षेत्र जिसे चांद नगर के नाम से जाना जाता है, नई दिल्ली–110018 में स्थित है।	22.03.2025 रु. 16,29,468.66 (रुपये सोलह लाख उनतीस हजार चार सौ अड़सठ और छियासठ पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025
9.	लैन :– 613939211685714 1. पुष्पेंद्र सिंह 2. रेखा रानी	आवासीय फ्लैट नंबर जीएफ–3, ग्राउंड फ्लोर पर पीछे आरएचएस बिना छत के अधिकारों के उक्त फ्लैट प्लॉट नंबर ए–153 पर बना है, क्षेत्रफल 280 वर्ग गज, खसरा नंबर 346/1 में से, रेल विहार सहकारी आवास समिति लिमिटेड में स्थित गांव सद्दुलाबाद परगना और तहसील लोनी जिला गाजियाबाद यूपी के क्षेत्र में स्थित है। सीमायें :– पूर्व– अन्य संपत्ति, पश्चिम– प्लॉट नंबर ए–54, उत्तर– अन्य संपत्ति, दक्षिण– सड़क 30 फीट चौड़ी	22.03.2025 रु. 17,70,321.53 (रुपये सत्रह लाख सत्तर हजार तीन सौ इक्कीस और तिरेपन पैसे मात्र) 11.03.2025 के अनुसार	21.06.2025

हस्ता./–

स्थान : गाजियाबाद, फरीदाबाद, दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी,

दिनाँक : 21–06–2025 एसएमएफजी इंडिया होम फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

पंजाब नैशनल बैंक

pnb ...भरोसे का प्रतीक!

शाखाः शमशाबाद, आगरा

सरफेसी अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना

सिक्योरिटाइजेशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनैन्शियल एसैट्स एण्ड एन्फोर्समैन्ट आफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना

निम्नलिखित सम्बन्धित ऋणी द्वारा बैंक के पक्ष में उनके एवं उनके जमानतदार द्वारा निष्पादित प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण सुविधाएँ प्रदान की गई थीं परन्तु निर्गत माँग पत्रों के बावजूद ऋणकर्ता एवं उनके जमानतदार द्वारा देयताएँ/बकाया धन राशि अदा न करने के कारण उनके खाते को भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार एन.पी.ए. श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

अत: बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत उन्हें, उनके नामों के सम्मुख नीचे लिखी तिथियों पर वसूली हेतु नोटिस जारी कर दिये, जो कि पंजीकृत डाक द्वारा उन्हें भेजे गये, परन्तु बिना डिलीवरी वापिस आ गये। अब अधोहस्ताक्षरी उनसे मांग करते हैं, कि नीचे लिखी अपनी देनदारियों को भविष्य में देय संविदात्मक ब्याज (समय-समय पर संशोधित) एवं प्रासंगिक खर्चों, लागत, प्रभार इत्यादि सहित पूर्ण रूप से बैंक को, इस नोटिस के प्रकाशन के 60 दिन के भीतर अदा करें। यदि वे उक्त देय राशियां इस नोटिस के अनुसार भुगतान करने में असफल रहते हैं, तो बैंक उक्त एक्ट की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निहित समस्त या किसी भी एक अधिकार जिसका विवरण उक्त धारा में दिया गया है, का या उक्त एक्ट में दिये गये अन्य लागू प्रावधानों का प्रयोग करेगा।

उनको यह भी सूचित किया जाता है कि धारा 13 की उपधारा 13 में निहित प्रावधानों के अनुसार वे बिना बैंक की लिखित अनुमति के प्रतिभूति आस्तियों जिनका वर्णन नीचे सूची में दिया गया है को बिक्री, लीज व अन्य किसी माध्यम से हस्तांतरित नहीं करेंगे।

यह नोटिस, बैंक अपने अन्य समस्त अधिकार सुरक्षित रखते हुए बिना पूर्वाग्रह के, जिसके अनुसार बैंक यदि आवश्यक समझता है, तो विधि के किसी भी अन्य लागू प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी अन्य कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही कर सकता है, प्रेषित कर रहा है।

क्र सं	ऋणकर्ता/जमानतदारों के नाम एवं पता	सम्पत्ति का विवरण	नोटिस दिनांक	नोटिस की रकम ₹
1	**ऋणी एवं बंधककर्ता-** श्री गणेश पुत्र श्री लाल सिंह, पता1- ग्राम नया बांस शमशाबाद, जिला आगरा- 283125, पता 2- आवासीय प्लॉट, गाटा संख्या 24 का भाग, बाके राजस्व मौजा पट्टी सिकतरा, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा- 283125	साम्यिक बंधक आवासीय प्लॉट गाटा संख्या 24 का भाग, बाके राजस्व मौजा पट्टी सिकतरा, तहसील फतेहाबाद, जिला आगरा, **एरिया**- 88.02 वर्ग मीटर, **संपत्ति स्वामी**- गणेश पुत्र श्री लाल सिंह, **चौहद्दी:** पूर्व- रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम- नर सिंह किशोर का खेत, उत्तर-संपत्ति प्रथम पक्ष, दक्षिण- प्लॉट पूरन सिंह	16.06.2025	**4,06,374.62** दि. 31.05.2025 तक + ब्याज व अन्य खर्चे

दिनांक 24-06-2025 **प्राधिकृत अधिकारी**

केनरा बैंक Canara Bank

(भारत सरकार का उपक्रम) (A Govt. of India Undertaking) — सिंडिकेट Syndicate

केनरा बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय, चंदवानी मार्केट, आर्यनगर, रियलायंस स्मार्ट प्वाईट के ऊपर, ज्वालापुर, हरिद्वार, उत्तराखण्ड

कब्जा सूचना (चल सम्पत्ति हेतु)

स्क्योरिटीजाइजेशन एवं रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाईनेंशियल असेट्स एण्ड इनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 (2002 का एक्ट नं. 54) तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट इनफोर्समेंट नियम 2002 के नियम 3 के नियमानुसार साथ पढ़ते हुए अनुच्छेद 13 (12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केनरा बैंक** के प्राधिकृत अधिकारी ने सम्बन्धित ऋणी/गारंटर/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी को 60 दिनों के भीतर बकाया राशि अदा करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। ऋणी/गारंटरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा राशि अदा करने में असफल रहने पर ऋणी/गारंटरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी और जनसामान्य को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त नियमों के नियम 8 एवं 9 के साथ पढ़ते हुए उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के अन्तर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे दी गयी सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है। 'उधारकर्ता (ओं) का ध्यान प्रतिभूत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा 8 के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है' ऋणी/गारन्टरों/स्वामी/कानूनी उत्तराधिकारी को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सामान्य रूप से चेतावनी दी जाती है कि वे निम्न सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी प्रकार का लेन–देन न करें इस सम्पत्ति से किसी प्रकार का लेन–देन **केनरा बैंक** सम्बंधित शाखा को देय राशि एवं उस पर अर्जित ब्याज व खर्चों के पूर्ण भुगतान के पश्चात ही किया जा सकता है।

शाखा/ऋणी/गारन्टर के नाम	चल सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार बकाया रकम
शाखा : कोटद्वार ऋणी : श्री पपेन्द्र सिंह पुत्र श्री राजे सिंह, पता: पदमपुर, सुखरो, कोटद्वार गढ़वाल, उत्तराखंड– 246149	**HYUNDAI XCENT 1.2 CRDI S** **Chasis Number -** MALA741ELJM351342 **Engine Number–** D3FBJM691259 **Registration Number -** UK15B3710	25.03.2025 चिपकाये गये कब्जा नोटिस की तिथि 20.06.2025	**रु0 3,38,830.48** (तीन लाख अड़तीस हजार आठ सौ तीस रुपये और अड़तालीस पैसे मात्र) दिनांक 10.03.2025 से ब्याज व्यय – खाता संख्या – 2181603004091 के संबंध में दिनांक 10.03.2025 के बाद वसूली।

प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक

इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत/कॉर्पोरेट/शाखा कार्यालयः औदुम्बर, 101/1, डॉ. केतकर रोड, एरंडवाने, पुणे, महाराष्ट्र-411004

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

जैसा कि इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड (जिसे आगे 'ईएफएल' के रूप में संदर्भित किया गया है) के प्राधिकृत अधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (संक्षेप में सरफैसी अधिनियम) के तहत तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सरफैसी अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें नीचे उल्लिखित कर्जदारों/सह-कर्जदारों/बंधककर्ताओं/गारंटरों से उक्त नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर भुगतान की तिथि तक नोटिस में उल्लिखित राशि को, उस पर संविदात्मक दर पर अतिरिक्त ब्याज तथा सभी लागत प्रभार और आकस्मिक व्यय आदि सहित चुकाने का आह्वान किया है।

निम्नलिखित कर्जदार/सह-कर्जदार/बंधककर्ता/गारंटर निर्दिष्ट अवधि के भीतर उपरोक्त राशि चुकाने में विफल रहे हैं। एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार(रों) और सह-कर्जदार(रों) को नोटिस दिया जाता है कि प्राधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के साथ पठित सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त शक्तियों के तहत कब्जा कर लिया है, जिसे इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड, (प्रतिभूति लेनदार) के बकाया 21.08.2024 तक रु. 20,05,113/- (रुपये बीस लाख पांच हजार एक सौ तेरह मात्र) तथा ईएफएल के बकाया ब्याज और अतिरिक्त/दंड की वसूली के लिए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 और 9 के तहत **''जैसा है जहां है आधार पर'', ''जो है यही है आधार पर'', ''जो कुछ भी है वहीं आधार पर''** और **''आश्रय रहित आधार''** के जरिए नीलामी द्वारा बेचा जाना है।

आम जनता को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** के माध्यम से सार्वजनिक ई-नीलामी आयोजित करने जा रहे हैं।

कर्जदार, सह-कर्जदार, बंधककर्ता का नाम	धारा 13(2) के तहत मांग सूचना के अनुसार तिथि और राशि तथा भौतिक कब्जे की तिथि, कब्जे की सूचना की प्रकाशन तिथि	सम्पत्ति/सम्पत्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य/जमा धरोहर राशि तथा बोली वृद्धि राशि (रु.)	ई-नीलामी की तिथि तथा समय, ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि, निरीक्षण की तिथि
1. कर्जदारः - रिया इंटरप्राइजेज खसरा नंबर 58, इलाइचीपुर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश 201102. 2. सह-कर्जदारः - संजय कुमार मकान नंबर 2117, बस्ती पीपल वाली सदर, बाजार, दिल्ली उत्तर पश्चिम, दिल्ली, नई दिल्ली 110006. 3. सह-कर्जदारः - ओम प्रकाश मकान नंबर 2117, बस्ती पीपल वाली सदर, बाजार, दिल्ली उत्तर पश्चिम, दिल्ली, नई दिल्ली 110006 4. सह-कर्जदारः- बिमला मकान नंबर 2117, बस्ती पीपल वाली सदर, बाजार, दिल्ली उत्तर पश्चिम, दिल्ली, नई दिल्ली 110006	**21 अगस्त, 2024 और 21.08.2024 तक तक बकाया रु. 20,05,113/-** (रुपये बीस लाख पाँच हजार एक सौ तेरह मात्र) **और 28 फरवरी, 2025 और 13 मार्च, 2025**	खसरा संख्या 58 में से 85 वर्ग गज यानि 71.06 वर्ग मीटर के भूखंड का समस्त भाग, आवासीय कॉलोनी नसीब विहार में स्थित, इलाचीपुर गांव, परगना लोनी, तहसील और जिला- गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में। साथ ही उसमें खड़ी वर्तमान और भावी संरचना। **सीमाओं का विवरण इस प्रकार है:** उत्तर में - अन्य की संपत्ति दक्षिण में - अन्य की संपत्ति पूर्व में - अन्य की संपत्ति पश्चिम में - 18 फीट चौड़ी सड़क	**आरक्षित मूल्य:-** **रु. 18,50,000/-** (रुपये अठारह लाख पचास हजार मात्र) **ईएमडी:-** **रु. 1,85,000/-** (रुपये एक लाख पिचासी हजार मात्र) **बोली वृद्धि राशिः - रु. 5,000/-**	09/07/2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) 07/07/2025 को शाम 4:00 बजे तक। 04/07/2025 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक

1. सभी इच्छुक प्रतिभागियों/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे **https://sarfaesi.auctiontiger.net https://www.electronicafinance.com** वेबसाइट देखें। ई-नीलामी पर विस्तृत जानकारी, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से संपर्क कर सकते हैं; संपर्क श्री राम शर्मा संपर्क नंबरः 8000023297. ईमेल आईडीः **ramprasad@auctiontiger.net, support@auctiontiger.net**
2. नियम और शर्तों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया ई-नीलामी में भाग लेने के लिए **https://iwww.electronicafinance.com** तथा **https://sarfaesi.auctiontiger.net** देखें।

यह प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के तहत एक वैधानिक 15 दिन का बिक्री नोटिस भी है।

दिनांकः 24.06.2025 प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली, रा.रा.क्षे. इलेक्ट्रॉनिका फाइनेंस लिमिटेड

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

HINDUJA HOUSING FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः नंबर 167-169, दूसरी मंजिल, अन्ना सलाई, सैदापेट, चेन्नई - 600015

शाखा कार्यालयः एफ-8, प्रथम तल, महाल्मी मेट्रो टॉवर, सेक्टर 4, वैशाली, गाजियाबाद, 201019, ईमेलः auction@hindujahousingfinance.com

आरआरएम-अमित कौशिक-मोबाइल नं. 9587088333 • एएलएम-अरुण मोहन शर्मा -मोबाइल नं. 8800898999 सीएलएम - ध्रुव वशिष्ठ - मोबाइल नं. 8802967651

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13(2) के तहत सूचना

हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के माध्यम से नीचे उल्लिखित कर्जदारों/गारंटरों द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में, जो नीचे उल्लिखित तारीखों पर बकाया राशि के साथ एनपीए बन गए हैं। हमने वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के तहत नीचे उल्लिखित विस्तृत मांग नोटिस पहले ही पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कूरियर द्वारा आपके बकाया देयता को पावती के साथ जारी कर दिया है, जिसे बिना डिलीवर किए वापस कर दिया गया है/पावती प्राप्त नहीं हुई। हमने 60 दिनों के भीतर नीचे उल्लिखित राशि का भुगतान करने की आपकी शर्त के मामले में अधिनियम की धारा 13(4) के अनुसार आप में से किसी एक के स्वामित्व वाली प्रतिभूतियों पर कब्जा करने के अपने इरादे का संकेत दिया है। ऊपर बताए अनुसार आपके दायित्व का निर्वहन नहीं करने की स्थिति में, बैंक/प्रतिभूत लेनदार सरफैसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और कब्जे की सूचना/नीलामी सूचना, इलेक्ट्रॉनिक या अन्यथा विधि से आवश्यकतानुसार प्रकाशित करते समय सरफैसी अधिनियम के तहत, बैंक/प्रतिभूत ऋणदाता आपकी तस्वीर भी प्रकाशित कर सकता है। विवरण यहां दिया गया है-

क्र	कर्जदार/सह-कर्जदार/गारंटर	मांग सूचना की तिथि तथा राशि
1	**DL/BPR/ASHO/A000000160**, श्री जीतेन्द्र कुमार, श्रीमती सरिता सरिता, मकान नं. 229 5 नंबर भाटिया रोड, न्यू गढ़ी दर्गल, गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 1568898/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय संपत्ति संख्या 229 (छत के अधिकार के साथ), क्षेत्रफल माप 80 वर्ग गज, यानी 66.88 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 229 में शामिल, गांव धरगल, परगना-जलालाबाद, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की राजस्व संपदा में स्थित है। (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: अशोक कुमार शर्मा का प्लॉट, उत्तर: अन्य का प्लॉट, दक्षिण: 13 फुट चौड़ा मार्ग	
2	**DL/DEL/LXND/A000000648,** श्री अंकुर अंकुर, श्री राजवीर राजवीर एस श्रीमती शीला शीला, ग्राम फतेहपुर रामपुर गौतमबुद्धनगर दादरी उ.प्र., ग्राम फतेहपुर रामपुर गौतमबुद्धनगर दादरी उ.प्र. ग्राम फतेहपुर रामपुर गौतमबुद्धनगर दादरी उ.प्र., सेमीअर्बन, दादरी, उत्तर प्रदेश, भारत-201310	17-06-2025 तथा रु. 924104/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय घर क्षेत्रफल माप 102 वर्ग गज, खसरा संख्या 170 में से, गांव रामपुर फतेहपुर, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है। (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)	
3	**DL/DEL/LXND/A000000969**, श्री राकेश कुमार, श्रीमती मीना मीना, मकान नंबर 844/4 सरस्वती विहार ग्राम सराना मुरादनगर गाजियाबाद, मेट्रो गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 625473/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय खाली प्लॉट, क्षेत्रफल माप 62.50 वर्ग गज, यानी 52.26 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 980 में से, गांव सभा मुरादनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में स्थित है; (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमाएं: पूर्व: अन्य मालिकों का प्लॉट पश्चिम: आम सड़क, उत्तर: क्रेता का प्लॉट, दक्षिण: रीना का प्लॉट	
4	**DL/DEL/PAND/A000000472,CO/CPC/CPOF/A000005553**, श्री नीलम जैन, श्री विद्युत कुमार जैन, 450/बी/1, गली नंबर-14-ए, पांडव रोड, भोला नाथ नगर, उत्तर पूर्व दिल्ली, मेट्रो, नई दिल्ली, दिल्ली, भारत-110032	17-06-2025 तथा रु. 3380025/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्लैट संख्या सी-401, तीसरी मंजिल पर, क्षेत्रफल माप 1495 वर्ग फीट, टॉवर-क्क में, परियोजना 'श्री राम हाइट्स', खसरा संख्या 1174 और 1177 में से, गांव नूर नगर, एनएच-58, राज नगर एक्सटेंशन, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है (इसके बाद उक्त संपत्ति सन्दर्भित)।	
5	**DL/GRN/ALPH/A000000227**, श्री मोहम्मद इमरान अंसारी, श्रीमती आयशा सैफल, जी5/381 लैन नंबर 07 निकट,0, बाल विद्यालय स्कूल के पास, मोदीनगर, गाजियाबाद, मेट्रो मोदीनगर, उत्तर, प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 2048314/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: मकान संख्या 5/381. खसरा संख्या 722 मिन, गली संख्या 5, गांव बिसोखर, मोहल्ला श्याम सिंह विहार, संतपुरा परगना जलालाबाद तहसील मोदी नगर, बाल विद्यालय स्कूल के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201201	
6	**DL/KNR/RANJ/A000000344,** श्री मऊ सलमान, श्रीमती समीम समीम, वार्ड नंबर 16 मलिक नगर, मुरादनगर, गाजियाबाद, मेट्रो मुरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201206	17-06-2025 तथा रु. 1654644/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 9 माप क्षेत्र 100 वर्ग गज या 83.61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 623 मिन से संबंधित, मोहल्ला मलिक नगर गांव समामुरादनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद उत्तर प्रदेश (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: अन्य का प्लॉट। पश्चिम: अन्य का प्लॉट, उत्तर: गंगाशरण का प्लॉट। दक्षिण: सड़क 15 फीट चौड़ी	
7	**DL/MNR/PLKH/A000000164**, श्री महेश गोपी राम, श्री नगीना महेश, 940 कड़कड़ मॉडल यानी साहिबाबाद, गाजियाबाद, रामलीला ग्राउंड, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201010	17-06-2025 तथा रु. 506618/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: 1, संपूर्ण संपत्ति, प्लॉट नंबर -टी - 79, खसरा नंबर 758/4, तनीषा एन्क्लेव, डिफेंस मेगा सिटी, गांव - महावड़, परगना और तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत - 201207, डिफेंस मेगा सिटी, एयर फोर्स स्टेशन (दूरी 200 मीटर), दादरी, उत्तर प्रदेश - 201207।	
8	**DL/NCU/GHAU/A000002071**, श्रीमती रिया चौधरी, श्री विकाश कुमार, गली नंबर 1 कृष्णा नगर शिव मंदिर के पास मोदीनगर, कृष्णा नगर, मोदीनगर, मेट्रो,मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 1454981/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय मकान नंबर 53 माप क्षेत्र 71.11 वर्ग गज (59.45 वर्ग मीटर) खसरा नंबर 494 के अंतर्गत आता है जो गांव सीकरी खुर्द परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में 'कृष्ण कुंज कॉलोनी' में स्थित है जिसे आगे 'उक्त संपत्ति' कहा जाएगा। सीमा: पूर्व: अन्य का खाली प्लॉट, पश्चिम: 20 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: दूसरे का घर, दक्षिण: प्रभाकर यादव का घर	
9	**DL/NCU/GHAU/A000002523**, श्री प्रताप सागर, श्रीमती सरोज सरोज, मकान नंबर 833 गली नंबर 9, सुभाष नगर घूकना गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 1078408/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय फ्लैट संख्या-एसएफ-03, दूसरी मंजिल, (छत के अधिकार के बिना) माप क्षेत्र 45.98 वर्ग मीटर। प्लाट संख्या-46, खसरा संख्या-167 पर निर्मित, राधा कृष्ण एन्क्लेव, ग्राम-डासना, इंदरगढ़ी, परगना-डासना तहसील एवं जिला-गाजियाबाद (यू.पी.), वर्तमान में स्वामित्वः श्री अनिल कुमार पुत्र श्री महेंद्र सिंह एवं श्रीमती कविता पत्नी श्री अशोक कुमार, जिन्हें इसके बाद 'उक्त संपत्ति' कहा गया है। सीमा: पूर्व: 20 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: प्लाट संख्या 45, दक्षिण: प्लाट संख्या-47	
10	**DL/NCU/GHAU/A000003552,** श्री चिंटू चिंटू, श्रीमती स्वेता कुमारी फ्लैट नंबर यूजीएफ102 आरके, फ्लैट नंबर यूजीएफ102 आरकेपुरम गाजियाबाद, फ्लैट नंबर यूजीएफ102 आरके पुरम गाजियाबाद, ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 1663744/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्रथम तल पर आवासीय मकान संख्या-जी-101-ए, एलआईजी (छत अधिकार के बिना) माप क्षेत्र 19.973 वर्ग मीटर एवं कवर्ड क्षेत्र-19.973 वर्ग मीटर लाजपत नगर परगना लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद (यू.पी.) में ब्लॉक-जी, सेक्टर-4 में स्थित वर्तमान में स्वामित्वः श्री मोहम्मद रहमान श्री मोहम्मद सिराज खान के पुत्र को इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है। सीमा: पूर्व: सीढ़ियाँ/मकान नंबर-104-ए, पश्चिम: सड़क 30 फीट चौड़ी सड़क 15 फीट चौड़ी, उत्तर: मकान नंबर 102ए, दक्षिण: मकान नंबर 102ए	
11	**HDL/NCU/NOIU/A000001327**, श्री ऋषिपाल, श्रीमती रीमा, पुत्र- दुआराम, दिलीप पार्क, पफ्रा नईबस्ती लक्ष्मी नगर, मोदीनगर, गाजियाबाद, दिलीप पार्क, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत -201204	17-06-2025 तथा रु. 19287/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: मकान नगर पालिका नंबर 75, भूमि क्षेत्र माप 135 वर्ग गज, यानी 112.87 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 74 में से, मोहल्ला फफराना बस्ती, मौकुबा रकबा गांव सीकरी खुर्द, तहसील मोदीनगर, जिला- गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश; (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: कालू और अन्य का मकान 25.5 फीट की तरफ, पश्चिम: गली 4 फीट, चौड़ी तरफ 24 फीट, उत्तर: हरिचंद और अन्य का मकान 49.5 फीट की तरफ, दक्षिण: राजिंदर और मामचंद आदि, साइड 49.5 फीट।	
12	**DL/NCU/NOIU/A000001482**, श्री आदेश तोमर, श्री निकिता तोमर, ग्राम धूरी तहसील-धौलाना जिला-हापुड़ डूहरी गाजियाबाद डूहरी उत्तर प्रदेश, शिव मंदिर के पास, ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश भारत-245304	17-06-2025 तथा रु. 1624119/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्लैट नंबर एफएफ-02, दूसरी मंजिल पर बिना छत के अधिकार के क्षेत्रफल माप 46 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 1534 के प्लॉट नंबर 14 भाग पर निर्मित, ग्राम रईसपुर कॉलोनी कृष्णा कुंज कॉलोनी परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित; इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीमा: पूर्व: रास्ता 18 फीट चौड़ा, पश्चिम: प्लॉट नंबर 23 और 24, उत्तर: प्लॉट नंबर 12बी, दक्षिण: रास्ता 22 फीट चौड़ा	
13	**DL/UTM/UTTM/A000000609**, श्री परविंदर सिंह, श्री धनपाली और श्री अपूर्व, ग्राम नगला, चरणदास, फेस-2, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, यूपी-201305, गौतम बुद्ध नगर, मेट्रो, नोएडा, उत्तर प्रदेश, भारत-201301	17-06-2025 तथा रु. 5216482/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: एक संपत्ति/मकान/प्लॉट क्षेत्रफल माप 281 वर्ग गज, खसरा नंबर 65, ग्राम नंगला चरणदास, तहसील दादरी, जिला गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में शामिल है। सीमा: पूर्व: किशोर की संपत्ति, पश्चिम: लखी की संपत्ति, उत्तर किशन लाल की संपत्ति, दक्षिण: रास्ता 5 फीट	
14	**GZ/CHP/CHPL/A000000070**, श्री मोइन सलमानी, श्रीमती वसिमा वसिमा, वार्ड नंबर 11 मोहल्ला बाजीगरान, डासना देहात गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201302	17-06-2025 तथा रु. 1542525/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 76, वार्ड नंबर 11, क्षेत्रफल माप 630 वर्ग फीट यानी कुल क्षेत्रफल माप 0.05852 हेक्टेयर में से 58.53 वर्ग मीटर, जिसमें खाता नंबर 03324, खसरा नंबर 1110 शामिल है, जो गांव डासना, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश की राजस्व संपदा में स्थित है; (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: प्लॉट नंबर 75, पश्चिम: प्लॉट नंबर 77, उत्तर : इशाक की भूमि, दक्षिण: 18 फीट सड़क	
15	**GZ/GNR/GNRN/A000000198**, श्री अजय अजय, श्रीमती शशि शशि, मकान नंबर 08 लाखन हापुड, लाखन, लाखन हापुड, मेट्रो, हापुड, उत्तर प्रदेश, भारत-245101	17-06-2025 तथा रु. 1468241/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय घर भूमि क्षेत्र माप 80 वर्ग गज, यानी 66.91 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 401 में से, गांव लखन, परगना दसाना, तहसील धौलाना, जिला- हापुड़ यूपी में स्थित (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: सतवीर की भूमि, पश्चिम: रणवीर की भूमि, उत्तर : रणवीर की भूमि, दक्षिण: सड़क 21 फीट चौड़ी	
16	**GZ/GNR'GNRN/A000000523**, श्री सुनील पाल, श्रीमती डिम्पी पाल, नं. 520,0, सेक्टर 23 संजय नगर गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201002	17-06-2025 तथा रु. 2071737/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: एक आवासीय फ्लैट नंबर 520, ग्राउंड फ्लोर, एम.आई.जी, बिना छत के अधिकार के, क्षेत्रफल माप 44.14 वर्ग मीटर, (तकनीकी रिपोर्ट के अनुसार) ब्लॉक-एन, सेक्टर-23, संजय नगर, शिव मंदिर, तहसील और जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201002 (जिसे आगे उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। सीमा: पूर्व: भवन संख्या 523., पश्चिम: भवन संख्या 519., उत्तर: भवन संख्या 518/सड़क 25 फीट चौड़ी, दक्षिण: सर्विस लाइन 12 फीट चौड़ी,	
17	**GZ/GNR/GNRN/A000000727**, श्री आकाश कुमार, श्रीमती सुषमा सुषमा, सपनावत हापुड, 0, हापुड, मेट्रो, हापुड, उत्तर प्रदेश, भारत - 245101	17-06-2025 तथा रु. 964182/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय एकल मंजिला घर क्षेत्रफल माप 120.88 वर्ग गज यानी 101.11 वर्ग मीटर (तकनीकी प्लॉट क्षेत्र 101.07 वर्ग मीटर के अनुसार) खसरा संख्या 543 में से, सपनावत गांव में स्थित, उदय प्रताप इंटर कॉलेज के पास, परगना डासना तहसील धौलाना, जिला हापुड़, उत्तर प्रदेश 245101 (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। सीमा: पूर्व: गली 12 फीट चौड़ी, पश्चिम: सतवीर का घर, उत्तर: राम किशन का घर, दक्षिण: खाली प्लॉट	
18	**GZ/MNR/MNIR/A000000264**, श्री दीपक दीपक, श्रीमती रीतारीता और श्री कृष्ण पाल सिंह, मकान नंबर 00,00, पुथरी नंगलाअखू मोदीनगर, पुथरी नंगला अखू मोदीनगर, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 1048165/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय घर जिसका नंबर 51/ए है, क्षेत्रफल माप 140 वर्ग गज, यानी 117.05 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 122 में से, गांव पुथरी नंगलाअखू, परगना जलालाबाद, निकट कन्या पाठशाला पुथरी, तहसील मोदीनगर जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश-201204 (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित) में स्थित है। सीमा: पूर्व: सड़क 11 फीट चौड़ी, पश्चिम: खुली भूमि, उत्तर: नरेंद्र का घर, दक्षिण: बाबू का घर	
19	**DL/BPR/JHAH/A000000323, DL/BPR/ASHO/A000000326**, श्री संदीप गर्ग, श्री राकेश गर्ग और श्रीमती रश्मी गुप्ता, 58 गली नंबर 3 निवाड़ी रोड, गली नंबर 3, मोदीनगर, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 2649656/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय घर का प्लॉट भूमि क्षेत्र माप 100 वर्ग गज, यानी 83.61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 1/1, वाके गांव बेगमाबाद बुडाना (बहार), परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला-गाजियाबाद, यूपी; (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित) में से। सीमा: पूर्व: दक्षिण-पूर्व-गयेंद्र त्यागी का घर, पश्चिम: उत्तर-पश्चिम-मदन का घर, उत्तर: उत्तर-पूर्व-सड़क 15 फीट। चौड़ा, दक्षिण: दक्षिण-पश्चिम-अन्य का घर	
20	**DL/BPR/JHAH/A000000423**, श्री नितिन पाल, श्रीमती कुमारी कोमल, मकान नंबर/00 स्ट्रीट नंबर/00, ई ब्लॉक फ्री होल्ड, नंद ग्राम मोरटी गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201003	17-06-2025 तथा रु. 2044648/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: आवासीय खाली प्लॉट नंबर 1, क्षेत्रफल माप 55 वर्ग गज, यानी 45.98 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 60 में से, राम वाटिका में स्थित, ग्राम सद्दीक नगर परगना लोनी तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश: (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) .. सीमा: पूर्व: अन्य गृहस्वामी, पश्चिम: प्लॉट नंबर 2, उत्तर: रास्ता 18 फीट चौड़ा, दक्षिण: प्लॉट नंबर 3 का हिस्सा	
21	**DL/BPR/JHAH/A000000570**, श्री प्रशांत यादव, श्रीमती बोबी यादव, मकान नंबर/00, गली नंबर/00, शाहपुर बम्हेटा, शाहपुर, बम्हेटा, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201001	17-06-2025 तथा रु. 2354956/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि:03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय खाली प्लॉट क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज, यानी 83.61 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 682 में से, ग्राम शाहपुर बम्हेटा, परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद, (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। (इसके बाद इसे उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। सीमा: पूर्व: रास्ता 12 फीट, पश्चिम: भूमि की ढलान, उत्तर: प्लॉट अन्य, दक्षिण: भूमि महावीर	
22	**DL/DEL/DLHI/A000000788, DL/DEL/DLHI/A000001472**, श्री दलीप कुमार, श्री अमन निम्मी और श्री कविता निम्मी, मकान नंबर-एच3/1002, क्लासिक रेजीडेंसी, राज नगर एक्सटेंशन, गाजियाबाद, उ.प्र.-201017, राज नगर एक्सटेंशन, मेट्रो गाजियाबाद.उत्तरप्रदेश ,भारत-201017	17-06-2025 तथा रु. 2861751/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय खाली प्लॉट क्षेत्रफल माप 100 वर्ग गज, यानी, 83.61 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 682 में से, गांव शाहपुर बंबेटा, परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद, (यू.पी.) में स्थित है। (इसके बाद इसे उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित किया जाएगा)। सीमा: पूर्व: रास्ता 12 फीट, पश्चिम: भूमि की ढलान, उत्तर: प्लॉट अन्य, दक्षिण: भूमि महावीर	
23	**DL/DLS/DLSD/A000000633**, श्री योगेन्द्र यादव, श्रीमती गीता यादव, मकान नंबर -9 शिव मंदिर के पास, रघुनाथपुर गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 3388608/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: एक आवासीय निर्मित घर क्षेत्रफल माप 550 वर्ग गज यानी 459.85 वर्ग मीटर, कवर्ड एरिया 125.415 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 78 में शामिल, गांव: रघुनाथपुर, परगना: डासना, तहसील और जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है। सीमा: पूर्व: रास्ता 10 फीट चौड़ा, पश्चिम: रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर: राजेंद्र का घर, दक्षिण:: वीरपाल का घर	
24	**DL/GRN/PRCK/A000000185**, श्री अमित शर्मा, श्रीमती महिमा शर्मा, 70 सहकारी नगर, अवंतिका गाजियाबाद, ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201002	17-06-2025 तथा रु. 3146488/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 70, खसरा नंबर 426, सहकारी नगर ग्राम महरौली, परगना डासना, सिद्ध सुदर्शन साक्षी धाम मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102	
25	**DL/KRB/KRBH/A000000172**, श्री अजय ईश्वर चंद, श्रीमती कमलेश कमलेश, खसरा नंबर-450, प्लॉट नंबर-6, सेगा एन्क्लेव, दुहाई, ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क के पास, गाजियाबाद, सेगा एन्क्लेव, दुहाई, सेमीअर्बन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 1059341/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 70, खसरा नंबर 426, सहकारी नगर ग्राम महरौली, परगना डासना, सिद्ध सुदर्शन साक्षी धाम मंदिर के पास, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201102	
26	**DL/KRB/KRBH/A000000676**, श्री पूजा देवी, श्री संजीव कुमार, खसरा नंबर-450, प्लॉट नंबर-6, सेगा एन्क्लेव, दुहाई, ड्रिजलिंग लैंड वाटर पार्क के पास, गाजियाबाद, सेगा एन्क्लेव, दुहाई, सेमीअर्बन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 3119006/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 6, भूमि क्षेत्रफल माप 80 वर्ग गज, यानी 66.88 वर्ग मीटर, खाता नंबर 194, खसरा नंबर 450 मिन में से, आवासीय कॉलोनी सेगा एन्क्लेव में स्थित, हद बस्त गांव दुहाई, परगना जलालाबाद, तहसील और जिला- गाजियाबाद, यूपी इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाएगा। सीमा: पूर्व: सड़क 18 फीट, साइड 20 फीट, 7, इंच, पश्चिम: अन्य संपत्ति साइड 20 फीट, 7, इंच, उत्तर: प्लॉट नंबर 5, साइड 35 फीट, दक्षिण: प्लॉट नंबर 7, साइड 35 फीट	
27	**DL/LON/LONI/A000000289**, श्री अनमोल खुराना, श्रीमती नीलम खुराना, सी26 गोविंदपुरी मोदीनगर, गाजियाबाद, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 2007832/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: मकान नंबर सी -26 नगर पालिका डिमांड रजिस्टर्ड नंबर 233 का हिस्सा, मकान नंबर 3/230, क्षेत्रफल 75.5 वर्ग गज, मोहल्ला गोविंदपुरी, मोदीनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित; इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया गया है। सीमा: पूर्व: सड़क 25 फीट। चौड़ा, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: मकान नंबर सी-27, दक्षिण: मकान नंबर सी-26	
28	**DL/MNR/HPUR/A000000165**, श्रीमती मुन्नी विनोद, श्री विनोद ज्ञानचंद, गली नंबर 8, लक्ष्मी नगर फफराना बस्ती फफराना बस्ती, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 858524/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: खसरा नंबर 66 मिनट, गली नंबर 8, मोहल्ला लक्ष्मी नगर, मोदीनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, यूपी, 201204, लक्ष्मी नगर मोहल्ला, आर्यन हॉस्पिटल, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, 201204	
29	**DL/MNR/KCPR/A000000293**, श्री हरेंद्र राघव, श्रीमती बबीता रघुवंशी, मकान - 01, 01, अपर ग्राउंड फ्लोर, गोविंद पुरम, गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201013	17-06-2025 तथा रु. 1525198/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि:03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: बिल्डर फ्लैट नंबर, एफएफ 03, गली नंबर 8, बालाजी एन्क्लेव, ग्राम रईसपुर, परगना डासना, तेलंगाना और जिला, प्रिंस डेयरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201002	
30	**DL/MNR/KCPR/A000000294**, श्री हरेंद्र राघव, श्रीमती बबीता रघुवंशी, मकान - 01, 01, अपर ग्राउंड फ्लोर, गोविंद पुरम, गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत - 201013	17-06-2025 तथा रु. 2522472/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: बिल्डर फ्लैट नंबर-04, गली नंबर 8, बालाजी एन्क्लेव, गांव रईसपुर, परगना डासना, तहसील और जिला, प्रिंस डेयरी, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, 201002	
31	**DUMNR/MNGR/A000000629**, श्री सतेंद्र कुमार, श्रीमती नीतू नीतू, मकान नंबर 91 गली नंबर 3, न्यू डिफेंस कॉलोनी मुरादनगर, मेट्रो, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत -201206	17-06-2025 तथा रु. 1305812/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि:03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय प्लॉट संख्या 131 माप 50 वर्ग गज या 41.80 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 7 से संबंधित, गार्डन एन्क्लेव गांव असलतनगर, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित है। (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: सड़क 20 फीट चौड़ी, पश्चिम: खाली प्लॉट, उत्तर: नीतू का मकान, दक्षिण: खाली प्लॉट	
32	**DL/MNR/MNGR/A000001316**, श्री सुनील कुमार चौरसिया, श्रीमती मीरा देवी, सी 99 मोदीपोन कॉलोनी मोदीनगर, 01, सी 99 मोदीपोन कॉलोनी मोदीनगर, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत - 201204	17-06-2025 तथा रु. 2133459/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि:03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड आवासीय फ्लैट संख्या ए4 ग्राउंड फ्लोर पर बिना छत के अधिकार माप क्षेत्र 163.32 वर्ग गज या 136.54 वर्ग मीटर, प्लॉट संख्या 53 और 54 पर निर्मित, खसरा संख्या 536 से संबंधित, गांव सिखरी कलां, परगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद में स्थित है। उत्तर प्रदेश (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा इस प्रकार है: पूर्व: प्लॉट संख्या 53 का हिस्सा, पश्चिम: प्लॉट संख्या 54, उत्तर: 30 फीट चौड़ी सड़क, दक्षिण: अनिल बजाज और नितिन सिंह का प्लॉट	
33	**DL/MNR/NANR/A000000140**, श्री अजब सिंह, श्री वीरेश यादव और श्रीमती कुसुम यादव, मकान नंबर-255 शंकर विहार लाल कुआ, गाजियाबाद ग्रामीण, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201001	17-06-2025 तथा रु. 176888/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: मकान संख्या 53, कृष्ण विहार कॉलोनी में स्थित, खसरा संख्या 925 से शुरू होकर ग्राम शाहपुर बम्हेटा परगना डासना तहसील और जिला गाजियाबाद में क्षेत्रफल माप 70 वर्ग गज यानी 58.53 वर्ग मीटर, सीमा इस प्रकार है: पूर्व: सड़क 18 फीट, पश्चिम: अन्य संपत्ति, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट का हिस्सा	
34	**DL/NCU/NOIU/A000000800**, श्री राहुल कश्यप, श्री नरेश नरेश और श्रीमती राजेंदारी देवी, पुत्र नरेश, मकान नंबर 175, चक्की वाली गली, छिद्दापुरी, पिलखुआ, हापुड़ (पिलखुआ रेलवे स्टेशन के पास), मोहल्ला छिद्दा पुरी रेलवे स्टेशन पिलखुवा के पास, मोहल्ला छिद्दा पुरी रेलवे स्टेशन के पास पिलखुवा, सेमीअर्बन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश .भारत - 245304	17-06-2025 तथा रु. 950019/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट संख्या 7, क्षेत्रफल माप 82.22 वर्ग गज, नगर पालिका पिलखुवा, परगना डासना, तहसील हापुड़, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित; (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा इस प्रकार है: पूर्व: 40 फीट, पश्चिम: 40 फीट, उत्तर: 18 फीट6 इंच, दक्षिण: 18 फीट6 इंच	
35	**DL/OKH/OKHL/A000000931**, श्री संजय कुमार, श्रीमती गीता रानी मकान नंबर 60 गली नंबर 3, 3, मुरादनगर, डिफेंस कॉलोनी, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201206	17-06-2025 तथा रु. 1986016/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 18 क्षेत्रफल माप 122.50 वर्ग गज खसरा नंबर 930 और 930 मिन का हिस्सा, गांव उखलारसी मारूफ कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी, मुरादनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर और जिला मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है; इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीमा: पूर्व: अन्य, पश्चिम: सड़क 14 फीट चौड़ी, उत्तर: सुरेंद्र संपत्ति, दक्षिण: हैतराम की संपत्ति	
36	**DL/SHL/SHLM/A000000218**, श्री अमित पाठक, श्रीमती रुचि पाठक, फ्लैट नंबर पी2ए 1404, 3, फ्लैट नंबर पी2ए 1404 टावर 19 गुलमोहर गार्डन सोसाइटी, फ्लैट नंबर पी2ए 1404 टावर 19 गुलमोहर, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201017	17-06-2025 तथा रु. 4517127/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट नंबर 18 क्षेत्रफल माप 122.50 वर्ग गज खसरा नंबर 930 और 930 मिनट का हिस्सा, गांव उखलारसी मारूफ कॉलोनी डिफेंस कॉलोनी, मुरादनगर परगना जलालाबाद तहसील मोदीनगर और जिला मोदीनगर, उत्तर प्रदेश में स्थित है; इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है। सीमा: पूर्व: अन्य, पश्चिम: 14 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: सुरेंद्र संपत्ति, दक्षिण: हैतराम की संपत्ति	
37	**DL/SHL/SHLM/A000000318**, श्री सुरेंद्र कुमार, श्रीमती सीमा देवी, मकान नंबर-209,0, नंबर 209 आकाश नगर, रसूलपुर, पोस्ट-अध्यात्मिक नगर, सिकरोना, प्रधान डेयरी, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201015	17-06-2025 तथा रु. 1221856/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: संपत्ति संख्या 50, जिसका क्षेत्रफल माप 59 वर्ग गज है, (यानी, 49.32 वर्ग मीटर), और कवर्ड एरिया माप 49.32 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 469 में से, आकाश नगर फेज-7, गांव रसूलपुर सिकरोदा, परगना डासना, तहसील और जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थित है; इसके बाद इसे 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित किया जाता है।	
38	**GH/HPR/HAPU/A000000539**, श्री ताहिर ताहिर, श्रीमती रुक्सार रुक्सार, शेखपुर खिकारा गाजियाबाद, 23, हापुड, शहरी, हापुड, उत्तर प्रदेश, - भारत-245301	17-06-2025 तथा रु. 1022581/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: प्लॉट प्राइवेट नंबर 36 और 36 पर बना मकान, जिसका माप 100 वर्ग गज है। यानी 83.64 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 634 में से, गांव सेखपुर खिचरा में स्थित, परगना डासना तहसील धौलाना जिला हापुड़ (यू.पी.) (इसके बाद उक्त संपत्ति कहा जाएगा)। सीमा: पूर्व: अन्य प्लॉट, पश्चिम: 14 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: प्लॉट नंबर 38, दक्षिण: प्लॉट नंबर 35 इमरोजा	
39	**GZ/CHP/CHPUA000000530**, सुश्री संध्या संध्या, श्री धर्मेंद्र सिंह, 03-06-2025, मकान नंबर/00,0, तिबड़ा रोड इंद्रीरी मोदीनगर गाजियाबाद, मेट्रो, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत-201204	17-06-2025 तथा रु. 1130935/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड प्लॉट माप 738 वर्ग फीट या 68.56 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 622 से संबंधित, मोनी मंदिर के पास, गांव सीकरी खुर्द, प्रगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर और जिला गाजियाबाद में स्थित, (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: कमल का घर	
40	**GZ/MNR/PRTP/A000000182,** श्री सरफराज सरफराज, श्रीमती अमीना अमीना, श्री सरताज सरताज, मकान नंबर 00,00, वार्ड नंबर 23 मोहल्ला कच्ची सराय मुरादनगर, वार्ड नंबर 23 मोहल्ला कच्ची सराय मुरादनगर, मेट्रो, मुरादनगर, उत्तर प्रदेश, भारत-201206	17-06-2025 तथा रु. 1199168/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: फ्रीहोल्ड प्लॉट माप 738 वर्ग फीट या 68.56 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 622 से संबंधित, मोनी मंदिर के पास, गांव सीकरी खुर्द, प्रगना जलालाबाद, तहसील मोदीनगर और जिला गाजियाबाद में स्थित, (इसके बाद 'उक्त संपत्ति' के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: अन्य संपत्ति, पश्चिम: 18 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर: अन्य प्लॉट, दक्षिण: कमल का घर	
41	**GZ/MNR/PRTP/A000000309,** श्री प्रेम पाल, श्रीमती प्रीति पाल विश्वकर्मा बस्ती गली नंबर 8,0, मोदीनगर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, मेट्रो, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत -201204	17-06-2025 तथा रु. 777255/- तिथि 17-06-2025 एनपीए तिथि : 03-06-2025
	संपत्ति का विवरण: 108 वर्ग गज का एक प्लॉट क्षेत्रफल, निर्माण क्षेत्र 930 वर्ग फीट यानि 86.04 वर्ग मीटर (तकनीकी के अनुसार) (हाउस टैक्स के अनुसार: हाउस नंबर 30, विश्वकर्मा बस्ती) नगर पालिका मोदी नगर के अंतर्गत सीकरी खुर्द में स्थित, परगना: जलालाबाद, तहसील और जिला: गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश (इसके बाद उक्त संपत्ति के रूप में संदर्भित)। सीमा: पूर्व: दक्षिण-पूर्व - हेम सिंह का घर, पश्चिम: उत्तर-पश्चिम सड़क, उत्तर: उत्तर-पूर्व - महेश पाल का घर, दक्षिण: दक्षिण-पूर्व - हेम सिंह का घर	

उपर्युक्त कर्जदारों/गारंटरों को सलाह दी जाती है कि सरफेसी अधिनियम के तहत आगे की कार्रवाई से बचने के लिए (1) अधिक और पूर्ण विवरण के लिए अधोहस्ताक्षरी से मूल नोटिस प्राप्त करें और (2) ऊपर उल्लिखित नोटिस की तारीख से 60 दिनों के भीतर शेष बकाया राशि ब्याज और लागत आदि का भुगतान करें।

दिनांकः 24-06-2025, स्थानः गाजियाबाद प्राधिकृत अधिकारी, हिंदुजा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

varthana

पंजीकृत कार्यालयः नं. 5बीसी-110, वरसिद्धि, तीसरी मंजिल, बाहरी रिंग रोड, सर्विस रोड, तीसरा ब्लॉक, एचआरबीआर लेआउट, कल्याण नगर, बैंगलोर-560043, वेबसाइट www.varthana.com, ईमेलः **care@varthana.com** , फोनः 080-68455777, **शाखा कार्यालयः** 1162 और 1163, टॉवर बी-1, 11वीं मंजिल, स्पेज I टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018

अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(1) के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल संपत्ति की बिक्री के लिए नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सामान्य तौर पर जनता और विशेष रूप से ऋणी और गिरवीकर्ता (ओं) को नोटिस दिया गया है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियां सुरक्षित लेनदार को गिरवी/चार्ज की गई हैं, जिसका कब्जा मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गुरुग्राम, (पूर्व में थिरुमेनी फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के रूप में जाना जाता है) के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है, जिसे 10-07-2025 (गुरुवार) को दोपहर 1 बजे नीचे उल्लिखित ऋण खाते की बकाया राशि की वसूली के लिए "जैसा है जहां है", "जो है जैसा है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा। उधारकर्ता(ओं)/ बंधक(बंधकों)का विवरण /सुरक्षित आस्तियां/बकाया/आरक्षित मूल्य/नीलामी दिनांक और समय, ईएमडी और बोली वृद्धि राशि का उल्लेख नीचे किया गया है।

उधारकर्ताओं/बंधककर्ताओं का नामः 1. मेसर्स विद्या दीप पब्लिक स्कूल, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 2. मेसर्स विद्या दीप शिक्षा समिति, इसके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रतिनिधित्व, 3. श्री गिरीश बंसल, पुत्र ध्यान चंद। 4. श्रीमती उषा, पत्नी गिरीश बंसल। **ऋण खाता संख्या S19GUR-GUR-009575**

रुपये में कुल बकाया राशि का विवरणः 18-06-2025 तक रु.62,76,864/-(रुपये बासठ लाख छिहत्तर हजार आठ सौ चौसठ मात्र), साथ में पूरी राशि की वसूली तक आगे की सहमत ब्याज दर और कानूनी लागत/प्रभार।

अचल संपत्ति का ब्यौराः संपत्ति नंबर-सी400,खसरा नंबर 362 का हिस्सा, भजनपुरा गांव, आबादी जिसे मेन मार्केट घोंडा गुजरान खादर के नाम से अभिज्ञात, द्वितीय लाका, शाहदरा, दिल्ली 110053 में स्थित सम्पत्ति का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश, जिसका क्षेत्रफल 120 वर्ग गज है, जो नीचे दिए अनुसार परिबद्ध है पूर्वःदूसरों की संपत्ति पश्चिमःसड़क से उत्तरः दूसरों की संपत्ति दक्षिणः दूसरों की संपत्ति। उपरोक्त संपत्ति/संपत्तियों का आरक्षित मूल्य 68,40,000/- रुपये होगा और बयाना राशि जमा (आरक्षित मूल्य का 10% ईएमडी) रु. 68,400/- होगी। **ज्ञात भार, यदि कोई होः शून्य।**

इच्छुक बोलीदाताओं को केवाईसी दस्तावेजों (पैन कार्ड और आधार/वोटर आईडी/ड्राइविंग लाइसेंस) और किसी अनुसूचित बैंक के डिमांड ड्राफ्ट/ पे ऑर्डर के माध्यम से "मैसर्स वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड" के पक्ष में और गुरुग्राम में देययोग्य 1,000 / - रुपये के गैर-वापसी योग्य निविदा शुल्क के साथ अपनी ईएमडी राशि 10-07-2025 (गुरुवार) को शाम 5.00 बजे से पहले या उससे पहले जमा करनी चाहिए।

नीलामी यहां आयोजित की जाएगीः 1162 और 1163, टॉवर बी-1, 11वीं मंजिल, स्पेज I टेक पार्क, सेक्टर 49, सोहना रोड, गुरुग्राम 122018 में 10-07-2025 (गुरुवार) को दोपहर 1.00 बजे आयोजित की जाएगी।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कंपनी की वेबसाइट में दिए गए लिंक : www.varthana.com देखें।

संभावित बोलीदाता अधिकृत अधिकारी श्री सोहन लाल-फोन नंबर 9950606466, श्री रमन अरोड़ा-फोन नंबर 7827926395 से संपर्क कर सकते हैं।

दिनांक : 24.06.2025, अधिकृत अधिकारी,
स्थान : दिल्ली वर्थना फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड

इंडसइंड बैंक लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय :2401, जनरल थिम्मय्या रोड (छावनी), पुणे-411 001
उपभोक्ता वित्त प्रभागः नया नंबर 34, जी.एन. चेट्टी रोड, टी.नगर, चेन्नई-60017
राज्य कार्यालय : कार्यालय नंबर 14 और 15, ऊपरी तल, जयपुर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, रिद्धि सिद्धि चौराहा, गोपालपुरा बायपास, मानसरोवर लिंक रोड, जयपुर-302018

कब्जा सूचना
(सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अंतर्गत)

जबकि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (इसके बाद उक्त अधिनियम) के अंतर्गत मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (इसके बाद उक्त नियम) के नियम 9 के साथ धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर राशि चुकाने के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/गारंटर को मांग नोटिस जारी किया है।

उधारकर्ता(ओं) द्वारा उक्त अवधि के भीतर अतिरिक्त ब्याज सहित उक्त राशि का भुगतान करने में विफल रहने के कारण, विशेष रूप से उधारकर्ताओं तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति का प्रतीकात्मक कब्जा उधारकर्ताओं/गारंटरों के नाम के सामने उल्लिखित इस तिथि को उक्त नियमों के नियम 8 के साथ ले लिया है। उक्त संपत्तियों के साथ कोई भी लेन-देन उधारकर्ताओं के खिलाफ उल्लिखित राशियों तथा उस पर आकस्मिक व्यय लागत, शुल्क तथा ब्याज के लिए मेसर्स इंडसइंड बैंक लिमिटेड के पूर्व प्रभार के अधीन होगा। उधारकर्ताओं का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में है।

क्र.सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम, ऋण अनुबंध संख्या	मांग नोटिस की तिथि / कब्जे की तिथि	बकाया राशि
1	**उधारकर्ताः** श्री जगदीश चंद्र शाफ्ट, पुत्र शंकर लाल, **सह-उधारकर्ताः** श्रीमती रामकन्या पत्नी जगदीश चंद्र भट्ट अनुबंध संख्याः RUCO5005M दिनांक 11.11.2020 और RUCO5006M दिनांक 12.11.2020	10.01.2025 कब्जे की तिथि 20.06.2025	रु.14,87,566.06/- (चौदह लाख सतासी हजार पाँच सौ छियासठ और छह पैसे मात्र) 08.01.2025 तक

बंधक संपत्ति का विवरणः प्लॉट संख्या 12 (पट्टा संख्या 37) का आवासीय भाग, जिसका माप 20'601 200 है वर्ग फीट (पश्चिम की ओर) गांव सावा, तहसील और जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है। पूर्व में: उपरोक्त प्लॉट का आधा हिस्सा, पश्चिम में: प्लॉट नंबर 11,कॉमन रोड 25 के उत्तर में, कॉमन रोड 30 के दक्षिण में

दिनांकः 20.06.2025 हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी)
स्थानः चित्तौड़गढ़ इंडसइंड बैंक लिमिटेड के लिए,

pnb Housing Finance Limited

Ghar Ki Baat

परिशिष्ट-IV-ए, अचल संपत्ति / यों की ई-नीलामी-सार्वजनिक बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिये ई-नीलामी-बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 9वां तल, अंतरिक्ष भवन, 22, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली- 110001, फोन :- 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : www.pnbhousing.com

शाखा कार्यालय : गाजियाबाद : यूजी, प्लॉट नं.-9 / आईएनएस- 11, सेक्टर- 09, वसुंधरा, गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश)- 201011, मेरठ : प्रथम तल, पिनाकल टॉवर, वैशाली कॉर्नर, गढ़ रोड, मेरठ- 250004, (उत्तर प्रदेश)

एतद्द्वारा आम जनता को और विशेष रूप में उन उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं), जिन्हें कॉलम संख्या-ए में इंगित किया गया है, को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में विवरणित नीचे वर्णित अचल संपत्ति(यां), जो प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित हैं, जिनका रचनागत/भौतिक अधिग्रहण मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत ऋणदाता द्वारा ले लिया गया है (जैसा कि कॉलम नंबर-सी में वर्णित है), अब उन्हें, नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार, ''जैसी हैं जहां हैं, जैसी हैं जो हैं और वहां जो कुछ भी हैं आधार'' पर बेचा जाएगा। एतद्द्वारा उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं) (मृतक होने के बाद से) के विधिक उत्तराधिकारियों, विधिक प्रतिनिधि (चाहे ज्ञात या अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तरजीवी(वियों), समनुदेशिती(तियों), कॉलम संख्या-ए में निर्दिष्टानुसार जैसा भी मामला हो, को तिथि के अनुसार संशोधित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 2002 के नियम-8(6) व 9 के अंतर्गत सूचित किया जाता है कि बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड / प्रतिभूत ऋणदाता की वेबसाइट अर्थात् www.pnbhousing.com में दिये गये लिंक को देखें।

ऋण सं./उधारकर्ता/सह-उधारकर्ता/गारंटर/विधिक उत्तराधिकारियों के नाम (ए)	मांगी गई राशि और तिथि (बी)	अधिग्रहण की प्रकृति (सी)	बंधककृत संपत्तियों का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	धराज (आरपी की 10%) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धिशील दर (एच)	निरीक्षण तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात भारग्रस्तताएं / न्यायालयी प्रकरण, यदि कोई, (के)
HOU/GHA/0518/528156 संजीव कुमार सिंह संजना सिंह बी.ओ.: गाजियाबाद	रु. 4,235,652.08 / 20.12.2022	भौतिक अधिग्रहण	फ़्लैट नंबर 1802, प्लॉट नंबर जीएच05, टावर 19, तल 18, श्री राधा स्काई गार्डन, सेक्टर 16बी, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश, भारत, 201310 कुल क्षेत्रफल 1182 वर्ग फुट	रु. 5,928,000	रु. 592,800	24-07-2025	रु. 20,000	10-07-2025, 10.00 पूर्वाह्न - 5.30 सायं	25-07-2025, 02:00 अपराह्न - 03:00 अपराह्न	अज्ञात
HOU/MEE/1221/933591 राहुल कुमार मिथिलेश बी.ओ.: मेरठ	रु. 3,303,010.38 /08-10-24	भौतिक अधिग्रहण	एमपीएल नं. ई-14, खसरा नं. 163/3, नव शक्ति धाम, ग्राम राजपुरा, मेरठ, उत्तर प्रदेश, भारत, 250001	रु. 3,430,000	रु. 343,000	24-07-2025	रु. 10,000	10-07-2025, 10.00 पूर्वाह्न - 5.30 सायं	25-07-2025, 02:00 अपराह्न - 03:00 अपराह्न	अज्ञात
HOU/MEE/0518/534333 बलविंदर सिंह, सिमरन कौर बी.ओ.: मेरठ	रु. 1,909,118.71 / 12-09-24	भौतिक अधिग्रहण	प्रथम तल पर फ्लैट, प्लॉट नंबर 124, मोहल्ला संजीवनी, संपत्ति खसरा नंबर 834, राजस्व ग्राम सीकरी खुर्द, परगना जलालाबाद, मोदीनगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत, 201201	रु. 2,027,000	रु. 202,700	24-07-2025	रु. 10,000	10-07-2025, 10.00 पूर्वाह्न - 5.30 सायं	25-07-2025, 02:00 अपराह्न - 03:00 अपराह्न	अज्ञात

*आगे के ब्याज 18% प्रति वर्ष की दर पर, जैसा लागू हो, भुगतान और/या वसूली की तिथि तक किए गए आकस्मिक व्ययों, लागत, प्रभार इत्यादि के साथ। ''पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान एवं जानकारी के अनुसार, यहां, कॉलम संख्या - के में प्रकटीकृत विषय-सामग्री के अतिरिक्त उपर्युक्त अचल/प्रतिभूत परिसंपत्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावा नहीं है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के ऋणभारों का सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा/भुगतान किया जाना है। संभावित क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे स्वतंत्र रूप से, उल्लिखित ऋणभारों की सत्यता का पता लगा लें। (1) तिथि के अनुसार, यहां पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/प्रतिभूत परिसंपत्तियों की बिक्री, अलगाव और/या निस्तारण करने से रोकने का और/या उन पर न्यायालयी प्रतिबंध लगाने का कोई आदेश नहीं है तथा इस संदर्भ में वस्तुस्थिति का उपरोक्त स्तंभ सं. - 'के' में वर्णन किया गया है। (2) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्षकार, निविदा/बोली आवेदन प्रपत्र जमा करने या प्रस्ताव(वों) को देने से पहले, पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व विलेखों के स्वामित्व सहित, लेकिन उन तक सीमित नहीं है, कॉलम सं. - 'के' में वर्णित, की कार्यवाहियों/पारित आदेशों इत्यादि, यदि कोई, में उद्धृत अभिवचन का स्वतंत्र रूप से निरीक्षण कर सकते हैं और खुद को हर तरह से संतुष्ट कर सकते हैं। बोलीकर्ता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे। (3) कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9(3) के निबंधनों के अनुसार, बोलीदाता(गण)/क्रेता, उसी दिन या अधिकतम अगले कार्य दिवस तक बिक्री मूल्य की राशि का 25: (धरोहर राशि सहित) जमा करने के लिए विधिक रूप में बाध्य हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(2) के अनुसार प्रतिभूत लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य की 25% राशि प्राप्त करने के बाद ही (बोलीदाता/ओं) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राषि का शेष 75%, बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तिथि से 15 दिनों के भीतर जमा किया जाना है और इस तरह की राशि को जमा करने में चूक होने पर, प्राधिकृत अधिकारी विक्रय पुष्टिकरण पत्र में अंकित 15 दिवसों की अनिवार्य अवधि के समापन की तिथि से 15 दिवसों के अंदर विक्रय आय राशि के आंशिक भुगतान को जब्त कर लेंगे तथा संपत्ति/प्रतिभूत परिसंपत्ति का सरफॉएसि अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पुनर्विक्रय कर दिया जायेगा। **(4) मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जिसका निगमित कार्यालय भूखंड सं. 68, तृतीय तल, सेक्टर 44 गुड़गांव, हरियाणा 122003 में स्थित है, वह प्राधिकृत अधिकारी की, अपनी वेबसाइट www.bankeauctions.com पर ई-नीलामी के माध्यम से, विक्रय का संचालन करने में सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली प्रलेख प्राप्त करने से संबंधित किसी भी सहायता के लिए और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिये, आपको श्री सतीश चंदर, अमित शर्मा जो कि पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत व्यक्ति हैं, के साथ, टोल फ्री नं.- 1800 120 8800 एवं ई-मेल : auction@pnbhousing.com पर, समन्वयन कर संपर्क करना होगा अथवा www.pnbhousing.com का संदर्भ ग्रहण करना होगा।**

स्थान : गाजियाबाद / मेरठ दिनाँक : 24-06-2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालय- इंडियन रेयान कंपाउंड, वेरावल, गुजरात - 362266
शाखा कार्यालय- जी-कॉर्प टेक पार्क, 8वीं मंजिल, कसार वडावली, जी होडबंदर रोड, थाने, महाराष्ट्र-400601

मांग सूचना (सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 (1) के अंतर्गत)
वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन की धारा 13(2) अंतर्गत नोटिस की प्रतिस्थापित सूचना सेवा।

नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि चूंकि उन्होंने आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (एबीएचएफएल) से प्राप्त ऋण सुविधा के पुनर्भुगतान में चूक की है, इसलिए उनके ऋण खातों को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार कंपनी की पुस्तकों में गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद, एबीएचएफएल ने उक्त उधारकर्ताओं के अंतिम ज्ञात पतों पर प्रतिभूतिकरण और वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) की धारा 13 (2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें उनसे उक्त राशि पर संविदात्मक दर पर आगे ब्याज और उक्त मांग नोटिस में बताए गए आकस्मिक व्यय, लागत, शुल्क आदि के साथ पूरी बकाया राशि चुकाने की मांग की गई है। हालांकि, सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 (सरफैसी नियम) के नियम 3 के अनुसार, मांग नोटिस प्रकाशन के माध्यम से भी दिया जा रहा है:

क्र. सं.	उधारकर्ता/ सह-उधारकर्ता और गारंटर / सह-उधारकर्ता के नाम और पता और /ऋण खाता संख्या	एनपीए की तिथि	मांग नोटिस की तिथि	मांग नोटिस के अनुसार देय राशि/तारीख के अनुसार
1	1. रीता देवी (दिवंगत आनंदी प्रसाद की उपलब्ध कानूनी वारिस की क्षमता में) संपत्ति संख्या Rz-10-B/14, प्रथम तल, गली नंबर 2/8, खसरा नंबर 616 और 617 में से, गांव नसीरपुर, कॉलोनी, कैलाशपुरी, नई दिल्ली- 110045। 2. रीता देवी संपत्ति संख्या Rz-10-B/14] प्रथम तल, गली नंबर 2/8, खसरा नंबर 616 और 617 में से, गांव नसीरपुर, कॉलोनी, कैलाशपुरी, नई दिल्ली- 110045। 4. रीता देवी (दिवंगत आनंदी प्रसाद की उपलब्ध कानूनी वारिस की क्षमता में) द्वितीय तल, प्लॉट नंबर 24, खसरा नंबर 430 और 431, गली नंबर 2डी, कैलाशपुरी, नई दिल्ली- 110045. 4. रीता देवी दूसरी मंजिल, प्लॉट नंबर 24, खसरा नंबर 430 और 431, गली नंबर 2डी, कैलाशपुरी, नई दिल्ली-110045. 5.रिटा देवी 72, गड़ेरिया बिधा, कोसियावां, नालन्दा, कोशियावां, बिहार-801301. ऋण खाता नं. LNDEL0HL&12180015487 और LNDEL0HL&12180015546	08.06.2025	21.06.2025	रु. 19,84,238.59/- (रुपये उन्नीस लाख चौरासी हजार दो सौ अड़तीस और उनसठ पैसे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और ब्याज के रूप में 10.06.2025 तक।
	अचल संपत्ति का विवरण) गिरवी रखी गई संपत्तिः छत/टेरेस अधिकारों के बिना पूरी पहली मंजिल का वह पूरा टुकड़ा और पार्सल, निर्मित संपत्ति संख्या आरजेड-10-बी/14 में से, गली नंबर 2ध8 में, 100 वर्ग गज क्षेत्रफल में, खसरा नंबर 616 और 617 में से, गांव नसीरपुर, दिल्ली राज्य दिल्ली की राजस्व संपदा में स्थित, कॉलोनी जिसे कैलाश पुरी, नई दिल्ली-45 के नाम से जाना जाता है, मुख्य प्रवेश द्वार, मार्ग और सीढ़ियों के सामान्य/संयुक्त अधिकारों के साथ, स्टिल्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने वाले सामान्य पार्किंग क्षेत्र में एक कार पार्किंग स्थान का प्रावधान और स्टिल्ट फ्लोर के साथ और इस प्रकार घिरा हुआः पूर्वः संपत्ति का हिस्सा पश्चिमः सड़क 20 फीट चौड़ी उत्तरः सड़क 25 फीट चौड़ी दक्षिणः अन्य संपत्ति।			
	1.राय सुदीन 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010। 2. अश्मा रायीन 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010। 3. मेसर्स मोह. असलम रईसुद्दीन एंड सीओ 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010। 4. मोह. अलताक रायीन 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010। 5. मोह. असलम 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010। 6. शबाना रायीन 37 एमआईजी फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलेक्ट्रेट एसओ आगरा, उत्तर प्रदेश 282010. 7. राय सुदीन हच नं.. 23337 मिग फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहगंज आगरा, कलक्ट्रेट एसओ, आगरा, उत्तर प्रदेश, 282010। 8. मेसर्स मोहम्मद असलम रईसुद्दीन और सीओ सिकंदरा आगरा दुकान नंबर एध40 न्यू फ्रूट मंडी रुनकता बी.ओ 282007. 9. मेसर्स मोहम्मद असलम रईसुद्दीन एंड कंपनी, सिकंदरा आगरा दुकान नंबर ए/40 न्यू फ्रूट मंडी रुनकता बी.ओ 282007. 10. मोहम्मद अल्ताफ रायन सी/ओ एम/एस मोहम्मद असलम रईसुद्दीन एंड कंपनी, सिकंदरा आगरा दुकान नंबर ए/40 नई फल मंडी रुनकता बी.ओ 282007. 11. मोह. असलम सी/ओ मेसर्स मोहम्मद असलम रईसुद्दीन एंड कंपनी, सिकंदरा आगरा दुकान नंबर ए/40 नई फल मंडी रुनकता बी.ओ 282007. LNmrtHL_-08170029546 एवं **LNmrtHL** .08170032275	08.06.2025	19.06.2025	43,54,597.52/- रुपये (रुपये तैंतालीस लाख चौवन हजार पांच सौ सत्तानवे और बावन पैसे मात्र) बकाया मूलधन, बकाया (उपार्जित विलम्ब शुल्क सहित) और ब्याज के रूप में 12.06.2025 तक।
	गिरवी रखी गई अचल संपत्तियों का विवरणः एमआईजी हाउस नंबर 37 का वह पूरा टुकड़ा जिस पर नगर निगम नंबर 19ध173-एच/37-ए लिखा है, जिसका क्षेत्रफल 259.54 वर्ग मीटर है, फ्रेंड्स कॉलोनी, न्यू शाहगंज हाउसिंग स्कीम लोहामंडी वार्ड, तहसील एवं जिला आगरा, उत्तर प्रदेश, 282010 में स्थित है और इसकी सीमा इस प्रकार हैः- **पूर्वः** कॉड कॉलोनी **पश्चिमः** 9 मीटर चौड़ी सड़क **उत्तरः** मिग हाउस नंबर 38 **दक्षिणः** मिग हाउस नंबर 36			

हम इस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर बकाया राशि (राशियाँ) उस पर अतिरिक्त ब्याज के साथ-साथ लागत, शुल्क, व्यय आदि का भुगतान करने के लिए यहाँ वर्णित उधारकर्ता से आग्रह करते हैं। ऐसा न करने पर हम सुरक्षा हित को लागू करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जिसमें लागत और परिणामों के संबंध में पूरी तरह से आपके जोखिम पर सुरक्षित परिसंपत्ति का कब्जा लेना और बेचना शामिल है, लेकिन यह सीमित नहीं है। कृपया ध्यान दें कि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार, आप सभी को कंपनी की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। आपके द्वारा उक्त धारा का कोई भी उल्लंघन सरफेसी अधिनियम की धारा 29 और/या इस संबंध में किसी अन्य कानूनी प्रावधान के तहत निर्धारित दंडात्मक प्रावधानों को लागू करेगा। कृपया ध्यान दें कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के अनुसार, यदि एबीएचएफएल की बकाया राशि, एबीएचएफएल द्वारा वहन की गई सभी लागतों, शुल्कों और व्ययों को बिक्री या हस्तांतरण के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी समय एबीएचएफएल को सौंप दिया जाता है, तो एबीएचएफएल द्वारा सुरक्षित परिसंपत्ति को बेचा या हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, और एबीएचएफएल द्वारा उस सुरक्षित परिसंपत्ति के हस्तांतरण या बिक्री के लिए कोई और कदम नहीं उठाया जाएगा।

दिनांकः 24.06.2025 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थानः दिल्ली (आदित्य बिड़ला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड)

KARVY FINANCE

कॉर्पोरेट कार्यालयः मैसर्स, कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 301, तीसरी मंजिल, गुजराल हाउस, 167 सीएसटी रोड, कोलिवेरी एरिया विलेज, कलिना, सांताक्रूज (ई), मुंबई -400098 **ईमेलः-nil.dubey@karvy.com, संपर्क नंबरः +91 9891872258**

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमों के तहत निजी संधि के माध्यम से बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा नीचे उल्लिखित उधारकर्ता/बंधककर्ताओं की सुरक्षित आस्तियों के कब्जे के अनुसरण में, जनता तथा संबंधित उधारकर्ता/बंधककर्ताओं, उनके कानूनी उत्तराधिकारियों/प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधितों को, जैसा भी मामला हो, सूचित किया जाता है कि कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा नीचे सूचीबद्ध संपत्तियों की खरीद के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

जबकि कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी ने प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम के नियम 8 और 9 के अंतर्गत निजी संधि के माध्यम से "जहां है जैसी है" और "जो कुछ भी है" के आधार पर नीचे वर्णित संपत्ति की बाद में बिक्री का निर्णय लिया है।

उधारकर्ता का नाम	नीलामी की तिथि	मांग सूचना की तिथि और राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (आरपी)	बयाना राशि जमा (ईएमडी) तिथि और राशि (आरपी का 10%)	4 फरवरी 2025 तक कुल बकाया ऋण
ऋण कोड संख्या 504947 और 514886 उधारकर्ता और सह-उधारकर्ता 1. सुंदर जैन 2मैसर्स जैनसन एंटरप्राइजेज प्रभा जैन	14 जुलाई 2025 या उसके बाद	17 मार्च 2020 और रु. 7372441/-	गांव चंद्रावली उर्फ शाहदरा के क्षेत्र में, आवासीय कॉलोनी "मानसरोवर पार्क" की आबादी में, इलाका, शाहदरा, दिल्ली-110032 में स्थित खसरा नं. 290 मिन में से, जिसमें साइट के अनुसार अंतिम मंजिल तक ऊपरी निर्माण का अधिकार शामिल है. संपत्ति सं. जे -61/1 का वह सम्पूर्ण टुकड़ा एवं अंश जिसका भूमि क्षेत्रफल 50 वर्ग गज है।	रु. 2986392/-(रुपये उनतीस लाख छियासी हजार तीन सौ निन्यानवे मात्र)	रु. 298639.20/-(रुपये दो लाख अट्ठानबे हजार छह सौ उनतालीस रुपये बीस पैसे मात्र) और 25 जुलाई 2025	रु. 15979211/-(रुपये एक करोड़ उनसठ लाख उन्यासी हजार दो सौ ग्यारह मात्र)

महत्वपूर्ण नियम एवं शर्तें

1. बिक्री "जहां है, जैसा है" के आधार पर, "जो है, जैसा है" और "जो है, जो है, उसके आधार पर" की जा रही है।
2. प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और जानकारी के अनुसार, ऊपर वर्णित किसी भी संपत्ति पर कोई भार नहीं है। हालांकि, इच्छुक भावी खरीदार(रों) को अपना ईएमडी जमा करने से पहले भार, बिक्री के लिए रखी गई संपत्ति(यों) के शीर्षक और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकारों/बकायों के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। बिक्री विज्ञापन कंपनी की किसी भी प्रतिबद्धता या किसी भी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे वे कंपनी को ज्ञात हों या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित ऋणदाता किसी भी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा।
3. संभावित क्रेता की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी ईएमडी जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करें और खुद को संतुष्ट करें।
4. इच्छुक संभावित क्रेता अपनी ईएमडी "कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में, एवं "कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" पर देय डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से जमा करेंगे। कृपया ध्यान दें कि चेक को ईएमडी राशि के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
5. केवल वैध यूजर आईडी/पासवर्ड रखने वाले और "कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड" के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से ईएमडी के भुगतान की पुष्टि करने वाले खरीदार ही बिक्री में भाग लेने के लिए पात्र होंगे।
6. सभी जमा किए गए दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, संपत्ति को सुरक्षा हित प्रवर्तन नियमों के अनुसार निजी संधि के माध्यम से बेचा जाएगा।
7. क्रेता लागू स्टांप शुल्क/अतिरिक्त स्टांप शुल्क/हस्तांतरण शुल्क, शुल्क आदि और किसी को भी देय सभी वैधानिक/गैर-वैधानिक बकाया, कर, दरें, मूल्यांकन शुल्क, शुल्क आदि वहन करेगा।
8. दस्तावेज सत्यापन और किसी अन्य जानकारी के स्पष्टीकरण के लिए,इच्छुक क्रेता मेसर्स कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, 1/15, तीसरी मंजिल, कार्यालय संख्या 3, पंजाब नेशनल बैंक के पास, तिलक नगर नई दिल्ली 110018 पर जा सकते हैं और प्राधिकृत अधिकारी, श्री अनिल दुबे से 91-9891872258 पर संपर्क कर सकते हैं।
9. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का पच्चीस प्रतिशत (25:) (भुगतान की गई ईएमडी सहित) उसी दिन या बिक्री पूरी होने पर अगले कार्य दिवस से पहले तुरंत भुगतान/जमा करना होगा और बिक्री की पुष्टि की तारीख से 15 दिनों के भीतर पचहत्तर प्रतिशत (75:) की शेष राशि का भुगतान करना होगा, ऐसा न करने पर 25: की प्रारंभिक जमा राशि जब्त कर ली जाएगी। किसी भी कीमत पर इसे वापस नहीं किया जाएगा। बिक्री की नई घोषणा जारी होने के बाद संपत्ति को तुरंत फिर से रखा जाएगा और फिर से बेचा जाएगा। शेष शर्तों को निजी संधि के माध्यम से बिक्री दस्तावेजों के निष्पादन के समय निष्पादित किया जाएगा।
10. बिक्री प्रमाणपत्र सफल क्रेता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर संपूर्ण बिक्री मूल्य प्राप्त होने के बाद ही जारी किया जाएगा।
11. विशेष निर्देशः अंतिम क्षण में भाग लेने से बचना चाहिए। न तो कंपनी और न ही सेवा प्रदाता किसी भी तकनीकी चूक, संपत्ति की पहचान, संपत्ति के कागजात के निरीक्षण आदि के लिए जिम्मेदार होंगे।

एसएआरएफएईएसआई अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 15 दिन बाद की बिक्री सूचना

ऋणकर्ता/गारंटर को सूचित किया जाता है कि वे वर्तमान सूचना को एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत बाद की बिक्री की सूचना के रूप में मानें और उसका पालन करें, ऐसा न करने पर संपत्ति बेच दी जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत के साथ वसूल की जाएगी।

हस्ता/-
प्राधिकृत कार्यालय
कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 23 जून 2025

epaper.jansatta.com